टम माला, खंड 13, अंक 6

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1986
9 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पाँचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 13, पांचवां सत्र, 1986/1907 (शक)
अंक 6, शुक्रवार, 28 फरवरी, 1986/9 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2-23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 82 से 84, 87 से 89, 91 और 92	2-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23-146
तारांकित प्रश्न संख्या : 85, 86, 90 और 93 से 101	23-29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 794 से 826, 828 से 868, 870 से 958, 960 से 970, 972 से 973	30-139
बजट-प्रस्तुतीकरण से एक सप्ताह पूर्व सीमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी करके विलासिता की कतिपय वस्तुओं को सीमा-शुल्क से छूट देने की कथित घोषणा के कारण वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	142-145
10 फरवरी, 1986 को एक पत्रकार-सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय सरकार के संभावित आय और व्यय के अनुमान प्रेस को बता देने के आरोप के कारण वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	145-146
सभा पटल पर रखे गये पत्र	147-152
1986-87 के सामान्य बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए सभा के स्थगन और पुनः समवेत होने के बारे में घोषणा	152
सभा का कार्य	152-156
दिल्ली अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक—पुरःस्थापित	156
मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के बारे में सांविधिक संकल्प और मोटर यान (संशोधन) विधेयक	157-165
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी० जंगा रेड्डी	157
श्री राजेश पाइलट	160
श्री एम० रघुमा रेड्डी	161
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	162
श्री सत्यगोपाल मिश्र	164
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	166
ग्यारहवां प्रतिवेदन	166

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प—वापस लिया गया	166-182
श्री ए० के० पंजा	167
श्री हरीश रावत	167
चुनाव सुधारों के बारे में संकल्प	182-198
श्री डी० एन० रेड्डी	182
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	188
श्री गिरधारी लाल व्यास	191
तेल्लिचेरी और माही स्टेशनों के बीच हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	198
श्री बंसी लाल	198
चुनाव सुधारों के बारे में संकल्प [—जारी]	198-204
श्री मूलचन्द डागा	198
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	202
डा० गौरी शंकर राजहंस	203
सामान्य बजट, (1986-87)—प्रस्तुत किया गया	205-240
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	205
वित्त विधेयक, 1986—पुरःस्थापित	221-240

लोक सभा

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1986/9 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, आज पहला ही सवाल ममताजी से शुरू हो रहा है। कहां हैं वे सब लोग··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे डर के मारे नहीं आये हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें प्रश्न को अन्य सदस्य के प्रश्न के साथ मिला देने पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसी बात है ?

[हिन्दी]

आप कर रहे हैं उनके बिहाफ पर।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे नाम को माननीय महिला सदस्य के प्रश्न के साथ जोड़ दिया गया है। परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या मैं उनके प्रश्न को समझ सकूंगा। समस्या यही है। कल भी ऐसी ही समस्या थी। किसी ने बताया था कि वह क्या कह रही हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको उनसे पहले बातचीत तो कर लेनी चाहिए थी।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को अपने तीन भूतपूर्व साथी अर्थात् सर्वश्री टी० सी० एन० मेनन, महेश्वर नायक तथा जगजीवनराव गनपतराव कदम के दुखद निधन की सूचना सभा को देनी है।

श्री टी० सी० एन० मेनन 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और वह केरल के मुकुन्दपुरम निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे।

वह एक वयोवृद्ध मजदूर नेता थे और केरल राज्य के कई मजदूर संघों से सम्बद्ध रहे। व्यवसाय से वह वकील थे और उन्होंने राज्य के एडवोकेट जनरल के पद पर कार्य किया।

श्री टी० सी० एन० मेनन का निधन 10 फरवरी, 1986 को 59 वर्ष की आयु में कोचीन में हुआ।

श्री महेश्वर नायक 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे और वह उड़ीसा के मयूरगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे। वह 1950-52 तथा 1956-62 के दौरान क्रमशः अस्थाई संसद तथा राज्य सभा के भी सदस्य रहे। इससे पूर्व वह 1944-46 और 1947-49 की अवधि में मयूरगंज स्टेट विधान मंडल के सदस्य रहे। उन्होंने मयूरगंज स्टेट के मंत्रिमंडल में विकास तथा शिक्षा मंत्री के पद को सुशोभित किया।

वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा व्यवसाय से शिक्षाविद थे। समाज के कमजोर वर्गों की भलाई तथा ग्रामीण उत्थान के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। वह प्रबुद्ध शिक्षाविद थे। उन्होंने शिक्षा की प्रगति में काफी रुचि दिखाई। वह कई शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहे तथा अंग्रेजी एवं उड़िया में कई पुस्तकें लिखीं।

श्री नायक का निधन 14 फरवरी, 1986 को हुआ जबकि वह 80 वर्ष के थे।

श्री जगजीवनराव गनपतराव कदम 1971-77 के दौरान पांचवीं लोकसभा के सदस्य थे। वह महाराष्ट्र के वर्धा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे। इससे पूर्व वह 1946-56 तथा 1967-70 के दौरान बम्बई विधान सभा तथा महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे।

वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। श्री कदम ने समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याण के लिए बहुत काम किया। श्री कदम को सहकारी आन्दोलन में काफी रुचि थी और कृषक समुदाय की सेवा में वह कई सहकारी संस्थाओं के प्रधान रहे।

श्री कदम का निधन 15 फरवरी, 1986 को महाराष्ट्र के आरवी नामक स्थान में हुआ उस समय उनकी आयु 81 वर्ष थी।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करते हैं तथा मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने में सदन मेरा साथ देगा।

अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए अब सभा कुछ देर के लिए मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को बैंक ऋण देने के लिए ऋण वितरण समारोह

*82. **कुमारी ममता बनर्जी :**

श्री अमल दत्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 के दौरान कई प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को बैंक ऋण वितरित करने हेतु देश के विभिन्न भागों में ऋण वितरण कैम्प आयोजित किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो लीड बैंक और इसमें भाग लेने वाले बैंकों के नाम क्या हैं, कितने लोगों को कितनी राशि के ऋण दिये गये तथा ये ऋण किस योजना के अन्तर्गत दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक कमजोर वर्गों को अधिक ऋण देने के उद्देश्य से ऋण शिविरों के आयोजन सहित कई कदम उठाते हैं । ये शिविर सामान्यतया बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इन शिविरों पर केन्द्र द्वारा नजर नहीं रखी जाती है और न ही ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है । वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित शिविरों की संख्या और इस प्रकार के शिविरों में मंजूर तथा संवितरित किए गए ऋणों की राशि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती है । मार्च 1985 के अन्त में कमजोर वर्गों के नाम बकाया ऋणों की राशि 4072 करोड़ रुपये थी जो दिसम्बर 1985 के अन्त में बढ़कर 4844 करोड़ रुपये हो गई ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ममता जी बोलिए, आज तो कमाल ही हो गया। दो विरोधाभास व्यक्तियों का एक जगह सामंजस्य हो रहा है । इससे उत्तम और क्या हो सकता है । (अनुवाद)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह लोकतंत्र है । मैं कहूंगा कि यह साकार लोकतंत्र ही है ।

श्री अमल दत्त : यह आपके कार्यालय की साख है ।

कुमारी ममता बनर्जी : वर्ष 1985 में तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल में ऋण जमा अनुपात क्या था ? दूसरे, 1986-87 के दौरान देश में, विशेष रूप में पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा ऋण कैंप लगाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है तथा ऋण की रकम को दुर्बल वर्ग के लोगों तथा बेरोजगार युवकों को देने के लिए क्या प्रस्ताव हैं । मेरे विचार से सरकार को दलगत राजनीति से अलग हटकर ऋण की रकम लोगों में बांटनी चाहिये । इस सम्बन्ध में सरकार का क्या प्रस्ताव है ? पश्चिम बंगाल में सरकार कब व किस तरह से ऋण कैंप लगाने जा रही है ? इस संबंध में मैं पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रेस को एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा गया है कि 'मैं ऋण कैंपों को लगाने की अनुमति नहीं दूंगा' तथा यह भी कहा है कि "मैं केन्द्र सरकार से कहूंगा कि वह मुझे राष्ट्रीयकृत बैंकों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दे और तभी मैं ऐसा करने की अनुमति दूंगा ?" अतः इस संबंध में सरकार का क्या प्रस्ताव है ? क्योंकि आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिविहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ही संचालित किये जाते हैं । ये सिर्फ आपके भ्रष्ट बैंक कर्म-

चारियों के लिए हैं। आपके बैंक कर्मचारी काफी ज्यादा भ्रष्ट हैं तथा उनका सी० पी० आई० (एम) से निकट का संबंध है। अतः इस संबंध में मैं आपसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : तमिलनाडु में ऋण जमा अनुपात 95 प्रतिशत है।

(व्यवधान)

श्री एच० ए० डोरा : महोदय, हम प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सिर्फ उन्हें ही समझना चाहिए।

श्री अमल दत्त : उत्तर सुनने दीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : पश्चिम बंगाल का ऋण जमा अनुपात 57 प्रतिशत है।

महोदय, कलकत्ता में हुई क्षेत्रीय परामर्शदायी समिति की बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार के भूतपूर्व वित्त मंत्री ने एक बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा ऋण सुविधा दी जानी चाहिए। अतः मैंने क्षेत्रीय परामर्शदायी समिति की बैठक में वायदा किया था कि मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी करूंगा तथा पश्चिम बंगाल में ज्यादा ऋण दिया जाएगा।

अतः जहां तक पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में माननीय सदस्य द्वारा आरोप लगाये जाने का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि 18-12-85 को लगे ऋण कैंप में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री भी सम्मिलित थे और मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमण्डल के एक अन्य सहयोगी आये थे और ऋण की धनराशि बांटी थी। मैं यह भी कहूंगा कि कमजोर वर्गों को ऋण देने के बारे में मुख्यमंत्री या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति की जाती है तो भी हम इस व्यवस्था को बन्द नहीं करेंगे तथा दुर्बल वर्गों की सहायता की जायेगी।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है : किसके माध्यम से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा ? पंचायत अथवा डी० आर० डी० ए० द्वारा ? अगर इसे डी० आर० डी० ए० द्वारा लागू करना है तो कुछ राज्यों में इसे पंचायतों के माध्यम से क्यों किया जा रहा है, विशेष रूप में पश्चिम बंगाल की पंचायतों द्वारा। क्योंकि बहुत से लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। मैं जानना चाहती हूं क्या इन सब बातों की जांच करने और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का पता लगाने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आम लोगों को इससे फायदा नहीं हो रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गरीब लोगों की अवहेलना की गई है। बैंक द्वारा उन्हें किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया जा रहा है तथा मैं आपको स्पष्ट रूप में बता रही हूं कि गरीब लोगों को ऋण नहीं मिल रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या इन सब बातों की जांच करने के लिए सरकार एक गैर-सरकारी समिति का गठन करना चाहती है ? निस्संदेह आपको कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण देना चाहिए तथा यह जारी भी रहना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाना जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों का काम है। यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है कि कुछ राज्यों में पंचायतें भी यह कार्य कर रही हैं।

जहां तक अर्जी देने का संबंध है, कोई भी व्यक्ति अर्जी दे सकता है। यह लोगों के प्रतिनिधि अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। पंचायतें तो देती ही हैं। परन्तु पता

लगाने का कार्य कि किन लोगों को ऋण देना है डी० आर० डी० ए० करता है। इसके पश्चात इन लोगों के नाम बैंकों को भेज दिये जाते हैं और बैंक अपनी कार्यवाही करके इन्हें ऋण की रकम देंगे। अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो हमें आरोप कुछ सूत्रों से मिल रहे हैं कि हम जरूरतमन्द लोगों का पता नहीं लगाया जाता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है तथा यहां पर भी ऐसा ही कहा गया है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, जहां तक इस उत्तर का संबंध है, पता चलता है कि यह विभाग किस तरह कार्य कर रहा है। इनके पास निगरानी करने जैसी कोई प्रणाली नहीं है इसलिये यह नहीं बता सकता कि कितने ऋण वितरण कैम्प लगाये गये हैं, सिर्फ श्री पुजारी जी इतना बता सकते हैं कि स्वयं वह कितने कैम्पों में उपस्थित रहे हैं क्योंकि अधिकांश कैम्प उनके कहने पर लगाये जा रहे हैं तथा वह वहां व्यक्तिगत रूप में जा रहे हैं।

महोदय, वैसे तो ऋण वितरण कैम्प लगाने के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है परन्तु योजना आयोग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शन सिद्धान्तों की जांच करने पर आप पायेंगे कि लाभान्वित होने वाले लोगों का पता लगाने तथा योजना को स्वीकृति मिलना एक लम्बी प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति के मामले में ऋण स्वीकृत करने में छह सप्ताह से लेकर दो महीने तक की अवधि का समय लग जाता है। अभी हाल ही में गत वर्ष के दौरान ऋण शिविर लगाये गये, जिनके बारे में दो से तीन सप्ताह की सूचना देकर एक ऋण शिविर में 40,000 लोगों तक को ऋण प्रदान किये गये। पुजारी महोदय इससे इन्कार तो करें। पश्चिम बंगाल में जादवपुर और मथुरापुर के गत दो प्रस्तावित असफल शिविरों की सूचना केवल लगभग दो सप्ताह पूर्व ही दी गई थी। यह दिखाने के लिए मेरे पास कागजपत्र हैं कि उन ऋण शिविरों को लगाने की प्रस्तावित तारीख से केवल दो सप्ताह पूर्व ही बैंकरों की बैठक बुलाई गई थी, जिनमें 40,000 लोगों को ऋण देना प्रस्तावित था और उसी अवधि के भीतर डी० आर० डी० ए० की अनुमति दी जानी थी। परन्तु यह मानवीय रूप में असंभव था। इसलिए, उन्होंने यह किया कि निर्धारित चुनाव प्रक्रिया को तो ताक पर रख दिया और अपनी ओर से कहा कि केवल सांसद और विधायक ही सिफारिश कर सकेंगे और उनकी सिफारिशों पर ऋण दिये जायेंगे। इस विशेष निर्णय के बारे में केवल कुछेक सांसदों को ही बताया गया था। **(व्यवधान)** इसकी यह पृष्ठभूमि है।

तो, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि लगाये जाने वाले समस्त ऋण शिविरों में—ऋण शिविरों को लगाए जाने को मैं बुरा नहीं मानता—लाभग्राहियों की पहचान हेतु, योजनाओं के अनुमोदनार्थ और धनराशि के वितरण के लिए, योजना आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समस्त प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा। मामले का यह मर्म है। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण न केवल सांसदों और विधायकों की सिफारिशों पर दिए जाएं अथवा किसी राजनीतिक व्यक्ति की सिफारिश पर दिए जाएं, अपितु उचित निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद ही दिया जाए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्यों से पूर्णतया सहमत हूं कि लाभग्राहियों की पहचान सही ढंग से की जानी चाहिए और उचित प्रक्रिया भी अपनाई जानी चाहिए। यहां पर माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है कि ऋण शिविरों को लगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं

दिया गया था। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि सभी मामलों में, कम से कम तीन या चार महीने का समय दिया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगलौर में एक ऋण शिविर लगाया गया था, जिसमें 40,000 लोगों को ऋण दिया जाना था। लगभग 563 शाखाएं खोली गई थीं और प्रत्येक शाखा को 100 आवेदन सौंपे गए थे। इसमें चार मास का समय दिया गया है जिसका अर्थ है कि प्रतिदिन एक आवेदन-पत्र भी नहीं पड़ता। अतः पर्याप्त समय दिया गया है।

श्री अमल दत्त : बंगलौर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। जादवपुर की बात कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : यहां पर भी और हर जगह पर्याप्त समय दिया गया है। कभी-कभी यह कम भी हो सकता है और मैं इस बात से इंकार भी नहीं करता हूं। कुछ मामलों में, उन लोगों को समारोह करने के लिए समय तक निर्धारित किया गया है। यदि बैंक वाले ऐसा नहीं करते हैं तो यह उनकी गलती है। यदि वह बात हमें बताई जाए तो हम उस पर गौर करेंगे। परन्तु जब कभी भी ऋण शिविर लगाये जाते हैं तो पर्याप्त समय दिया जाता है। जहां तक कमजोर वर्गों का सम्बन्ध है, 25,000 रुपये की किसी भी राशि के लिए कोई आवेदन-पत्र दिया जाता है तो 14 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण स्वीकृत करके प्रदान कर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यही समय-सीमा निर्धारित की है। उससे अधिक राशि के लिए 8 से 9 सप्ताह तक का समय दिया जाता है।

हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों और सभी विभागों द्वारा दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का भी पालन करते आ रहे हैं। इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि जब कोई आवेदन-पत्र बैंक वालों के पास जाता है तो मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिये और पालन किया भी जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिये। मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या जादवपुर में लगाए गए ऋण शिविर में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि पर्याप्त समय दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि "वह इस बात मे इंकार नहीं करते हैं ऐसा हो सकता है।" उनका तो यही कहना है।

श्री अमल दत्त : प्रक्रिया के बारे में उनको क्या कहना है ? **(व्यवधान)** उनका कहना है कि पर्याप्त समय दिया गया है··· **(व्यवधान)**

श्री आशुतोष लाहा : इस बात पर विचार करते हुए कि राज्य सरकार की घोर असफलता के कारण पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की विकट समस्या है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिये, शान्त रहिये।

श्री आशुतोष लाहा : इस तथ्य के बावजूद कि राज्य में विधि और व्यवस्था की स्थिति एकदम बिगड़ गई है और राज्य को एक राजनीतिक दल की ओर से राजनीतिक धमकी भी मिल रही है ?···

अध्यक्ष महोदय : केवल इस प्रश्न से सम्बद्ध बात का ही उत्तर दिया जाये ।

(व्यवधान)

सुरेश कुरूप : क्या आप उनको उचित अनुपूरक प्रश्न पूछने का ही निर्देश देंगे ? ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम आशुतोष लाहा है, इसलिए वह विधि और व्यवस्था की बात कर रहे हैं ।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं जानता हूं ।

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हमने ऋण वितरण कार्यों को पूर्वी क्षेत्र में बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी सम्मिलित है ।

मैं जलपाईगुड़ि गया था । वहां पर हमने 16,550 लोगों को ऋण वितरित किये । मुझे वहां पर अतिरिक्त जिलाधीश ने बताया कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित ऋण आवेदन-पत्रों को नहीं निपटाया गया है और 10,000 से लेकर 12,000 तक आवेदन-पत्र दिए गए थे । मेरे वहां जाने के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया है । उसका कहना था कि वे गत दो से तीन वर्ष से निलम्बित पड़े थे । यह सब बकाया मामलों को निपटाने और उन्हें गति प्रदान करने के लिए किया गया था···

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : इसका यह अर्थ हुआ कि बैंक सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे और उन्होंने धनराशि वितरित नहीं की ।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

[**हिन्दी**]

श्री गिरधारी लाल व्यास : सारी गड़बड़ तो खुद उन्होंने कराई है और उसका दोष यहां सरकार पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : व्यास जी, आप टाइम देखते हैं या नहीं । रोज टाइम देख लिया करो । अभी तो क्वेश्चन आवर है ।···

[**अनुवाद**]

आप चर्चा कर सकते हैं । परन्तु यह प्रश्न काल है चर्चा काल नहीं ।

वर्ष 1986-87 में चीनी का आयात

*83. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1986-87 के दौरान घरेलू उपभोग के लिए चीनी की संभावित कमी को पूरा करने हेतु चीनी का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आंकी गई कमी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० पंजा) : (क) से (ग) 1986-87 चीनी वर्ष 1-10-1986 से शुरू होगा। अतः इस समय चीनी वर्ष 1986-87 में चीनी के प्रत्याशित उत्पादन के बारे में कोई मूल्यांकन करना बहुत जल्दबाजी होगी और इसके फलस्वरूप इस संबंध में केवल 1986 के अन्त तक ही कोई राय बनायी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैंने मूल प्रश्न में यह पूछा है कि :

[अनुवाद]

"क्या सरकार वर्ष 1986-87 के दौरान घरेलू उपभोग के लिए चीनी की संभावित कमी को पूरा करने हेतु चीनी का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।"

[हिन्दी]

और यहां पर डोमैस्टिक कन्जम्पशन के अलावा उत्पादन की चर्चा भी कर दी गई। जब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, हमने एस्टीमेट्स भी बनाये हैं कि हर साल हमारा इतना उत्पादन होगा और इतना कन्जम्पशन होगा। उस हिसाब से मैं जानना चाहता हूं कि उन एस्टीमेट्स के आधार पर हमने उत्पादन और कन्जम्पशन का क्या लक्ष्य रखा है और उसमें कितना शार्टफाल होगा। कन्जम्पशन को पूरा करने के लिए हमने दिसम्बर में कैबिनेट सैक्रेटरी के लेवल पर एक मीटिंग भी की थी, उसमें भी इस बात की चर्चा की गई थी कि हम रा-शुगर इम्पोर्ट करके, यहां उसकी री-प्रोसैसिंग करेंगे और कन्ज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए क्या हमने उद्योगों के साथ बातचीत की है या नहीं। यदि की है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं। आप किस तरह से शोर्टेज मीट-आउट करने जा रहे हैं। क्या आप कोई नई चीनी-नीति बनाने जा रहे हैं या नहीं। यदि कोई नीति बनाने का आपका विचार है तो वह कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : वास्तव में चीनी का उत्पादन इस वर्ष काफी उत्साहवर्धक है और यदि मैं आंकड़े दूं.....

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : मैं 1986-87 के आकलित उत्पादन की बात कर रहा हूं।

श्री ए० के० पंजा : जो वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, उसका अनुमान लगाने हेतु हमें उससे पहले के वर्ष पर और जिस ढंग से उत्पादन बढ़ रहा है उस पर विचार करना होगा। 1985-86 के वर्ष में, 7 फरवरी, 1986 को हमारा उत्पादन काफी ऊंचा था अर्थात 38.4 लाख टन। गत वर्ष इसी अवधि के अनुरूप आंकड़े 33.15 लाख टन के थे। हमारा 65 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। जहां तक प्राक्कलित मांग का सम्बन्ध है अर्थात उपभोग अथवा आवश्यकता का 85 लाख टन अनुमानित है। जब आंकड़े 65 लाख टन और 85 लाख टन के हैं तो सन्तुलन कहां से आयेगा ? यह सन्तुलन उठाकर रखे गये माल अर्थात प्रथम अक्तूबर, 1985 को 14.24 लाख टन चीनी बच गई थी और उसके बाद उसे जारी किया, परन्तु अनपारेषित लेवी चीनी 2.54

लाख टन है और बाकी बची चीनी 2.54 लाख टन है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं प्राक्कलित उत्पादन 65 लाख टन है। 1985 में उपलब्ध आयातित चीनी 14.10 लाख टन थी। कुल जोड़ 90.80 लाख टन बैठता है और अनुमानित आवश्यकता 85 लाख टन होगी। इसलिए हमारे पास 5.80 लाख टन अनुमानित चीनी आगे के लिए बची रहेगी। कोई कमी नहीं होगी।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं 1986-87 की बात कर रहा था और उन्होंने उत्तर 1985-86 के लिए दिया है।

[हिन्दी]

मैं 1986-87 के बारे में पूछ रहा हूं क्योंकि अभी चीनी का इम्पोर्ट करने के लिए भी जो कुछ बात चल रही है, उसमें क्या तय हुआ है और जो आप री-प्रोसेसिंग की बात सोच रहे थे, उसका क्या हुआ तथा नई चीनी बिक्री नीति के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इस बारे में आपने जवाब नहीं दिया है। मेरा दूसरा एक सवाल और है, इसलिए आप पहले प्रश्न का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दूसरा सवाल भी करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा सवाल कर लीजिए, उसके साथ ही पहले सवाल का भी जवाब आ जाएगा।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं, तो मैं दूसरा सवाल भी पूछ ही लेता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे पहले सवाल का भी जवाब दिया जाए। मेरा दूसरा सवाल यह है कि चीनी की कमी को देखते हुए जो सीजन बन्द होने जा रहा है, इस गरमी के सीजन में जबकि चीनी की रिकवरी कम हो जाती है और चीनी की पैदावार बढ़ाई जाती है, उसके लिए एक अप्रैल से आप ज्यादा इंसेटिव देने जा रहे हैं या नहीं ताकि अगले साल ज्यादा चीनी हो सके, इसके लिए अरली इंसेटिव देने जा रहे हैं या नहीं। पिछली साल आपने जो अरली इंसेटिव दिया था, उससे तो ज्यादा चीनी पैदा नहीं हुई और वह इंसेटिव डिसइंसेटिव में बदल गया। इसलिए अब आप अगले साल के लिए अरली इंसेटिव देने जा रहे है या नहीं ?

[अनुवाद]

कृपया, दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अन्यथा, सभा में प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं है।

श्री ऐ० के० पंजा : प्रश्न के प्रथम भाग का मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। जहां तक दूसरे भाग अर्थात् प्रोत्साहनों का सम्बन्ध है, सरकार इस बारे में पूर्णतया सजग है। इसलिए दो मुख्य प्रणालियां विकसित की गई हैं —एक है अल्पकालीन और दूसरी है दीर्घकालीन प्रोत्साहन। जहां तक अल्पकालीन का सम्बन्ध है, उसका मूल्य 14 रुपये था जिसे सिफारिश के आधार पर बढ़ाकर 16.50 रुपये किया गया है और अगले वर्ष यह 17 रुपये तक होने जा रहा है। वास्तव में, राज्य के अनुसार, उत्पादकों को मिल मालिकों से ऊंचे भाव मिलते हैं, जो कि 20 से लेकर 27 रुपये तक हैं। दूसरे, जहां तक कमी वाले महीनों का सम्बन्ध है, अक्तूबर और नवम्बर में मौसम के आरंभ में उत्पादन बढ़ाने के लिए कमी वाले महीनों के दौरान अतिरिक्त उत्पादन पर उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : हमारे देश की मिलों की कुल उत्पादन क्षमता एक करोड़ टन है। हमें 85 लाख टन चीनी की आवश्यकता है। गत वर्ष मंत्री महोदय के मतानुसार केवल 59 लाख टन का उत्पादन हुआ था।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : यह उत्पादन नहीं है। यह तो बकाया चीनी है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वाणिज्य और कृषि मंत्रालयों में आपस में कोई तालमेल है कि हमें कितना गन्ना चाहिए। किसान अपना गन्ना जला रहे हैं और वाणिज्य मंत्रालय बाहर से चीनी का आयात कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय में समन्वय रखा जायेगा और क्या वे एक वर्ष पूर्व ही मूल्यों की घोषणा करेंगे ताकि किसान आवश्यकता की पूर्ति हेतु अधिक पैदावार कर सकें।

श्री ए० के० पंजा : वाणिज्य और कृषि मंत्रालयों के बीच समन्वय है। अन्यथा हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? यह अनुरोध कार्यवाही करने के लिए है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, हमने इसे 17 रुपये निश्चित किया है इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई है, इस वर्ष यह मूल्य 16.50 रु० है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : जहां तक शुगर की समस्या है, यह निश्चित है कि जिस वर्ष आप किसानों को इन्सेंटिव देते हैं, उस साल अधिक उत्पादन वह करता है। इस साल तमाम राज्यों से सूचना है कि केन्द्रीय सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जो कीमत दी है उससे भी आगे जाकर कुछ मिलों ने हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिक पैसा दिया है, तब भी गन्ने का उत्पादन रकबा नहीं बढ़ा है। क्या मंत्री महोदय इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि शुगर पर फारेन एक्सचेंज खर्च न करना पड़े, बाहर से न मंगानी पड़े, इसके लिए सरकार शुरू में ही इन्पुट्स पर विचार करके किसानों के खेती करने के पहले ही कह दे कि अगले वर्ष का रैमुनरैटिव प्राइस यह होगा ताकि किसान गन्ने का उत्पादन कर सके और किसान उससे उत्साहित हो सके और हमें शुगर आयात करने की जरूरत न पड़े।

[अनुवाद]

श्री ए०के० पंजा : किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। अन्य भी कई घटक शामिल हैं ताकि चीनी के मूल्य नियंत्रित रहें और इसकी उपलब्धता बनी रहे। जहां तक किसानों को भुगतान का सम्बन्ध है, पहले यह 14 रुपये था। इसे इस वर्ष बढ़ाकर 16.50 रुपये कर दिया गया है और अगले वर्ष इसका मूल्य 17 रुपये निश्चित किया गया है। हमने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है। मुख्यत: पिछले दो वर्षों से पड़ रहे सूखे की वजह से इसके उत्पादन में गिरावट आई है। इस वर्ष इसमें वृद्धि हो रही है और उत्पादन अच्छा हुआ है।

उपभोक्ता संरक्षण संबंधी दिशा-निर्देश

*84. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में 20-21 जनवरी, 1986 को आयोजित उपभोक्ता संरक्षण संबंधी विचार-गोष्ठी में कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ इण्डिया (भारतीय उपभोक्ता

दिशा-निर्देश संस्था) ने उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मार्ग निर्देशों को अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के हितों, वस्तुओं की सप्लाई, सेवाओं के अनिवार्य मानकों की ओर विशेष ध्यान देने का है;

(घ) क्या उपर्युक्त बातों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपभोक्ता कानून बनाया जाएगा और जन-संचार माध्यम द्वारा उपभोक्ता शिक्षा प्रारम्भ की जाएगी;

(ङ) क्या खाद्य पदर्थों, जल और औषध निर्माण को उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्राथमिकता दी जाएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) जी हाँ।

(ख) से (च) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

20-21 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में उपभोक्ता संरक्षण के बारे में एक अखिल भारतीय संगोष्ठी हुई थी, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के लिए विभिन्न प्रशासनिक, कानूनी तथा परिवीक्षा संबंधी उपायों पर, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए तैयार किए गये उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून का मसौदा भी शामिल है, विचार किया गया। इस संगोष्ठी में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों का प्रतिनिधियों ने स्वागत किया और उन्होंने सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव भी दिए।

कन्ज्यूमर्स गाइडेंस सोसायटी ऑफ इण्डिया जिसने संगोष्ठी में भी भाग लिया, ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए :

(1) एक अलग उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय/विभाग बनाया जाए, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय हो।

(2) स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को अधिक शक्तियां दी जाएं।

(3) लोकोपयोगी सेवाओं को नमूना कानून के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाए।

(4) सभी उपभोक्ता उत्पादों के लिए आई० एस० आई० प्रमाणन अनिवार्य किया जाए।

उपभोक्ता कार्यों के बारे में एक केन्द्रक विभाग होने के नाते, नागरिक पूर्ति विभाग उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित सभी मामलों के बारे में अन्य संबंधित केन्द्रीय विभागों के साथ तालमेल कर रहा है।

दिल्ली प्रशासन ने उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के बारे में कार्रवाई करने के लिए खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के तहत, केन्द्रक अभिकरण के रूप में, उपभोक्ता कार्य निदेशालय की स्थापना की है। दिल्ली में, सुस्थापित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को निरीक्षण तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए कुछ शक्तियां दी गई हैं।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार संगोष्ठी में दिए गए विभिन्न सुझावों पर कार्यवाही कर रही है, तथापि नमूना कानून में लोकोपयोगी सेवाओं को शामिल करना संभव नहीं होगा, क्योंकि संबंधित लोकोपयोगी विभागों के पास जन-शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त तंत्र मौजूद होने के कारण इससे प्राधिकरणों की संख्या बढ़ जाएगी ।

सरकार, उपभोक्ता सुरक्षा, अनिवार्य मानकों के अनुरूप वस्तुओं तथा सेवओं की आपूर्ति करने को उच्च प्राथमिकता देती है । उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु, सरकार ने 93 उत्पादों के लिए अनिवार्य गुणता नियंत्रण तथा प्रमाणन लागू किया है । इसके अलावा, सरकार का उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं, जैसे बिजली के घरेलू उपकरण, जी.एल.एस. लैंप, मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क, तेल से जलने वाले स्टोव आदि के मामले में चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य गुणता नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव है ।

उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण कानूनों अर्थात खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किए जा रहे हैं ।

जन-सम्पर्क माध्यम उपभोक्ता शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चला रहे हैं । उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए खाद्य वस्तुओं तथा दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है ।

डा० जी० विजय रामाराव : हमारे देश में मिलावट अधिक है । सरकारी रिपोर्ट में ही कहा गया है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में मिलावट 20-30 प्रतिशत है । ग्रामीण लोगों में अज्ञानता और निरक्षरता की वजह से यह स्थिति है । इस देश से निरक्षरता समाप्त करने के लिए प्रचार माध्यम जैसे प्रेस, दूरदर्शन और आकाशवाणी सही भूमिका नहीं निभा रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह देश में उपभोक्ता संगठन स्थापित करने को बढ़ावा देंगे और सारे देश में इन उपभोक्ता संगठनों को कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता देंगे । दूसरे, क्या वे दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे प्रचार माध्यमों पर इन उपभोक्ता संगठनों को निगरानी रखने की अनुमति देंगे ।

श्री ए० के० पंजा : जहां तक स्वैच्छिक संगठनों का सम्बन्ध है, अगर वे एक निश्चित मापदंड पर सही उतरते हैं तो उनके आगे आने का स्वागत है । माननीय सदस्यों को इन मापदंडों की जानकारी है । वास्तव में, इस तरह से कई स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी गई है । जहां तक धन की उपलब्धता का सम्बन्ध है, जो निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, उन्हें धन उपलब्ध कराया जाता है । जहां तक उपभोक्ता के हितों को सुरक्षा प्रदान करने का सम्बन्ध है, आदर्श कानून बनाये जाने का मामला विचाराधीन है । विभिन्न संगठनों और कुछ राज्य विधान सभाओं द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं से इस पर विचार किया जा रहा है । सभी के विचारों को ध्यान में रखते हुए आदर्श कानून बनाये जा रहे हैंताकि यह सही और अच्छा कानून बन सके ।

डा० जी० विजय रामाराव : दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित विज्ञापनों पर निगरानी रखने के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री ए० के० पंजा । मुझे खेद है कि मैं अन्तिम भाग भूल गया था । हम न केवल इन पर निगरानी रखने, बल्कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए भी प्रचार माध्यमों की सहायता ले रहे हैं । मुख्य बात यह है कि हमें अपने बेखबर उपभोक्ताओं, अर्थात क्रेताओं को उनके अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना है और उन्हें उस स्तर तक सचेत करना होगा कि वे विक्रेताओं से अपने हित मांग सकें और विक्रेताओं से सही वस्तुयें देने के लिए कह सकें ।

डी० जी० विजय रामाराव : राष्ट्रीय स्तर को लागू करने, सुरक्षा नियंत्रण और कानूनी तंत्र आदि के लिए सरकार क्या विशेष उपाय उठाने जा रही है, ताकि उत्पाद हमारे लिए सुरक्षित हो सकें । उपभोक्ता शिक्षा जिसमें बिजली उत्पादों दवाइयों आदि के बारे में महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी देना भी शामिल है, प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ए० के० पंजा : आई० एस० आई० विनिर्देश हैं और इनमें से कुछ मदें सूची में सम्मिलित हैं । यह एक लम्बी सूची है, अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें यह सूची दे सकता हूं । मैं सूची की मदों को पढ़कर नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि माननीय सदस्य पहले ही इस बारे में जानते हैं ।

इन वस्तुओं के लिए यह आवश्यक बना दिया गया है कि सूची में लिखित प्रत्येक वस्तु पर आई० एस० आई० चिह्न अंकित हो, ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके या कम से कम इन वस्तुओं को खरीदने से पहले वे आई० एस० आई० चिह्न को देख लें ।

जहां तक कानून का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही कहा है कि मिलावट-विरोधी अधिनियम और एमआरटीपी अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षार्थ अब लागू किये जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ता, यानि लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न पड़े ।

श्री हरूभाई मेहता : एक क्षेत्र जहां उपभोक्ताओं को ठगा जाता है, वह है खुदरा मूल्य । क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी देश में बिकने वाली सभी वस्तुओं पर खुदरा मूल्य अंकित हो । माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी होगी कि सोवियत संघ जैसे देशों में प्रत्येक वस्तु पर खुदरा मूल्य अंकित हैं, ताकि मास्को या सदूर गांवों में रहने वाला व्यक्ति समान मूल्य पर वस्तु खरीद सके । उपभोक्ताओं के हितों की रक्षार्थ क्या सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर खुदरा मूल्य अंकित करने का प्रस्ताव है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की पूर्ति की जा सके और उन्हें ठगा न जा सके ।

श्री ए० के० पंजा : वर्तमान में हम, प्रत्येक विशिष्ट पेकेज वस्तु पर उसका भार अंकित करते हैं, ताकि उपभोक्ता को वस्तु कम न मिले । जहां तक प्रत्येक वस्तु पर मूल्य अंकित करने का सम्बन्ध है, यह प्रस्ताव अच्छा है और हम इस पर विचार करेंगे । तथापि, कुछ विशिष्ट सूचीकृत पैकेट वस्तुओं पर मूल्य भी अंकित होता है ।

पानागढ़ (पश्चिम बंगाल) में करेंसी नोट प्रेस की स्थापना में विलम्ब

* **87. श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने पानागढ़, पश्चिम बंगाल में करेंसी नोट छापने के लिए प्रेस की स्थापना करने का प्रस्ताव छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस परियोजना के लिए 31-8-85 को एक विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैसर्स मैटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड को काम सौंपा गया है। उन्होंने 31-1-85 को परियोजना सम्बन्ध रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और मशीनरी के चुनाव के लिए विदेश में कुछ देशों का दौरा करने के लिए एक दल की प्रतिनियुक्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात व्यवहार्यता रिपोर्ट निवेश सम्बन्धी निश्चय की सुविधा के लिए तैयार की जाएगी।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया। मैंने अपने प्रश्न में परियोजना के कार्यान्वियन में विलम्ब के कारण पूछे हैं। किन्तु इस विशेष प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। पानागढ़, पश्चिम बंगाल में करेंसी नोट प्रेस की स्थापना का विचार वर्ष 1984 में रखा गया था। अब 1986 है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में सिक्कों का बहुत अभाव है क्या सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ करेगी और परियोजना के चालू किए जाने की अनुमानित तारीख से सभा को अवगत कराएगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : परियोजना का कार्यान्वयन तब होगा जब परियोजना को मंजूरी दी जाएगी। इसकी स्वीकृति के लिए सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड को भी भेजा जाएगा। व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। पानी की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना होगा जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रति दिन 15-20 लाख गैलन पानी की आवश्यकता है और पानी पाइपों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। हमें सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना है। उदाहरणत: जब हम 1500 करोड़ रुपये के मूल्य के नोट छापेंगे तो यह एक बड़ी रकम होगी। इन नोटों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होगा। इन सभी बातों की ओर ध्यान दिया जाना है। वैसे तो कोई विलम्ब नहीं है। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इस रिपोर्ट के पश्चात यह स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा तत्पश्चात और कार्यवाही की जाएगी।

प्रो० मधु दंडवते : यदि नोट ले जाने में कोई कठिनाई हो तो इन्हें बंगाल में ही छोड़ा जा सकता है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रक्रिया प्रौद्योगिकी तथा मशीनरी के चयन के लिए एक दल को विदेशों में भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से इन देशों के नाम जान सकता हूं ?

श्री जनार्दन पुजारी : इस चरण पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी स्कीम को एप्रूव नहीं किया है इसलिए क्या एप्रूव करने से पहले इस बात की पूरी जानकारी आप कर लेंगे कि वहां पर यदि आप रुपए-पैसे करेंसी के लिए कारखाना खोलेंगे तो सेफ्टी कितनी रहेगी ? पैसे का कितना गड़बड़ हो जाएगा, इस बात पर भी आपने विचार किया है या नहीं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

काफी के मूल्य में गिरावट

*88. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में, विशेषकर केरल में, काफी उत्पादन काफी के मूल्य में गिरावट आने के कारण काफी बागानों को नष्ट करके अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार काफी उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी नहीं । वास्तव में काफी उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें मिलती रही हैं ।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि उत्तर सही नहीं है । कॉफी उत्पादकों को उत्पादन की अधिक लागत के कारण पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा है । अतः वह अन्य लाभकारी खेती के लिए कॉफी के बागानों को नष्ट कर रहे हैं । मैं स्वयं जानता हूं कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य हैं । शायद कॉफी कृषि का एकमात्र उत्पाद है जिस पर निर्यात शुल्क लगता है । कॉफी उत्पादकों द्वारा उठाई गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कॉफी पर इस निर्यात शुल्क को समाप्त करने के उपाय करेगी ?

श्री पी० शिवशंकर : लगता है माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया यह अनुमान सही नही है । पैदा की गई कॉफी की सारी मात्रा को कॉफी बोर्ड में भेजा जाता है । इसमें से एक-तिहाई देश के प्रयोग के लिए तथा दो-तिहाई निर्यात के लिए रखी जाती है । देश में खपत की बात आती है तो न्यूनतम मूल्य बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाता है जिसमें किसान की लागत और कर लगाने के पश्चात 10 प्रतिशत लाभ जोड़ दिया जाता है जो उसे प्राप्त होना चाहिए । जब यह फार्मूला अपनाया जाता है तो उत्पादक को लाभ होता है । यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उसको कम दर पर मूल्य प्राप्त नहीं होता है, जिससे कि उसको हानि होती हो । अतः देश में निर्गम मूल्य के सम्बन्ध में जो स्थिति है, मूल्यों की स्थिति अच्छी है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादक को पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है ।

इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने कहा कि कॉफी बोर्ड से दो-तिहाई कॉफी का निर्यात करना होता है और यह अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होता है । जो देशी मूल्यों की तुलना में बहुत अधिक हैं । अब जबकि कॉफी उत्पादक की दो-तिहाई कॉफी के निर्यात का प्रश्न है तो उसे इससे भी लाभ प्राप्त होता है जो देश के न्यूनतम निर्गम मूल्य पर आधारित मूल्य से बहुत अधिक होता है । अतः मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि माननीय सदस्य का विचार सही प्रतीत नहीं होता है । वास्तव में कॉफी के विकास के उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए गए हैं और निर्यात शुल्क के प्रश्न पर हम ने देखा है कि इस शुल्क को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं जैसा कि सुझाव दिया गया है । ऐसा कोई मुद्दा नहीं है ।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : उत्पादक की शिकायत यह है कि उत्पाद की लागत का सही-सही मूल्यांकन नहीं किया गया है । फिर भी मुझे लगता है कि उत्पादन के बढ़ाए गए मूल्यों के अनुरूप

न्यूनतम निर्गम मूल्य की वृद्धि का प्रश्न कुछ समय से सरकार के सामने पड़ा हुआ है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेगी ?

श्री पी० शिवशंकर : न्यूनतम बिक्री मूल्य 1983 में निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात जनवरी 1985 में आगे बढ़ने और न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए एक आदेश दिया गया और एक समिति का गठन किया गया। एक दो महीने के अन्दर-अन्दर इस के प्रतिवेदन की आशा की जाती है, और उस रिपोर्ट के आते ही न्यूनतम बिक्री मूल्य में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या विश्व में कॉफी उत्पादक देशों का कोई संगठन है ? यदि इस प्रकार का कोई संगठन नहीं है, तो क्या भारत इस प्रकार का कोई संगठन बनाने के लिए कदम उठाएगा ? सभी काफी उत्पादक देश दक्षिण में हैं और बाह्य बाजार उत्तर में है। दक्षिण के निर्धन देशों की सुरक्षा के लिए जो कॉफी उत्पादक देश हैं, क्या भारत विश्व के कॉफी उत्पादकों के एक संगठन की स्थापना करने के लिए कदम उठाएगा ?

श्री पी० शिवशंकर : मेरे लिए इस प्रस्तावित प्रस्ताव के बारे में इतनी जल्दी कुछ कहना बहुत कठिन है। किंतु मामले की वास्तविकता यह है कि भारत कॉफी निर्यातकों में से एक है। ब्राजील के साथ-साथ बहुत से ऐसे देश हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की मांग को पूरा कर रहे हैं। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का सम्बन्ध है यह लन्दन के बाजार के अनुरूप चलते हैं। (इनका नियंत्रण लंदन के बाजार द्वारा होता है) और इस प्रकार के उतार-चढ़ाव आते रहते हैं किंतु ऐसा बार-बार नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इसे अभी भी नियन्त्रित करते हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : इस बाजार को कॉफी और चाय दोनों के मूल्य निर्धारित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन माना गया। मेरे मित्र ने जिस बात पर बल दिया वह एक महा-संघ बनाने के बारे में है। जैसा मैंने कहा यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जा सकता है। किंतु महासंघ के बारे में शीघ्र कोई उत्तर देना संभव नहीं है। यदि हम महासंघ बनाते हैं तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हानि होने की सम्भावना है क्योंकि हम प्रमुख निर्यातक हैं।

डा० के० जी० अदियोडी : मंत्री का अनुमान सही नहीं है। न्यूनतम निर्गम मूल्य प्रत्येक वर्ष फसल काटने से पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य अधिक है, उत्पाद का एक-तिहाई भाग रूस को कटौती मूल्य पर बेचा जाता है। गैर कोटा देशों में केवल रूस ही ऐसा बाहरी देश है जो कॉफी खरीदता है। अत: प्रत्येक वर्ष मूल्यों में कमी होती है और उत्पादन की लागत अधिक होने के कारण उत्पादक कॉफी के स्थान पर और कोई फसल उगाते हैं। क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री पी० शिवशंकर : मैंने पहले ही कहा है कि जहां तक न्यूनतम बिक्री मूल्य का संबंध है इसकी पुनरीक्षा की जानी है। जिस समय समिति मूल्य अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट देगी, उसी के अनुसार मूल्य भी निर्धारित किए जायेंगे। किंतु फिर भी जो मूल्य 1983 में निर्धारित किए गए हैं वह उत्पादकों के हितों के विरुद्ध नहीं हैं। यही मैंने पहले भी कहा है।

मैंने यह भी कहा है कि निर्यात कोटे में से भी उत्पादकों को अपना लाभ मिलता है जो न्यूनतम निर्गम मूल्य से कहीं अधिक होता है। जहां तक सोवियत संघ के साथ पक्षपात दिखाने का

सवाल है—मेरा निवेदन है कि सोवियत संघ एक ऐसा प्रमुख गैर-कोटा देश है जिसे हम सप्लाई करते हैं। समझौते किए गए थे। इनके आधार पर सप्लाई की जाती है। कोटा देश भी हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है सोवियत संघ प्रमुख गैर-कोटा देश है। समझौते के आधार पर हर साल हम इस देश को उपयुक्त दर पर कॉफी सप्लाई करते रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम इस देश के साथ अनुचित पक्षपात कर रहे हैं वास्तव में यदि हम 1984-85 के आंकड़ों पर विचार करें तो हम देखेंगे कि हम इस देश को 61.34 करोड़ रुपये की काफी सप्लाई की है।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : पिछली 31 जनवरी को आपने निर्यात शुल्क 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया। मालूम नहीं कि कॉफी की लाबी उतनी शक्तिशाली नहीं है या चाय की लाबी अधिक शक्तिशाली है कि सरकार ने चाय पर से निर्यात शुल्क हटा लिया है। निर्यात शुल्क निर्धारित करने तथा इसे बढ़ाने का मापदंड क्या है? आप बता रहे थे कि इस निर्यात शुल्क का सीधा प्रभाव कॉफी उत्पादकों की आय और लाभकारी मूल्यों पर पड़ता है। मैं ऐसे क्षेत्र का हूं जहां कॉफी उगाई जाती है। मैं कॉफी उत्पादकों की समस्यायें जानता हूं। आपके द्वारा कॉफी की खेती की जो लागत निकाली गई है वह सही नहीं है। वास्तव में यह दुगुनी है। छोटे कॉफी उत्पादक को प्रति टन मिलने वाला लाभांश इतना भी नहीं होता कि वह 1000 रुपया कमा सके। क्या आप चाय की तरह कॉफी पर से निर्यात शुल्क समाप्त करने पर दोबारा से विचार करेंगे?

श्री पी० शिवशंकर : मेरे मित्र द्वारा रखी गई समस्या का उत्तर स्वयं प्रश्न से मिल गया है। उनका कहना है कि यह कम लाभकारी है और उन्होंने अधिक लाभ के लिए वकालत की है। यही मैंने कहा है। न्यूनतम निर्गम मूल्य का निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर होगा। हमें आशा है कि रिपोर्ट लगभग 2 महीने मे पेश कर दी जाएगी। समिति का गठन जनवरी 1985 में इस पर विचार करने और लागतों में संशोधन के लिए किया गया था।

महोदय जहां तक निर्यात शुल्क के संदर्भ में मार्ग निर्देशों का सम्बन्ध है, निर्यात शुल्क में संशोधन किए गए हैं। मेरा निवेदन है कि निर्यात शुल्क लंदन सीमांत मूल्य और मूल लाभकारी कीमत के बीच सामान्य तौर पर 50% के अन्तर पर निर्धारित होता है। निर्यात शुल्क का निर्धारण आमतौर पर इस प्रकार किया जाता है। पिछली बार निर्यात शुल्क में संशोधन 31 जनवरी 1985 को 6000 रुपए प्रति टन तक किया गया था। उस समय लन्दन सीमांत मूल्य लगभग 44,700 रुपए था। वस्तुत: यह मामला निर्यात शुल्क में वृद्धि का है न कि उसमें कमी करने का।

[हिन्दी]

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन ऋण

*89. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन ऋण के रूप में कुल कितनी राशि उपलब्ध की गई;

(ख) इस राशि की तुलना में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा राज सहायता के रूप में कितनी राशि उपलब्ध की गई;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और उनकी शाखाओं में राजसहायता की राशि काफी समय तक लाभार्थियों के खातों में जमा नहीं की जाती जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को उस राशि पर बेकार में ही ब्याज देना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित बैंकों को लाभार्थियों पर इस प्रकार से लगे ब्याज को माफ करने के लिए कहने का है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) छठी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) के अन्तर्गत कुल 3101.61 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई। शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना (एस. ई. ई. यू. वाई.) के अन्तर्गत, जिसे 1983 में शुरू किया गया था, 1983-84 और 1984-85 के दो वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा कुल 831.07 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किए गए थे।

(ख) छठी आयोजना अवधि के दौरान आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कुल 1661.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। बेरोजगार युवकों की योजना के अन्तर्गत 1983-84 और 1984-85 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों के मुकाबले अब तक 173.97 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) से (ङ) स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा प्राप्त सहायता की राशि एक अलग सावधि जमा खाते में रखी जाती है और ऋण की अन्तिम वापसी अदायगी के समय समायोजित कर दी जाती है। आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जिले की प्रमुख बैंक शाखाओं में पर्याप्त धनराशि जमा रखनी होती है। जिले में कार्य कर रही बैंकों की अन्य शाखाओं को प्रमुख शाखाओं से सहायता की राशि निकालकर बिना किसी देरी के ऋणकर्ता के खाते में जमा करानी होती है। लेकिन पर्याप्त धनराशि के उपलब्ध न होने, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से मुख्य शाखाओं को और मुख्य शाखाओं से वित्त पोषक शाखाओं को धनराशि के अन्तरण में देरी होने, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और बैंक के बीच सहायता राशि के समाधान में देरी होने आदि जैसे कई कारणों से सहायता राशि के समायोजन में देरी होने के कुछ उदाहरण ध्यान में आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों को ये अनुदेश देने के लिए कहा गया है कि उन मामलों में जिनमें सहायता राशि के समायोजन में देरी के लिए बैंक जिम्मेदार हों, उनमें ऋणकर्ता से देरी की अवधि के लिए सहायता राशि पर ब्याज न लिया जाये।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था, वह एकदम बहुत स्पष्ट था और मंत्री जी ने उसका उत्तर घुमा-फिरा कर दिया है। मंत्री जी ने खुद यह माना है कि ऐसी इनको शिकायत मिली है कि सिक्स्थ प्लान में सब्सीडी के नाम से जो रुपये दिये जाते थे, उनको बैंक अपने खाते में जमा कर लेते थे और गांवों के किसानों को जो लोन वे देते थे, वह 18 और 20 परसेन्ट ब्याज पर देते थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात की

जांच कराई है या कराने जा रहे हैं और यह जो दंड ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज ले लिया है, क्या वे इसको माफ करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, उत्तर में एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार ने सलाह दी है कि वह बैंकों को अनुदेश दे कि आर्थिक सहायता पर ब्याज की वसूली न करे । यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है । अस्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है ।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है । सिक्स्थ फाइव इयर प्लान में जो गड़बड़ियां हुई हैं और जिन बैंकों ने पैसा वसूल कर लिया है, उन लोगों को क्या माफ किया जाएगा, गड़बड़ियां हुई हैं यह मंत्री जी जानते हैं, तो क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाने जा रहे हैं । आज भी गांव का आदमी ब्याज के बोझ से दबा हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच करवाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई गड़बड़ नहीं की गई । हम 3101 करोड़ रुपये दे ही चुके हैं···

अध्यक्ष महोदय : जब ऐसा होगा तो वे इसका उत्तर देंगे ।

श्री जनार्दन पुजारी : हम कमजोर वर्गों को जिसमें लगभग 1.64 करोड़ परिवार आते हैं, 3101 करोड़ रुपए दे ही चुके हैं ।

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि बैंकों को सबसिडी का जो पैसा किसानों के लिए दिया जाता है वह किसानों के खातों में जमा नहीं किया जाता, परन्तु उसका उपयोग बैंक के अन्य मदों में किया जाता है, जैसे गाड़ी या अन्य उपयोग जो कि बैंक के हित में होता है, उसमें उसका उपयोग किया जाता है । इस बारे में सारा रिकार्ड सरकार के पास है, इस बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से कितना पैसा दिया गया और कितने पैसे का सदुपयोग हुआ किसानों के हित में और कितना पैसा बैंक की अन्य मदों में खर्च हुआ ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : आर्थिक सहायता की राशि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के पास रखी जाती है । अगर उक्त एजेंसियों की गलती है तो उन्हें भुगतना होगा । अगर यह बैंक के लोगों की गलती है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कह दिया है कि ऋण के आर्थिक सहायता अंश पर ब्याज की वसूली नहीं की जानी चाहिए । यह बात बहुत स्पष्ट कर दी गई है ।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आई. आर. डी. पी., डी. आर. डी. ए. के अन्तर्गत सरकार ने बैंकों को यह निर्देश दिए थे कि

जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वे 15 दिन में ऋण केसेस का डिस्पोजल कर दें, लेकिन केवल लीड बैंकों को छोड़कर जिलों के अन्य किसी बैंक ने केसेस का डिस्पोजल नहीं किया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो ब्रांचेज हैं, उनमें इन निर्देशों का पालन नहीं होता, कई राज्य सरकारों ने इस बात की शिकायत की है और सुझाव दिया है कि जिस प्रकार से लीड बैंकों में डिस्ट्रिक्ट में एक आफिसर ऐसा होता है जो सभी ब्रांचों का सुपरविजन करता है, क्या इसी तरह से दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी जिलों में ऐसे आफिसर रखने के सुझाव पर विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : ऋण वितरण पर हम व्यक्तिगत रूप से निगरानी रख रहे हैं। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि हर महीने दो दिन निर्धारित किए जाएं और बैंक महीने में दो दिन परिसर से बाहर एक सार्वजनिक समारोह में ऋण का वितरण करें। इस संबंध में मिलने वाली अनुवर्ती शिकायतों के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

निर्यात व्यापार

*91. **प्रो० चन्द्रभानु देवी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा किए गए निर्यात का मूल्य क्या है;

(ख) किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया गया है; और

(ग) अधिकतम निर्यात किन देशों को किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत के समग्र निर्यातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार रहा :

वर्ष	(मूल्य करोड़ रु०) निर्यात
1982-83	8803.58
1983-84	9872.10
1984-85 (अ)	11656.93
अप्रैल-सितम्बर, 1985 (अ)	5017.63

(अ) अनन्तिम तथा उनमें संशोधन हो सकता है।

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता।

(ख) जिन प्रमुख वस्तुओं का पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात किया गया उनमें शामिल हैं : कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद; रत्न तथा आभूषण; सिले-सिलाए परिधान; चाय तथा मेट; मशीनें तथा परिवहन उपस्कर; चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित माल (जूतों को छोड़कर); लौह अयस्क; सूती वस्त्र; रासायनिक पदार्थ तथा सम्बद्ध उत्पाद; पटसन निर्मित माल (ट्विस्ट तथा यार्न सहित); एवं समुद्री उत्पाद।

(ग) जिन देशों को पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त मात्रा में निर्यात हुए उनके नामों में शामिल हैं : सं०रा० अमरीका, सोवियत-संघ, जापान, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य, यू०ए० ई०, सऊदी अरब, फ्रांस तथा इटली ।

[हिन्दी]

प्रो० चन्द्र भानु देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि पेट्रोलियम उत्पादन का निर्यात होता है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि कब से पेट्रोलियम उत्पादन का निर्यात होने लगा है, इसकी जानकारी मुझे दें ।

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक पेट्रोलियम का संबंध है, क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात अभी से नहीं बल्कि पिछले बहुत से सालों से किया जा रहा है । सवाल केवल मात्रा में अन्तर का है ।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : आप तो बहुत अच्छी हिन्दी बोल लेते हैं इसलिए हिन्दी में जवाब दीजिए ।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक निर्यात का प्रश्न है, पेट्रोलियम का निर्यात इससे पहले भी होता था जबकि हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी कम थी । इस साल रिफाइनिंग कैपेसिटी 42 मिलियन टन की है । उसकी वजह से क्रूड आयल का निर्यात नहीं हो रहा है और आयात बराबर है लेकिन निर्यात नहीं है जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट में कमी आ गई है ।

प्रो० चन्द्र भानु देवी : सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद हमारे देश में व्यापार संतोषजनक नहीं रहा है, इसके लिए सरकार निर्यात को बढ़ाने क्या-क्या कदम उठाने जा रही है ।

श्री पी० शिव शंकर : मैंने इससे पहले भी हाऊस में गत शुक्रवार को यह बात कही थी कि बहुत से इन्सेन्टिव्ज दिए जा रहे हैं ताकि निर्यात बढ़े । कैश कम्पनसेशन स्कीम या एक्सपोर्ट ड्यूटी की कमी कहिए, कुछ एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड यूनिट्स को हमने काफी सहूलियतें दी हैं और एक्सपोर्ट जोन क्रिएट किए हैं, काफी चीजें हैं जिनको विस्तार से बतलाना मुनासिब नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी शुद्ध अफीम निर्यात करवाने की बात करेंगे ।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष जी, अफीम की बात मैं बाद में करूंगा । अभी तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं, आपने उत्तर दिया है कि पाकिस्तान को खाने के पान निर्यात करते हैं, आपके दांत बता रहे हैं कि आप पान नहीं खाते हैं और खाने के पान के बारे में जो आपसे पहले वाले वाणिज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह जीथे, उन्होंने एक समझौता किया है । उस पान के बारे में क्या स्थिति है । जब हम स्थिति प्रकट करते हैं तो क्या मध्य प्रदेश के पानों के बारे में कोई विशेष निर्णय लिया है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री पी० शिव शंकर : कोई खास निर्णय मध्य प्रदेश के पानों के संबंध में नहीं लिया है ।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा सुरती लगाते ।

श्री बालकवि बैरागी : उनकी मांग बहुत है ।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम की सहायता से उड़ीसा में होटलों का निर्माण

*92 **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य के कतिपय शहरों में होटलों के निर्माण के लिए भारत पर्यटन विकास निगम से सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में होटलों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम पुरी में 190.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 44 कमरों वाले 3-स्टार संयुक्त सेक्टर होटल का निर्माण उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से कर रहा है । इसके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम भुवनेश्वर में 35 कमरों वाला दो-स्टार होटल चला रहा है । इस होटल का विस्तार करके 4-स्टार होटल के रूप उन्नयन किया जा रहा है ।

उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में होटल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री जगन्नाथ पटनायक : मेरे प्रश्न के पहले भागका उत्तर ही नहीं दिया गया है । दूसरी बात यह कि क्या संघ सरकार ने होटल उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नई योजना बनाई है ?

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या संघ सरकार ने होटल उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, मूलत: "बजट पर्यटकों" के उपयोग के लिए कम सितारा श्रेणी के होटलों को प्रोत्साहन देने के लिए, सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान एक नई योजना बनाई है ?

श्री एच० के० एल० भगत : सरकार बजट पर्यटक होटलों को प्रोत्साहन देने की बहुत इच्छुक है इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि बम्बई में एक होटल के अलावा और कोई पांच सितारा होटल सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं बनाया जाएगा । और होटल बनेंगे । वे राज्यों और केन्द्र के बीच संयुक्त क्षेत्र में बन सकते हैं और राज्य मे बन भी रहे हैं । इसलिए, सरकार बजट पर्यटक होटलों को वास्तव में प्रोत्साहन देना चाहती है ।

श्री जगन्नाथ पटनायक : पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न मन्त्रालयों और राज्य सरकार की ऐजेंसियों के बीच समन्वय के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय का सम्बन्ध है, हम एक समिति गठन करने जा रहे हैं जिसमें पर्यटन मंत्री और मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, मैंने उन्हें सुझाव दिया है कि अन्य सभी सम्बन्धितों के साथ मिलकर वे एक पर्यटन विकास सलाहकार बोर्ड का गठन करें। हम अन्तः राज्य समन्वय के लिए भी कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वनस्पति के मूल्य-निर्धारण की नई नीति

* 85. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति के मूल्य-निर्धारण की एक नई नीति की घोषणा की है;

(ख) समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के विशेष संदर्भ में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारी उपाए किए गए हैं कि खाना पकाने के काम आने वाले इस पदार्थ में, उपभोक्ताओं तक इसके पहुंचने से पूर्व किसी भी चरण में मिलावट न की जाए ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं। कंट्रोलों को कम करने और वनस्पति घी की संतोषजनक उपलभ्यता और उचित मूल्यों को देखते हुए स्वैच्छिक मूल्य करार को जनवरी, 1986 में वापिस ले लिया गया।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं :—

1. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे राज्य सरकार के नामितों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पादित वनस्पति घी की 30% मात्रा की अधिप्राप्ति करें।
2. उपभोक्ताओं को वनस्पति घी पर्याप्त मात्रा में मिले और उसके मूल्य उचित हों यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय, जिनमें आयातित तेलों का कारगर आपूर्ति प्रबंध करना भी शामिल है, किए जायेंगे।
3. आयतित तेलों की कुछ मात्रा सप्लाई करके वनस्पति घी के उत्पादन तथा इसकी उपलभ्यता को आसान बनाए रखा जाता है।

4. वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय द्वारा तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सहायता से वनस्पति घी के मूल्यों पर नजर रखी जाती है, ताकि वनस्पति घी और खाद्य तेलों के मूल्य उचित स्तर पर रहें।

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा पैककर्ताओं के परिसरों से वनस्पति घी के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। 1 अक्तूबर, 1985 से वनस्पति घी को भारतीय मानक संस्था के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाकर वनस्पति घी के संबंध में गुणता नियंत्रण को और मजबूत बनाया गया है। भारतीय मानक संस्था और केन्द्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी पैककर्ताओं के परिसरों तथा बाजार से विश्लेषण करने के लिए नमूने एकत्र करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नमूने वनस्पति घी के लिए निर्धारित सांविधिक मानकों के अनुरूप हैं।

नशीले पदार्थ पकड़ने वाले अभिकरणों द्वारा नशीली दवाओं का पकड़ा जाना

* 86. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नशीले पदार्थ पकड़ने वाले अभिकरणों द्वारा 23 दिसम्बर, 1985 को मारे गए देश-व्यापी छापों के दौरान दिल्ली सहित बहुत से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनेक स्थानों से नशीली दवाओं का अब तक पकड़े गए भण्डारों से बड़ा भण्डार पकड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में "साइकोट्रोपिक" औषध पकड़ी गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 11 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों के 135 स्थान पर "काल भैरव" कूट नाम की कार्यवाही दिनांक 23-12-85 को की गई थी। इस कार्यवाही के परिणामतः निम्नलिखित औषध द्रव्य और मनोत्तेजक पदार्थ पकड़े गए थे :—

क्र. सं.	औषध द्रव्य का नाम	पकड़ी गई मात्रा
	मादक द्रव्य	
1.	हेरोइन/ब्राउन शुगर	85.83 किलोग्राम
2.	चरस	59.13 किलोग्राम
3.	अफीम	30.00 किलोग्राम
4.	कोकिन	4.20 किलोग्राम
5.	गांजा	15.70 मी० टन
	मनोत्तेजक पदार्थ	
6.	मेसकालाइन	0.423 किलोग्राम
7.	डायजापान	10.500 कैपसूल

भारत-फ्रांस सहयोग करार के अन्तर्गत शैम्पैन किस्म की भारतीय जोशदार शराब का उत्पादन

*90. **श्री आर०एम० भोये** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-फ्रांस सहयोग करार के परिणामस्वरूप शैम्पैन किस्म की जोशदार शराब (स्पार्कलिंग वाइन) के उत्पादन के मामले में भारत एशिया और सुदूर-पूर्व के देशों में पहला देश हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई भारतीय जोशदार शराब संबंधी ब्यौरा क्या है और सहयोग करार की शर्तें क्या हैं तथा इस शराब को विश्व बाजार में भेजने के समय से लेकर अब तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारत के अलावा, बताया जाता है कि स्पार्कलिंग वाइन के उत्पादन के लिए आस्ट्रेलिया में फ्रांस का सहयोग है ।

(ख) मैसर्स शैम्पैन इंडिया लि० द्वारा उत्पादित की जाने वाली स्पार्कलिंग वाइन अंगूरों पर आधारित शैम्पैन किस्म की है ।

भारतीय पक्षकार और फ्रांस में मैसर्स शैम्पैन टैक्नालाजी के बीच विदेशी सहयोग करार तकनीकी तथा इन्जीनियरी स्तर पर है जिसमें रायल्टी के भुगतान के बदले प्रौद्योगिकी का अन्तरण अन्तर्ग्रस्त है ।

दिसम्बर, 1985 तक, मैसर्स शैम्पैन इंडिया लि० द्वारा 4.16 लाख रु० की लगभग 8,000 बोतलों का निर्यात किया गया बताया जाता है ।

जनवरी, 1985 से जनवरी, 1986 तक थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

*93. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थोक मूल्य सूचकांक, जो जनवरी, 1985 में 339.8 था, बढ़कर जनवरी, 1986 में 356.9 हो गया है;

(ख) क्या यह मूल्य वृद्धि कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट आने के बावजूद हुई है; और

(ग) कृषि उत्पादों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में वस्तुतः कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) थोक मूल्य सूचक अंक (थो० मू० सू०, 1970-71=100), जो साप्ताहिक आधार पर संकलित किया जाता है, जनवरी, 1985 के 340.1 से बढ़कर जनवरी, 1986 में 356.6 के औसत पर पहुंच गया अर्थात इसमें वर्ष में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि कुछ चुने हुए कृषि उत्पादों जैसे कि मसालों और गरम मसालों, चाय, तंतुओं और तेलहन के मूल्यों में कमी होने से कुछ हद तक, कम हो गई । विनिर्मित उत्पादों के सूचक अंक में जिसका सामान्य सूचक अंक में 49.9 प्रतिशत भारांश होता है, 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

रूस को बासमती चावल का निर्यात

*94. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रूस को कितनी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना मिली है कि रूस को बासमती चावल के नाम पर किसी गैर-बासमती चावल का निर्यात किया गया; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1982-83, 1983-84; तथा 1984-85 के दौरान सोवियत संघ को निर्यात किए गए बासमती चावल की मात्रा क्रमश: 105089 मे० टन; 63,876 मे० टन तथा 1,01,505 मे० टन है।

(ख) 1983 में एक पत्र मिला था जिसमें एक सप्लायर के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। जांच करने पर ये सिद्ध नहीं हो सके।

(ग) निर्यात किये गये बासमती चावल का निरीक्षण किया जाता है।

पर्यटन की मन्दी वाले महीने में पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना

*95 **श्री एन० डेनिस :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से अप्रैल से सितम्बर के मन्दी वाले महीनों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में कोई आकर्षक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) गर्मी के महीनों के दौरान यूरोप से विदेशी पर्यटकों के आगमनों में ठोस वृद्धि करने की दृष्टि से, पर्यटन विभाग और भारतीय तथा विदेशी यात्रा उद्योग के सदस्य मिलकर भारत को एक ग्रीष्म गंतव्य के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए एक "पैकेज" (एक-मुश्त यात्राओं) का संवर्धन कर रहे हैं। यूरोप तथा भारत के बीच परिचालनरत एयरलाइनों के सामान्य किरायों में 15 से 20% तक कटौती और होटल उद्योग के सदस्यों द्वारा 25% की छूट इस स्कीम के कुछ अंग हैं जो इस प्रकार विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक ग्रीष्मकालीन "पैकेज" (एक-मुश्त यात्राओं) की पेशकश करते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल में चाय बागानों को वित्तीय सहायता बन्द किया जाना

*96. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने दार्जिलिंग और उत्तर बंगाल में कुछ चाय बागानों को ऋण देना बन्द कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ चाय बागान बन्द हो गए हैं अथवा श्रमिकों की मंजूरी तथा वेतन की अदायगी रोक देनी पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे चाय बागानों का ब्यौरा क्या है और इन चाय बागानों को वित्तीय सहायता देना बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) टी बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया था कि यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (यू० बी० आई०) द्वारा धनराशियां न दिये जाने के कारण कुछ चाय कम्पनियों को

कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में बैंक द्वारा वित्त-पोषित 40 चाय बागानों में से 12 चाय बागानों के मामले में 1986-87 के मौसम के लिये मौसमी घाटे और शर्तों के उल्लंघन के कारण धनराशि नहीं दी गई । लेकिन, बैंक द्वारा एक अन्य मामले में मंजूरी दे दी गई है और इसका भुगतान भी कर दिया जायेगा । बाकी मामलों की विभिन्न चरण में जांच की जा रही है ।

बंगलौर शहर में उत्पाद-शुल्क संबंधी छापे

*97. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा बंगलौर शहर में नवम्बर, 1985 से अब तक कितने छापे मारे गए;

(ख) कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ग) इन छापों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 33

(ख) 22

(ग) 289.36 लाख रुपए (लगभग)

कृषि-पदार्थ निर्यातकों के लिए नकद मुआवजा योजना

*98. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि-पदार्थ निर्यातकों पर नकद मुआवजा योजना लागू होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) चुनिन्दा कृषि सम्बन्धी निर्यात उत्पाद नकद मुआवजा योजना के अन्तर्गत आते हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

नकद मुआवजा सहायता की योजना निर्यात संवर्धन के एक साधन के रूप में 1966 में लागू की गई थी । योजना का उद्देश्य उन विभिन्न अलाभों के लिए, जो आर्थिक विकास की हमारी वर्तमान स्थिति में अन्तर्निहित हैं, भारतीय निर्यातकों को प्रतिपूर्ति करके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे निर्यातों को प्रतियोगी बनाने का है । योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) अन्तर्निविष्ट साधनों पर बिक्री कर आदि सहित अप्रत्यक्ष कर जो शुल्क वापसी व्यवस्था के माध्यम से प्रतिदेय नहीं हैं चाहे ये कर वास्तविक रूप में समाविष्ट अन्तर्निविष्ट साधनों अथवा ईंधन पावर आदि जैसे गैर-भौतिक अन्तर्निविष्ट साधनों पर लगाये गए हों;

(II) निम्न कुल व्यापार परिमाण जैसे विभिन्न कारणों की वजह से विभेदकारी उच्चतर भाड़ा दरें, कान्फ्रेंस लाइन्स द्वारा अपनाई गई विभेदकारी दरें, आदि;

(III) नये बाजारों तथा नये उत्पादों के विकास की लागत; और

(IV) निर्यात उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी तथा लदानपूर्व/लदान-उपरान्त ऋणों पर ब्याज की उच्चतर दरें।

इस समय 417 मदें हैं जिन पर 20 भिन्न उत्पाद समूहों में 3% से 20% तक विभिन्न दरों पर नकद मुआवजा सहायता उपलब्ध है। कुक्कुट उत्पाद, ग्वार गोंद, बेकरी उत्पाद, कन्फैक्शनरी, अखरोट, फलों के रस, अचार, चटनियां तथा पापड़, मादक पेय, डिब्बाबन्द सब्जियां, ताजा फल, मांस तथा मांस उत्पाद, इलायची, उपभोक्ता पैकों में मसाले और कट फ्लावर्स कुछ ऐसी कृषि संबंधी निर्यात मदें हैं जिन पर नकद मुआवजा सहायता दी जाती है।

राज्यों को अपने घाटे पूरे करने के लिए मध्यावधि ऋण

*99 **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को, पूर्व के वर्षों में हुए घाटे से उनके संसाधनों पर पड़े दबाव को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष 1985-86 में मध्यावधि ऋण उपलब्ध कराए हैं और यदि हां, तो ऐसे ऋणों की कुल धनराशि कितनी है;

(ख) राज्यों को उक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है;

(ग) प्रत्येक राज्य को कितनी राशि के ऋण दिए गए, उस पर ब्याज की दर क्या है और ऋण अदायगी के लिए क्या समय निर्धारित किया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के पास यह निश्चित करने का अधिकार है कि वे ऋण की राशि किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लायें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने चालू वर्ष में 28.1.1985 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों के ओवर ड्राफ्ट के 90 प्रतिशत के बराबर 1628 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण दिए थे।

(ग) प्रत्येक राज्य को दी गई राशियों को दर्शाने वाला विवरण-संलग्न है। मध्यावधि ऋण बराबर-बराबर की किस्तों में 1986-87 से शुरू करके चार वर्षों में वसूल किए जाएंगे तथा इन पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

(घ) ये ऋण राज्यों को 28.1.1985 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से उनके ओवर ड्राफ्ट के 90 प्रतिशत भाग को समाप्त करने के लिए दिए गए थे।

विवरण

1985-86 में राज्यों को दिए गए 28.1.1985 की स्थिति के उनके ओवर ड्राफ्ट के 90 प्रतिशत के समतुल्य ऋण को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

राज्य	1985-86 में राज्यों को दिए गए मध्यावधि ऋण
1. आंध्र प्रदेश	206.98
2. असम	28.21
3. बिहार	4.58

1	2
4. गुजरात	61.79
5. हरियाणा	74.94
6. हिमाचल प्रदेश	2.37
7. कर्नाटक	221.27
8. केरल	241.86
9. मध्य प्रदेश	27.43
10. महाराष्ट्र	24.27
11. नागालैंड	7.95
12. उड़ीसा	43.72
13. पंजाब	97.08
14. राजस्थान	31.71
15. तमिलनाडु	38.98
16. उत्तर प्रदेश	308.88
17. पश्चिम बंगाल	205.99
जोड़	1628.01

भारतीय मुद्रा का मूल्य

*100. **श्री पी० कुलनदईवेलु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट आने के क्या कारण हैं, जबकि पश्चिम जर्मनी की मुद्रा "मार्क" तथा जापान की मुद्रा "येन" की कीमत बढ़ रही है; और

(ख) सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है, जिससे कि भारतीय मुद्रा—रुपए का भी डालर तथा पौंड के साथ-साथ विश्व स्तर बना रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ख) भारतीय रुपए के मूल्य का निर्धारण कुछ चुनी हुई करेंसियों की उपयुक्त रूप से भारित डाली की विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव के संदर्भ में किया जाता है। इसलिए, अन्य करेंसियों की तुलना में रुपए की विनिमय दर में, इन करेंसियों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार घट-बढ़ होती रहती है।

एक ऐसी व्यवस्था के अन्तर्गत जिसमें रुपए का संबंध परिवर्तनशील करेंसियों से युक्त बहु-करेंसी डाली से हो, रुपए के मूल्य में विभिन्न करेंसियों की तुलना में होने वाला उतार-चढ़ाव भी भिन्न-भिन्न होगा। चूंकि रुपए के मूल्य का निर्धारण करेंसियों की डाली के संदर्भ में किया जाता है, इसलिए डालर और पौंड के साथ-साथ एक विश्व स्तर बनाए रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सूती धागे का निर्यात और अर्जित विदेशी मुद्रा

*101. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार सूती धागे का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा वर्ष 1985-86 में कितनी मात्रा में इसका निर्यात किए जाने की संभावना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सूती धागे के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई;

(ग) कितने काउंट के धागे का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में नई सूती धागा निर्यात नीति की घोषणा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह सूती धागे का निर्यात बढ़ाने में कहां तक सहायक होगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान निर्यातित सूती धागे तथा वर्ष 1985-86 के दौरान जितना निर्यात किये जाने की संभावना है उसकी मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित अनुसार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मि० किग्रा०)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु० में)
1982-83	5.65	18.32
1983-84	6.99	22.65
1984-85	9.05	36.42
1985-86 (अनुमानित)	11.36	46.78

(ग) सामान्य तौर पर 100 तक के काउन्टों का निर्यात किया जाता है।

(घ) कताई क्षेत्र में अनुकूलतम क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ-साथ एक स्थायी समिति स्थापित की गई है। नई वस्त्र नीति के अन्तर्गत नई क्षमताओं के विस्तार तथा सृजन और उसके द्वारा आने वाले वर्षों में यार्न की उत्पादकता तथा उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में नीति के उदारीकरण की व्यवस्था है।

(ङ) और (च) जी हां। सरकार ने 3 वर्षों अर्थात 1986, 1987 तथा 1988 की अवधि के लिए सूती धागे के निर्यात की अधिकतम सीमाएं घोषित की हैं। वार्षिक अधिकतम सीमाएं निम्नलिखित अनुसार होंगी :—

काउंट समूह	मात्रा
1 से 40 एस	20 मि० किग्रा०
41 से 60 एस	20 मि० किग्रा०
61 तथा उससे ऊपर	कोई अधिकतम सीमा नहीं

यार्न निर्यात नीति से यार्न के निर्यात व्यापार में स्थिरता आयेगी और भारत से सप्लाइयों की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में कताई मिलों की स्थापना

794. **श्री सोमनाथ रथ : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितनी कताई मिलें स्थापित की जा रही हैं;

(ख) इनमें से कितनी मिलें स्थापित हो चुकी हैं और कितनी मिलें अभी स्थापित की जा रही हैं;

(ग) क्या इन मिलों को पोषित करने के लिये उड़ीसा में पर्याप्त मात्रा में कपास नहीं उगाई जाती; और

(घ) इन मिलों के स्थापित होने के बाद इनकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार उड़ीसा में 10 कताई मिलों के भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका हैं तथा उपर्युक्त मिलों में से 9 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है ।

(ग) और (घ) उड़ीसा प्रमुख रुई उत्पादक राज्य नहीं है । तथापि, देश में कताई मिल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रुई उपलब्ध है ।

वाणिज्य मंत्रालय का पुनर्गठन

795. **डा० बी० एल० शैलेश**

श्री के० प्रधानी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के निदेशानुसार वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्तावित पुनर्गठन की विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ख) प्रधान मंत्री के निदेश को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) पुनर्संगठन में मुख्य रूप से संगठन के सुव्यवस्थीकरण, बोर्डों तथा प्राधिकरणों को अधिक शक्तियां देने, लाइसेंस देने के मामलों में प्रक्रिया के सरलीकरण, तथा जन शिकायतों की देखभाल के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है ।

यह एक सतत प्रक्रिया है और कार्यवाही बराबर चल रही है ।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेशन के बाहर के चैकों को एकत्र करने और उनके समाशोधन के लिए 'स्काईपाक' को कुरियर के रूप में नियुक्त करना

796. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने देश भर में बैंक के स्टेशन से बाहर के लेनदेन को एकत्र करने और उसके समाशोधन के कार्य में तेजी लाने के लिए 'स्काईपाक' को कुरियर के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर;

(ग) वर्तमान समय आतरल की तुलना में इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत बाहर के शहरों के चैकों के समाशोधन में कितना समय लगेगा;

(घ) क्या किसी और राष्ट्रीयकृत बैंक ने भी इस प्रकार की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो नियुक्त किये जाने वाले कुरियर का मोटे तौर पर क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने देश के 21 केन्द्रों के बीच बैंक के बाहरी लेन-देनों के कागजात एकत्र करने और उनका समाशोधन

करने के काम में तेजी लाने के लिए सहायता पहुंचाने के वास्ते प्रयोग के तौर पर 'स्काईपाक' को अपना कुरियर नियुक्त किया है। बैंक के अनुसार, सम्बद्ध आंकड़े इकट्ठे करने के बाद वर्तमान प्रायोगिक कुरियर सेवा प्रणाली का स्थान एक व्यापक कुरियर प्रणाली ले लेगी।

(ख) इस कुरियर एजेंसी ने एक केन्द्र में इकट्ठे किए गए कागजात को योजना के अंतर्गत दूसरे केन्द्र तक आम तौर पर 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर पहुंचाना मान लिया है बशर्ते कि परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर न हो जाएं। बैंक ने इस एजेंसी को पार्सलों के वजन के आधार पर सेवा प्रभार देना स्वीकार किया है। एक बार जब नयी व्यवस्था स्थिर हो जाएगी तब प्रभारों की समीक्षा की जाएगी।

(ग) बैंक को आशा है कि 21 केन्द्रों के बीच आदान-प्रदान किए जाने वाले बाहरी चैकों आदि का समाशोधन वर्तमान में लगने वाले 3 से 4 सप्ताह के समय की तुलना में काफी जल्दी हो जाएगा।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ बैंक पहले ही भारतीय बैंक संघ की कुरियर सेवा का उपयोग कर रहे हैं और अन्य बैंक गैर सरकारी कुरियर सेवा सहित ऐसी ही व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में रोलर आटा मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस

797. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) इस समय हिमाचल प्रदेश में कितनी रोलर आटा मिलें काम कर रही हैं;

(ख) ये रोलर आटा मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस मंजूर करने के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक ऐसी रोलर आटा मिल स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) चार।

(ख) से (घ) 29.6.1979 से 24.5.1980 की अवधि को छोड़कर, 1973 से केन्द्रीय सरकार की सामान्य नीति नयी गेहूं रोलर फ्लोर मिल स्थापित करने की इजाजत न देने की रही है। तथापि, देश में गेहूं की वर्तमान सुगम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त नीति की पुनरीक्षा की गई है और पहले से विद्यमान क्षमता, उपयोग की वर्तमान मात्रा और जिन जिलों में मिलें नहीं हैं, उनमें प्रस्तावित स्थान, खपत केन्द्रों की निकटता, भविष्य में सम्भावित मांग और अन्य संगत तथ्यों पर निर्भर करते हुए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 30 मीटरी टन प्रतिदिन तक की क्षमता के सीमित संख्या में नये यूनिट लगाने की इजाजत देने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दे दी गई है कि वे इस संबंध में अनुमति प्रदान करने के लिए उद्यमियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर लें और उन्हें आगे विचार करने के लिए 30.4.1986 से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेज दें। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में तथा अन्य स्थानों में नये यूनिट लगाने के लिए प्राप्त हुए अनुरोधों पर उक्त तारीख के बाद और ऊपर उल्लिखित कसौटी को ध्यान में रखने के बाद विचार किया जाएगा।

राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम के लिए एक होल्डिंग कम्पनी

798. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम और उनकी सहायक कम्पनियों के लिए एक होल्डिंग कम्पनी बनाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर है और इन दो निगमों के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनाने में आने वाली वाणिज्यिक, वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम और उनकी अनुषंगियों की स्थिति सहित उनके कार्य समीक्षाधीन हैं।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

799. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय हथकरघा उत्पाद बहुत अधिक पसन्द किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने मूल्य के हथकरघा उत्पादों का निर्यात किया जाता है; और

(ग) सतावीं पंचवर्षीय योजना में हथकरघा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार थे :—

	करोड़ रु० में
1982-83	323.59
1983-84	319.75†
1984-85	348.86

†अनन्तिम

स्रोत : हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास।

(ग) (1) देश से निर्यातित हथकरघा वस्त्र उत्पादों पर नकद मुआवजा सहायता दी जाती है। इन दरों में 1.1.1984 से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और 1985 के दौरान वृद्धि जारी रखी गई। इन दरों को 31 दिसम्बर 1986 तक बढ़ाया गया है बशर्ते कि 31 मार्च 1986 से पहले समीक्षा की जाए।

(2) आयात तथा निर्यात नीति 1985-88 के अन्तर्गत आर ई पी लाइसेंसों को परिशिष्ट 17 के अधीन दिया जाता है जिसमें निर्यातों के लिए अपेक्षित आवश्यक कच्चे माल के

आयात करने की अनुमति है। सरकार नए उत्पादों के निर्यातों तथा नए बाजारों को निर्यातों के लिए अतिरिक्त सहायता देती रही है। इस प्रयोजन के लिए 10 प्रतिशत अधिक आर ई पी की अनुमित होती है। लातीनी अमरीका तथा अफ्रीका के बाजारों में निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए अनुदानों की ऊंची दरों की भी अनुमति होती है।

(3) सरकार बाजार अध्ययनों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता, भारतीय उत्पादकों के लाभ के लिए कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए विदेशी डिजाइनरों को आमंत्रित करने, फैशन शो, आदि जैसे संवर्धन कार्यकलापों को प्रायोजित करने तथा उनके निधिकरण हेतु उदार सहायता देती रही है।

(4) निर्यात अभिमुख उत्पादन कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

जिल्लेट के साथ भारतीय शेविंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड का विदेशों के साथ सहयोग

800. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन शेविंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड उनके मंत्रालय के प्राधिकार के बिना अमरीकी कम्पनी जिल्लेट के साथ किये गये विदेशों के साथ सहयोग करार को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि इस कम्पनी को सरकार की नीति का उल्लंघन करते हुए जिल्लेट व्यापार चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

कपड़े का उत्पादन और खपत

801. **श्री हन्नान मौल्लाह**

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष वार कितने कपड़े का उत्पादन हुआ था;

(ख) उसमें कपड़ा मिलों, विद्युत करघों और हथकरघों को अलग अलग कितना योगदान है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खपत अथवा कपड़े का उपभोग कितना था; और

(घ) सरकार का गत वर्षों की स्थिति को देखते हुए उसमें क्या सुधार करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान संगठित मिल क्षेत्र, शक्ति चालित करघा क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार रहा :—

क्षेत्र	1982-83	1983-84	(मि० मीटर) 1984-85
मिल क्षेत्र	3132	3487	3432
शक्ति चालित करघा क्षेत्र	4694	5315	5445
हथकरघा क्षेत्र	2788	2956	3137
योग :	10614	11758	12014

(ग) 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान घरेलू क्षेत्र में प्रति व्यक्ति खपत अनुमानतः क्रमशः 13.70, 13.83 तथा 15.56 मीटर रही।

(घ) जून 1985 में घोषित नई वस्त्र नीति में बहुत से उपाय करने की व्यवस्था है जिससे वस्त्र उद्योग की सामान्य दशा में सुधार लाने तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित कीमतों पर कपड़े की स्वीकार्य क्वालिटी का उत्पादन बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने की संभावना है।

आयातित टीन के मूल्य में गिरावट के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को लाभ

802. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलौह धातुओं के मूल्य निर्धारण समिति ने टीन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट का लाभ आयातित टीन का मूल्य 22,000 रुपए प्रति टन कम करके भारतीय उपभोक्ताओं को दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तांबे आदि की अन्य आयातित किस्मों के बारे में अब तक लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) फरवरी, 1986 के लिए कीमत समिति द्वारा निर्धारित कापर वायर राड्स तथा कापर वायर बार्स की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

मसालों की खुली बिक्री पर प्रतिबन्ध

803. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिसे हुए मसालों की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसी एक वर्ष में दस करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि को बट्टे खाते में डालना

804. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किसी एक वर्ष में दस करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि को बट्टे खाते में डाला है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बैंकों द्वारा ऐसे ऋणों को बट्टे खाते में डाले जाने का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन संबंधित बैंकों में से किसी बैंक में बट्टे खाते में डालने के दोषी किसी अधिकारी का पता लगाया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों के कार्य का स्वरूप कुछ ऐसा है जिसमें कुछ ऋणों के अशोध्य हो जाने का खतरा उसमें निहित होता है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक हर साल अपनी वार्षिक आमदनी में से संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों की तसल्ली के अनुसार कुछ व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार की गई व्यवस्था में से उन ऋणों को बट्टे खाते डाल देते हैं जिन्हें बैंक के प्रबन्धक अन्ततोगत्वा वसूल न हो सकने वाला मान लेते हैं। ये रकमें केवल उस समय बट्टे खाते डाली जाती हैं जब उनकी वसूली के सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण के प्रपत्रों के अनुसार, जिनका सभी बैंकों को कड़ाई से पालन करना होता है, बैंकों को उन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि अथवा ब्यौरे प्रकट करने से सांविधिक सुरक्षा प्राप्त है जिनके लिए उनके लेखापरीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था की जाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार और बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीतियों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की कानून के मुताबिक अपने ग्राहकों के मामलों में सूचना प्रकट न करने के निदेश प्राप्त हैं।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए अपेक्षित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बराबर नजर रखी जाती है। इन बैंकों में अपने-अपने संगठनों के विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग अग्रिमों पर बराबर नजर रखने की पद्धति होती है। जहां बैंक के अधिकारियों की गलतियां सामने आती हैं वहां ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। बैंक दांडिक जांच और अभियोजन के मामलों को, यदि किसी बाहरी व्यक्ति अथवा बैंक के अधिकारियों की दांडिक अंतर्ग्रस्तता का संदेह हो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा स्थानीय पुलिस को भी सौंप देते हैं।

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से उन अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में अलग से सूचना नहीं मिलती जिनके खिलाफ ऋणों के अशोध्य हो जाने अथवा ऋणों के बट्टे खाते डालने में उनकी अंतर्ग्रस्तता के लिए कार्रवाई की गई हो, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि वर्ष 1983-84 और 1985 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर उपलब्ध सूचना के अनुसार क्रमश: 50, 32 और 27 कर्मचारियों को सिद्ध दोष ठहराया गया और क्रमश: 559, 478 और 387 कर्मचारियों को बड़े अथवा छोटे दण्ड दिये गये।

भारतीय सिले सिलाये वस्त्रों का जापान को निर्यात करने को बढ़ावा देना

805. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** :

श्री मुरलीधर माने : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान विदेशी व्यापार संघ भारतीय मिले मिलाये वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष से तीन वर्षीय कार्यक्रम शुरू कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई समझौता हुआ है तो उसके बारे में ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी हां। जापान विदेश व्यापार संगठन ने 1985-86 से शुरू तीन वर्ष तक के लिए अपैरल हेतु आयात संवर्धन कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जापानी वस्त्र बाजार में प्रवेश करने के लिए भारत में निर्यातकों का फैशन डिजाइन और परिधान बनाने में मार्गदर्शन करना और उन्हें सलाह देना।

केरल के लिए चावल के मासिक आबंटन में वृद्धि करने की मांग

806. **श्री टी०बशीर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से चावल का महीना-वार कितना आबंटन किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु चावल का वर्तमान आवंटन पर्याप्त नहीं है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से चावल के मासिक आबंटन में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें केन्द्रीय पूल से केरल को 1985 के दौरान चावल के किए गए मासवार आबंटन का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1,25,000 मीटरी टन चावल का वर्तमान मासिक आबंटन पर्याप्त नहीं है। तथापि, केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों तथा केन्द्रीय आबंटनों के अनुपूरक स्वरूप को भी ध्यान में रखते हुए, आबंटन की वर्तमान मात्रा को उपयुक्त समझा जाता है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार के पास चावल के मासिक आबंटन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। अभी हाल ही में 1,50,000 मीटरी टन चावल का मासिक कोटा देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

केरल के चावल के मासिक आबंटन को मई, 1985 के 1,10,000 मीटरी टन से बढ़ाकर जून, 1985 में 1,15,000 मीटरी टन, जुलाई, 1985 में 1,20,000 मीटरी टन और अगस्त, 1985 में 1,25,000 मीटरी टन किया गया था। आबंटन की इस बढ़ाई गई मात्रा को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा, जुलाई, और नवम्बर, 1985 के महीनों के दौरान प्रत्येक 25,000 मीटरी टन के विशेष अतिरिक्त आबंटन भी किए गए थे।

विवरण

केरल को 1985 के दौरान चावल के किए गए आबंटन को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

मास	आबंटन
जनवरी	110.0
फरवरी	110.0
मार्च	110.0
अप्रैल	110.0
मई	110.0
जून	115.0
जुलाई	145.0*
अगस्त	125.0
सितम्बर	125.0
अक्तूबर	125.0
नवम्बर	150.0*
दिसम्बर	125.0
जोड़	1,460.0

* इसमें 25,000 मीटरी टन का एक ही समय का किया गया आबंटन शामिल है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों और परियोजनाओं में हानि

807. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** भारत पर्यटन विकास निगम में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में 20 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4932 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम किन होटलों और अन्य परियोजनाओं में हानि हुई है;

(ख) क्या इन हानियों के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) 1982-83 से 1984-85 के तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों और अन्य यूनिटों के लाभ तथा हानि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

भारत पर्यटन विकास निगम की भूमिका और कार्य मुख्य रूप से देश में पर्यटन आधार-संरचना का संवर्धन और विकास करना है। हालांकि निगम के कुछ यूनिट लाभ नहीं कमाते फिर भी वे एक महत्वपूर्ण संवर्धनात्मक भूमिका अदा करते हैं।

विवरण

1982-83, 1983-84 और 1984-85 के वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों और अन्य यूनिटों के निवल लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण

	(लाख रु० में) निवल लाभ/हानि		
	1982-83	1983-84	1984-85
1. अशोक, नई दिल्ली	124.90	3.10	7.68
2. जनपथ, नई दिल्ली	41.09	68.08	58.62
3. लोधी, नई दिल्ली	27.87	23.16	29.23
4. रणजीत, नई दिल्ली	7.42	(—) 8.62	(—) 0.33
5. अशोक, बंगलौर	(—) 47.64	(—) 5.49	(—) 59.84
6. अकबर, नई दिल्ली	109.28	(—) 18.01	(—) 58.39
7. हसन अशोक	(—) 0.72	(—) 1.68	0.03
8. जम्मू अशोक	(—) 2.76	(—) 2.32	(—) 4.12
9. औरंगाबाद अशोक	(—) 6.10	(—) 1.06	0.03
10. खजुराहो अशोक	(—) 6.45	(—) 3.34	(—) 2.11
11. कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट	(—) 10.34	1.35	3.62
12. एल०बी०पी० होटल, उदयपुर	6.58	11.65	6.36
13. टेम्पल बे अशोक बीच रिसार्ट मामल्लापुरम	(—) 3.91	(—) 3.22	(—) 3.02
14. वाराणसी अशोक	(—) 8.17	0.34	(—) 3.27
15. कुतब होटल, नई दिल्ली	10.75	(—) 2.15	0.45
16. एल०एम०पी० होटल, मैसूर	(—) 2.34	(—) 1.09	5.66
17. एयरपोर्ट अशोक कलकत्ता	(—) 10.46	38.53	52.02
18. पाटली पुत्र अशोक पटना	(—) 7.71	(—) 9.48	(—) 7.98
19. कलिंग अशोक भुवनेश्वर	4.60	3.41	(—) 11.07
20. जयपुर अशोक	(—) 3.19	(—) 3.75	(—) 2.86
21. मदुरै अशोक	(—) 8.95	(—) 6.67	(—) 6.35
22. सम्राट, नई दिल्ली	(—) 70.89	(—) 206.67	(—) 128.05
23. कनिष्क, नई दिल्ली	(—) 24.11	51.10	42.94
24. अशोक यात्री निवास	(—) 26.71	(—) 14.18	(—) 17.28
25. विज्ञान भवन	0.66	0.11	4.79
26. वेस्टर्न कोर्ट	(—) 2.52	(—) 2.50	(—) 1.77
27. एशियाई खेल गांव	37.14	—	—
28. यात्री गृह और रेस्तरां	(—) 12.92	(—) 8.09	(—) 9.35
जोड़	114.40	(—) 97.57	(—) 61.80

1	2	3	4
1. प्रस्तुति और प्रचार	7.95	5.94	0.42
2. अशोक ट्रेवल्स एंड टूअर्स	(—) 55.52	(—) 26.80	(—) 22.95
3. शुल्क मुक्त दुकानें	119.47	166.52	204.03
4. ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन	3.46	4.86	5.67
5. मुख्यालय	(—) 8.12	2.78	0.91
कुल जोड़	181.64	55.73	125.88

समाचार पत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के संबंध में विशेषांक पर खर्च

808. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर सीमा शुल्क विभाग की पहल पर अनेक राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने विशेषांक निकाले थे;

(ख) यदि हां, तो इन विशेषांकों पर अनुमानित खर्च और परिव्यय कितना है;

(ग) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों के लेखों और विज्ञापनों को समाचार पत्रों में दिए गए स्थान का खर्च सरकार ने वहन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ङ) क्या यह सच है कि इन विशेषांकों को निकालने में सीमा शुल्क विभाग की सहायता करने के लिए निर्यात-आयात व्यापार से संबंधित कुछ बड़े व्यापारिक घरानों ने संयुक्त विज्ञापन दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसा क्या सोचकर किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) सीमाशुल्क सहयोग परिषद, ब्रुसेल्स के अनुरोध पर भारतीय सीमाशुल्क विभाग 1983 से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी, को सीमाशुल्क दिवस और सीमाशुल्क वार्षिक दिवस के रूप में मना रहे हैं। इन समारोहों के अंग रूप में सीमा शुल्क गृह सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद आदि का आयोजन करते हैं ।

सीमाशुल्क विभाग की गतिविधियों और कुछ मुख्य समाचार पत्र सफलताओं को उजागर करते हुए पत्रिकाएं प्रकाशित करते हैं, ताकि जनता को सीमाशुल्क विभाग की भूमिका के बारे में बेहतर जानकारी हासिल हो सके ।

इन पत्रिकाओं का प्रयोजन कई समितियों, संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी फर्मों के द्वारा स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है जो आम तौर पर किसी विज्ञापन अभिकरण के माध्यम से किया जाता है। सीमाशुल्क विभाग लेख और अन्य वास्तविक जानकारी प्रदान करता है ताकि विज्ञापन अभिकरण तथा समाचार पत्रों को पत्रिका निकालने में मदद मिल सके।

ऐसी पत्रिकाओं के सिलसिले में सरकार ने समाचार पत्रों में किसी स्थान के लिए अथवा विज्ञापन अभिकरणों की सेवाओं के लिए कोई भुगतान नहीं किया है। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि पत्रिका प्रकाशित करने में विज्ञापन अभिकरण अथवा प्रायोजकों द्वारा कुल कितना खर्च किया गया है। चूंकि यह प्रायोजन स्वैच्छिक आधार पर होता है, अतः प्रायोजकों को कोई प्रतिफल देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में ज्ञापन

809. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के भूतपूर्व राज्य मंत्री को कोई ज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में मुख्यत: किन शिकायतों का उल्लेख किया गया था; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) यूनियनों की प्रमुख मांग वेतन वृद्धि से संबंधित थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि सरकारी नीति के एक मामले के रूप में कर्मचारियों द्वारा वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न को अपनाने के साथ जुड़ी हुई है। स्टाफ निकायों ने उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हुई हैं और यह मामला न्यायाधीन है।

औद्योगिक और शहरी श्रमिकों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

810. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक श्रमिकों तथा शहरी गैर-शारीरिक श्रमिकों का नवीनतम अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है,

(ख) क्या उन्हें उचित प्रतिकर दिया गया है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) किसी कस्बे/शहर का अधिकतम उपभोक्ता मूल्य सूचकाक कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक मूल्य सूचकांक (1960=100) और शहरी गैर-शारीरिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) दिसम्बर, 1985 (अद्यतन उपलब्ध) में क्रमश: 630 और 574 था।

(ख) और (ग) सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को निर्वाह व्यय में वृद्धि के लिए महंगाई भत्ते की अदायगी के माध्यम से प्रतिकर दिया जाता है।

(घ) वाराणसी केन्द्र (714) के लिए औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और गुलबर्ग केन्द्र (645) के लिए शहरी गैर-शारीरिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 1985 में अधिकतम था। दोनों शृंखलाओं के अन्तर्गत केन्द्र-वार सूचकांक विशेष केन्द्र में, किसी विशेष अवधि के दौरान उपभोक्ता मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापता है और इसे विभिन्न केन्द्रों में महंगाई की तुलना के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।

ऋण-शोधन अनुपात

811. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर ऋण-शोधन अनुपात 23.2 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जिस के परिणामस्वरूप देश ऋण तथा ऋण-दाताओं के शिकंजे में जकड़ जाएगा; और

(ख) क्या हाल में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि ऋण शोधन हेतु की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सातवीं आयोजना के अनुसार ऋण परिशोधन अनुपात, जिसे वर्तमान प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण परिशोधन कहा गया है, का औसत आयोजना-अवधि के दौरान 17.6 प्रतिशत होगा।

(ख) जी, नहीं।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से उत्पाद शुल्क की वसूली

812. **श्री सोडे रमैया** : क्या **वित्त मंत्री** हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और गेस्टेटनर लिमिटेड पर बकाया उत्पाद शुल्क के बारे में 22.11.1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 982 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अब हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विभिन्न एककों की ओर उत्पाद शुल्क की बकाया राशि की वसूली के बारे में सूचना प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो बकाया वसूली का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने सूचना एकत्र कर ली है और हिन्दुस्तान लीवर और गेस्टेटनर्स लि० के नाम बकाया उत्पादन शुल्क के बारे में दिनांक 22.11.85 के लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 982 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा कर दिया है।

(ख) मैं० हिन्दुस्तान लीवर लि० के नाम पर 5.30 करोड़ रुपए की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की रकम के संबंध में जो मांगें जारी की गई थीं उनकी वसूली नहीं हुई है क्योंकि पार्टी द्वारा दायर किए गए अदालती मामले/अपीलें विचाराधीन पड़ी हैं। यह ठीक-ठीक बता पाना संभव नहीं है कि इनकी वसूली कब तक की जाएगी। तथापि, मामलों को अंतिम रूप देने के लिए समय-समय पर ऐसे प्रशासनिक, विधिक तथा अन्य उपाय जो भी आवश्यक समझे जाएं, किए जाते हैं ताकि शुल्क रकमों की वसूली शीघ्र की जा सके।

कॉफी उत्पादकों की मांगें

813. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कॉफी उत्पादकों की मांगें क्या हैं;

(ख) सरकार ने इन मांगों को किस सीमा तक पूरा किया है; और

(ग) क्या 'वेल्यू एडिड एक्सपोर्ट' की तरह राजस्व में वृद्धि करने के लिए कॉफी को उपभोक्ता पैकटों में निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) कॉफी उपजकर्ताओं द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों का संबंध न्यूनतम रिलीज कीमत के संशोधन, निर्यात शुल्क को हटाने तथा काफी बोर्ड में विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने से है।

सरकार ने एम० आर० पी० को अद्यतन करने के संबंध में निर्णय लेने के प्रयोजनों हेतु जनवरी, 1985 में एक लागत अध्ययन करने का आदेश किया है। लागत अध्ययन को जल्दी पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

निर्यात शुल्क में केवल तभी परिवर्तन किया जाता है यदि लन्दन टर्मिनल कीमतें (मोटे तौर पर कॉफी के निम्न ग्रेडों की कीमतों के समतुल्य) मूलभूत लाभकारी कीमत की तुलना में अधिक होती हैं। निर्यात शुल्क के निवल के बराबर काफी उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमत सुनिश्चित की जाती है। निर्यात कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और इस प्रकार निर्यात शुल्क को समाप्त करने के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। काफी बोर्ड की संरचना की हाल ही अगस्त 1984 में समीक्षा की गई थी ताकि और संतुलित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके।

(ग) कुछ इंस्टेंट कॉफी पहले ही 100 ग्राम टिनों में निर्यात की जा रही है।

वर्ष 1984-85 में सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात

814. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 में सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात उसके निर्धारित लक्ष्य से अधिक किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1985-86 के लिए तदनुसार लक्ष्य बढ़ाया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान सिले सिलाये वस्त्र निर्यातों का लक्ष्य था 850 करोड़ रु०।

(ख) और (ग) जी हां। 1985-86 के लिए लक्ष्य है 1000 करोड़ रु०।

वार्षिक लाभ हानि लेखे को अन्तिम रूप देने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक का दिशानिर्देश

815. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वार्षिक लाभ हानि लेखे को अंतिम रूप देने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले या बढ़ाई गई ऐसी अवधि की समाप्ति से पूर्व जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गई हो, निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर वर्ष 1985 के वार्षिक लेखों को निर्धारित अवधि में अन्तिम रूप देने की जरूरत पर जोर दिया है।

भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापार संबंध

816. **श्री शरद दिघे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि डच बाजार एक खुला बाजार है और इसके रास्ते योरूप को माल भेजा जाता है, भारत का नीदरलैंड के साथ पिछले तीन वर्षों से प्रतिकूल व्यापार संतुलन चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नीदरलैंड को भारतीय निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) नीदरलैंड सहित ई० ई० सी० में विकसित देशों से विकास संबंधी आयात उच्च पैमाने पर हो रहे हैं। भारत के निर्यात नीदरलैंड सहित ई० ई० सी० में टैरिफ तथा गैर-टैरिफ संबंधी कुछ बाधाओं से भी सीमित हैं।

(ग) नीदरलैंड को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए तथा ई० ई० सी० कमीशन पर इस बात का जोर डालने के लिए कि समुदाय के बाजारों में भारतीय आयातों के प्रवेश को सुकर बनाया जाए, वर्कशाप, सेमिनार के आयोजन, प्रतिनिधिमण्डलों के आदान-प्रदान जैसे कई उपाये किए गए हैं।

[हिन्दी]

भारत-चीन व्यापार में वृद्धि

817. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में भारत-चीन व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस व्यापार को बढ़ाने की क्या संभावनाएं हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-चीन व्यापार के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	(लाख रु०)
1982-83	11,718
1983-84	8,151†
1984-85	6,867†

†अनन्तिम

(ग) भारत तथा चीन के नवम्बर 1985 में एक व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए जिसमें 1986 के लिए 100 से 160 मिलियन अमरीकी डालर के बीच दोतरफा व्यापार की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु दिये गये ऋण

818. **श्री के० मोहन दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार अलग-अलग कितने ऋण दिये गये;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों को ऋण देते समय औद्योगिक पिछड़ेपन को सर्वोच्च मानदण्ड माना जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बैंकों से औद्योगिक रूप से उन्नत राज्यों को अधिक मात्रा में ऋण दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1983, दिसम्बर, 1984 और अक्तूबर, 1985 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की छोटे, मझोले और बड़े पैमाने के उद्योगों के नाम क्रमशः 18362 करोड़ रुपये, 20,425 करोड़ रुपये और 22,312 करोड़ रुपये की ऋण राशि बकाया थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) औद्योगिक एककों को बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने में मुख्य रूप से तकनीकी व्यवहार्यता और अर्थक्षमता पर विचार किया जाता है। सभी इलाकों और क्षेत्रों का समग्र रूप से विकास करने के प्रयोजन से पिछड़े इलाकों और क्षेत्रों में औद्योगिक एकक लगाने के वास्ते कई प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते हैं। लेकिन, चूंकि उद्यमकर्ता अपेक्षाकृत विकसित आधारभूत सुविधाओं वाले राज्यों में उद्योग लगाने को तरजीह दे सकते हैं, इसलिए ऐसे राज्यों को बैंक ऋणों का बड़ा हिस्सा मिल सकता है।

भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर

819. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **वित्त मंत्री** भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों के बारे में 20 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4922 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अद्यतन स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV में वरिष्ठता और उच्च पदक्रमों में प्रोन्नति के निर्धारण के सम्बन्ध में सिविल विविध याचिका संख्या 2604/25 में याचिका संख्या 1595/79 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11.2.1986 को अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV के अधिकारियों की वरिष्ठता में संशोधन किया जाएगा और उन्हें संशोधित वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। इसलिए प्रस्तावित संवर्ग पुनरीक्षण का काम उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

खाद्यान्नों की वसूली और सप्लाई का काम गैर-सरकारी व्यापारियों को सौंपना

820. **श्री सुरेश कुरुप** :

डा० चिन्ता मोहन : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ ने सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों की वसूली और सप्लाई का काम भारतीय खाद्य निगम के स्थान पर गैर-सरकारी व्यापारियों को सौंपा जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में चमेली के अर्क का संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

821. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में निर्यात के लिए एक आधुनिक चमेली के अर्क का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जैसा कि 14 फरवरी, 1986 के 'इकोनामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या निर्यात तथा देश में उपयोग दोनों के लिए गुलाब तथा अन्य सुगंधित फूलों के लिए इस प्रकार के कृषि पर आधारित संयंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन देने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में 900 किग्रा० वार्षिक क्षमता वाले जैसमिन कंक्रीट संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है । यद्यपि पंजीकरण पत्र में उत्पाद निर्यात की कोई शर्त नहीं है, फिर भी सम्भावना है कि इसका काफी भाग देश से बाहर निर्यात किया जाए ।

(ग) इसके सदृश कृषि-आधारित गुलाब के फूल तथा अन्य सुगन्धित फूलों के संयंत्र स्थापित करने वाले प्रस्ताव जब कभी प्राप्त होंगे तो उन पर अनुकूल रूप से विचार किया जाएगा ।

मैसर्स फूड्स फैट्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा जापान के सहयोग से चावल भूसी से तेल संयंत्र का निर्माण

822. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक तेल बनाने वाले एकक, मैसर्स फूड्स, फैट्स एंड फर्टिलाइजर्स को जापान के सहयोग से चावल भूसी से तेल संयंत्र बनाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादन कब शुरू किए जाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) इन संयंत्रों को लगाया जा रहा है, परन्तु उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है । पांच संयंत्रों की स्थापना की जा रही है, जिनमें प्रत्येक संयंत्र में प्रतिवर्ष 9000 मी० टन अपरिष्कृत चावल की भूसी का तेल परिष्कृत किया जायेगा, जिसे खाना पकाने के तेल अथवा सलाद-तेल के रूप में सीधा प्रयोग किया जा सकेगा । इनमें से 3 संयंत्र आन्ध्र प्रदेश में, एक संयंत्र

पांडिचेरी में तथा एक संयंत्र तमिलनाडु में लगाये गये हैं। सभी संयंत्रों के सितम्बर, 1986 तक चालू हो जाने की आशा है।

कपड़े की मांग

823. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपड़े की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) इस समय कुल कितनी क्षमता विद्यमान है;

(ग) पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या मिलों की अतिरिक्त तकुओं की मांग को स्वीकार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) में कपड़े की कुल आवश्यकता अनुमानत: 14,500 मीटर है।

(ख) 31-3-1985 को सूती वस्त्र उद्योग की कताई तथा बुनाई क्षमता क्रमश: 24.42 मिलियन तकुए तथा 2.1 लाख करघे थी।

(ग) जून 1985 में घोषित नई वस्त्र नीति के अनुसरण में विद्यमान एककों द्वारा क्षमता का विस्तार तथा नये एककों द्वारा क्षमता का सृजन सामान्य औद्योगिक नीतियों के अध्यधीन करने की अनुमति है।

(घ) और (ङ) वस्त्र मिलों के लिए अतिरिक्त तकुआ क्षमता हेतु औद्योगिक लाइसेंस श्रेणी 'क' पिछड़े क्षेत्रों में दिए जाते हैं तथा इन राज्यों में जिनमें ऐसे क्षेत्र नहीं हैं, उन पर भी श्रेणी 'ख' पिछड़े क्षेत्रों में विचार किया जा रहा है।

1985 के दौरान पालघाट में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

824. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए पालघाट जिले से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी शाखाएं खोली गयीं; और

(ग) ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1985 को 1982-85 का शाखा विस्तार कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अप्रैल 1985 में पालघाट जिले में शाखा खोलने के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जनवरी से सितम्बर, 1985 तक पालघाट जिले में वाणिज्यिक बैंकों की चार शाखाएं खोली गईं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

बैंक का नाम	शाखा की स्थिति
केनरा बैंक	अनाकट्टी
	चालवरा
	करिंग नांड
साउथ इंडियन बैंक लि०	पुडूर

आभूषणों का निर्यात

825. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आभूषणों के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में बड़ी संख्या में कुशल दस्तकारों की उपलब्धता को देखते हुए विदेशी बाजारों से लाभ कमाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) कारीगरों और दस्तकारों के लाभ के लिये आभूषण निर्माण के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : अप्रैल 85 से जनवरी 86 के दौरान भारत से स्वर्ण आभूषणों के निर्यात 72 करोड़ रु० होने का अनुमान है, जबकि गत वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि के दौरान लगभग 69 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे।

(ख) और (ग) स्वर्ण आभूषणों के निर्यातकों को इस योग्य बनाने के अलावा कि वे नीति संबंधी विभिन्न प्रोत्साहनों और आसान शर्तों पर आवश्यक उपकरणों तथा अन्तर्निविष्ट साधनों के आयात की सुविधाओं की मदद से प्रतियोगी शर्तों पर उत्पादन कर सकें, शिल्पियों को प्रशिक्षण, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान आदि के द्वारा उत्पाद विकास और साथ ही बाजार विकास में उनकी सहायता करने के उपाय किए गए हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा मै० इंडियन मोलासिस कम्पनी को निर्यात ठेका देना

826. **श्री जी० एस० बसवराजू** :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिए इंडियन मोलासिस कंपनी समूह अर्थात मैसर्स इंडियन मोलासिस कंपनी, मैसर्स जे० आर० इन्टरप्राइजेज और मैसर्स ए० वी० आर० एंड कम्पनी को सीरे के व्यापार और भंडारण का कार्य कब दिया गया था;

(ख) क्या इंडियन मोलासिस कम्पनी को सीरे के भंडारण और व्यापार के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा दिया गया यह अन्तिम ठेका था; और

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्स इंडियन मोलासिस कम्पनी समूह को ही ठेका देने के क्या कारण हैं जबकि इस कम्पनी समूह द्वारा बताई गई दरें सबसे ऊंची थीं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, 1976 से पहले मैसर्स जे० आर० इन्टरप्राईजेज तथा उनके सहयोगियों मैसर्स इंडियन मोलेसिस कम्पनी और मैसर्स ए० वी० आर० एण्ड कम्पनी लदान बन्दरगाहों पर लदान की अवस्था तक निर्यात के लिए सीरे के सप्लायर रहे हैं और 1976 से वे राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किए जाने के लिए सीरे के भंडारण और परिवहन की व्यवस्था करते रहे हैं।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने 1-6-82 से 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्यात के लिए सीरे के भण्डारण और हैण्डलिंग आदि के सम्बन्ध में मैसर्स जे० आर० इन्टरप्राइजेज और उनके सहयोगियों मैसर्स इंडियन मोलोसिस कम्पनी तथा मैसर्स ए० वी० आर० एण्ड कम्पनी के साथ पिछली संविदा 10-9-1982 को की। इस संविदा में 21-6-83 को संशोधन किया गया जिससे वह 1-6-83 से तीन वर्ष के लिए लागू हो गई।

(ग) यह सही नहीं है कि मैसर्स जे० आर० इन्टरप्राइजेज तथा उनके सहयोगियों मैसर्स इंडियन मोलोसिस कम्पनी तथा ए० वी० आर० एण्ड कम्पनी को संविदा सर्वोच्च दरों पर दी गई। 1979 में मांगे गए पिछले टेंडर के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों में मैसर्स जे० आर० इन्टर-प्राइजेज सहित दो प्रस्ताव व्यवहारिक समझे गए। तथापि सीरे का निर्यात निलम्बित कर दिए जाने के कारण उस समय सीरे की हैंडलिंग के लिए कोई निर्णय नहीं दिया गया। 1982 में सीरे का निर्यात पुनः आरम्भ होने पर राज्य व्यापार निगम के बोर्ड ने मैसर्स जे० आर० इन्टरप्राइजेज को उनके पिछले अनुभव, कार्य निष्पादन, विशेषज्ञता और सीरे की अधिप्राप्ति, संचलन, भण्डारण एवं लदान की व्यवस्था करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर उपलब्ध अवस्थापना को देखते हुए नियुक्त करने का निश्चय किया क्योंकि अन्य पार्टियों के पास मुकाबले की सेवाएं तथा विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं थी।

अपव्यय को कम करने के सम्बन्ध में कौल समिति की सिफारिशें

828. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपव्यय को कम करने के सम्बन्ध में कौल समिति ने हाल ही में अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उक्त सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के सभी निरन्तर चलने वाले कार्य-कलापों और संगठनों की समीक्षा करने तथा जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, उन्हें समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया गया है।

दल द्वारा समीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुनाफे की वृद्धि दर में गिरावट

829. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** :

श्री के० राममूर्ति :

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या वर्ष 1984 की तुलना में 1985 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुनाफे की वृद्धि दर में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक कमी आई है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वृद्धि दर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के वर्ष 1985 के अन्तिम लेखाओं को विभिन्न चरणों में अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन लेखाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही, बैंकों द्वारा वर्ष 1985 में अर्जित वास्तविक लाभ का पता चल सकता है और वर्ष 1984 में लाभप्रदता की विकास दर की 1985 की दर से तुलना की जा सकती है। सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के कार्य-परिणामों के तुरंत अनुमानों से यह

पता चलता है कि वर्ष 1984 के प्रकाशित लाभों की तुलना में वर्ष 1985 के प्रकाशित लाभ लगभग 32 प्रतिशत तक अधिक हो सकते हैं।

(ङ) बैंकों की लाभप्रदता को सुधारने के लिए कई विशेष उपाय भी किए गए हैं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी नकदी प्रारक्षित निधियों पर पहले से अधिक प्राप्ति, खाद्य ऋणों पर ब्याज की ऊंची दर राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास रखी सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज पर कर की रकम स्रोत पर न काटने के लाभ और राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी का निर्धारण आदि शामिल है।

[हिन्दी]

भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी

830. **श्री हरीश रावत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है और वे कब से वहां काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त प्राधिकरण में कार्यरत सभी कर्मचारी स्थायी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) व्यापार मेला प्राधिकरण में 1-2-86 को कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 849 है जिनमें से 190 कर्मचारी दैनिक वेतन आधार पर कार्य कर रहे थे। इस संगठन में जब से यह आरम्भ हुआ है कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) मेले तथा प्रदर्शनियां आयोजित करने में गति आने के साथ-साथ विभिन्न वर्षों में दैनिक वेतन कर्मचारी नियुक्त किए गए थे जैसा कि विवरण में दर्शाया गया है। दैनिक-वेतन कर्मचारियों को उपलब्ध स्थायी पदों पर उनकी पात्रता की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

विवरण

1 फरवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों के ब्यौरे उनकी नियुक्ति के वर्ष के साथ

क्र. सं.	नियुक्ति वर्ष	नियमित कर्मचारी	दैनिक वेतन कर्मचारी
1.	1977	317	—
2.	1978	7	—
3.	1979	16	—
4.	1980	15	7
5.	1981	36	8
6.	1982	42	34
7.	1983	33	37
8.	1984	44	48
9.	1985	148	54
10.	1986	1	2
	कुल	659	190

[अनुवाद]

बुलढाना जिले में लोनार झील का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

831. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार में असिताश्म (बेसाल्टिक) चट्टान में अति तीव्र गति की वायु के आघात के प्रभाव से एक प्रकृति-प्रदत्त क्रेटर और खारे पानी की झील है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग इस नतीजे पर पहुंचा है कि लोनार स्थित क्रेटर विश्व में अपनी किस्म का अनूठा क्रेटर है :

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का लोनार स्थित क्रेटर झील को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार ने लोनार क्रेटर का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। 120 हेक्टेअर क्षेत्र के सौंदर्यकरण का कार्य पहले ही प्रगति पर है। पर्यटन विभाग को लोनार क्रेटर को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे राज्य सरकार से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादों के लिए राज-सहायता

832. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादों के लिए राज-सहायता जारी रखने के बारे में कोई दबाव डाला है;

(ख) क्या कोयले के मूल्य में हाल में की गई वृद्धि का विश्व बैंक के मत से कोई सम्बन्ध है;

(ग) यदि नहीं तो क्या विश्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के उत्पादों तथा सेवाओं के प्रशासन द्वारा नियंत्रित मूल्यों के बारे में सरकार को अपना मत बता दिया है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक का मत क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने परियोजना मूल्यांकन के दौरान उन वाणिज्यिक उद्यमों, जिन्हें वह ऋण देता है, की वित्तीय व्यवहार्यता को सुधारने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। ऐसी व्यवहार्यता को प्राप्त करने के लिए बैंक, संगठनात्मक सुधार, परिचालनात्मक दक्षता, बेहतर क्षमता उपयोग, अन्तर्क्षेत्रीय संयोजन का सुधार, आर्थिक सहायता और नियंत्रित मूल्यों जैसे मामले की जांच करता है। ऐसे मामलों और नीति सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार अपनी घोषित नीतियों से पीछे नहीं हटती।

पूंजी निवेश और आयात के लिए लाइसेंस

833. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूंजी निवेश और आयात के लिए लाइसेंस देने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर करों और राज-सहायता के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जैसा कि हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में प्रतियोगितात्मक शक्तियों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए नरसिम्हन समिति ने सिफारिश की है; और

(ख) इन उपायों के प्रति औद्योगिक उत्पादकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसिंग को युक्तियुक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं और तीन वर्ष के लिए निर्यात-आयात नीति की भी घोषणा की है। दीर्घावधिक राजकोषीय नीति संसद को प्रस्तुत की जा चुकी है जो कि राजकोषीय नीति की भावी नीति की दिशाओं को सूचित करती है। नरसिम्हन समिति और अन्य उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिशों को दृष्टिगत रखा गया है।

(ख) निवेश और उत्पादन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के पूरे प्रभाव प्रकट होने में समय लगेगा। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि की दर इस वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में, पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई।

खाद्यान्नों का आयात और निर्यात

834. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान खाद्यान्नों का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयात की वर्ष-वार मात्रा और मूल्य क्या था;

(ग) किन देशों से आयात किया गया;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान खाद्यान्नों का कोई निर्यात किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो निर्यात की गई मात्रा तथा मूल्य का वर्षवार ब्यौरा क्या है और किन देशों को निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1980-81 से 1982-83 के दौरान अनाज के आयात की मात्रा तथा मूल्य और प्रमुख देशों के नाम जहां से आयात किये जाते हैं, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। आंकड़े केवल 1982-83 तक उपलब्ध हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) 1980-81 से 1982-83 के दौरान अनाज के निर्यातों की मात्रा तथा मूल्य और प्रमुख देशों के नाम, जिनको निर्यात किए जाते हैं, दर्शाने वाला विवरण दो संलग्न है। आंकड़े केवल 1982-83 तक उपलब्ध हैं।

विवरण एक

1980-81 से 1982-83 के दौरान अनाज के आयात को दर्शाने वाला विवरण ।

मात्रा : मे० टनों में

मूल्य : लाख रु० में

क्रम सं० मदों का विवरण	1980-81		1981-82		1982-83		प्रमुख देशों के नाम जहां से आयात किया जाता है
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1. गेहूं (स्पेल्ट सहित) तथा मेसलिन, बिना पिसा ।	296450	7659	1328084	29974	1651800	35174	आस्ट्रेलिया, सं. रा० अमरीका, नेपाल, कनाडा तथा ब्रिटेन ।
2. चावल	18308	369	64939	1469	19333	387	नेपाल, सिंगापुर, ब्रिटेन तथा जापान ।
3. जौ, बिना पिसे	802	11	9	नगण्य	—	—	नेपाल ।
4. मक्का कार्नद्ध, बिना पिसा,	22614	442	27050	528	3375	105	नेपाल, सं. रा० अमरीका ।
5. अनाज, बिना पिसा (गेहूं, चावल, जौ तथा मक्का को छोड़कर)	1597	27	15840	438	5881	160	नेपाल, सं. रा० अमरीका, जर्मन, संघीय जनवादी गणराज्य तथा बर्मा ।
कुल :	339771	8508	1435922	32410	1680389	35826	

स्रोत— I. 1980-81 **तथा** 1981-82 **के लिए :** वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिसटिक्स आफ फारेन ट्रेड ऑफ इंडिया वाल्यूम-II (आयात) ।

II. 1982-83 **के लिए :** वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन, महानिदेशालय, कलकत्ता से आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े ।

विवरण दो

1980-81 से 1982-83 के दौरान अनाज के निर्यात को दर्शाने वाला विवरण

मात्रा : मे० टन में
मूल्य : लाख रु० में

क्रम सं० मदों का विवरण	1980-81		1981-82		1982-83		प्रमुख देशों के नाम जहां
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	निर्यात किया जाता है
1. गेहूं (स्पेल्ट सहित) तथा मेसलिन, बिना पिसा	63863	1064	1414	56	2	नगण्य	बंगलादेश, कोरिया, डी०पी०आर०पी० वियतनाम गणराज्य, वियतनाम डी० आर० पी० तथा नेपाल ।
2. चावल	727351	22386	872532	36778	453572	21790	सूडान, बेनिन, सोवियत संघ, फ्रांस, केन्या, नेपाल, केन्नरी द्वीप समूह, ईरान, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब. ब्रिटेन, सं. रा० अमरीका, वियतनाम, डी० आर.पी., वियतनाम रिप, चैकोस्लोवाक बहरीन आ. ई. एस., सं. अरब अमीरात रूमानिया, तंजानिया, आर. ई. पी. ।
3. जौ, बिना पिसा	5716	95	44368	802	5552	83	कुवैत तथा यमन पी. डी. रिप०
4. मक्का कार्नद्ध, बिना पिसा	—	—	27	1	391	8	ओमान, श्रीलंका
5. अनाज, बिना पिसा (गेहूं, चावल, जौ तथा मक्का को छोड़कर)	140	2	14	1	274	6	मालदीव द्वीप समूह, जापान, कतार, ब्रिटेन तथा संयुक्त अरब अमीरात ।
कुल :	797070	23547	918355	37638	459791	21887	

स्रोत—I. 1980-81 तथा 1981-82 के लिए : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिसटिक्स ऑफ फारेन ट्रेड इंडिया वाल्यूम-II (आयात) ।

II. 1982-83 के लिए : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन, महानिदेशालय, कलकत्ता से आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े ।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर तस्करी में वृद्धि

835. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर बहुत बड़ी संख्या में सीमाशुल्क कर्मचारी सोने की तस्करी में अंतर्ग्रस्त हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर सोने तथा अन्य वस्तुओं की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या यह सभी सच है कि दिल्ली में उच्च प्राधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर न तो कोई छापे मारे गए और न ही कोई जांच की गई; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि सोना तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तु बनी हुई है और वर्ष 1984 में पकड़े गए 1.65 करोड़ रुपए मूल्य के निषिद्ध माल की तुलना में वर्ष 1985 के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सोने सहित पकड़े गए निषिद्ध माल का मूल्य 3.7 करोड़ रुपए है ।

(ग) और (घ) किसी भी प्रकार की तस्करी-रोधी गतिविधियों में कोई कमी नहीं हुई जैसा कि ऊपर दिए गए अधिग्रहण संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट है। तथापि, तस्करी की प्रवृत्तियों और अभिग्रहणों की सतत् समीक्षा की जाती है ताकि यथापेक्षित उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।

तस्करी संबंधी गतिविधियों में ग्रस्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय तौर पर तथा न्यायालयों में मुकदमें दायर करके कड़ी कार्रवाई की जाती है। व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाने तथा माल को जब्त करने के अलावा, उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी रोधी अधिनियम के तहत निवारक नजरबन्दी भी की जाती है।

जम्मू और काश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में सीमा पार से तस्करी में वृद्धि

836. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से तथा जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार से तस्करी में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामले पकड़े गए हैं, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा पकड़ी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त क्षेत्र में तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किए गए अभिग्रहणों के रुखों से पता चलता है कि भारत-तिब्बत (लद्दाख क्षेत्र) सीमा के पार तथा भारत-पाक सीमा पर जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में तस्करी की कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं। तथापि, दिसम्बर, 1985 में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस प्राधिकारियों ने तीन लाख रुपए मूल्य का विविध माल पकड़ा था जिसमें सिले-सिलाये वस्त्र, एक रंगीन टेलीविजन, चप्पलें, टूथ-पेस्ट आदि सम्मलित हैं। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

वर्ष 1985 में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल ने 2,070 रु० मूल्य का विविध माल पकड़ा था।

(ग) देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। सीमा के उस पार से तस्करी संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियां सतर्क रहती हैं।

निर्यात की तुलना में आयात

837. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के पहले पांच महीनों में निर्यात की तुलना में हमारे देश के आयात में काफी तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह किस सीमा तक;

(ग) भारत का आयात किन वस्तुओं में और किन देशों में तेजी से बढ़ा है;

(घ) आयात बढ़ने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हाँ।

(ख) डी. जी. सी. आई. एंड एस. से उपलब्ध अनन्तिम व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों अर्थात अप्रैल-अगस्त 1985 के दौरान भारत के निर्यात 3763.15 करोड़ रु. के हुए जबकि अप्रैल-अगस्त 1984 के दौरान 3895.68 करोड़ रु० के हुए थे और इस प्रकार 3.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई। दूसरी ओर, अप्रैल-अगस्त 1985 के दौरान 7566.24 करोड़ रु० के आयात हुए जो कि अप्रैल-अगस्त, 1984 के दौरान हुए 6054.01 करोड़ रु० की तुलना में 25.0% अधिक थे।

(ग) उन उत्पाद समूहों जिनके संबंध में संचित आँकड़े उपलब्ध हैं और जिनके आयातों में अप्रैल-सितम्बर, 1984 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान वृद्धि हुई उनमें शामिल हैं : पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर, उर्वरक उत्पाद, लोहा तथा इस्पात, धातुकीय लौह अयस्क तथा धातु स्क्रेप; व्यवसायिक, वैज्ञानिक तथा सर्जिकल उपकरण, पल्प तथा वेस्ट पेपर, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन और अलौह धातु। इस प्रकार उन देशों जिनके संबंध में अप्रैल-दिसम्बर, 1984 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान आयातों में वृद्धि हुई है उनमें शामिल हैं; फ्रांस, जर्मन जनवादी गणराज्य, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, इराक, कुवैत, यू. ए. ई. अमरीका, कनाडा तथा अमरीका।

(घ) अनिवार्य मदों की खपत, निवेश तथा देश में उत्पादन के स्तरों के समर्थन में अधिक आयात किए गए।

आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बैंक शाखाओं को बंद करना

838. **श्री शैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, उन जिलों को छोड़कर जिनके लिए उन्हें लीड बैंक नामित किया गया है, नई शाखाएं खोलने पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1985 में उन जिलों में जिनके लिए वे लीड बैंक नामित किए गए हैं तथा अन्य जिलों में प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी नई शाखाएं खोली गयी हैं;

(ग) क्या ऐसे बैंकों द्वारा उक्त अवधि के दौरान आर्थिक रूप से व्यावहारिक न पाई गयी किन्हीं शाखाओं को बंद किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1.1.1985 से 30.9.1985 तक के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उन लीड जिलों में जहां उनकी लीड भूमिका है तथा अन्य जिलों में खोली गई शाखाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठाता ।

विवरण

1.1.1985 से 30.9.1985 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उन जिलों में जहां उनकी लीड भूमिका है तथा अन्य जिलों में खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या को दिखाने वाला विवरण

बैंक का नाम	लीड जिलों की संख्या	लीड जिलों में खोली गई शाखाएं	अन्य जिलों में खोली गई शाखाएं
इलाहाबाद बैंक	9	—	73
आन्ध्र बैंक	5	8	26
बैंक आफ बड़ौदा	31	20	62
बैंक आफ इंडिया	34	15	121
बैंक आफ महाराष्ट्र	6	5	15
केनरा बैंक	19	13	63
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	47	46	68
देना बैंक	10	13	28
इंडियन बैंक	9	12	37
इंडियन ओवरसीज बैंक	7	5	44
पंजाब नेशनल बैंक	42	39	106
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1	1	13
सिंडिकेट बैंक	19	19	43
यूनियन बैंक आफ इंडिया	8	22	58
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	22	28	51
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	25	21	47
भारतीय स्टेट बैंक	79	38	311
भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	38	13	67
जोड़	411	318	1233

[हिन्दी]

झुनझुनु में पर्यटक केन्द्रों का विकास

839. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झुनझुनु (राजस्थान) का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है जहां वास्तुकला की दुर्लभकृतियों वाले अनेक पुराने किले एवं इमारतें हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान झुनझुनु (राजस्थान) का विकास करने बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

टी० पी० ए० के आयात शुल्क में वृद्धि का प्रभाव

840. **श्री एस०एम० गुरड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टी०पी०ए० पर शुल्क में 50 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के कारण गत छः महीनों (मई से दिसम्बर, 1985) के दौरान टी० पी० ए० का कोई आयात नहीं किया गया है;

(ख) टी०पी०ए० पर शुल्क में 50 प्रतिशत की वृद्धि के आदेश जारी किए जाने से पहले के छः महीनों की अवधि में कुल टी०पी०ए० की कितनी मात्रा का कितना आयात किया गया था; और

(ग) पोलिएस्टर रेशा बनाने वाली उन तीन फर्मों के नाम क्या हैं; जिन्होंने उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित अवधि के दौरान टी०पी०ए० का आयात किया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) टी०पी०ए० मद को भारतीय व्यापार वर्गीकरण, रिव०-2, जिसके आधार पर विदेश व्यापार आंकड़े रखे जाते हैं, में अलग से वर्गीकृत नहीं है।

आयात लाइसेंसों के ब्यौरे 'आयात लाइसेंसों, निर्यात लाइसेंसों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलिटिन'' में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। नवीनतम साप्ताहिक बुलिटिन अक्तूबर, 1985 के लिए प्रकाशित किया गया। आयात आंकड़े आयातस्क वार तथा लाइसेंसवार नहीं रखे जाते हैं। सरकार निम्नलिखित फर्मों को टी०पी०ए० के आयात की अनुमति देने में सहमत हो गई है :—

(i) मैसर्स रिलायन्स टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि०
(ii) मैसर्स ओर्के सिल्क मिल्क लि०
(iii) मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि०,
(iv) मैसर्स इंडियन आर्गेनिक केमिकल्स लि०।

भारतीय समाचार-पत्रों में जापानी उत्पादों के विज्ञापन

841. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की अनेक इलैक्ट्रानिकी फर्में भारतीय समाचार पत्रों में अपने उपभोक्ता उत्पादों के विज्ञापन दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली से प्रकाशित उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं, जो ये विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं;

(ग) इन विज्ञापनों का तस्करी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) क्या इस तरह के विज्ञापनों से ऐसे उत्पादों के प्रति मोह बढ़ता है, और क्या यह सरकार की नीति के अनुरूप है; और

(ङ) क्या सरकार उन वस्तुओं के, जिनके आयात पर प्रतिबन्ध है, विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विदेशी निर्माता अपनी उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में कभी-कभी कुछेक भारतीय समाचार-पत्रों में अर्थात दिल्ली से प्रकाशित होने वाले हिन्दुस्तान टाइम्स, दी टाइम्स आफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस आदि में विज्ञापन देते हैं। ऐसे विज्ञापन विदेशी निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए और विदेशों का दौरे करने वाले भारतीय पर्यटकों सहित उपभोक्ताओं की पसन्दगी को प्रभावित करने की विश्व व्यापी नीति के एक भाग के रूप में दिए जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

लौह अयस्क का निर्यात

842. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1985-86 में (31 जनवरी, 1986 तक) पाराद्वीप पत्तन तथा अन्य पत्तनों के माध्यम से पोत-वार कुल कितनी मात्रा में मीट्रिक लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) क्या लौह अयस्क निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं; जिन्होंने भारत से लौह अयस्क का आयात करने में रुचि दिखाई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पत्तन-वार 1985-86 (31 जनवरी, 1986 तक) में देश में पारादीप पत्तन तथा अन्य पत्तनों द्वारा निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत से लौह अयस्क आयात करने वाले देश हैं—जापान, रूमानिया, दक्षिण कोरिया, जी०डी०आर० चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, पाकिस्तान, ताइवान, डी०पी०आर०के० चीन, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, इराक, ओमान, इटली तथा हालैंड।

(घ) निर्यातों में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(I) छोटे आकार के जहाजों और मद्रास तथा विजाग की तुलना में अन्तर्ग्रस्त अधिक दूरी के कारण ऊंची भाड़ा दर की प्रतिपूर्ति के लिए विदेशी खरीदारों को बट्टे के रूप में प्रोत्साहन दिए गए हैं।

(2) पत्तन से ऊंची उठान दर के परिणामस्वरूप एम०एम०टी०सी० द्वारा खान मालिकों से पारादीप पत्तन से लौह अयस्क की खरीद के लिए कोटा सम्बन्धी पाबन्दियों को हटा लिया गया है।

(3) पत्तन की दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से लौह अयस्क के रख-रखाव की सुविधाओं में सुधार करने और पत्तन को गहरा करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(4) अन्य पत्तनों पर अवस्थापना सुविधाओं के सुधार के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(5) लौह अयस्क के निर्यात बाजारों का विविधिकरण करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं।

विवरण

अप्रैल, 1985-जनवरी, 1986 के दौरान पत्तन-वार लौह अयस्क के पोत लदानों को दर्शाने वाला विवरण

	मात्रा (लाख मे० टनों में) (अनन्तिम)
पत्तन	
विजाग	44.35
मद्रास	39.01
पारादीप	15.23
मारमूगाओ	108.53
रेडी	8.48
कारवार/बेलकर	1.49
हल्दिया	—
योग	216.79

[हिन्दी]

फैजाबाद कमीशनरी में काले धन का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

843. **श्री आर० पी० सुमन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कमीशनरी के विभिन्न जिलों में आयकर विभाग द्वारा कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वहां ऐसा सर्वेक्षण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सर्वेक्षण करना एक सतत् प्रक्रिया है और सर्वेक्षण, दीर्घावधि सर्वेक्षण कार्य योजना के अनुसार किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कमीशनरी के विभिन्न जिलों में हाल ही में 30 परिसरों का सर्वेक्षण किया गया।

[अनुवाद]

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अदालतगंज और मोहल्ला (बिहार) के कमजोर वर्गों के ऋणों के लिए आवेदन पत्रों का लम्बित रहना

844. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में अदालतगंज और मोहल्ला के समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के बहुत बड़ी संख्या में ऋण आवेदन पत्र राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों के विरुद्ध, जो ऋण मंजूर करने में विलंब के लिए जिम्मेदार हैं, सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ग) ऋण शीघ्र मंजूर किए जाने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध तथा अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मसाले संबंधी बोर्ड में इलायची के लिए विशेष समिति

845. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड में इलायची के लिए एक अलग सांविधिक समिति गठित की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोचीन में स्थित होगा ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) स्पाइसिस बोर्ड बिल, 1986 में, जो कि अभी भी संसद के विचाराधीन है, इलायची के लिए अलग से किसी वैधानिक समिति की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, बोर्ड के मुख्यालय को कोचीन में रखने का प्रस्ताव है।

आंध्र प्रदेश में खुदरा बिक्री केन्द्रों का बन्द किया जाना

846. **श्री वी० तुलसी राम**

डा० बी०एल० शैलेश : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अलाभकारी खुदरा बिक्री केन्द्रों को बंद करने की एक योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम को इसके परिणामस्वरूप कितनी बचत होने की संभावना है;

(ग) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये बिक्री केन्द्र स्थित हैं;

(घ) प्रत्येक बिक्री केन्द्र पर कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है और क्या उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा; और

(ङ) उनके बंद होने और उनमें सुधार लाने के लिए समय पर कदम न उठाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) एन०टी०सी० की सभी असक्षम खुदरा दुकानों को बंद करने के लिए किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अलग-अलग खुदरा दुकानों को बन्द करने के लिए मामलों की समय-समय पर जांच की जाती है। तमिलनाडु में दो शो रूम (प्रत्येक में पांच कर्मचारी) तथा आंध्र प्रदेश में दो शोरूम (हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद, प्रत्येक में 3 कर्मचारी) बन्द करने का प्रस्ताव है। तथापि, इन शो रूमों को बन्द करने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

हिमाचल प्रदेश के सेबों का निर्यात

847. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के सेबों के निर्यात से वर्ष 1985-86 के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सेबों के उत्पाद के विकास के लिये अथवा उनके उत्पाद के विपणन के लिए राज्य सरकार को कोई अनुदान दिया है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब उत्पाद के विपणन की कोई योजना केन्द्र सरकार को भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सेबों के निर्यात के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) राज्य सरकार की किसी विशिष्ट योजना के आधार पर कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जनता कपड़े का उत्पादन और उसका वितरण

848. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में धोतियों, साड़ियों और कमीजों आदि के लिए कितने मीटर जनता कपड़े की आवश्यकता है और जनता कपड़े की मांग को राष्ट्रीय कपड़ा निगम और अन्य मिलों द्वारा अलग-अलग किस सीमा तक पूरा किया गया है; और

(ख) क्या उचित दर दुकानों पर जनता कपड़े की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जाती है और इसे चोर बाजार में बेचा जाता है जिससे कमजोर वर्गों के लोक इससे वंचित रह जाते हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) कन्ट्रोल के कपड़े (जिसमें हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़ा तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों द्वारा कन्ट्रोल का कपड़ा शामिल है) के उत्पादन के लिए लक्ष्य उपदान के भुगतान के लिए साधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसका सम्बन्ध कुल मांग की मात्रा से नहीं होता है। धोती, साड़ी,

शर्टिंग आदि जैसी विभिन्न किस्मों का उत्पादन उपभोक्ता पसन्दों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

कन्ट्रोल कपड़े की कुल मात्रा वर्ष 1985-86 में 650 मिलियन वर्गमीटर से बढ़कर 700 मिलियन वर्गमीटर हो गई। जैसे कि वस्त्र नीति में व्यवस्था है, कंट्रोल कपड़े को क्रमबद्ध रूप में हथकरघा क्षेत्र को अन्तरित किया जा रहा है जैसा कि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट होगा :

(मिलियन वर्ग मीटर में)

वर्ष	कन्ट्रोल के कपड़े का कुल लक्ष्य	के लक्ष्य	
		कन्ट्रोल का कपड़ा	जनता का कपड़ा
1983-84	650	300	350
1984-85	650	290	360
1985-86	700	280	420
1986-87	700	200	500

(ख) जनता कपड़ा, राज्य हथकरघा अभिकरणों जिसमें राज्य हथकरघा निगमों तथा राज्य हथकरघा अपैक्स/प्राइमरी समितियां शामिल हैं, के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इन अभिकरणों द्वारा उत्पादित जनता कपड़े का वितरण उत्पादन करने वाले अभिकरणों, उपभोक्ता सहकारी स्टोर, अन्य प्रकार के सहकारी स्टोर, सिविल सप्लाई की दुकानों, उचित दर की दुकानों आदि की अपनी दुकानों के जरिए किया जाता है। केन्द्रीय सरकार को काले बाजार में बेचे जा रहे जनता कपड़े के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की आठ कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

849. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा मिल का आठ कपड़ा मिलें बन्द करने का विचार है जैसा कि दिनांक 7 फरवरी, 1986 के "इकनामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) वस्त्र नीति में कहा गया है कि जो एकक अर्थक्षम बनने के योग्य नहीं हैं उनमें कार्य जारी रखने का अर्थ होगा दुर्लभ संसाधनों का निरन्तर अपचय और आगे के नुकसानों को रोकने के लिए ऐसे एककों, उनके विभागों को बंद करना पड़ेगा। तथापि, अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है कि कौन सी मिलें बंद की जायेंगी।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण

850. **डा० सुधीर राय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उक्त मामले में सिफारिश करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण से पटसन उद्योग की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके बजाय सरकार पटसन उद्योग की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं के प्रत्येक पहलू पर उपाय कर रही है।

राज्यों में खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण के लिए राज-सहायता

851. **श्री चित्त महाता** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण के लिए राज-सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्हें राज-सहायता नहीं दी गई है; और इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों को खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण पर उपभोक्ता राज-सहायता दी जा रही है।

नई वस्त्र नीति का हथकरघा बुनकरों की स्थिति पर प्रभाव

852. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नई वस्त्र नीति निर्धारित किए जाने के बाद देश में हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है;

(ख) क्या सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया है;

(ग) क्या हथकरघा बुनकर अपनी जीविका अर्जित करने की स्थिति में भी नहीं हैं; और

(घ) देश में हथकरघा बुनकरों को पर्याप्त सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) सरकार हथकरघों की एक राष्ट्रीय गणना करने की योजना बना रही है जिससे हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थितियों के बारे में आंकड़े मिलेंगे।

(ग) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) हथकरघा क्षेत्र का विकास करने और हथकरघा बुनकरों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक योजनायें बनाई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई, प्रशिक्षण, विपणन आदि सहित अनेक प्रकार की सहायता देने के लिए सहकारी समितियों/राज्य हथकरघा विकास निगमों के रूप में संगठनात्मक अवस्थापना तैयार करना। इसके अतिरिक्त, हथकरघा वस्त्रों की क्वालिटी तथा टिकाऊपन में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने और उससे हथकरघा बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए करघों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। जनता कपड़ा योजना से, जिसमें नई वस्त्र नीति के अनुसार सातवीं योजना के अन्त तक सारे कन्ट्रोल के कपड़े को हथकरघा क्षेत्र को सौंपने की व्यवस्था है, हथकरघा क्षेत्र में अतिरिक्त

रोजगार बनने की संभावना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अंशदायी थ्रिफ्ट निधि तथा वर्क-शेड-सह-आवास योजना नामक दो कल्याण योजनायें भी आरम्भ की गई हैं।

घाटे की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण

853. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान सरकार घाटे की व्यवस्था पर जो कि कई वर्षों से चली आ रही है, नियंत्रण रखने में सफल रही है;

(ख) सरकार द्वारा अपनाई गई नई नीतियों को कड़ाई से कार्यान्वित करने पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी बचत हुई है; और

(ग) घाटे की बजट व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार का सदा यही प्रयास रहा है कि बजटीय घाटे की राशि को विवेकपूर्ण सीमाओं में रखा जाए। राजस्व और व्यय के संशोधित अनुमानों के ब्यौरे और सम्भावित बजटीय घाटे को 28 फरवरी, 1986 को संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में बताया जायेगा।

[हिन्दी]

नई वित्तीय नीति का आर्थिक विकास की गति प्रभाव

854. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में घोषित की गई नई वित्तीय नीति देश के आर्थिक विकास की गति को तेज करने में किस प्रकार सहायक होगी; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दीर्घावधि राजकोषीय नीति सम्बन्धी दस्तावेज जिसे दिसम्बर, 1985 में सभा-पटल पर रखा गया था, उसमें नीति संबंधी उपायों के प्रस्तावों और राजकोषीय सुधारों की दिशाओं को इंगित किया गया है जिनके फलस्वरूप अधिक वृद्धि और उत्पादक निवेश तथा रोजगार का विस्तार होगा।

(ख) चूंकि, प्रस्तावित उपायों को कुछ वर्षों की अवधि के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाएगा, इसलिए इनके प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी समय से बहुत पूर्व होगा।

[अनुवाद]

पर्यटन उद्योग के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन देने की मांग

855. **श्री तारिक अनवर** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय होटल तथा रेस्टोरेंट एसोसिएशन महासंघ का एक शिष्टमंडल हाल ही में उनसे मिला था;

(ख) यदि हां, तो क्या महासंघ ने पर्यटन उद्योग के संवर्धन के लिए अनेक प्रोत्साहन देने की मांग की थी; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में पर्यटन उद्योग का संवर्धन करने के लिए अपेक्षित प्रोत्साहनों के प्रश्न पर पर्यटन विभाग और होटल तथा रेस्तरां संघ के महासंघ के बीच विचार-विमर्श एक सतत प्रक्रिया है। महासंघ से प्रोत्साहनों/रियायतों के लिये जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उनकी विभाग द्वारा जांच की जाती है और सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से और मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर गुणों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाती है।

गुप्त आय को प्रकट करने की योजना

856. **श्री सी०माधव रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुप्त आय को प्रकट करने की नई योजना की अवधि क्या है;

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या ये सुविधाएं गत वर्ष की गुप्त आय के संबंध में भी उपलब्ध होंगी, यदि हां, तो कितने वर्ष के लिए;

(घ) क्या योजना को प्रोत्साहन मिल रहा है; और

(ङ) इस योजना के परिणामस्वरूप कर के रूप में कितनी राशि वसूल होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 मार्च, 1986 तक।

(ख) परिपत्र जारी किए गए हैं जिनमें पुराने तथा नये कर निर्धारितियों को कहा गया है कि वे बिना किसी अर्थ-दण्ड या अभियोजन जैसे दांडिक परिणामों के भय के, अपनी सही और पूरी आय घोषित करने के लिए स्वेच्छा से आगे आएं और 31.3.1986 तक उस पर कर अदा करें। यह आश्वासन दिया गया है कि इस वर्ष उनके द्वारा घोषित अधिक आय के कारण विभाग द्वारा उनके मामलों में कोई निरुद्देश्य छानबीन नहीं की जाएगी और न ही उनके पूर्ववर्ती कर निर्धारिणों को खोला/पुनः खोला जाएगा। पूर्ववर्ती वर्षों की आय की घोषण के बारे में निर्धारितियों को सलाह दी गई है कि वे पूर्ण और सही आय की घोषणा के साथ संबंधित आयकर आयुक्त से सम्पर्क करें और जहां पहले से ही कर निर्धारण पूरा हो चुका हो वहां नयी विवरणी प्रस्तुत करने के अलावा कर अदा करें।

(ग) ये सुविधायें पिछले वर्षों के लिये भी उपलब्ध होंगी। परिपत्रों में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथापि, ऐसे कर निर्धारणों को नियमित करने के लिये अधिनियम में निर्धारित कुल सीमा को ही मानना होगा।

(घ) इस संबंध में विभिन्न व्यक्तियों, व्यापार संघों, आदि से प्राप्त पत्रों के अनुसार कर-दाताओं की प्रतिक्रिया आशाप्रद जान पड़ती है।

(ङ) अभी सही तौर पर यह नहीं बताया जा सकता कि इन परिपत्रों के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त राशि एकत्र की जा सकेगी।

सिक्किम में पैदल भ्रमण (हाईकिंग) के विकास की संभाव्यता

857. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सिक्किम में पैदल भ्रमण (हाइकिंग) के विकास की भारी संभाव्यता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1985-86 में केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 15.86 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर सिक्किम में विभिन्न "ट्रेक-रूट्स" पर पड़ने वाली ट्रेकर्स कुटीरों के निर्माण की एक स्कीम अनुमोदित की है। 3.88 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर ट्रेकिंग उपकरण की व्यवस्था कराने का एक और प्रस्ताव विचाराधीन है।

दुबई, हांगकांग और सिंगापुर से सोने की तस्करी

858. **श्री श्रीराममूर्ति भट्टम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुबई के सोना बाजार, हांगकांग और सिंगापुर से इस देश में तस्करी से सोना लाया जा रहा है; और

(ख) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान कितने मूल्य का तस्करी का सोना पकड़ा गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किये गये अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि खाड़ी के देशों, हांगकांग और सिंगापुर से विमानों द्वारा समुद्र और जमीन के रास्ते भारत में तस्करी के लिये सोना आकर्षण की वस्तु बनी हुई है।

(ख) वर्ष 1984, 1985 के दौरान जब्त किए गए सोने का मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1984	10.24
1985	51.56 (अनन्तिम)

पैट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव

859. **श्री राजकुमार राय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात प्रयास पर, जिसके चालू वर्ष के दौरान निराशाजनक परिणाम निकले हैं; पैट्रोलियम की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि से और अधिक प्रतिकूल कुप्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) क्या मूल्य वृद्धि से हमारी उत्पादन लागत बढ़ेगी और इससे विश्व-बाजार में उत्पाद कम प्रतियोगी होंगे; और

(ग) यदि हां, तो देश में उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) से (ग) यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हमारे निर्यात प्रयासों में निराशाजनक परिणाम निकले हैं। हमारा निर्यात निष्पादन अनेक बातों पर निर्भर है जिसमें शामिल हैं, बाहरी आर्थिक वातावरण तथा घरेलू आर्थिक स्थिति। हाल में पैट्रोलिटम उत्पादों की कीमतों में हुई वृद्धि से विश्व बाजार में हमारे उत्पादों की प्रतियोगिता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी के कोटे का आबंटन

860 **श्री डी०बी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए प्रतिमास प्रति व्यक्ति चीनी की मात्रा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी का आबंटन उक्त निर्धारण के अनुसार नहीं किया जाता;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्धारित मात्रा के आधार पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की चीनी की आवश्यकता कितनी है तथा उन्हें 1983- 4, 1984-85 तथा अप्रैल, 85 से दिसम्बर, 1985 तक वास्तव में कितनी मात्रा में चीनी का आबंटन किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क), (ख) और (ङ) 1-10-1983 को परियोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की मासिक उपलब्धता के आधार पर लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे निर्धारित किए गए हैं। ये कोटे 1-10-1983 से प्रभावी हैं और इस तारीख से पूर्व 425 ग्राम की उसी प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आधार पर 1-3-1981 को जन संख्या के संदर्भ में राज्यों के मासिक कोटों का हिसाब लगाया गया था।

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय वर्ष 1983-84 और 1984-85 तथा अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 के दौरान उपर्युक्त आधार पर आबंटित की गई लेवी चीनी की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से चीनी के वितरण की मात्रा का संबंध है, इस बारे में संबधित राज्य सरकारों द्वारा निर्णय किया जाता है।

(ग) उत्तर के भाग (क), (ख) और (ङ) में उल्लिखित आधार पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को लेवी चीनी का आबंटन किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को आबंटित किए गए चीनी के कोटे बताने वाला विवरण

(मात्रा मीटरी टनों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वित्तीय वर्ष 1983-84 (अप्रैल से मार्च)	वित्तीय वर्ष 1984-85 (अप्रैल से मार्च)	वित्तीय वर्ष 1985-86 (दिसम्बर, 85 तक)
आन्ध्र प्रदेश	2,84,179	2,92,165	2,35,448
अण्डमान और निकोबार	2,464	2,614	2,105
अरुणाचल प्रदेश	3,382	3,514	2,831
असम	1,07,363	1,11,749	90,055
बिहार	3,72,535	3,83,923	3,09,392
चण्डीगढ़	3,670	3,988	3,212
दादर नगर हवेली	572	608	490
दिल्ली	78,850	83,356	67,175
गोआ, दमन, दीव	5,764	5,812	4,682
गुजरात	1,81,220	1,86,788	1,50,529
हरियाणा	68,727	70,977	57,198
हिमाचल प्रदेश	22,614	23,310	18,783
जम्मू और कश्मीर	31,717	32,503	26,192
कर्नाटक	1,98,208	2,04,808	1,65,047
केरल	1,33,920	1,36,494	1,09,995
लक्षद्वीप	809	827	667
मध्य प्रदेश	2,76,277	2,83,033	2,28,089
महाराष्ट्र	3,32,334	3,40,452	2,74,362
मणिपुर	7,615	7,819	6,302
मेघालय	7,135	7,405	5,966
मिजोरम	2,720	2,918	2,350
नागालैण्ड	4,442	4,742	3,820
उड़ीसा	1,38,309	1,40,775	1,13,448
पांडिचेरी	3,212	3,296	2,659
पंजाब	89,208	92,184	74,289
राजस्थान	1,84,487	1,92,515	1,55,143
सिक्किम	1,753	1,873	1,511
तमिलनाडु	2,54,262	2,58,810	2,08,566
त्रिपुरा	11,157	11,649	9,387
उत्तर प्रदेश	5,93,529	6,13,659	4,94,529
पश्चिमी बंगाल	2,89,452	2,97,126	2,39,445

(इसमें त्यौहार आदि प्रयोजनों के लिए किए गए अतिरिक्त आबंटन सम्मिलित हैं)

आन्ध्र प्रदेश में अनबिका तम्बाकू और इसके निपटान के लिए सौदा

861. **श्री एन०वेंकट रत्नम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय तम्बाकू की कितनी मात्रा अनबिकी पड़ी है और इसके निर्यात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अल्जीरिया सरकार ने वर्ष 1984-85 में आन्ध्र प्रदेश का 1200 टन तम्बाकू खरीदने के लिए भारत सरकार के साथ ठेका किया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त सौदे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सोवियत संघ भी आन्ध्र प्रदेश का तम्बाकू खरीदने को तैयार है और क्या उसने केन्द्रीय सरकार से कोई बातचीत की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश में अनबिके पड़े तम्बाकू की बिक्री के लिए किन्हीं अन्य सरकारों से बातचीत कर रही है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) :(क) तम्बाकू बोर्ड के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 1983, 1984 और 1985 की फसल की 18,500 मे० टन वी०एफ०सी० तम्बाकू की अनुमानित मात्रा व्यापारियों के पास उपलब्ध है।

अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) अनिर्मित तम्बाकू को आयात तथा निर्यात नीति के परिशिष्ट 16 के अन्तर्गत निर्यात उत्पादों को चुनिन्दा सूची में शामिल किया गया है।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय तम्बाकू को और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए 1986 की फसल के सभी प्रकार के तम्बाकू की न्यूनतम निर्यात कीमतों को 1985 के स्तर पर रखा गया है।

(ख) जी हाँ, अल्जीरिया ने आन्ध्र प्रदेश की 1985 की फसल का 1200 मे० टन तम्बाकू खरीदने के लिए संविदा की है।

(ग) अल्जीरिया के खरीदारों ने जांच आदि की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। लदान शीघ्र किए जाने की सम्भावना है।

(घ) सोवियत संघ हमारा प्रमुख खरीदार है और वे अपनी खरीदारियों को वर्ष दर वर्ष तय करते हैं।

(ङ) जी हां।

"बैगेज" कानूनों में गम्भीर कमियों के कारण सीमा शुल्क का अपवंचन

862. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बैगेज कानूनों में गम्भीर कमियों की ओर दिलाया गया है जिनके कारण सीमा शुल्क में भारी अपवंचन होता है; और

(ख) क्या यह सच है कि देश के भीतर भारत पर्यटन विकास निगम को शुल्क मुक्त दुकानों से खरीदने की प्रणाली का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) हवाई अड्डों/समुद्री पत्तनों पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारी असबाब के जरिए अनुमत्य सीमा से अधिक सामान का आयात किए जाने संबंधी मामलों का पता लगाने के लिए सतर्क रहते हैं तथा प्रत्येक मामले में उसके गुण

दोषों के आधार पर माल की जब्ती, उस पर जुर्माना, अर्थदण्ड लगाने, जहां कहीं उपयुक्त होता है, अभियोजन, आदि की कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा, असबाब में "वाहक" यातायात के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए असबाब नियमावली में हाल ही में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि भारत में आयातित रंगीन टी०वी०, वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैसेट प्लेयर और वीडियो कैमरों के मामले में, इन मदों के मूल्य के प्रति समायोजित किए जाने वाली अनुमत निःशुल्क छूट को 500/- रुपये तक सीमित किया जाएगा। इन संशोधनों में यह भी व्यवस्था है कि साथ न लाए गए असबाब को निकासी के लिए शुल्क रियायत अथवा शुल्क छूट नहीं दी जाएगी। इन संशोधनों से विदेश जाने वाले व्यक्तियों द्वारा असबाब छूटों के सिलसिले में किसी प्रकार का दुरुपयोग और सीमित हो जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

नई वस्त्र नीति और काटन लिंट का उपयोग

863. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मानव निर्मित रेशों के प्रयोग में ली लचीलापन लाने की अनुमति देने के लिए नई वस्त्र नीति स्वीकार कर ली है;

(ख) क्या सरकार ने भारत में उत्पादित काटन लिंट के उपयोग के संबंध में कोई विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का विवरण क्या है जो भारत में उत्पादित काटन लिंट का उपयोग करेंगी ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) शायद माननीय संसद सदस्य का सन्दर्भ वस्त्र मिलों द्वारा मानव निर्मित रेशे के प्रयोग में लोचशीलता की ओर है जैसी कि स्वीकृत तथा सरकार द्वारा जून, 1985 में घोषित नई वस्त्र नीति में व्यवस्था है।

(ख) और (ग) नई वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि वस्त्र उद्योग के प्रमुख कच्चे माल के रूप में रुई की उत्कृष्ट भूमिका बरकरार रखी जाएगी। घरेलू खपत तथा सूती धागे और अन्य उत्पादों के निर्यात द्वारा घरेलू रुई का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान रुई मौसम (1985-86) के दौरान सरकार ने निर्यात के लिए लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपल की 10,00 लाख गांठें, बंगाल देशी की 57,000 गांठें तथा येलो पिमिग्स की 25,000 गांठें रिलीज की हैं। सरकार ने यार्न के लिए एक उदारीकृत दीर्घावधि निर्यात नीति की भी घोषणा की है।

[हिन्दी]

बिहार के गया जिले में बेलागंज, तपोवन और अट्टारी में पर्यटक केन्द्रों के विकास की योजना

864. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गया जिले में बेलागंज, तपोवन और अट्टारी पर्यटन की दृष्टि से पूर्णतः अविकसित स्थान हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों के माध्यम से अवस्थाबद्ध ढंग से किसी स्थान की पर्यटन आधार-संरचना का विकास स्थान के महत्व, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए किया जाता है। राज्य योजना में से बेलागंज के निकट बार-बर पहाड़ियों पर अलग-अलग दो दिशाओं से सीढ़ियों (स्टेयरकेस) के निर्माण के लिए 9.07 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। तपोवन विकास समिति, अट्टारी ने राज्य सरकार से एक विश्राम-गृह, पीने के पानी की सुविधाओं और तपोवन गर्म पानी के चश्मों के नवीकरण की व्यवस्था किए जाने के लिए अनुरोध किया है। केन्द्रीय सरकार को इनमें से किसी भी स्थान की पर्यटक आधार-संरचना का विकास करने संबधी कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

नई कपड़ा नीति के कारण कपास के उपभोग और मूल्यों में गिरावट

865. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा यह जानने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि नई कपड़ा नीति, जिससे पालियस्टर और मिश्रित कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा मिला है, के कारण कपास के उपभोग और मूल्यों में किस सीमा तक गिरावट आयी है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) नई कपड़ा नीति के परिणामस्वरूप होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से देश में कपड़ा उद्योग और कपास उत्पादकों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) गत रुई मौसम (सितम्बर 84—अगस्त 85) के दौरान रुई की खपत का अनुमान 91.15 लाख गांठों का था तथा चालू रुई मौसम (सितम्बर 85—अगस्त 86) के दौरान रुई की खपत का अनुमान 91.65 लाख गांठों का है। चालू रुई मौसम के दौरान रुई की कीमतों में गिरावट का रुख गत रुई मौसम के दौरान बहुत अच्छी रुई फसल तथा चालू वर्ष के दौरान रुई फसल की संतोषजनक सम्भाव्यताओं के कारण आया।

(ग) नई वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि वस्त्र उद्योग के प्रमुख कच्चे माल के रूप में रुई की उत्कृष्ट भूमिका बरकरार रखी जाएगी। घरेलू खपत तथा सूती धागे और अन्य उत्पादों के निर्यात द्वारा घरेलू रुई का उपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा। रुई उपजकर्ताओं को हमेशा यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि लाभकारी कीमतों पर उनके उत्पादों को उठा लिया जाएगा। वस्त्र उद्योग को जितनी भी रुई की जरूरत है उसे पर्याप्त मात्रा तथा यथोचित कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा। रुई उपज- कर्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार ने चालू रुई मौसम के दौरान लम्बे तथा अति लम्बी रुई की 10.00 लाख गांठों, बंगाल देशी की 57,000 गांठों तथा थैंली पिमिग्स की

25,000 गांठों के निर्यात की घोषणा की है। चालू रुई मौसम के दौरान कपास की अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा घोषित कर दी गई हैं तथा भारतीय रुई निगम को न्यूनतम समर्थन कीमतों पर तब खरीददारियां करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जबकि बाजार कीमतें समर्थन कीमतों से नीचे आने लगें। सरकार ने धागे के लिए उदारीकृत दीर्घावधि निर्यात नीति की भी घोषणा की है।

चीनी की कमी समाप्त करने के लिए चीनी का और अधिक उत्पादन

866. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान मौसम में 15 फरवरी, 1986 तक कितनी मात्रा में गन्ने की पेराई की गई और कितनी चीनी का उत्पादन हुआ और पिछले मौसम में 15 फरवरी, 1985 तक के आंकड़े कितने हैं; और

(ख) चीनी की कमी को समाप्त करने के लिए गन्ने के और अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) चीनी फैक्ट्रियों से तार द्वारा प्राप्त हुई सूचना के आधार पर, चालू चीनी वर्ष 1985-86 में 15 फरवरी तक 41.82 लाख मीटरी टन चीनी के उत्पादन के अनन्तिम आंकड़ों का हिसाब लगाया गया है जबकि 1984-85 मौसम में इसी तारीख तक 36.80 लाख मीटरी टन चीनी का वास्तविक उत्पादन हुआ था। जहां तक पेरे गए गन्ने का संबंध है, फैक्ट्रियों द्वारा अब तक जो सूचना भेजी गई है, वह 31-1-1986 तक की है। 1985-86 मौसम में 31 जनवरी तक 345 लाख मीटरी टन गन्ने की पेराई होने के अनन्तिम आंकड़े निकाले गए हैं, जबकि 1984-85 मौसम में इसी तारीख तक वास्तव में 307 लाख मीटरी टन गन्ने की पेराई की गई थी।

(ख) गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादन को गन्ने के लाभकारी मूल्यों का भुगतान करना सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने विषयक राज्य सरकारों के उपायों को भारत सरकार समर्थन दे रही है। राज्यों में सहकारी ढांचों ने गन्ना उत्पन्न करने वाले किसानों को ऋण और आदान मुहैया करने की व्यवस्था की है। कई राज्य सरकारें सिंचाई के लिए राज-सहायता, गन्ना फैक्ट्रियों के आरक्षित क्षेत्रों में पहुंच सड़कों की व्यवस्था करने, किसानों को प्रशिक्षण देने, पीड़क जन्तुओं तथा बीमारियों आदि से बचाव करने, आदि जैसे प्रोत्साहन और सहायता भी देती हैं। गन्ने का विकास करने के लिए चीनी उपक्रमों को चीनी विकास निधि से उदार शर्तों पर ऋण दिए जायेंगे।

अहमदाबाद में बन्द कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

867. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में लगभग 20 कपड़ा मिलें काफी समय से बन्द पड़ी हैं;

(ख) क्या इन बन्द कपड़ा मिलों के श्रमिक काफी समय से बेरोजगार हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद में इन बन्द कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय की घोषणा कब तक किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां):(क)और (ख) 31-12-1985 की स्थिति के अनुसार अहमदाबाद में 16 वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थीं जिसके कारण लगभग 30,181 श्रमिकों के रोजगार पर प्रभाव पड़ा।

(ग) गुजरात सरकार ने इन मिलों में से 12 का पहले ही राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुजरात में भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद

868. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कपास की खरीद के लिए भारतीय कपास निगम को जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है और ये अनुदेश किस तारीख को जारी किए गए;

(ख) इस वर्ष कपास की खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और क्या खरीद लक्ष्य के अनुसार की जा रही है; और

(ग) सरकार ने कुछ भागों में इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि व्यापारी स्वयं को किसान बताकर निगम को अपना कपास बेच देते हैं और किसानों से कपास नहीं खरीदी जा रही है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, भारतीय रुई निगम और गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों के एक अध्ययन दल ने गुजरात में कपास की खरीद तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए किए गए प्रबंधों का मौके पर अध्ययन करने के लिए 10 से लेकर 20 जनवरी, 1986 तक गुजरात के रुई उपजकर्ता विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार 21-1-86 को भारतीय रुई निगम के गुजरात तथा सौराष्ट्र शाखा कार्यालय को हिदायतें दी गई। संक्षेप में ये हिदायतें इस प्रकार हैं :—

1. उपजकर्ताओं की कृषि विपणन समितियों द्वारा क्वालिटी संबंधी सामान्य कटौतियों सहित समर्थन कीमतों पर पूल की गई कपास की खरीद के लिए मानदंड।
2. स्थानीय भाषा में पर्याप्त प्रचार किया जाए जिनमें खरीद स्थानों पर सूचना पट्ट लगाना शामिल है और उनमें यह बताया जाए कि मध्यम औसत क्वालिटी के लिए निर्धारित क्वालिटी पैरामीटर क्या हैं तथा घटिया क्वालिटी के कारण यदि कोई कटौतियां की गई हैं तो उनका स्तर क्या है।
3. स्थानीय भाषा में छपे हुए इश्तहारों का वितरण।
4. जहां विनियमित बाजार काम नहीं कर रहे हैं वहां मंडियों की सेवाओं का उपयोग करना।

5. यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अपनाई जाए कि कपास वास्तविक किसानों से ही खरीदा जाए।
6. कच्छ और सौराष्ट्र में, जहां विपणन स्थापना बहुत कमजोर है, कपास की खरीद के लिए गुजरात राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन की सेवाओं का उपयोग करने की सम्भावना का पता लगाना।
7. उचित समय के अन्दर पूल की गई कपास के लिए व्यक्तिगत उपजकर्ताओं की और समितियों को जल्दी भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाए।

कीमत समर्थन एजेंसी के रूप में, महाराष्ट्र को छोड़कर जहां राज्य सरकार की रुई एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना चल रही है गुजरात सहित विभिन्न रुई उपजकर्ता राज्यों में रुई के लिए निगम का मात्रा सम्बन्धी कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। निगम बाजारों में तब तक रहेगा जब तक कपास की आमद जारी रहेगी। तथापि, गुजरात में निगम ने 21 फरवरी, 1986 तक रुई की लगभग 1.95 लाख गांठें खरीदी हैं। आगे खरीदारियां चल रही हैं।

निगम की यह नीति है कि कृषि उपज विपणन समिति की निगरानी में सभी मंडियों में की जाने वाली खुली नीलामी में भाग लेकर खरीददारियां की जायें। इस प्रकार निगम सीधे उपजकर्ताओं से खरीदारियां करता है, व्यापारियों से नहीं, भारतीय रुई निगम समितियों द्वारा अपने उपजकर्ता सदस्यों से पूल की गई कपास भी खरीदता है। तथापि, जिन स्थानों में विनियमित बाजार काम नहीं कर रहे हैं, वहां यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं कि कपास की खरीद सीधे किसानों से की जाए।

[अनुवाद]

औद्योगिक रुग्णता का पता लगाना

8*0. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा औद्योगिक रुग्णता का पता लगाने हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या रुग्ण एककों को पुन: चालू करने हेतु उद्योग और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त प्रयास किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक रुग्णता को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक रुग्णता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बैंकों को लिखा है। बैंकों से अपने प्रधान कार्यालयों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयों में रुग्ण एककों के साथ व्यवहार करने और रोग बढ़ने के सम्बन्ध में पूर्व चेतावनी देने वाले सिग्नलों का पता लगाने के वास्ते विशेष कक्ष स्थापित करने के लिए कहा है। बैंकों से रोग का शुरू में ही पता लगाने के लिए अपने संगठनात्मक प्रबन्धों को सुदृढ़ करने और शाखा स्तर पर जिम्मेदारी तय करने के लिए भी कहा गया है जिससे पूर्व चेतावनी देने वाले सिग्नलों की उपेक्षा न की जा सके, बल्कि विभिन्न आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उच्च प्राधिकारियों को सूचित किया जा सके।

(ख) और (ग) उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के विषय में परस्पर निकट सम्पर्क रहता है।

सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर हमेशा इस बात पर जोर देती है कि वे रुग्णता की रोकथाम करने और रोगी हो जाने वाले एककों के निदानात्मक अध्ययन के आधार पर उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत बनायें। सरकार ने मार्च, 1985 से मुख्य ऋण और पुनर्निर्माण एजेंसी के रूप में भूतपूर्व भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को औद्योगिक पुनरुद्धार के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में बदल दिया है। "रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985" में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के गठन की परिकल्पना की गई है जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों से सम्बन्धित विभिन्न उपाय करेगा।

अधिक लाभ मिलने पर बेचने के लिए उपज को रोक रखने की छोटे किसानों की क्षमता बढ़ाना

871. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भंडारों में खाद्यान्नों के नुकसान को कम करने और मूल्य बढ़ाने पर बेचने के लिए अपनी उपज को कुछ महीनों तक रोक रखने की किसानों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई दीर्घावधि कदम उठाए हैं ताकि उन्हें बड़े किसान को इस समय हो रहे लाभ के बराबर लाभ मिल सके;

(ख) क्या यह सच है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक छोटे और सीमांत किसानों की दशा में सुधार नहीं हो सकता;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है; और

(घ) सातवीं योजना अवधि में इस प्रयोजन के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (घ) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ने निम्नलिखित पग उठाए हैं :—

(1) मन्त्रालय के भारतीय अनाज संचयन सस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए उन्नत भंडारण ढांचों सहित उपयुक्त वैज्ञानिक भंडारण विधियों का विकास किया है। संस्थान का अनुसंधान और विकास प्रयास और सुधार लाने के लिए एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(2) 17 केन्द्रीय अन्न सुरक्षा दल नियुक्त किए गए हैं। ये दल भंडारण हानियों को कम करने की दृष्टि से वैज्ञानिक भंडारण विधियों के बारे में चुनिंदा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के सम्मुख प्रदर्शन करते हैं और उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, जो कि मन्त्रालय का एक प्रतिष्ठान है, अपने 75 भंडागारों के आस-पास रह रहे किसानों को इसी प्रकार की सेवा सुलभ कर रही है।

(3) किसानों को मूल्य समर्थन देने के लिए खाद्यान्नों की वसूली की जाती है।

(4) सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और राज्य भाण्डागार, निगम जिनमें सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने काफी मात्रा में धन लगाया है, ने वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं की व्यवस्था की है। ये सुविधायें किसानों सहित विभिन्न जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। इन निगमों द्वारा

जारी की गई भंडागाद्रण रसीदों को बंधक रखने के प्रति किसान बैंकों से अग्रिम राशि भी प्राप्ति कर सकते हैं ।

(5) सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन भंडारण प्रभारों में किसानों को 10 प्रतिशत का रिबेट भी देती है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, आशा है कि केन्द्रीय अन्न सुरक्षा दल 4000 गांवों को कवर कर लेंगे और 6,975 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्पन्न करेंगे ।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की योजना से पीछे हटना

872. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम से कम 10 निर्यातोन्मुखी यूनिटों द्वारा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना छोड़ने की अनुमति मांगे जाने से मंत्रालय असमंजस की स्थिति में पड़ गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह उद्योग मुख्यत: विश्व बाजार के इनके उत्पादनों की प्रतिस्पर्धात्मक न होने तथा सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा माल को रोके रखने के कारण होने वाले वित्तीय बोझ के कारण इस योजना से हटने की अनुमति मांगी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से मामलों में विदेशी सहयोगकर्ता भी उत्पादों को वापस खरीदने के अपने वायदे से मुकर गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) लगभग एक दर्जन एककों ने 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना से हटने की अनुमति मांगी है। कुल लगभग 470 वैद्य एककों तथा प्राप्त हो रहे बड़ी संख्या में नये प्रस्तावों के संदर्भ में हटने के लिए ये कुछ आवेदन इस प्रकार की नई योजना में किसी प्रकार से कोई आस्वाभाविक बात नहीं होती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) योजना के कार्य की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है तथा एककों को कार्यक्षम तथा अर्थक्षम बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन उद्योग का विकास

873. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में पर्यटन उद्योग काफी पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान इस उद्योग के विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन उद्योग के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) विश्व के कुछ अन्य देशों की तुलना में भारत में पर्यटन का विकास कुछ धीमा रहा है जिसका प्राथमिक कारण आधार-संरचना का विकास और संवर्धन करने के लिए धन-राशि का अभाव है। जबकि 1984 में भारत में पर्यटक आगमनों की संख्या 835,503 (पाकिस्तान और बंगलादेश को छोड़कर) तक पहुंच गई थी फिर भी विश्व पर्यटक यातायात में भारत का हिस्सा मात्र 0.3% था।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार पर्यटन का विकास करने के लिए अनेक कदम उठा रही है जिनमें पर्यटक केन्द्रों पर आधार-संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करने और विदेशों में भारत के पर्यटक आकर्षणों का संवर्धन करने के अतिरिक्त ये कदम शामिल हैं— एम आर टी पी एक्ट से होटलों को छूट देने सहित पर्यटन से संबद्ध कार्यकलापों हेतु रियायतों/ प्रोत्साहनों की अनुमति, नए होटलों को आय-कर से छूट, उच्चतर मूल्यह्रास, विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में होटलों के लिए केन्द्रीय इमदाद, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अन्य केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए होटल ऋणों पर ब्याज इमदाद, विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा, होटलों द्वारा वास्तविक प्रयोग के लिए आयात की जाने वाली अनेक मदों पर रियायती सीमा-शुल्क, टेलीफोन/टैलेक्स कनेक्शन, एल पी जी, आदि का प्राथमिकता से आबंटन। पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए अनेक स्कीमें संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रारम्भ की गई हैं/की जा रही हैं। इन स्कीमों की एक सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के लिए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत 138.68 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है। इसमें से 68.68 करोड़ रु० पर्यटन विभाग के लिए, 40.00 करोड़ रु० भारत पर्यटन विकास निगम के लिए और 30.00 करोड़ रु० होटल प्रबन्ध तथा केटरिंग एकक के लिए हैं।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में प्रारम्भ की गई/ प्रस्तावित की गई स्कीमों की सूची

1. मानेर शरीफ (बिहार) में कैफेटेरिया।
2. बोधगया (बिहार) में सुविधाओं का विकास।
3. क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्मारकों पर पानी और टायलेट सुविधाओं का प्रावधान।
4. चन्द्रभागा कोनार्क में मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान।
5. कोनार्क में डे-सैन्टर का निर्माण।
6. कोनार्क में टायलेट ब्लाक्स का निर्माण।
7. ललितगिरि, उदयगिरि और रत्नागिरि के लिए मास्टर योजनाओं की तैयारी।
8. अयोध्या हिल्स (पश्चिम बंगाल) में कुटीरों का निर्माण।
9. दिघा में पर्यटक-गृहों का निर्माण।
10. सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल) में फ्लोटिंग आवास का प्रावधान।
11. सिक द्वीप (अण्डमान और निकोबार) में कुटीरों का निर्माण।

12. सिंक द्वीप (अण्डमान और निकोबार) में एक जेटी का निर्माण और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण।
13. संदकफू-फालुत में ट्रैकिंग हट्स।
14. सिक्किम में ट्रैकर हट्स का निर्माण।
15. सिक्किम के लिए ट्रैकिंग उपस्कर का प्रावधान।
16. सिमलीपाल में वन-गृह का निर्माण।
17. बेतला (बिहार) में वन-गृह का निर्माण।
18. नन्दन कानन नायन सफारी पार्क (उड़ीसा) का विकास।
19. पूर्वी क्षेत्र में वन्य-जीव अभ्यारण्यों में मिनी बसों और हाथियों का प्रावधान।
20. पुरी और बिहार शरीफ में भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा यात्रिकाओं का निर्माण।
21. चिल्का लेक के लिए नौकाओं का प्रावधान।
22. चिल्का लेक के लिए मास्टर प्लान तैयार करना।
23. राजगिर में कैफेटेरिया का निर्माण।
24. सतपदा और कोणार्क में यात्री निवासों का निर्माण।
25. हिसुआ, विसवा और सासाराम (बिहार) में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का प्रावधान।
26. बक्सर में ध्वनि-व-प्रकाश कार्यक्रम की तैयारी को पूरा करना।

भारत पर्यटन विकास निगम, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित स्कीमों को प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव किया है।

1. बोधगया के यात्री-गृह का एक होटल में परिवर्तन और विस्तार।
2. रांची में एक संयुक्त उपक्रम होटल का निर्माण।
3. होटल कलिंग, भुवनेश्वर का विस्तार।
4. पुरी में एक संयुक्त उपक्रम होटल का निर्माण।

भारत-ईरान व्यापार समझौता

874. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेंट्रल टैक्स कोर्ट की स्थापना के लिए सुझाव

875. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में हाल में कर सम्बन्धी कानून और कर सम्बन्धी प्रशासन में सुधार की आवश्यकता, के बारे में आयोजित गोष्ठी में, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधान न्यायाधीश ने किया था, यह सुझाव दिया गया था कि मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कर सम्बन्धी केन्द्रीय न्यायालय (सेंट्रल टैक्स कोर्ट) की स्थापना की जाये जिसकी स्थायी और सर्किट शाखाएं देश भर में हों; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय कराधान सेमीनार द्वारा दिया गया सुझाव सरकार द्वारा नोट कर लिया गया है।

भावी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चाय का उत्पादन बढ़ाना

876. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब तक चाय का उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता चाय की स्वदेशी खपत की वर्तमान दर को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000 तक भारत को चाय का आयात करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या किस्म और मात्रा, दोनों प्रयोजनों के लिए चाय के उत्पादन के सम्बन्ध में विशेषकर पश्चिम बंगाल में चाय बागानों के लिए, कोई दीर्घावधि योजना बनाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है, उस पर कितनी पूंजी परिव्यय होगा और उसे किस एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) 1985 में चाय की खपत लगभग 415 मिलियन कि० ग्रा० होने का अनुमान था और प्रतिवर्ष 5 मिलियन कि० ग्रा० की वृद्धि होने का अनुमान था। इस प्रकार प्रतिवर्ष बढ़ती हुई खपत की दर के अनुसार सन् 2000 तक घरेलू खपत के लिए 640 मिलियन कि० ग्रा० की आवश्यकता होगी जो 657 मि० कि० ग्रा० के वर्तमान उत्पादन से तुलनीय है। तथापि, उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि निर्यात के हमारे स्तर को बनाए रखा जा सके और उसमें वृद्धि भी की जा सके तथा बढ़ती हुई खपत की वृद्धि का भी ध्यान रखा जा सके जो कई कारणों से बढ़ सकती है।

चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिन उपायों की व्यवस्था की गई है उनमें शामिल हैं अत्यावधि उपाय जैसे अन्तर्निविष्ठ साधनों का अनुकूलतम बनाया जाना, तथा मध्यम अवधि उपाय जैसे सिंचाई और ड्रेनेज व्यवस्था, झाड़ियों की भराई और पुनरुद्दार तथा दीर्घावधि उपाय जैसे रोपण एवं पुनर्रोपण।

नई कपड़ा नीति के बारे में असन्तोष

877. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कपड़ा नीति के बारे में जनता में व्याप्त असन्तोष के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नई कपड़ा नीति में कुछ परिवर्तन करने का है जिससे जनता को कुछ राहत दी जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) हालांकि कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु नई वस्त्र नीति की सराहना की गई है। इस दशा में नई वस्त्र नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वस्त्रों तथा सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात/आयात

878. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य के सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार दोनों किस्म के कपड़ों का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सूती वस्त्रों के निर्यातों का मूल्य नीचे दर्शाया गया है :—

	(करोड़ रु० में)
1983	254.16
1984	428.31
1985	428.90

(स्रोत : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद)

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए परिधानों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :-

	(करोड़ रु० में)
1983	640.13
1984	850.10
1985	1067.65

(स्रोत : अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद)

(ग) सूती वस्त्र तथा परिधानों के आयात आंकड़े 1982-83 तक के उपलब्ध हैं। गत तीन वर्षों में आयातों का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :—

	(करोड़ रु० में)
1980-81	9.12
1981-82	14.68
1982-83	16.40

(स्रोत : आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक)

कुल निर्यात और उसमें प्रत्येक राज्य का हिस्सा

879. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-85 के दौरान भारत ने कुल कितने रुपए मूल्य का निर्यात किया और उसमें प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : निर्यातों से राज्यवार आंकड़े संकलित किए जाते। 1980-81 से 1984-85 तक भारत के सम्पूर्ण निर्यातों का मूल्य नीचे दिये अनुसार है :—

	(मूल्य : करोड़ रु० में)
वर्ष	**निर्यात**
1980-81	6710.71
1981-82	7805.91
1982-83	8803.58
1983-84	9872.10
1984-85(अ)	11656.93

(अ) अनन्तिम तथा संशोधन के अधीन।

स्रोत : डी. जी. सी. आई. एण्ड एस. कलकत्ता।

एक रुपये के करेंसी नोटों और सिक्कों का परिचालन

880. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 से एक रुपए के करेंसी नोटों और सिक्कों का कुल कितना परिचालन है;

(ख) वर्ष 1982 से धन के कुल परिचालन की तुलना में एक रुपए से कम मूल्य के कुल कितने विभिन्न सिक्के परिचालन में हैं;

(ग) भारत में विभिन्न टकसालों की सिक्कों की उत्पादन क्षमता कितनी है और उनकी क्षमता के उपयोग की दर क्या है;

(घ) क्या सरकार 1 पैसे, 2 पैसे और 3 पैसे मूल्य के सिक्के अब भी बनाती है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्थिति निम्नलिखित है :—

कुल परिचालन	करोड़ रुपयों में मूल्य
मार्च, 1982	366
मार्च, 1983	375
मार्च, 1984	383
मार्च, 1985	418

(ख) सूचना नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपयों में मूल्य)

निम्न तारीखों को	छोटे सिक्कों की कुल संख्या जिसमें अपरिचालित सिक्के और वापिस लिए जा रहे सिक्के भी शामिल हैं।	परिचालन में कुल मुद्रा	मुद्रा के अनुपात में सिक्कों की प्रतिशतता
मार्च, 1982	305	15233	2.0
मार्च, 1983	320	17661	1.8
मार्च, 1984	355	20418	1.6
मार्च, 1985	350	23591	1.5

(ग) वास्तविक क्षमता और उसके उपयोग की दर, मशीन की आयु और किस्म, संसाधन तकनीकी और टकसाल में विभिन्न उत्पादन अनुभागों के बीच विद्यमान संतुलन पर निर्भर करती है। इष्टतम क्षमता की पुनरीक्षा और इसका मूल्यांकन करने की दृष्टि से टकसालों के आधुनिकीकरण के लिए इंजीनियरी संबंधी अध्ययन करने के लिए कदम उठाये गए हैं। तीनों टकसालों की 1985-86 के लिए उत्पादन क्षमता, 54 घण्टे प्रति पारी प्रति सप्ताह तथा प्रतिदिन दो पारियों में प्रोत्साहन योजना सहित लगभग 200 करोड़ अद्द है।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) इन सिक्कों की कोई मांग नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगाए गए ऋण मेले

881. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में "ऋण मेले" आयोजित किए थे;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार के मेले आयोजित किए गए थे;

(ग) उन लाभार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें इसका लाभ हुआ था और कितनी धनराशि ऋण के रूप में वितरित की गई थी;

(घ) उन ऋण मेलों में शामिल लोगों के प्रतिनिधि कौन थे;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल में सभी लोक सभा चुनाव क्षेत्रों में इस प्रकार के ऋण मेलों का आयोजन किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो कब; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (छ) वर्तमान आंकड़ा प्रणाली से ऋण शिविरों इन शिविरों में बांटी गई रकमों तथा लाभार्थियों के बारे में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती । ऐसे समारोहों पर अलग से नजर रखना न तो व्यवहार्य है और न ही आवश्यक । ऋण शिविरों के लिए सार्वजनिक समारोह आयोजित करना विशुद्ध रूप से स्थानीय मामला है और यह मुख्यत: क्षेत्रीय अधिकारियों की पहल तथा स्थानीय जनता की रुचि पर निर्भर करता है । फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंकों से ऋण शिविरों में बांट जाने वाले ऋणों सहित, सभी ऋणों के मामले में ऋण-कर्ताओं का पता लगाने, ऋण मंजूर करने और मूल्यांकन करने के लिए सुस्थापित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के लिए कहा गया है ।

खाद्यान्न बचाओ अभियान के लिए हिमाचल प्रदेश में एक पृथक उप-कार्यालय का प्रस्ताव

882. **श्री प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए खाद्यान्न बचाओ अभियान हेतु एक पृथक उप-कार्यालय की स्वीकृति का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय किस तारीख तक लिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नारियल और नारियल के तेल के मूल्यों को स्थिर रखने के उपाय

883. **श्री टी० बशीर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नारियल और नारियल के तेल के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए औद्योगिक कार्यों में नारियल के तेल की एक निर्धारित प्रतिशतता का प्रयोग करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नारियल के तेल का उपयोग कुछ सीमा तक औद्योगिक प्रयोजनों, जैसे नहाने के साबुन तथा केश तेल के लिए पहले से ही किया जा रहा है । तथापि, नहाने के साबुन तथा अन्य प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माता अन्य अखाद्य तेलों, जो नारियल के तेल से सस्ते हैं, का प्रयोग करने को तरजीह देते हैं और नहाने का साबुन तैयार करने में विलायक निष्कर्षित नारियल के तेल का प्रयोग आवश्यक होने पर ही किया जाता है ।

वर्ष 1985-86 के लिए खोपरा हेतु एक बाजार-दखल योजना भी शुरू की गई है । इस योजना के तहत खोपरा के लिए बाजार-दखल मूल्य 1200 रु० प्रति क्विंटल नियत किया गया है ।

राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम को हुई हानि

884. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम मे हानि होने की प्रवृत्ति देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी हानि हुई है; और

(ग) उक्त निगम को लाभ अर्जित करने वाली एजेंसी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कार्पोरेशन के 1983-84 से 1985-86 के दौरान हुए घाटों में वृद्धि निम्नोक्त है :—

वर्ष	घाटा (रु०/करोड़)
1983-84	32.13
* 1984-85	88.77 (अनन्तिम)
1985-86 (अप्रैल से दिसम्बर 85)	21.23 (अनन्तिम)

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

* 1984-85 में अधिक घाटा उस वर्ष कच्चे पटसन की असामान्यरूप से ऊंची कीमत रहने की वजह से हुआ ।

विवरण

नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कार्पोरेशन के कार्यनिष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जा रही है । नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कार्पोरेशन (एन. जे. एम. सी.) के कार्यचालन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए जाते रहे हैं, जिनमें शामिल हैं :—

(1) एन. जे. एम. सी. मिलों (आर. बी. एच. एम. एकक को छोड़कर) की क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार की योजना आरम्भ की गई है जिसमें;

(2) आधुनिकीकरण पर समेकित दृष्टिकोण अपनाने के लिए समिति गठित की गई है जिसमें प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं;

(3) मानव-मशीन अनुपालन के बनाए रखने के लिए मांग-आधारित आवश्यकताओं को छोड़कर और आगे भर्ती पर रोक लगा दी गई है;

(4) क्षमता के उपयोग, उत्पादन तथा उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के सम्बन्ध में ब्यौरे-वार अनुमान तैयार कर लिए गए हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा शीरे के निर्यात के लिए निविदाओं की पेशकश

885. **श्री जी०एम० वसवराजु :**

श्री एच०एन०जी० नन्जे गौडा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने राज्य व्यापार निगम द्वारा अन्तिम निविदा की पेशकश के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात के लिए शीरे के भण्डारण तथा लदान के लिए अपनी निविदा देने की पेशकश की है;

(ख) उक्त कार्य के लिए प्रत्येक पार्टी द्वारा दी गई दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य व्यापार निगम ने किसको निविदा की पेशकश की थी और किस आधार पर की थी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) और (ख) 11 पार्टियों ने दिसम्बर, 1979 में राज्य व्यापार निगम की गत निविदा के आधार पर किया। उनके द्वारा सेट की गई दरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चूंकि इस समय शीरे का निर्यात स्थगित कर दिया गया। अतः निविदा के आधार पर कोई पेशकश नहीं की गई।

विवरण

क्र. सं.	पार्टी का नाम	पेशकश/दरों के ब्यौरे
1.	तुंग भद्रा सुगर वर्क्स (प्रा०) लि० बम्बई	जून, जुलाई तथा अगस्त के दौरान के सिवाय जबकि केवल 6,000 एम०टी० हैंडल किया गया प्रत्येक 2 महीनों में 6000 एम०टी० के लिए एकीकृत हैंडलिंग सेवाओं की पेशकश की। गोवा से, जहां से कि वे शीरा 400/- रु० प्रति एम०टी० की दरों पर उठायेंगे, 600 कि०मी० के अन्दर की दूरी के अध्यधीन गोवा से लदान के लिए कर्नाटक तथा गोवा राज्यों से परिवहन।
2.	मैं० जे०आर० एन्टरप्राइजेज तथा उनके अनुसंगी मैं० इण्डियन मोला-	सभी राज्यों से 40,000 एम०टी० प्रतिमाह के लिए एकीकृत हैंडलिंग सेवाओं की पेशकश की। बैरल में

सेस कं० तथा ए०वी०ए० एंड कं०	संचलन के लिये 165/- रु० प्रति एम०टी० अतिरिक्त के साथ 275/- रु० की दर ।
3. इण्डियन पार्ट वेयरहाउसिंग कम्पनी, नई दिल्ली	स्टोरेज टैंकों को किराए पर देने तथा केरल पत्तन पर हैंडलिंग की पेशकश की । 25,000 एम०टी० की क्षमता वाले टैंक के निर्माण का प्रस्ताव किया गया बशर्ते कि राज्य व्यापार निगम न्यूनतम 3 वर्षों के लिए करार पर हस्ताक्षर करने को इच्छुक हों । स्टोरेज प्रभार कुल क्षमता पर 18/- रु० प्रति एम०टी० प्रति माह ड्रमों में प्राप्त मात्राओं पर हैंडलिंग प्रभार 25/- रु० प्रति एम०टी० और अतिरिक्त प्रभार 7/- रु० प्रति एम०टी० की दर पर ।
4. कैमिला प्रा० लि०, इन्दौर	स्टोरेज टैंकों को किराए पर देने और केवल पत्तन पर हैंडलिंग के लिए पेशकश की । 10,000 एम०टी० की क्षमता वाले टैंकों की पेशकश 3 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए कुल क्षमता पर 16/- रु. प्रति एम०टी० प्रति माह की पेशकश की । ड्रमों में प्राप्त मात्राओं पर हैंडलिंग प्रभार 30/- रु० प्रति एम०टी० और 7/- रु० प्रति एम०टी० की दर पर अतिरिक्त प्रभार ।
5. प्रवीर वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, अहमदाबाद	केवल कान्डला में ही स्टोरेज टैंकों को किराए पर देने की पेशकश की । 6250 एम०टी० की क्षमता वाले टैंक के लिये 10/- रु० प्रति एम०टी० प्रति माह की दर पर पेशकश की ।
6. मोडर्न औटो ट्रेडर्स, कोटा	केवल कान्डला पत्तन तक परिवहन के लिये पेशकश की । परिवहन की मात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तथा हरियाणा के राज्यों से 3000 एम०टी० प्रति माह थी । दर महाराष्ट्र से परिवहन के लिए 275/- रु० प्रति एम०टी०, गुजरात से 250/- रु० और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से परिवहन के लिये 325/- रु० प्रति एम०टी० ।
7. ग्रोवर टैंकर्स, दिल्ली	केवल कांडला पत्तन तक परिवहन के लिये पेशकश की । उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से परिवहन होने वाली मात्रा 1000 एम०टी० 400/- रु० प्रति एम०टी० जमा 2.50 रु० प्रति कि०मी० व 2/- रु० प्रति कि०मी० अतिरिक्त क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के चीनी मिलों से दिल्ली को ।

8. स्वास्तिक पेट्रो कैमिकल्स, करनाल	पेशकश केवल काण्डला तथा मद्रास पत्तनों के परिवहन के लिये। उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा गुजरात के राज्यों से काण्डला को और तमिलनाडु से मद्रास पत्तन को परिवहन की जाने वाली मात्राएं 8-10,000 एम०टी० प्रति माह। दरें निम्नलिखित अनुसार हैं :
	उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से संचलन रेलवे टैंक वैगनों द्वारा — 173 रु० प्रति एम० टी०
	उत्तर प्रदेश तथा हरियणा से ड्रमों/लारियों में — 269.50 रु० प्रति एम०टी०
	गुजरात से रेलवे वैगनों द्वारा — 102 रु० प्रति एम०टी०
	गुजरात से ड्रमों/लारियों द्वारों द्वारा — 157 रु० प्रति एम०टी०
	तमिलनाडु से ड्रमों/लारियों द्वारा — 170 रु० प्रति एम०टी०
9. हिमालियन एक्सपोर्टस, नई दिल्ली	गोवा में 6000 एम०टी० प्रति माह शीरे के लिये एकीकृत हैंडलिंग सेवाओं की पेशकश की। दरें गोवा पत्तन मे 400 कि०मी० के अन्दर 450 रु० प्रति एम०टी०। 400 किमी० से अधिक के लिये दरें तय की जानी हैं। साथ ही एक वर्ष में 40,000 एम०टी० की न्यूनतम गारण्टीशुदा मात्रा के साथ निर्यातित वास्तविक मात्रा दरें 100 रु० प्रति एम०टी० की दर पर अथवा विकल्प के तौर पर कुल मात्रा आधार पर 40 रु० प्रति एम०टी० की दर पर स्टोरेज टैंक किराए पर देने की पेशकश की।
10. लिक्विड इम्पोर्टस एण्ड एक्सपोर्ट, नई दिल्ली	गोवा तथा काण्डला में पत्तनों पर स्टोरेज टैंकों को किराए पर देने तथा हैंडलिंग की पेशकश की। टैंक भार क्षमता 6000 एम०टी० दरें टैंकों के लिए कुल क्षमता पर 40 रु० प्रति एम०टी०। पत्तन पर स्टोरेज तथा हैंडलिंग 250 रु० प्रति एम०टी०।
11. कुन्दनमल मुकनमल, जयपुर	स्टोरेज टैंकों को किराए पर देने तथा काण्डला पत्तन पर हैंडलिंग के लिए पेशकश की। राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर पार्टी द्वारा टैंक बनाये जाने हैं। —टैंकों की क्षमता पर प्रति एम०टी० स्टोरेज के लिये दर 17 रु० प्रति एम०टी०। —हैंडलिंग स्टोरेज तथा पोतलदान के लिए दर 23 रु० प्रति एम०टी०।

चलती-फिरती उचित दर की दुकानें

886. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगम्य क्षेत्रों की खाद्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कई चलती-फिरती उचित दर की दुकान चलाई जाना विचाराधीन है; और

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी कितनी चलती-फिरती उचित दर की दुकानें चलाई जा रही हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नयागढ़ तथा बादाम्बा में सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखाने

887. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नयागढ़ तथा बादाम्बा में सहकारी क्षेत्र में निर्माणाधीन चीनी कारखानों का निर्माण किस अवस्था में है;

(ख) क्या चीनी कारखानों को चलाने के लिए संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त गन्ना उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उन चीनी कारखानों के लिए कितना वार्षिक उत्पादन निर्धारित किया गया है तथा उन कारखानों का निर्माण पूरा करने पर अलग-अलग कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) उड़ीसा की दो चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचनानुसार उनकी स्थिति नीचे दी जाती है :—

नयागढ़ (31-12-85 को)	**बादाम्बा** (31-1-86 को)
1. फैक्ट्री का निर्माण करने के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ।	1. फैक्ट्री के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ।
2. प्लांट और मशीनरी के लिए मैसर्स आनन्द टैक्स एण्ड वैसल्स (प्रा०) लि०, बम्बई को आर्डर दे दिया गया है और इस संबंध में एक करार पर 5-9-1984 को हस्ताक्षर हो गए थे ।	2. प्लांट और मशीनरी के लिए मैसर्स इंडियन शुगर एण्ड जनरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन, यमुनानगर (हरियाणा) को आर्डर दे दिया गया है और 15-1-1985 को एक करार पर हस्ताक्षर हो गए है ।
3. जहां तक निर्माण कार्यों का संबंध है, वर्कशाप, टैक्नीकल आफिस, जनरल स्टोर्स, चीनी गोदाम, टाइम आफिस, एक्साइज और गेट आफिस आदि के निर्माण का कार्य पूरा होने के निकट है । मुख्य फैक्ट्री बिल्डिंग के निर्माण कार्य के जनवरी, 1986 में शुरू होने की संभावना थी ।	3. वर्कशाप, जनरल स्टोर्स, चीनी गोदाम आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है । मुख्य फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीनरी फाउंडेशन के लिए टेंडर को 16-1-1986 को अन्तिम रूप दे दिया गया है और वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है ।

4. निर्माताओं द्वारा साइट-फैब्रीकेशन कार्य को पहले ही शुरू कर दिया गया है।

4. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मशीनरी लगाने विषयक कार्य को अभी शुरू नहीं किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) किसी भी चीनी मिल के लिए उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, उड़ीसा में 1250 टी० सी० डी० के एक प्लांट द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 9,000 मीटरी टन चीनी का उत्पादन करने की आशा है। प्रत्येक फैक्ट्री को पूरा करने के लिए अन्तर्ग्रस्त लागत 900 लाख रुपए के आस-पास आने की संभावना है।

आसका (उड़ीसा) में स्पीनिंग मिल

888. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसका में स्पीनिंग मिल किस स्थिति में है; और

(ख) उसमें उत्पादन कब आरम्भ किया जाएगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आसका स्पिनिंग मिल निर्माणाधीन है और आशा की जाती है कि अक्तूबर, 1986 तक यहां उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

भारतीय मानक संस्थान के मानक का सामान अनिवार्य रूप से बनाने के लिए बिजली के सभी घरेलू उपकरण निर्माताओं का पंजीकरण

889. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्ज्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ इण्डिया (सी० जी० एस० आई०) ने हाल में 20-21 जनवरी, 1986 को दिल्ली में हुए उपभोक्ता सम्मेलन में बिजली के घरेलू उपकरण निर्माताओं का पंजीकरण करने तथा अनिवार्य रूप से केवल भारतीय मानक संस्थान के मानक का सामान ही बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) क्या बिजली का घरेलू उपकरण (गुण प्रकार नियंत्रण) आदेश, 1976 को सख्ती से कार्यान्वित करने तथा छड़ वाले वाटर-हीटरों का निर्माण न करने की भी मांग की गई है;

(ग) क्या कन्ज्यूमर गाइडेंस सोसायटी ने बिजली उपकरणों तथा प्रेशर स्टोवों के लिए अनिवार्य रूप से भारतीय मानव संस्थान का प्रमाणन प्राप्त करने का भी सुझाव दिया है;

(घ) क्या सरकार प्रेशर स्टोवों तथा बिजली उपकरणों के कारण हुई मौतों सहित दुर्घटनाओं के आंकड़े एकत्रित कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) जी हां। कन्ज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इण्डिया ने 21-22 जनवरी, 1986 को आयोजित अखिल भारतीय उपभोक्ता संगोष्ठी में कुछ सुझाव दिये थे। सोसाइटी के सुझावों में से एक यह था कि भारतीय मानक संस्था का गुणता प्रमाणन सभी उपभोक्ता उत्पादों के लिए बाध्यकर तथा अनिवार्य बना दिया जाए। सोसाइटी ने यह भी सुझाव दिया था कि उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी नमूना कानून के

मसौदे में घरेलू उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश को भी शामिल किया जाना चाहिए। रॉड टाइप वाटर हीटरों अथवा प्रेशर स्टोवों का कोई विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि, अभी हाल में सरकार ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए अनिवार्य आई० एस० आई० प्रमाणन चिह्न योजना आरम्भ करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। पहले चरण में, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के हित में निम्नलिखित 7 उत्पादों के लिए अनिवार्य आई० एस० आई० प्रमाणन चिह्न योजना आरम्भ की जाएगी :—

उत्पाद	तदनुरूप भारतीय मानक
1. इलैक्ट्रिक इमर्सन वाटर हीटर्स	आई० एस० 368—1977
2. बिजली की इस्तरी	आई० एस० 360—1976
3. बिजली के स्टोव	आई०एस० 2994—1965
4. इलैक्ट्रिक रेडियेटर	आई० एस० 369—1965
5. घरेलू तथा इसी तरह के प्रयोजनों के लिए स्विच	आई०एस० 3854—1966
6. घरेलू तथा इसी तरह के प्रयोजनों के लिए 2 एम्प्स के स्विच	आई०एस० 4949—1968
7. 3-पिन वाले प्लग तथा सॉकेट आउटलेट्स	आई०एस० 1293—1967

प्रैशर स्टोवों के लिए, उद्योग मंत्रालय द्वारा पहले ही 25-9-1985 को ऑयल प्रैशर स्टोव (गुणता नियंत्रण) आदेश जारी किया जा चुका है।

(घ) भारत सरकार के किसी भी अभिकरण द्वारा इस प्रकार के आंकड़े एकत्र नहीं किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय बचत योजना के 10 रुपए मूल्यों के बचत पत्रों का छापा जाना

890. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बचत योजना के 10 रुपये मूल्य के बचत पत्र डाकघरों में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय बचत योजना के 10 रुपए मूल्य के बचत पत्रों का मुद्रण बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बचत योजना के सभी बचत पत्रों के आकार और डिजाइन में परिवर्तन करके इसकी मुद्रण लागत कम करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते तथा बकाया रकमों की अदायगी राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में किए जाने के कारण उनकी असामान्य मांग के फलस्वरूप कर्नाटक सर्कल के डाकघरों में 10 रुपए के अंकित मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्र VI निर्गम उपलब्ध नहीं हैं। डाक विभाग द्वारा अन्य सर्कलों से बचत

पत्र मंगवा कर इनकी मांग आंशिक रूप से पूरी की गई है। शेष मांग की पूर्ति भी अन्य डाक सर्कलों से बचत पत्र मंगवा कर पूरी की जाएगी।

(ख) और (ग) चूंकि 10 रुपए के अंकित मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्र VI निर्गम की बिक्री को 1-4-1986 से बन्द करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए इनकी छपाई रोक दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय बचत पत्रों का आकार और डिजाइन उत्तम है, इसलिए उसे बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गैर-खाद्य प्रयोजन के लिए नारियल के तेल के उपभोग को लोकप्रिय बनाना

891. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-खाद्य प्रयोजन के लिए नारियल के तेल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सुझाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) नारियल के तेल का उपयोग साबुन और केश तेल के उत्पादन के लिए पहले से ही किया जा रहा है।

चीनी मिलों का सहकारीकरण

892. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में चीनी मिलों का सहकारीकरण करने और उन्हें सहकारिता के आधार पर गन्ना उत्पादकों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चीनी उद्योग एक अनुसूचित उद्योग है, जो कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नियंत्रित और विनियमित है और सभी तीन क्षेत्रों अर्थात् सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के औद्योगिक यूनिट उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चीनी तैयार करने के लिए लाइसेंसशुदा हैं। तथापि, चीनी उद्योग में नयी क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पहले सहकारी क्षेत्र को और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र को तरजीह दी जाती है और यदि इन दो क्षेत्रों से किसी क्षेत्र विशेष के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं आता है तो उस दशा में निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। देश में स्थापित कुल 365 चीनी फैक्ट्रियों में से 192 सहकारी क्षेत्र में हैं और 43 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था, जो कि भारत में इस समय चल रही है, में सभी

तीनों क्षेत्रों अर्थात् सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के औद्योगिक यूनिटों को सह-अस्तित्व के आधार पर काम करना होता है।

किसानों को गन्ने का समान मूल्य देना

893. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1985-86 के पेराई मौसम और आगामी वर्षों के लिए हाल ही में घोषित नई नीति का ब्यौरा क्या है और चीनी उद्योग को दिये जाने वाले लाभ के अनुपात में गन्ना उत्पादकों को क्या लाभ उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि अब किसानों को दिया गया मूल्य समूचे देश में एक समान नहीं था और उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का सबसे कम मूल्य दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश के किसानों को देश के अन्य भागों के किसानों को दिए गए मूल्य के बराबर मूल्य देने हेतु सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) चीनी सेक्टर की सक्षमता में सुधार करने और उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए 1985-86 मौसम के दौरान चीनी नीति में निम्नानुसार मुख्य-मुख्य परिवर्तन किए गए हैं :—

(I) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 16.50 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसमें 8.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम देने की भी व्यवस्था है। इस प्रकार पिछले वर्ष निर्धारित किए गए मूल्य की तुलना में 2.50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

(II) लेवी : लेवी मुक्त चीनी के अनुपात को 65:35 से बदल कर 55:45 कर दिया गया है।

(III) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा 1986-87 मौसम के लिए देय गन्ने के 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की अग्रिम घोषणा कर दी गई है।

उपर्युक्त उपायों से चीनी मिलों की मूल्य अदा करने की बेहतर क्षमता होनी चाहिए और गन्ना उत्पादकों को भुगतान शीघ्र होना चाहिए।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गन्ने का निर्धारित किया गया सांविधिक न्यूनतम मूल्य रिकवरी से सम्बद्ध होता है और वह देश भर में एक समान होता है। अतः 1985-86 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर निर्धारित किया गया 16.50 रुपये का मूल्य उत्तर प्रदेश की मिलों सहित सभी राज्यों में समान रूप से अदा किया जाता है। तथापि, कुछेक राज्य सरकारें अन्य बातों के अलावा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चीनी फैक्ट्रियों को सलाह देती हैं कि वे अधिक मूल्य अदा करें। उत्तर प्रदेश के उत्पादकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा मूल्य देश में सबसे कम नहीं है और वह अन्य उत्तरी राज्यों के उत्पादकों द्वारा प्राप्त किए जा रहे मूल्यों के बराबर है।

किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु "आढ़ती" प्रणाली समाप्त करना

894. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्राय: सभी राज्यों में किसानों को मण्डियों में उनके द्वारा बेचे गये खाद्यान्नों और अन्य वाणिज्यिक फसलों के मूल्य का समय पर भुगतान के संबंध में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या आढ़तियों के माध्यम से बेचने की सदियों पुरानी प्रणाली में मूल्य में कटौती होती है और भुगतान में काफी विलम्ब होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से किसानों को रहत देने के उद्देश्य से आढ़ती प्रणाली समाप्त करने का आग्रह करते हुए उन्हें कुछ निदेश जारी करने पर विचार कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) मंडियों में बिक्री करने का कार्य और "आढ़तियों" की प्रणाली राज्य सरकारों के कानूनों द्वारा विनियमित होती है। केन्द्रीय सरकार ने यथा-सम्भव उत्पादकों और खरीदारों के बीच सीधे व्यापार का पक्ष लिया है।

कुछ वस्तुओं को सीमा-शुल्क से छूट

895. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ वस्तुओं को सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार लगाए जाने वाले सीमा-शुल्क से छूट दे दी है; और

(ख) सीमा-शुल्क में छट दिए जाने से क्या आर्थिक लाभ होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां !

(ख) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं की प्रतियां, व्याख्यात्मक ज्ञापनों सहित, सदन के दोनों पटलों पर रखी जाती हैं। ऐसी छूटों से होने वाले राजस्व-प्रभाव के बारे में आमतौर पर व्याख्यात्मक ज्ञापनों में उल्लेख कर दिया जाता है। अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में जिनका जिक्र ऐसे प्रत्येक आदेशों में ही कर दिया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के तहत विशेष आदेशों को जारी करके भी छूटें प्रदान की जाती हैं। सभी छूटों के लाभ की मौद्रिक रूप में मात्रा बता पाना संभव नहीं है।

गेहूं का निर्यात

896. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में भारत से कितना गेहूं निर्यात किया गया; और

(ख) यह किन देशों को निर्यात किया गया और प्रत्येक देश को कितनी मात्रा निर्यात की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1985 के दौरान निर्यात की गई गेहूं की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

देश	मात्रा (लाख मीटरी टन में)	
सोवियत रूस		2.07
अफ्रीकी देश*		
सूडान	0.22	
सोमालिया	0.10	
इथोपिया	0.57	
केन्या	0.05	
तंजानिया	0.06	
	1.00	1.00
वियतनाम**		0.36
	जोड़	3.43

*सहायता स्वरूप

**जिन्स उधार के रूप में।

[हिन्दी]

भारतीय कपड़ा निगम को हुआ घाटा

897. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1985 के दौरान भारतीय कपड़ा निगम को कितनी धनराशि का घाटा हुआ है; और

(ख) घाटा होने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष (सितम्बर-अगस्त)	घाटा (करोड़ रु० में)
1982-83	25.14
1983-84	14.22
1984-85	12.15 (अनन्तिम)

(ख) निगम को हुए घाटे के मुख्य कारण बैंकों/सरकार से पहले लिए गए उन उधारों पर, जो कि निगम ने सुखद रुई सप्लाई स्थिति के वर्षों के दौरान भारी मात्रा में खरीदारियां कर ने के लिए लिया था, ब्याज का बहुत अधिक भार होना तथा स्टाकों के ले जाने की लागतें रहे हैं।

आर० बी० एच० एम० जूट मिल, कटिहार (बिहार) में घाटे

898. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से कटिहार स्थित आर० बी० एच० एम० जूट मिल को भारी घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन के एक एकक आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार द्वारा उठाये जा रहे भारी घाटे के मुख्य कारणों में एक कारण इसका पुरानी तथा अप्रचलित मशीनों की परिवर्तन लागत तथा पावर जेनरेशन का अत्यधिक व्यय है क्योंकि मिल को बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड से पावर नहीं मिलती ।

मादक वस्तुओं की तस्करी में वृद्धि

899. **प्रो० चन्द्रभानु देवी :**

श्री अमर सिंह राठवा :

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री सुरेश कुरूप : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान नशीली दवाओं की तस्करी में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की नशीली औषधियां बरामद हुईं;

(ग) नवम्बर 1985 से कितने मामले पकड़े गए और किस प्रकार की औषधियां बरामद हुईं; और

(घ) बरामद की गईं औषधियों का निपटान किस प्रकार किया जाता है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) नारकोटिक मादक-द्रव्यों का कोई ठीक-ठीक मूल्य नहीं बताया जा सकता क्योंकि अवैध बाजार में मूल्य बहुत बदलते रहते हैं, जो पकड़े जाने के समय और स्थान, मादक द्रव्यों की शुद्धता, स्थानीय मांग और पूर्ति आदि की स्थिति पर निर्भर करते हैं।

(ग) दिनांक 1-11-85 से 31-1-1986 तक पकड़े गए मादक-द्रव्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	मादक-द्रव्य का नाम	मामलों की संख्या	अभिगृहीत की गई मात्रा किलो ग्राम
1.	अफीम	68	1,890.594
2.	गांजा	35	25,318.656
3.	चरस	34	8,343.814
4.	मार्फीन	9	4.617
5.	हेरोइन	40	785.012
6.	मैंड्रक्स टैबलेट	2	55.600
7.	पोस्त की भूसी	9	289.500
8.	कोकेन	1	4.400
9.	डायोनाइन	1	0.500

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(घ) अभिग्रहण के पश्चात्, अफीम और मारफीन को और आगे इस्तेमाल के लिए नीमच तथा गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम और एलकलाइड फैक्ट्रियों को भेज दिया जाता है।

चूंकि गांजा राज्य का विषय है इसलिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार इसका निपटान किया जाता है।

अन्य मादक-द्रव्य जब्त किए जाने के पश्चात् नष्ट कर दिए जाते हैं।

ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋणों का वितरण

900. **प्रो० चन्द्रभानु देवी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण बैंकों द्वारा किये गये ऋण वितरण के काम की पुनरीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने सहित उनके कार्यों के विभिन्न पहलुओं की राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित विभिन्न विवरणियों के माध्यम से पुनरीक्षा की जाती है।

दिनांक 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार, देश में 183 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 12139 शाखाएं कार्य कर रही थीं और इन बैंकों के 63 लाख ऋण खातों के अन्तर्गत 1188 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी। इन ऋणों का प्रयोजन-वार वितरण नीचे दिया गया है :—

श्रेणी/प्रयोजन	ऋण की राशि (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत (%)
(क) कृषि तथा संबंधित कार्य	693	58
(i) अल्पावधिक ऋण (फसली ऋण)	206	17
(ii) सावधि ऋण	278	23
(iii) सम्बद्ध गतिविधियां	209	18
(ख) ग्रामीण कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग	69	6
(ग) खुदरा व्यापार, छोटा कारोबार तथा स्व-नियोजित व्यक्ति	303	25
(घ) अन्य प्रयोजन	93	8
(ङ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष ऋण	30	3
जोड़ :	1188	100

[अनुवाद]

तस्करी को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता

901. **श्री के० राम चन्द्र रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को 42 वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) क्या उस समझौते के परिणामस्वरूप उक्त 42 वस्तुओं की सीमा तस्करी के रुकने और उसके कम होने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने यह आशंका व्यक्त की है कि उनके बाजारों में भारत से आयात की जाने वाली घटिया किस्म की वस्तुओं की भरमार हो सकती है; और

(घ) इस आशंका को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ सन्तुलित व्यापार करने के उपायों को अपनाने पर सहमत हो गए हैं।

गैर-कानूनी वायदा व्यापार

902. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि व्यापारी अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करके, गैर कानूनी वायदा व्यापार कर रहे हैं; और

(ख) बड़े व्यापारियों द्वारा की जा रही गैर-कानूनी वायदा व्यापार गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) समय-समय पर अवैध वायदा व्यापार के संबंध में रिपोर्टें मिलती रहती हैं।

(ख) काली मिर्च, हल्दी, गुड़, अरण्डी, आलू, कपास, मूंगफली, मूंगफली के तेल, पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं में वायदा व्यापार करने की अनुमति दी गई है, ताकि देश में कानूनी और विनियमित वायदा व्यापार की प्रगति और विकास हो सके। वायदा व्यापार आयोग द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, जो अवैध वायदा व्यापार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी हैं, से कहा गया है कि वे अवैध वायदा व्यापार के विरुद्ध अभियान तेज करें और इसके लिए अपने पुलिस विभागों में केवल अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत आने वाले अपराधों के बारे में कार्यवाही करने हेतु विशेष कक्षों की स्थापना करें। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस प्राधिकारियों ने वर्ष 1985 के दौरान 102 छापे मारे, जबकि 1984 के दौरान 83 छापे मारे गये थे। 1984 में 34 की तुलना में 1985 में 35 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये।

वायदा बाजार आयोग, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में संबंधित प्राधिकारियों की स्वयं अपने द्वारा भेजे गये कागजात की संवीक्षा करने में सहायता करता है और अपेक्षित विशेषज्ञ सलाह देता है। आयोग राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस और अभियोजन अधिकारियों के लिए कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता आ रहा है, ताकि संबंधित अधिकारियों को अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत आने वाले अपराधों

की बारीकियों से परिचित कराया जा सके। इसी प्रकार आयोग द्वारा न्यायिक और मेट्रोपोलिटन न्यायाधीशों के लिए कई संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन करने का भी विचार कर रही है।

भ्रष्ट बैंक अधिकारियों को निकालना

903. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्ट बैंक अधिकारियों को निकालने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) भ्रष्ट बैंक अधिकारियों को भारी संख्या में निकालने के साथ यह देखने के लिए कि किसी बेकसूर व्यक्ति को नुकसान न हो, कोई सुस्पष्ट तरीका तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या तरीका तैयार किया गया है; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा से निकाला गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जनार्दन पुजारी) : (क)से(ग)भ्रष्ट अधिकारियों को निकालने के लिए संबंधित सेवा विनियमों के अन्तर्गत उपाय किए जाते हैं। जिन बैंक अधिकारियों पर भ्रष्ट कार्यों में लिप्त होने का संदेह होता है, उनके विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। भ्रष्टाचार और ड्यूटी में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाती है। इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है ताकि बेकसूर व्यक्तियों को नुकसान न पहुंचे। विनियम 19 (1) में, इस प्रयोजन के लिए, बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा गठित विशेष समितियों द्वारा समीक्षा किये जाने के पश्चात अधिकारियों की समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति करने की व्यवस्था है ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके। सक्षम प्राधिकारी केवल विशेष समिति की सिफारिश पर ही समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश पारित कर सकता है। हाल ही में विनियम 19 (1) में एक अतिरिक्त उपबंध जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत कोई भी असंतुष्ट अधिकारी अपनी समयपूर्व सेवानिवृत्ति के बारे में सक्षम प्राधिकारी के फैसले के विरुद्ध निदेशक मण्डल के सम्मुख अपना अभ्यावेदन रख सकता है। अगर निदेशक मण्डल यह निर्णय लेता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश उचित नहीं हैं संबंधित अधिकारी को बहाल कर दिया जाता है।

(घ) सब से हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र बैंकों के अपने-अपने विनियमों/आदेशों के अनुसार 95 अधिकारियों को रिटायर कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बद्ध विनियमों के विनियम 20 आदेशों के अधीन, जिसके अनुसार किसी अधिकारी को तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके बदले तीन महीने की परिलब्धियां देकर सेवा समाप्त की जा सकती है, 33 अधिकारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। अलबत्ता, उपर्युक्त दोनों आंकड़े अनन्तिम हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वर्ष 1985 में धोखाधड़ियों के मामलों के सम्बन्ध में 189 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त/सेवामुक्त/पदावनत किया गया।

तमिलनाडु में अधिक पर्यटक केन्द्र खोलना

904. **श्री एन० डेनिस** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में अधिक पर्यटक केन्द्र खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मद्रास शहर में एक जनता होटल बनाने हेतु भी केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया था और पर्यटन विभाग ने पहले ही इन्हें मंजूर कर दिया है :—

	कुल लागत
1. मामल्लापुरम का भूदृश्यांकन	15.32 लाख रु०
2. मुटुकाडु में जल-क्रीड़ा सुविधाओं का विकास	6.39 लाख रु०
3. कन्या कुमारी में 8 समुद्र तट कुटीरों का निर्माण	13.36 लाख रु०
4. थिरूकालक्कदरम में मार्गस्थ सुविधाएं	3.92 लाख रु०
5. थिरूथानी में मार्गस्थ सुविधाएं	3.92 लाख रु०
6. रामेश्वरम् में स्वागत केन्द्र	18.45 लाख रु०

(ख) मद्रास में एक मितव्ययी होटल का निर्माण करने के लिए एक संयुक्त उद्यम परियोजना तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम और भारत पर्यटन विकास निगम के बीच विचाराधीन है। राज्य सरकार इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि का अभिनिर्धारण करने की प्रक्रिया में है।

भारत-नार्वे व्यापार वार्ता

905. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1986 के पहले सप्ताह में भारत और नार्वे के बीच व्यापार वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के प्रमुख मुद्दे क्या थे, और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कॉफी बोर्ड, बंगलौर पर बकाया बिक्री कर

906. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बोर्ड, बंगलौर ने कर्नाटक सरकार को बकाया बिक्री कर की काफी धनराशि अदा करनी है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि देनी है और यह कितनी अवधि से देय है; और

(ग) काफी बोर्ड द्वारा कर्नाटक सरकार को बकाया बिक्री कर तत्काल अदा करने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जी नहीं। कर्नाटक सरकार को बिक्री कर के लिए कर निर्धारण वर्ष 1981-82 के लिए केवल 9,218.11 रु० की राशि देय है। इसका बोर्ड द्वारा इस कारण से विरोध किया गया है कि बिक्री

कर के लिए कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए काफी बोर्ड द्वारा बेची गई तरल काफी को भी जोड़ लिया गया है । बाद के वर्षों के लिए अब तक कोई कर निर्धारण नहीं हुआ है ।

भ्रष्ट बैंक अधिकारियों को निलंबित करना/सेवा से निकालना

907. **श्री बी०वी० देसाई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कई अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित अथवा नौकरी से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारी निलम्बित किए गए हैं और नौकरी से निकाले गए हैं;

(ग) उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं; और

(घ) बैंकों से भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों में होने वाली धोखाधड़ियों के संबंध में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इनमें अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध दांडिक तथा विभागीय, दोनों तरह की कार्रवाई की जाती है । इन उपायों के परिणामस्वरूप बैंक के कुछ कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया/सेवा-मुक्त कर दिया गया/नौकरी से हटा दिया गया है । अनुशासनिक कार्यवाही अथवा दांडिक कार्यवाही के निष्कर्षों को अन्तिम रूप दिए जाने तक बैंकों ने उपयुक्त मामलों में संबंधित कर्मचारियों को निलम्बित भी कर दिया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वर्ष 1985 में बैंकों से मिली रिपोर्टों पर आधारित उपलब्ध सूचना के अनुसार, 27 बैंक कर्मचारियों को दोषसिद्ध ठहराया गया और 187 बैंक कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया/सेवा-मुक्त कर दिया/हटा दिया गया । इसके अलावा, 200 बैंक कर्मचारियों को बड़े/छोटे दण्ड भी दिए गए ।

(घ) भ्रष्ट तत्वों को बाहर करने के लिए, बैंक संबंधित सेवा विनियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार अपने अधिकारियों के कार्य-निष्पादन की भी समीक्षा करते हैं ।

पंजाब और राजस्थान की सीमा पर तस्करी में वृद्धि

908. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी में हुई वृद्धि से देश को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा पर तैनात बल तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ग) क्या गत वर्ष के 5.5 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष सीमा पर कुल 23 करोड़ रुपए का सामान पकड़ा गया;

(घ) यदि हां, इस प्रकार की तस्करी रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या तस्करी रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी):(क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि भारत-पाकिस्तान की संपूर्ण सीमा तस्करी के लिए सुगम क्षेत्र बना हुआ है ।

(ख) और (ङ) तस्करी आदि की प्रवृतियों की संबंधित केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के पमामर्श से सतत समीक्षा की जाती है ताकि यथा आवश्यक पर्याप्त तथा सर्वोत्तम उपाय किए जा सकें ।

(ग) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से पकड़े गए माल का मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	(मूल्य करोड़ रुपयों में)
1984	5.6
1985	29.65 (सीमा-सुरक्षा बल द्वारा पकड़ी गई 365 किलोग्राम हेरोइन के मूल्य सहित)

(वर्ष 1985 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

(घ) इस क्षेत्र में तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है । सीमा-शुल्क विभाग का निवारक और आसूचना तन्त्र इस क्षेत्र में तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहता है ।

तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय तौर पर तथा न्यायालयों में मुकदमें दायर कर के कठोर कार्रवाई की जाती है । अन्तर्ग्रस्त माल को जब्त करने और व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाए जाने के अलावा, उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबंदी भी की जाती है ।

वर्ष 1986-90 के लिए भारत-सोवियत व्यापार समझौता

909. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने 23 जनवरी, 1986 को वर्ष 1986-90 के लिए एक पांच वर्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 1981-85 के लिए किया गया पांच वर्षीय व्यापार समझौते के दौरान समझौते से अधिक का व्यापार हुआ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1986-90 के लिए किया गया समझौता 1981-85 के समझौते से किस सीमा तक अधिक लाभदायक है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) एक व्यापार करार पर 23 दिसम्बर, 985 को हस्ताक्षर किए गए जिसमें भारत तथा सोवियत तथा सोवियत संघ के बीच 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1990 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए रुपया भुगतान प्रणाली की अमुमति है । इस करार की मुख्य बातें ये हैं कि दोनों देशों के बीच सभी वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक सौदों के संबंध में भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किए जाते हैं और इन रुपयों का उपयोग सोवियत प्राधिकरण द्वारा भारतीय माल की खरीदारी तथा सोवियत संघ को होने वाली निर्यात सम्बन्धी सेवाओं के उपयोग के लिए किया जाता है । व्यापार अब तक की तरह कुछ समय के लिए संतुलित आधार पर किया जाएगा । यदि दोनों में से कोई पक्षकार अन्य पक्षकार को इसमें परिवर्तन करने के लिए अपने आशय की सूचना इस करार की

समाप्ति की तारीख से कम से कम छः महीने पहले दे देता है तो इस करार में एक बार में 5 वर्षों की बाद की अवधि के लिए स्वतः नवीकृत हो जाने की भी व्यवस्था है।

(ग) 1981-85 के लिए कुछ व्यापार की व्यवस्था 1976-80 के कुल व्यापार से 1.5 से दो गुना थी और उसे पूरी तरह पूरा कर दिया गया।

(घ) ऐसा कार्यक्रम है कि 1986-90 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 1981-85 में हुए कुल व्यापार की तुलना में लगभग 1.5 से 2 गुना अधिक रहेगा।

नकद मुआवजा सहायता में वृद्धि की मांग

910. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार से नकद मुआवजा सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद से कहा गया है कि लागत आंकड़ों के आधार पर वह प्रस्तावित वृद्धि का औचित्य सिद्ध करें।

सोवियत रूस और ब्रिटेन को चाय के निर्यात में वृद्धि

911. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाने तथा निर्यात लक्ष्य को समाप्त करने के परिणामस्वरूप वर्ष 1985 के दौरान सोवियत रूस, ब्रिटेन और अन्य देशों को चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) 1985 के लिए चाय विपणन योजना 220 मिलियन कि०ग्रा० जिसमें से जनवरी से जून की अवधि के लिए 80 मिलियन कि०ग्रा० के लक्ष्य की तुलना में पूरे वर्ष के लिए 229 मिलियन किग्रा० के निर्यात लाइसेंस जारी किए गये जिनमें से 78 मिलियन किग्रा० के जनवरी से जून की अवधि से संबंधित थे।

वर्ष के प्रारंभिक भाग में न्यूनतम निर्यात कीमत तथा मात्रा संबंधी निर्यात प्रतिबन्धों की व्यवस्था से मंहगी चायों तथा मूल्य वर्धित चायों के निर्यात को प्रोत्साहन मिला है और गिरते हुए बाजार को देखते हुए ऊंची इकाई मूल्य प्राप्ति को बनाए रखने में मदद मिली है। भारत से चाय के निर्यात से कुल विदेशी मुद्रा आय जनवरी से जून 1985 के दौरान, 1984 की इसी अवधि की तुलना में अधिक थी। वर्ष के दूसरे भाग में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, स्थिर घरेलू कीमतों तथा विदेशों में अधिशेष उपलब्धता को देखते हुए ऐसी पाबंदियां अनावश्यक हो गईं।

सोवियत संघ ने अक्टूबर, 1985 तक लगभग 70 मिलियन किग्रा० चाय खरीदी थी जबकि निर्यात पाबंदियों को पूरी तरह से हटा दिया गया था। बेहतर सप्लाई स्थिति को देखते हुए उनके और आयात करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।

ब्रिटेन आम तौर पर अपनी अधिकांश चाय वर्ष की दूसरी छमाही में खरीदता है। 1984 की तुलना में 1985 के दौरान ब्रिटेन के भारत तथा अन्य देशों से कुल आयात मुख्य रूप से सम्भव्यतया बेहतर स्टाक/सप्लाई स्थिति के कारण कम थे।

विद्यामान बाजार परिस्थितियों से अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से प्रत्येक अवस्था में चाय विपणन नीति में ध्यानपूर्वक सामंजस्य रखा गया था।

भारत-सऊदी अरब संयुक्त आयोग की रियाध में बैठक

912. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जनवरी, 1986 में रियाध में हुई भारत-सऊदी अरब संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो वहां की गई चर्चा के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) भारत-सऊदी संयुक्त आयोग की बैठक इस वर्ष अभी तक नहीं हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में आयातित खाद्य तेल की व्यवस्था करने की सुविधा

913. **श्री चिन्तामणि जेना** :

श्री अमरसिंह राठवा : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेल किस एजेंसी के माध्यम से जनता में वितरित किया जा रहा है;

(ख) वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना खाद्य तेल आवंटित किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामीण जनता को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन करती है। इन तेलों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन लाइसेंसशुदा उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) चालू तेल वर्ष में नवम्बर, 85 से फरवरी, 86 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की गई आयातित तेल की मात्रा के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की जनता आती है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत तेल वर्ष 1985-86 में नवम्बर, 85 से फरवरी, 86 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए आयातित खाद्य तेलों के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नवम्बर, 85 से फरवरी,86 तक आवंटित की गई मात्रा (मी० टनों में)
1.	आंध्र प्रदेश	21,900

1 2	3
2. असम	800
3. बिहार	1,600
4. गुजरात	26,000
5. हरियाणा	1,600
6. हिमाचल प्रदेश	2,820
7. जम्मू और कश्मीर	1,300
8. कर्नाटक	8,500
9. केरल	11,750
10. मध्य प्रदेश	4,700
11. महाराष्ट्र	30,300
12. मणिपुर	1,600
13. मेघालय	1,100
14. नागालैंड	640
15. उड़ीसा	2,800
16. पंजाब	4,000
17. राजस्थान	1,000
18. सिक्किम	600
19. तमिलनाडु	15,300
20. त्रिपुरा	640
21. उत्तर प्रदेश	3,000
22. पश्चिम बंगाल	26,000
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	60
24. अरुणाचल प्रदेश	120
25. चण्डीगढ़	200
26. दादरा व नगर हवेली	140
27. दिल्ली	4,000
28. गोवा, दमण व द्वीव	1,200
29. लक्षद्वीप	60
30. मिजोरम	760
31. पाण्डिचेरी	1,020
योग	1,75,510 मी० टन

(हिन्दी)

बागवानी विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

914. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बागवानी विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से 57 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भेजा गया था; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी विकास परियोजना, जिस पर 57.04 करोड़ रुपए की परियोजना लागत आने का अनुमान है, के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का एक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग में प्राप्त हुआ है ।

(ख) यह प्रस्ताव जनवरी, 1984 में प्राप्त हुआ था ।

(ग) कृषि मंत्रालय, योजना आयोग, गृह मंत्रालय आदि की आवश्यक सहमति प्राप्त करने के पश्चात, मई, 1984 में यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तुत कर दी गई थी ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए गहन हथकरघा विकास परियोजना

915. **श्री हरीश रावत** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए गहन हथकरघा विकास परियोजना का प्रारूप प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब और उक्त परियोजन की रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना को मंजूरी देकर केन्द्रीय सहायता दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इस बारे में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां । उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा कुमाऊं प्रभागों में ऊनी हथकरघों के लिए पर्वतीय क्षेत्र हथकरघा विकास परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भारत सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) वर्तमान परियोजना प्रस्ताव नवम्बर, 1985 में प्राप्त हुआ था और उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण टिप्पणी जनवरी, 1986 में प्राप्त हुई । परियोजना की रूप रेखा संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जनवरी, 1986 में प्राप्त हुए परियोजना प्रस्तावों के अन्तिम ब्यौरे के बाद प्रस्ताव अब सरकार में सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा कुमाऊं प्रभागों में, ऊनी हथकरघों के लिए पर्वतीय क्षेत्र हथकरघा विकास परियोजना की रूपरेखा ।

1. **प्रस्तावों का विवरण :**

(क) प्रस्ताव/योजना का शीर्षक :

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा कुमाऊं प्रभागों में ऊनी हथकरघों के लिए पर्वतीय क्षेत्र हथकरघा विकास परियोजना ।

(ख) प्रस्ताव/योजना के ब्यौरे तथा उसके उद्देश्य :

पर्वतीय क्षेत्रों में हथकरघों के विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा कुमाऊं प्रभागों में ऊनी हथकरघों के लिए पर्वतीय क्षेत्र हथकरघा विकास परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है, जिस परियोजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 1184 ऊनी हथकरघे कवर किए जाएंगे। प्रस्ताव में उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों को साथ ही क्वालिटी बढ़ाने, उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि के अनुसार ऊचित विपणन ढांचे का प्रबन्ध करने की व्यवस्था है ताकि उससे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले हथकरघा बुनकरों की अर्जन क्षमता में वृद्धि हो सके।

2. **प्रस्ताव की वित्तीय विवधाएं :**

5 वर्षों में परियोजना की कुल लागत 798.73 लाख रु० होने का अनुमान है। इस परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत अर्थात 399.365 लाख रु० केन्द्र द्वारा और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना की वर्षवार लागत निम्नोक्त प्रकार है :

	(लाख रु० में)
1985-86	106.50
1986-87	169.95
1987-88	150.82
1988-89	166.66
1989-90	204.80
योग :	798.73

राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में होगी।

उत्तर प्रदेश और बिहार में तीर्थ स्थानों में आवास सुविधायें

916. **श्री हरीश रावत** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रत्येक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान में, जहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक जाते हैं किस हद तक आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या उनका मंत्रालय इन स्थानों के विकास और वहां आवासीय सुविधाएं बढ़ाने की कोई योजना तैयार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती तथा बिहार में राजगीर, पाटलीपुत्र (पटना), बोधगया और वैशाली प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक जाते हैं।

इन केन्द्रों पर तीर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध आवास सुविधाओं की जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) गौतम बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित ऐतिहासिक स्थलों का विकास और

संरक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार के सहयोग से एक मास्टर प्लान तैयार करने का विभाग का प्रस्ताव है।

कुशीनगर, श्रावस्ती, पिपरवा, बोधगया, राजगीर-नालन्दा की मास्टर प्लान नगर व ग्राम आयोजना संगठन के माध्यम से और कुशीनगर-श्रावस्ती की माइक्रो-प्लानें राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के माध्यम से तैयार की जा चुकी हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा बौद्ध केन्द्रों पर प्रारम्भ की गई परियोजनाओं को विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध केन्द्रों पर राज्य/पर्यटन विभाग/भारत पर्यटन विकास निगम की आवास सुविधाएं

सारनाथ	48 बैड
कुशीनगर	22 बैड
श्रावस्ती	लोक निर्माण विभाग निरीक्षण बंगलो
राजगीर	98 बैड
पटना	190 बैड
बोधगया	64 बैड
वैशाली	26 बैड

विवरण-II

उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध केन्द्रों पर केन्द्रीय पर्यटन परियोजनाएं

परियोजना/स्कीम का नाम	रिलीज की गई राशि (लाख रुपयों में)
1. कुशीनगर-श्रावस्ती के लिए मास्टर प्लानें (माइक्रो-प्लानिंग)	4.25
2. कुशीनगर में पर्यटक परिसर	22.17
3. श्रावस्ती में पर्यटक परिसर	22.00
4. बोधगया में पर्यटक परिसर	12.02
5. कैफेटेरिया राजगीर	2.50
6. पटना में यूथ होस्टल	10.00
7. वैशाली में मेले और त्यौहार	0.88
भारत पर्यटन विकास निगम परियोजनाएं :	
(31-3-1985 को पूंजी परिव्यय)	
1. कुशीनगर में यात्री-गृह	3.23
2. होटल पाटलीपुत्र अशोक	44.45
3. पटना में परिवहन एकक	16.71
4. यात्री-गृह, बोधगया	5.48

[अनुवाद]

बैंकों की ब्याज की दरों में कमी करना

917. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग को और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार का विचार बैंकों की ब्याज की दरों में कमी करना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में विभिन्न वाणिज्यिक संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विभिन्न उद्योग संघों से समय-समय पर ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें बैंकों की ब्याज दरों को कम करने का अनुरोध किया गया है ।

सरकार द्वारा ब्याज के ढांचे की लगातार समीक्षा की जाती है और वर्तमान तथा उभर कर आने वाली प्रवृत्तियों के प्रकाश में इस ढांचे में उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं । बैंकों की ब्याज दर मार्च 1981 में 19.5 प्रतिशत की अधिकतम दर से धीरे-धीरे घटा कर अप्रैल 1985 में 17.5 प्रतिशत के स्तर पर ले आई गई है ।

ब्याज दरों का ढांचा कई बातों को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है, जिनमें समग्र नकदी और मुद्रा प्रसार की गति, बैंकिंग प्रणाली की धनराशियों की लागत, अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्यकता, अर्थव्यवस्था और उसके उन क्षेत्रों का समग्र विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजना में निर्धारित सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं शामिल हैं ।

दिल्ली में विश्व बैंक ऋण संबंधी कार्यशाला

918. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जनवरी, 1986 या उसके आसप.स नई दिल्ली में इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए विश्व बैंक ऋण संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला किन किन प्रमुख निष्कर्षों पर पहुंची और उसमें क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जी हां । इंजीनियरी निर्यातों के लिए विश्व बैंक ऋण सम्बन्धी एक कार्यशाला 10 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में हुई थी । कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उद्योग को 250 मिलियन अमरीकी डालर के विश्व बैंक ऋण तथा उसके संघटकों के बारे में परामर्श देना था जो भारत सरकार द्वारा लिया गया है । कार्यशाला में ऋण संघटकों के ब्यौरों, ऋण प्रबन्ध के तरीकों तथा इस ऋण को उद्योग द्वारा उपयोग किये जाने के तरीकों पर विचार-विमर्श हुआ ।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की समिति

919. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश के संबंध में आने वाली

प्रक्रियात्मक कठिनाइयों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें पोर्टफोलियों निवेश के लिए तीन वर्ष की वर्तमान सीमा से ज्यादा लम्बे अर्से तक के लिए सामान्य अनुमति दिए जाने, एन. आर. ई. खातों में जमा से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को सरल बनाये जाने, स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा की पात्रता की योजना के अन्तर्गत स्वदेश लौटने वाले भारतीयों द्वारा अपने साथ लाई जाने वाली विदेशी मुद्रा की पात्रता प्राप्त 25 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाए जाने, जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम की रकम को विदेश भेजने की सामान्य छूट दिए जाने संबंधी हैं ।

(ग) इन सिफारिशों पर अन्य सम्बद्ध विभागों/मंत्रालयों के साथ परामर्श करते हुए विचार किया गया है और आवश्यक कार्यवाई की गई है ।

आयात का समन्वय करने वाली केन्द्रीय (नोडल एजेंसी)

920. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परस्पर व्यापार से ईष्टतम लाभ उठाने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले आयात को समन्वित करने के लिए राज्य व्यापार संगठन के अन्तर्गत एक नोडल एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

व्यापारिक गृहों, व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवारों पर आयकर और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया राशि

921. **श्री बी० एल० शंलेश** :

डा० सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1फरवरी, 1986 तक किन-किन व्यापारिक गृहों, व्यक्तियों, हिन्दू अविभक्त परिवारों और अन्यों पर एक करोड़ रु० और उससे अधिक की आयकर की राशि बकाया है;

(ख) 1 फरवरी, 1986 तक किन-किन व्यापारिक गृहों पर एक करोड़ रुपए और उससे अधिक का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि बकाया पड़ी है; और

(ग) न्यायालयों में राशियों के दावों के मामले में लम्बे चलने वाले मुकदमों को कम समय में निपटाने हेतु और इन भारी बकाया राशियों को वसूल करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

रुग्ण कपड़ा मिलें

922. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भविष्य में रुग्ण कपड़ा मिलों का प्रबन्ध ग्रहण न करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसी मिलों और उनमें कार्यरत श्रमिकों के हितों की किस प्रकार रक्षा करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विधान अधिनियमित करने का है जिससे कि ये मिलें रुग्ण न हों;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) वस्त्र नीति के अन्तर्गत जहां पर किसी एकक की यथाचित समय अवधि में भी अर्थक्षम बनने की कोई उम्मीद न हो, वहां पर उस एकक को बंद करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होगा बशर्ते कि कामगारों के हित सुरक्षित रहें। सरकार द्वारा ऐसे एकक को अधिग्रहण करने अथवा उसका राष्ट्रीयकरण करने से रुग्णता की यह समस्या हल नहीं होती है और सरकार ऐसे मामलों में नियमानुसार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस नीति में उन कामगारों के हित की सुरक्षा करने के लिए राहत देने हेतु पुनर्वास कोष्ट के सृजन की भी व्यवस्था है जो एककों क स्थायीरूप से बंद होने से विस्थापित हो सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) उन रुग्ण एककों के सम्बन्ध में, जो सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम पाए जाते है, पुनर्वास सुविधाओं को विकसित करने तथा उनका प्रबन्ध करने के लिए नई वस्त्र नीति में यथा व्यवस्थित नोडीय अभिकरण की स्थापना की जा चुकी है।

[अनुवाद]

भुगतान-शेष की स्थिति

923. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री सी० पी० ठाकुर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश की भुगतान-शेष की स्थिति बिगड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, भुगतान शेष की स्थिति कुछ कमजोर हुई है जैसा कि समग्र विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में होने वाली घटबढ़ से प्रकट होता है, जिस में चालू वित्तीय वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान 324 करोड़ रुपए की कमी हुई।

(ग) महत्वपूर्ण थोक मदों, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादों, चीनी और खाद्य तेलों के आयात

की आवश्यकता में कमी करने के लिए उपाय किये गये हैं। मुगतान शेष की इस दृष्टि से लगातार समीक्षा की जाती है कि इसकी सक्षमता को बनाये रखा जाए।

सूती धागे का निर्यात

924. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने मूल्य के सूती धागों का निर्यात किया गया और वर्ष 1985-86 के दौरान कितने मूल्य के धागे का निर्यात किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में अपनी नयी सूती धागा निर्यात नीति घोषित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात बढ़ाने के संबंध में यह नीति कहां तक सहायक होगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित सूती यार्न का मूल्य और 1985-86 दौरान होने वाले निर्यातों का मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां। सरकार ने 3 वर्षों अर्थात 1986, 1987 और 1988 की अवधि के लिए सूती यार्न की निर्यात सीमाएं घोषित कर दी हैं। वार्षिक सीमाएं निम्नोक्त प्रकार होंगी :—

काउन्ट समूह	मात्रा
1 से 40 काउन्ट	20 मि. कि. ग्रा.
41 से 60 काउन्ट	20 मि. कि. ग्रा.
61 और अधिक	कोई सीमा नहीं

यार्न निर्यात नीति भारत से सप्लाइयों की विश्वनीयता सुनिश्चित करते हुए यार्न निर्यात व्यापार में स्थिरता लाएगी।

विवरण

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1982-83	18.32
1983-84	22.65
1984-85	36.42
1985-86 (अनुमानित)	46.78

(स्रोत : सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद)

[हिन्दी]

दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायतें

925. **श्री बनवारी लाल बैरवा :**

श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 के दौरान पालम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क कर्मचारियों/अधि-

कारियों द्वारा यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों को सीमा शुल्क निकासी के लिए पांच घंटे तक रोका जाता है और सीमा शुल्क कर्मचारी सीमा शुल्क निकासी की अनुमति देने में अनुचित तरीके अपनाते हैं;

(ग) क्या सरकार को उड़ान संख्या ए०आई० 315 के कुछ यात्रियों से, जो 12 जनवरी, 1986 को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे थे, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध जनवरी, 1986 में शिकायतें यात्रियों से दस शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायत की मुख्य बातें माल के संबंध में अधिक मूल्यांकन शुल्क का अधिक निर्धारण, निकासी में देरी, परेशान किया जाना, आवश्यक न होने पर भी माल का अभिग्रहण/रोका जाना और गैर कानूनी परितोषण की मांग करना थी, इन शिकायतों की जांच की गई है और सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही की गई है।

(ख) जी, नहीं।

कभी-कभी, उन यात्रियों की निकासी में देरी हो जाती है जिन यात्रियों से तस्करी का माल बरामद किया जाता है अथवा जिन यात्रियों ने अनुमत्य मात्रा से अधिक माल आयात किया होता है। ऐसी देरी उन यात्रियों के मामले में भी हो सकती है जो अपने असबाब पर निर्धारित शुल्क तुरन्त अदा नहीं कर सकते हैं।

(ग) और (घ) श्री आर० पी० मोरध्वज, नामक एक यात्री से, दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको परेशान किए जाने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आवेदनकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि उसके असबाब में से सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसका कुछ सामान निकाल लिया था। शिकायत की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि जिस माल के सिलसिले में यह आरोप लगाया गया था कि वह सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निकाल लिया गया है वह माल वास्तव में यात्री के पास शुल्क अदा करने के लिए जो निर्धारित किया गया था, पर्याप्त धन नहीं होने के कारण एक उचित अवरोध-रसीद जारी करके रोक लिया गया था। बाद में यात्री हवाई अड्डे पर आया था और उसने शुल्क अदा करने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की और माल का पुनः निर्यात करने हेतु अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया। पुनः निर्यात किए जाने की अनुमति दे दी गई है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क की वसूली के लिये विदेशी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण

926. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा विदेशी वस्तुओं पर सीमा शुल्क वसूल करने के लिए उनका मूल्य निर्धारण करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या ये मानदण्ड सभी मामलों में लागू किए जाते हैं अथवा इसमें कुछ अपवाद भी

रहता है और यदि हां, तो मानदण्ड क्या हैं और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किस सीमा तक स्वनिर्णय का पालन किया जा सकता है; और

(ग) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वनिर्णय का पालन करने के बारे में कोई दिशा निर्देश है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शुल्क लगाने के प्रयोजनों के लिए असबाब की वस्तुओं का मूल्यांकन, विदेशों में भारतीय मिशनों से प्राप्त प्रचलित मूल्यों के बारे में सूचना के और अन्तर्राष्ट्रीय सूचीपत्रों में प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा संकलित मूल्य सूची के अनुसार किया जाता है। मूल्यांकन में सामान्य एकरूपता रखने के लिए इन सूचियों को, भारत में स्थित समस्त अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में प्रचालित किया जाता है।

(ख) और (ग) उन मामलों में गुणदोष के आधार पर ही मूल्यह्रास की अनुमति दी जाती है जिन मामलों में वस्तुओं के इस्तेमाल किए हुए अथवा क्षतिग्रस्त हुए होने का दावा किया जाता है और दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने, माल आदि के वास्तविक निरीक्षण करने के आधार पर इस्तेमाल के दावे के बारे में अधिकारी का समाधान हो जाता है। जब कभी सामान्य मूल्य सूची से अलग मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो जाता है तो इस बारे में, ड्यूटी पर तैनात पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

[अनुवाद]

"फेरा" कम्पनियों द्वारा वापिस की गई धन राशि

927. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि "फेरा" कम्पनियों द्वारा गत प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष (एक) लाभांश (दो) टैक्नोलोजी पर रायल्टी (तीन) परामर्श के लिए शुल्क आदि (चार) ब्रांड नामों और ट्रेड मार्कों के उपभोग के लिए यदि कोई शुल्क हो तो (पांच) विदेशों से खरीदे गए उपकरणों संघटकों, कच्चा माल, पूंजीगत माल, फालतू हिस्से पुर्जे आदि (छः) उनके द्वारा विदेशी मुद्रा में की गई कोई अन्य अदायगी और (सात) इन कम्पनियों द्वारा अर्जित कितनी विदेशी मुद्रा वापिस की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और जितनी सूचना उपलब्ध होगी वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वन्य जीव-जन्तु पर्यटन का संवर्धन

928. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य जीव-जन्तु पर्यटन के संवर्धन के लिए काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में अर्थात 1986-87 में वन्य जीव-जन्तु पर्यटन के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ग) इसके लिए क्या योजना तैयार की है; और

(घ) ओडिसा में वन्य जीव-जन्तु पर्यटन के संवर्धन के लिए क्या विशेष कदम उठाये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में वन्य जीव पर्यटन का विकास करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 560 लाख रुपये का एक प्रावधान किया गया है, जिसमें 1986-87 के लिए 65.00 लाख रुपये सम्मिलित हैं। वन्य जीव दृश्यावलोकन के लिए आवास और परिवहन की सुविधाएं विकसित की जानी हैं। ऐसी सुविधाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उनमें से कुछ वन्य जीव बिहार स्थलों, यथा बेतला, रणथम्बोर, नन्दनकानन, सिमलीपाल, इंजाल, बांधवगढ़, मानास, कारबेट, मुधुमालाई, दुधवा आदि के लिए स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार का वन्य जीव पर्यटन के संवर्धन हेतु उपायों, परामर्श देने के लिए वन्य जीव पर्यटन विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

(घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने, राज्य सरकार के साथ सहयोग करते हुए नन्दनकानन स्थित एक लाइन सफारी पार्क के विकास हेतु परियोजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना के लिए जिसका निर्माण पूरा होने को है, 21.30 लाख रुपयों की कुल अनुमानित लागत में से 19.23 लाख रुपयों की एक राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है। विभाग ने, सिमलीपाल में एक वन गृह के निर्माण के लिए भी 36.76 लाख रुपयों की एक राशि स्वीकृत की है। कार्य प्रगति पर है और इस उद्देश्य के लिए 20.80 लाख रुपयों की एक राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने सिमलीपाल स्थित वन्य जीव दृश्यावलोकन के लिए मिनी बसों और हाथियों की खरीद के लिए 4.04 लाख रुपयों की एक राशि भी स्वीकृत की है।

केन्द्र और राज्यों की परियोजनाओं का विश्व बैंक द्वारा मंजूर किया जाना

929. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान कोई परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र का तत्संबंधी पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई कोई परियोजनाएं विश्व बैंक के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके अभी तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्यों और केन्द्रीय क्षेत्रों की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य (राज्यों) का नाम	राशि लाख अमेरिकी डालरों में		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
			अ०पु०और वि० बैंक	अ०वि० संघ	

1	2	3	4	5	6
राज्य क्षेत्र					
1983-84	1. हिमालय जल विभाजक और प्रबंध	उत्तर प्रदेश	—	462	
	2. कर्नाटक सामाजिक वन-पालन	कर्नाटक	—	270	
	3. महाराष्ट्र जल उपयोगिता	महाराष्ट्र	227	320	
	4. उड़ीसा सिंचाई-II	उड़ीसा	—	1050	
	5. ऊपरी इन्द्रावती पनबिजली	उड़ीसा	1564	1700	
	6. तृतीय कलकत्ता नगर विकास	पश्चिम बंगाल	—	1470	
	7. मध्य प्रदेश नगर विकास	मध्य प्रदेश	241	—	
1984-85	1. राष्ट्रीय कृषि विस्तार-I	मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान	—	391	
	2. केरल सामाजिक वनपालन	केरल	—	318	
	3. पेरियार बेईगई सिंचाई-II	तमिलनाडु	—	350	
	4. ऊपरी गंगा आधुनिकीकरण सिंचाई	उत्तर प्रदेश	—	250	
	5. इन्द्रा सरोवर पन बिजली	मध्य प्रदेश	1574	124(एस.डी.आर.) 1220(एस.डी.आर.) एस.एफ.	
	6. तमिलनाडु जल आपूर्ति और सफाई	तमिलनाडु	—	730	
	7. बंबई नगर विकास	महाराष्ट्र	—	1380	
	8. गुजरात मध्यम सिंचाई	गुजरात	—	1720	
1985-86	1. राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	गुजरात हरियाणा कर्नाटक	—	490	

1	2	3	4	5	6
	2. राष्ट्रीय सामाजिक वन-पालन	उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश गुजरात राजस्थान	—	1650	
	3. महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई-III	महाराष्ट्र	—	1600	
	4. पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई	पश्चिम बंगाल	—	990	
	5. नर्मदा नदी विकास (गुजरात) सरदार सरोवर बांध और बिजली	गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र	— 2000	1000	
	6. नर्मदा नदी विकास (गुजरात) जल वितरण और मल निकासी	—तदेव—	—	1500	
	7. चन्द्रपुर तापीय बिजली	महाराष्ट्र	3000	—	
	8. केरल बिजली	केरल	1760	—	
	9. केरल जल-आपूर्ति और सफाई	केरल	—	410	
II केन्द्रीय क्षेत्र					
1983-84	1. केन्द्रीय विद्युत पारेषण		2507	—	
	2. तृतीय जनसंख्या	कर्नाटक और केरल	—	700	
1984-85	1. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम-III		2200	—	
	2. कोम्बे बेसिन पेट्रोलियम		2425	—	
	3. द्वितीय फरक्का पेट्रोलियम		3008	—	
	4. मध्य प्रदेश उर्वरक		2036	—	
	5. रेलवे विद्युतीकरण और कार्यशाला आधुनिकीकरण		2807	—	
	6. न्हावासिवा पत्तन		2500	—	
	7. दुधिचुआ कोयला		1510	—	
1985-86	1. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान-II		—	721	
	2. रिहन्द विद्युत पारेषण		2500	—	

1	2	3	4	5	6
	3. चतुर्थ जनसंख्या	पश्चिम बंगाल (केन्द्र द्वारा प्रायोजित)	—	510	
	4. झरिया कोकिंग कोयला		2480	—	
	5. महाराष्ट्र पेट्रो-केमिकल्स		3000	—	
	6. राष्ट्रीय राजमार्ग		2000	—	
	7. औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरी उत्पाद)		2500	—	

कोचीन में भारतीय जीवन बीमा निगम के गोदामों में रखे गये चावल को हुई क्षति

930. **श्री के०वी० थामस** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में भारतीय जीवन बीमा निगम के गोदामों में रखे गये चावल की क्षति हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में चावल की क्षति हुई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी क्षति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) (क) भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के कोचीन में स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के गोदामों में चावल का कोई स्टाक नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

ऊनी वस्त्रों का निर्यात

931. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊनी वस्त्रों और कम्बलों का निर्यात लगभग 30 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है;

(ग) किन राज्यों से विशेषकर आन्ध्र प्रदेश से कितने ऊनी वस्त्रों और अन्य ऊनी माल का निर्यात किया जायेगा;

(घ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें ऊनी माल का निर्यात किये जाने की संभावना है; और

(ङ) विभिन्न देशों को वर्षवार और देशवार अलग-अलग अनुमानत: कितना ऊनी माल निर्यात किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊनी उत्पादकों के कुल निर्यात 15% वार्षिक विकास होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) 1985-86 के दौरान प्रत्याशित निर्यात 90 करोड़ रु० के हैं । निर्यातों की 15% वार्षिक वृद्धि का अनुमान है ।

(ग) वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार, ऊनी उत्पादों के निर्यात मुख्यतः पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश से होते हैं।

(घ) वे देश हैं, सोवियत रूस, सं० रा० अमरीका, कनाडा, इथोपिया, मध्यपूर्वी देश तथा ब्रिटेन।

(ङ) निर्यात का प्रत्येक वर्ष के लिए देश-वार/उत्पादन-वार निष्पादन कई संघटकों पर निर्भर करता है। 1985-86 के आंकड़ों के आधार पर कुल निर्यातों के 15% वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

आय छुपाने के लिए लोगों पर मुकदमें चलाना

932. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आय छुपाने के लिए विभिन्न न्यायालयों में कितने लोगों पर मुकदमें चलाए गये; और

(ख) न्यायालयों के आदेशों के अन्तर्गत कितने मामलों में सम्पत्ति कुर्क की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान आय छिपाने के लिए 962 मामलों में मुकदमें चलाए गए हैं।

(ख) आयकर अधिनियम में ऐसा कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है जिससे न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत सम्पत्ति की कुर्की की जा सके।

गेहूं के लाने, ले जाने और भंडारण में नुकसान

933: **श्री मूलचन्द डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारी मात्रा में फालतू गेहूं के भंडारण से होने वाली समस्याओं को किस प्रकार निपटाया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि (एक) फालतू गेहूं को लाने, ले जाने पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए (दो) 1 अक्तूबर, 1985 को भारतीय खाद्य निगम 24.10 लाख मीटरिक टन खाद्यान्न खुले में रख रहा था, (तीन) गेहूं के लाने, ले जाने तथा भंडारण में भारी नुकसान हुआ था;

(ग) यदि हां, तो उसके लिए समय रहते उचित प्रबंध न किए जाने के क्या कारण हैं और क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी निश्चित की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि भारत गेहूं का निर्यात करने में असफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सरकार ने गेहूं की खपत को बढ़ाने और अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए कई एक पग उठाए हैं।

(ख) (i) जी, नहीं।

(ii) 24.1 लाख मीटरी टन स्टाक कवर और प्लिंथ (कैप) भंडारण में रखा गया है।

(iii) 1984-85 के दौरान, खाद्यान्नों की मार्गस्थ और भंडारण हानियां इनकी कुल खरीद और बिक्री का 1.94 प्रतिशत थीं ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं । गेहूं की कुछ मात्रा निर्यात की गई है ।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीकी व्यापारियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश

934. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी व्यापारी पूंजी निवेश करने के लिए चीन की तुलना में भारत को बेहतर समझते हैं;

(ख) यदि हां, तो पूंजी लगाने में रुचि लिए जाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या भारत द्वारा अपने उत्पादों का अच्छा प्रचार किए जाने के कारण अथवा केन्द्रीय सरकार की उदार नीतियों ने अमरीका के लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न की है और उन्हें अधिक उद्यम प्रिय बना दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) निवेश करने संबंधी निर्णय निवेशकों द्वारा निवेश संबंधी अपनी ही कसौटियों और अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर स्वयं लिए जाते हैं । हमारी विदेशी निवेश संबंधी नीति चयनात्मकता के आधार पर जारी रखी गई है । उच्च प्रौद्योगिकी तथा निर्यातोन्मुखी क्षेत्रों में ही विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है । इस नीति को 1983 के प्रौद्योगिकी नीति संबंधी वक्तव्य में भी दोहराया गया है । अमरीकी स्रोतों सहित विदेशी निजी निवेश का इस नीति के दायरे में स्वागत है ।

पिछले 4 वर्षों में अमरीकी कम्पनियों से विदेशी सहयोग के लिए दिए गये अनुमोदनों की संख्या इस प्रकार है :—

अनुमोदित सहयोगों की संख्या

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ			सभी देश (संयुक्त राज्य अमेरिका सहित)	
वर्ष	जोड़	वित्तीय	जोड़	वित्तीय
1982	110	24	590	113
1983	135	32	673	129
1984	140	37	752	151
1985	197	66	1024	238

यात्री सामान छूट में वृद्धि करने का प्रस्ताव

935. **श्री टी० बशीर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों के यात्री सामान छूट में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए, इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विदेशों में कार्य कर रहे और कार्य की समाप्ति के पश्चात् लौटने पर भारतीयों को 5000 रु० के मूल्य तक के इस्तेमाल शुदा घरेलू सामान को निःशुल्क लाने के लिए पहले से ही अनुमति है। यह 1250 रु० की उस छूट के अतिरिक्त है जो पर्यटकों के अलावा, भारत में आने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के लिए अनुमत्य है। विदेशों में कार्य कर रहे और विदेशों में कम-से-कम दो वर्ष रहने के पश्चात वापस आने वाले भारतीयों को आवास स्थानांतरण के तहत तथा संगत नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन इस्तेमाल शुद्ध घरेलू सामान को निःशुल्क आयात करने की अनुमति है। फिलहाल इन छूटों को पर्याप्त समझा जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भंडारण स्थान की व्यवस्था करने हेतु वित्तीय सहायता

936. **श्री टी० बशीर :**

श्री के० कुन्जम्बु :

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भंडारण स्थान इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें वित्तीय सहायता देने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार ढांचे संबंधी सुविधाओं को विकसित करने के लिए इन राज्यों के राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, यदि कोई हों, को अंशपूंजी अंशदान के रूप में और गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना मौजूद है। यह योजना अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू नहीं है। साथ ही अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गोदामों आदि का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के तहत वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) केरल राज्य सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु भंडारण सुविधाओं की स्थापना आदि के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों को परेशान किया जाना

937. **श्री टी० बशीर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विदेशों में कार्यरत भारतीयों से सीमा-शुल्क अधिकारियों के बारे में अनेक शिकायतें हैं कि सीमा-शुल्क अधिकारी भारतीय यात्रियों को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने यात्रियों को इस प्रकार अनावश्यक रूप से परेशान किए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निकासी में देरी होने अथवा असबाब के रूप में लाए गए माल पर शुल्क की रकम लगाए जाने के संबंध में यात्रियों से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही के लिए ऐसी शिकायतों पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा शीघ्र जांच की जाती है।

वर्ष 1983 से, सरकार ने असबाब में रखी वस्तुओं और मूल्य के संबंध में यात्रियों द्वारा की गई घोषणा पर आधारित, यात्रियों की निकासी की पत्रपद्धति लागू की है। संदेह के मामलों में ही केवल असबाब की जांच की जाती है। अधिकांश यात्रियों की ग्रीन चैनेल के माध्यम से निकासी की जाती है। निकासी की प्रणाली में, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पर्याप्त और सूक्ष्म निरीक्षण की व्यवस्था है ताकि परेशानी से संबंधित शिकायतों के मामलों को कम किया जा सके। यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसलिए असबाब की कोई जांच भी ऐसे अधिकारियों की देख-रेख में की जाती है।

खाद्य तेलों का उत्पादन और आवश्यकता

938. **श्री हुसैन दलवाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में खाद्य तेलों का प्रतिवर्ष कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) भारत में खाद्य तेलों की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा खाद्य तेल की कमी किस प्रकार पूरी की जाती है; और

(घ) भारत को खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) तेल वर्ष नवम्बर, 1984 से अक्तूबर, 1985 के दौरान खाद्य तेलों का 36.68 लाख मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 7वीं योजना के लिए खाद्य तेलों संबंधी उप-दल ने वर्ष 1985-86 में खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति वार्षिक मांग लगभग 6.80 कि. ग्रा. होने का अनुमान लगाया है।

(ग) अल्पकालिक उपाय के रूप में, देशीय खाद्य तेलों की मांग तथा उपलब्धता के बीच के अन्तर की पूर्ति आयात करके की जाती है।

(घ) तिलहनों और तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं/कर रही है, जो निम्नलिखित हैं :—

(1) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना, जिसमें अन्य तिलहनों के बारे में सघन विकास कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी के संबंध में विशेष परियोजना चलाना शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, गैर-पारम्परिक तिलहनों का विकास करना, सिंचित फसलों, विशेषकर रबी/गर्मी के मौसम में मूंगफली के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाना, मूल निवेश उपलब्ध कराना और बड़े पैमाने पर बीज एवं उर्वरक मिनी-किटों का निःशुल्क वितरण करना है।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना इस परियोजना के अन्तर्गत खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन ढांचे को नया रूप देने तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन के लिए सात राज्यों में राज्य स्तरीय सहकारी तिलहन उत्पादक संघ गठित किए गए हैं।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फलसों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा वृक्ष और वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन और आधार-ढांचे संबंधी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करना।

भ्रष्टाचार के कारण बैंक अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करना

939. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार के कारण बैंक-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों के कितने अधिकारियों की सेवायें समाप्त की गई हैं; और

(ख) इस प्रकार के अधिकारियों के विरुद्ध कितने अपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं; और कितने मामलों में जांच कार्य लम्बित है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार धोखाधड़ियों के मामलों के सम्बन्ध में वर्ष 1985 में 27 बैंक अधिकारी सिद्धदोष ठहराए गए और 187 बैंक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया/सेवा मुक्त किया गया/नौकरी से हटाया गया। बैंक धोखाधड़ियों के मामलों के सम्बन्ध में वर्ष 1985 के अन्त में, 186 बैंक अधिकारियों के खिलाफ दाण्डिक कार्यवाही और 446 बैंक अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लम्बित थी।

कॉफी के न्यूनतम निकासी मूल्य में वृद्धि की मांग

940. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कॉफी उत्पादकों द्वारा कॉफी के न्यूनतम निकासी मूल्य में वृद्धि करने की मांग को लेकर बंगलौर में कॉफी के कार्यालय के सामने किए गए आन्दोलन को देखते हुए कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या सरकार इस वर्ष कॉफी के लिए नये अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने में सफल हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) कॉफी की न्यूनतम रिलीज कीमत में परिवर्तन का घरेलू कीमतों पर प्रभाव पड़ता है और संशोधन लागत अध्ययन के आधार पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद किया जाता है। न्यूनतम रिलीज कीमत को अद्यतन करने के लिए अभ्यावेदनों के प्राप्त होने से काफी समय पहले जनवरी, 1985 में लागत अध्ययन का आदेश दिया गया था। लागत आंकड़े देने में उपजकर्ताओं की धीमी प्रतिक्रिया के कारण कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। तथापि, लागत अध्ययन को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कॉफी बोर्ड सोवियत संघ के अलावा गैर-कोटा बाजारों को निर्यातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि करके बाजारों का विविधीकरण करने में सफल रहा है। यहां तक कि हम विगत में महत्वपूर्ण कोटा बाजारों को कॉफी का निर्यात करते रहे हैं।

भारत की आयात नीति पर कच्चे तेल के मूल्य में हुई गिरावट का प्रभाव

941. **श्री एन० बेंकट रत्नम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारी आयात नीति तथा भारत पर 3,000 करोड़ रुपए के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण पर कच्चे तेल के मूल्य में हुई गिरावट का नया प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई कमी होने से हमारे आयात बिल के कुल परिमाण में कुछ सीमा तक कमी करने में सहायता मिलेगी। यदि अन्य बातों में परिवर्तन न हुआ तो इस कमी से हमारे व्यापार और चालू खाते के घाटों में कुछ कमी आ सकती है, इसका अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भारत के पुनः खरीद संबंधी दायित्वों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खाद्य अपमिश्रण निवारण तथा माप तोल के संबंध में उपभोक्ता सुरक्षा

942. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्ज्यूमर्स गाइडेन्स सोसाइटी आफ इंडिया ने हाल ही में 20-21 जनवरी, 1986 को दिल्ली में हुए उपभोक्ता सुरक्षा विचार-गोष्ठी में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा माप-तोल के सम्बन्ध में उपभोक्ता सुरक्षा के सम्बन्ध में सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त सोसायटी ने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की सहायता करने हेतु कुछ शक्तियों को स्वयंसेवी संगठनों को प्रत्यायोजित करने का भी सुझाव दिया है;

(घ) क्या यह सच है कि अमरीका में सरकार ने खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए संघीय कानूनों के अन्तर्गत अनेक गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की देश में भी विशेषकर सरकारी प्रयोगशालाओं में सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही करने की योजना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ग) जी हां।

(ख) हाल ही में 20-21 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में उपभोक्ता संरक्षण के बारे

में आयोजित सेमिनार में कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी आफ इंडिया ने अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया कि जहां कहीं भी सरकारी निरीक्षण में और सतर्कता संगठनों को अपना कार्य पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो, सरकार को मान्य उपभोक्ता-प्रतिनिधियों की सेवाओं का उपयोग करने में झिझकना नहीं चाहिए और इसके लिए उन्हें उपयुक्त अधिकार तथा प्रवेश करने की शक्ति, विशेष रूप से उचित दर दुकानों, मिलावट का पता लगाने, बाट तथा मापों की जांच करने आदि के बारे में, दी जानी चाहिए।

(घ) 1981 में यथासंशोधित फेडरल फूड, ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट के उपबंधों के अनुसार सचिव, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पूछ-ताछ एवं जांच-पडताल करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। वह यह कार्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से, अथवा किसी स्वास्थ्य खाद्य अथवा औषध अधिकारी या किसी राज्य, क्षेत्र अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग के कर्मचारी, जिसे सचिव द्वारा विभाग के एक अधिकारी के रूप में यथाविधि अधिकृत किया गया हो, कर सकता है।

(ङ) चार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं के अलावा देश में पहले से ही राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों (गैर-सरकारी) द्वारा 72 खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के तहत खाद्य नमूनों का विश्लेषण कार्य कर रही हैं।

विकलांगों के लिए विशेष कार

94 . **डा० टी० कल्पना देवी : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांगों के लिए विशेष कारों के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है; जिसकी बचत की जा सकती है; और

(ख) क्या इसके बजाय सरकार का विचार विकलांगों के लिए मारुति, फिएट, जैसी विशेष कारों का विशेष कोटा आबंटित करने और इनमें आवश्यक परिवर्तन करके उत्पाद शुल्क और बिक्री कर लिए बिना उन्हें विकलांग व्यक्तियों को बेचने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। आयात तथा निर्यात नीति, 1985-88 के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को राज्य के सिविल सर्जन अथवा सरकारी अस्पताल में संबंधित विंग के प्रधान द्वारा विधिवत प्रमाणित विशिष्ट अशक्तता के मामलों में ही निर्धारित शर्तों के अधीन कार के आयात की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त, उसमें लगे अशक्तता नियंत्रण के सहित उस कार का लागत भाड़ा मूल्य 65,000/-रु० से अधिक नहीं होना चाहिए जिसके आयात किए जाने की मंशा है।

(ख) स्वचालित ट्रान्समिसन तथा कुछेक नियंत्रण संयोजनों का आयात करके मारुति कार को अशक्तता कार में बदलने के बारे में उद्योग मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेजा गया है तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा केवल विशिष्ट उपकरणों पर शून्य आयात शुल्क की सिफारिश की गई है। इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विकलांगों के लिए कार पर उत्पादन शुल्क तथा विक्रय कर की कोई रियायत की सिफारिश नहीं की गई है।

महाराष्ट्र में शीरे की बिक्री से बेहिसाब धन कमाना

944. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि अकेले महाराष्ट्र में ही शीरे की बिक्री से लगभग 3,120 करोड़ रुपए का बेहिसाब धन कमाया गया है;

(ख) क्या इस प्रकार के सर्वेक्षण अन्य राज्यों में भी किए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

बिहार में वाणिज्यिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात की निराशाजनक स्थिति

945. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 31 जनवरी, 1985 को बिहार के दौरे के दौरान बिहार स्थित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण-जमा अनुमात की निराशाजनक स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार स्थित बैंकों, विशेषरूप से वाणिज्यिक बैंकों, के "वसूली अनुपात" की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है जिसके कारण बैंकों के लेन-देन पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके कार्य चालन में आवश्यक सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में दिनांक पहली फरवरी, 1986 को पटना में हुई राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में, ऋण-जमा अनुपात में सुधार करने के उपाय करने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य के अनुपात को यथासमय राष्ट्रीय स्तर तक लाया जा सके । इस सम्बन्ध में प्रगति पर नजर रखने के लिए सरकार के सचिवों और बैंकरों की एक समिति गठित की गई है ।

(ख) दिनांक 12/13 अप्रैल, 1985 को हुई राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह बताया गया था कि बिहार में वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में मांग की तुलना में अतिदेय रकमों की प्रतिशतता 46.8 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत की तुलना में 61.1 है । अतिदेय रकमों की वसूली में बैंकों की मदद करने के लिए राज्य सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया है ।

[अनुवाद]

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से आयात की गई वस्तुएं

946. **श्री डी०एन० रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से किस प्रकार की वस्तुएं (उपभोक्ता वस्तुएं/पूंजीगत वस्तुएं) आयात की गई हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) विभिन्न मदों के आयात का देश-वार ब्यौरा "मन्थली स्टेटेटिक्स ऑफ दि फारेन ट्रेड आफ इण्डिया वाल्यूम-II

इम्पोर्टस" नामक प्रकाशन में प्रकाशित किया जाता है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। प्रकाशित आंकड़े 198:-82 तक उपलब्ध हैं।

इन्जीनियरी सामान का निर्यात

947. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने इन्जीनियरी सामान का निर्यात किया गया; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन्जीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान इन्जीनियरिंग माल के निर्यात निम्नोक्त प्रकार थे :

वर्ष	निर्यात*
	(करोड़ रु० में)
1982-83	1250.00
1983-84	1170.00
1984-85	1300.00

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन्जीनियरिंग माल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं :—

(I) घरेलू उद्योग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के उद्देश्य से औद्योगिक लाइसेंसिंग नीतियों का उदारीकरण तथा नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत;

(II) नकद मुआवजा सहायता को 31.3.86 से आगे बढ़ाना जिससे घरेलू करों के प्रपाती प्रभाव के लिए उद्योग को मुआवजा दिया जा सके;

(III) अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पूर्ति योजना में अलौह तथा इस्पात की अन्य किस्मों को शामिल करना ताकि निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर इस्पात का माल प्रदान किया जा सके;

(VI) निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त आयातों को प्रवेश सुलभता प्रदान कराने के उद्देश्य से विनिर्माता-निर्यातकों के लिए 1.1.86 से आयात निर्यात पासबुक योजना की शुरुआत की गई है।

देश में पांच सितारे होटल

948. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने पांच सितारा होटलों का निर्माण किया गया;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने पांच सितारा होटलों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) पांच सितारा होटल खोलने के मानदंड क्या हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान देश में पब्लिक सेक्टर के अन्तर्गत निर्मित किए गए पाँच तारा होटलों की संख्या निम्न प्रकार से है ।

पहली पंचवर्षीय योजना	—	शून्य
दूसरी पंचवर्षीय योजना	—	1
तीसरी पंचवर्षीय योजना	—	शून्य
चौथी पंचवर्षीय योजना	—	4
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना	—	3
छठी पंचवर्षीय योजना	—	4

(इनमें से एक का निर्माण पूरा होना है और उसे चालू किया जाना है)

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पांच तारा होटलों के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं है ।

(ग) आवास और वित्तीय व्यवहार्यता की मांग पांच तारा होटलों को खोलने के लिए एक प्रमुख कसौटी है ।

भारत-ईरान व्यापार की प्रगति और ईरान में संयुक्त उपक्रम स्थापित करना

949. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1981-82, 1983-84, 1984-85 में भारत-ईरान के व्यापार की प्रगति का आकलन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्षों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि जनवरी, 1986 में आयोजित भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक में ईरान ने भारत से अनेक वस्तुओं का आयात करने का निर्णय लिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय निर्माताओं की मदद से ईरान में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) ईरान को होने वाले हमारे निर्यातों में वृद्धि का रुख रहा है जबकि ईरान से किए जाने वाले आयातों में इन वर्षों के दौरान गिरावट आई है ।

(ग) और (घ) बैठक के दौरान ईरान द्वारा एक सामान्य आश्वासन को छोड़कर कि वह चालू वर्ष में भारत से किए जाने वाले आयातों में वृद्धि करेगा, बशर्ते कि क्वालिटी तथा कीमतें प्रतियोगी रहें, ऐसा कोई विनिश्चिय विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

(ङ) और (च) भारत तथा ईरान दोनों, दोनों में से किसी भी देश में अथवा तीसरे विश्व के देशों में भारी उद्योगों के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाने तथा उसे अभिज्ञात करने के लिए सहमत हैं ।

नीदरलैंड के साथ आर्थिक सहयोग

950. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1986 में शाही दम्पत्ति की भारत यात्रा के दौरान नीदरलैंड के साथ और आगे आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक सहयोग के किन-किन क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचार हैं; और

(ग) सरकार का भारत-नीदरलैंड व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) डच की रानी तथा उसके पति की यात्रा एक नयाचार यात्रा थी । रानी की यात्रा के दौरान दोनों के देशों के अधिकारियों के बीच आर्थिक मामलों पर कोई औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई ।

(ग) भारत-डच व्यापार बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित करने, प्रतिनिधिमण्डलों के उपदान-प्रदान करने आदि जैसे कई कदमों पर ध्यान दिया गया है ।

औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ऋण और इक्विटी के अनुपात को कम करना

951. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उद्योग के सभी क्षेत्रों — बड़े, मध्यम और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण और इक्विटी के अनुपात को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मध्यम और लघु उद्योग क्षेत्र पर इसके प्रभाव की जांच की है;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के लिए ऋण इक्विटी मानदण्डों में कमी किये जाने के बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो लघु उद्योगों के त्वरित विकास संबंधी केन्द्रीय सरकार की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) ऋण और इक्विटी अनुपात के संशोधित मापदण्डों के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि हाल के वर्षों में औद्योगिक एककों ने अपने निवेश कार्यक्रमों के लिए ऋण वित्त पोषण का अधिकाधिक सहारा लेना शुरू कर दिया है । सावधि पूंजी और कार्यचालन पूंजी के लिए वर्तमान ब्याज दरों को देखते हुए, ऋण का अधिक सहारा लेना औद्योगिक एककों के लिए ऋण परिशोधन की समस्याएं पैदा कर रहा है । इसलिए वित्तीय संस्थाओं ने ऋण और इक्विटी अनुपात के संशोधन मापदण्ड अपनाकर औद्योगिक एककों के इक्विटी आधार को व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का निश्चय किया है । जहां तक छोटी और मझोली परियोजनाओं का संबंध है, बीज पूंजी योजना की उदार नीति के परिणामस्वरूप परियोजनाओं की इक्विटी संबंधी आवश्यकताओं के लिए पूरक सहायता मिल सकेगी । (बीज पूंजी योजना के अन्तर्गत पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए 3 करोड़

रुपए तक की लागत की परियोजनाओं के वास्ते 1 प्रतिशत वार्षिक के मामूली सेवा प्रभार पर 15 लाख रुपये तक की इक्विटी किस्म की सहायता प्रदान की जाती है) ।

दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों द्वारा बोरों में कम मात्रा में गेहूं भरे जाने का मामला

952. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग निदेशालय और दिल्ली प्रशासन के माप-तोल विभाग ने हाल ही में दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम द्वारा कम मात्रा के गेहूं के बोरे जारी किये जाने का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) 31-1-1986 को दिल्ली प्रशासन के तौल और माप विभाग ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने घावेरा डिपो से और न कि पहोरा डिपो से, जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है, उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को जारी की गई गेहू की 30 बोरियों में से 10 बोरियों का अचानक तौल किया था और उनमें 24.5 किलोग्राम मात्रा कम पायी गई थी।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए उन पर जिम्मेदारी निर्धारित करने की दृष्टि से इस मामले की जांच कर रही है ।

चीनी कारखानों में घाटा

9 3. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में चीनी के अनेक कारखानों में घाटा हुआ है;

(ख) क्या शीरे का मूल्य, जिससे अल्कोहल और ताड़ी का निर्माण होता है, बहुत कम रखा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी के कारखानों और खांडसारी एककों को वित्तीय संकट से कुछ हद तक उबारने के लिए शीरे के मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार चीनी कारखानों के घाटे को पूरा करने में सक्षम बनाने हेतु ताड़ी के मूल्य में वृद्धि करने और गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देने का भी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सरकार चीनी मिलों, जो कि मुख्यतया निजी अथवा सहकारी क्षेत्र में हैं, के बारे में लाभ और हानि के लेखों को नहीं रखती है । भारत सरकार द्वारा समय-समय पर चीनी की नीति की घोषणा की जाती है । किसी चीनी फैक्ट्री की लाभकारिता अथवा अन्यथा कई एक बातों पर निर्भर करती है जिनमें गन्ने की उपलब्धता, किसी एक चीनी मिल की तकनीकी और प्रबंधकीय सक्षमता तथा कुछेक अन्य तथ्य, जो कि चीनी-नीति द्वारा सीधे शासित नहीं होते हैं, शामिल हैं । चीनी मिल को कुशलतापूर्वक चलाने की मूल जिम्मेदारी सिर्फ प्रबंध की होती है ।

(ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा किए गए लागत अध्ययनों के आधार पर शीरे और एल्कोहल के उपयुक्त मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) शीरे और एल्कोहल के मूल्यों में और संशोधन करने के बारे में सरकार द्वारा अभी राय कायम की जानी है।

गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द होना

954. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र, गुजरात में रनावाव पोरबन्दर की महाराणा टैक्सटाइल मिल्स गत तीन वर्षों अथवा उससे भी अधिक समय से बन्द पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उसे पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) बन्द कपड़ा मिलों को पुनः खोलने के लिए गुजरात को और गुजरात की विभिन्न कपड़ा मिलों को वास्तव में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ङ) बन्द कपड़ा मिलों को पुनः खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) मिल वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द है।

(ग) नई वस्त्र नीति के अन्तर्गत जहां एक उचित समयावधि में किसी एकक के जीवनक्षम होने की आशा नहीं होती, वहां एकक को बन्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस मिल की सम्भाव्य जीवन क्षमता प्रमाणित नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने अहमदाबाद शहर में बन्द पड़ी 12 वस्त्र मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए 65 करोड़ रु० की अग्रिम योजना सहायता राशि देना स्वीकार कर लिया है। रुग्ण मिलें जिन्हें जीवनक्षम पाया गया है, के सम्बन्ध में, पुनरुद्धार पैकेजों को विकसित तथा प्रबन्ध करने के लिए एक नोडीय अभिकरण भी स्थापित किया गया है, जैसा कि नई वस्त्र नीति में निर्धारित किया गया था।

गुजरात में तस्करी

955. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1985 से 5 फरवरी, 1986 के दौरान सलाया, पोरबन्दर, महुआ, भावनगर और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के अन्य भागों से तस्करी की विदेशी तथा अन्य वस्तुएं पकड़ी गईं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें कितने व्यक्ति शामिल पाए गए हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) उनमें से कितने व्यक्तियों को छोड़ दिया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार की गतिविधियों को न्यूनतम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिनांक 1-1-85 से 5-2-86 तक की अवधि के दौरान सलाया, पोरबन्दर, महुआ, भावनगर तथा सौराष्ट्र के अन्य भागों में और गुजरात मे कच्छ से 11 करोड़ रुपये मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया। पकड़ी गई जिन्सों में सोना, कलाई घड़ियां, फैब्रिक्स, भारतीय मुद्रा आदि मुख्य थीं।

(ग) और (घ) सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए, विदेशी संरक्षण और तस्करी-रोधी अधिनियम के तहत नजरबन्द किए गए तथा सलाहकार बोर्ड/उच्च न्यायालय द्वारा छोड़े गए नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

अवधि	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	नजरबन्द किए गए व्यक्ति	छोड़े गए व्यक्ति	
			सलाहकार बोर्ड द्वारा छोड़े गए	उच्च न्यायालय द्वारा छोड़े गए
1-1-85 से 5-2-86	165	112	4	28

सलाहकार बोर्ड रिहा किए गए नजरबन्द व्यक्तियों की रिहाई सम्बन्धी कारणों की सूचना इस विभाग को नहीं देता है। उच्च न्यायालयों ने व्यक्तियों को सामान्यतया तकनीकी आधारों पर रिहा किया।

(ङ) तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के इस क्षेत्र में तस्करी रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। केन्द्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के प्राधिकारियों के घनिष्ठ ताल-मेल से उपयुक्त उपचारी उपाय करने के लिए तस्करी की प्रवृत्तियों और किए गए अभिग्रहणों की सतत समीक्षा की जाती है।

तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय तौर पर तथा न्यायालयों में मुकदमे दायर कर कठोर कार्रवाई की जाती है। व्यक्तिगत अर्थदण्ड लगाने तथा माल को जब्त करने के अलावा, उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी-रोधी अधिनियम के तहत निवारक नजरबन्दी भी की जाती है।

भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन योजना के अन्तर्गत और अधिक मदें

956. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन योजना के अन्तर्गत अधिक मदें लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इन मदों का विवरण क्या है और ये इस योजना के अन्तर्गत कब लाई जायेंगी; और

(ग) सरकार, उक्त योजना के अन्तर्गत मानक बनाए रखने की निगरानी किस प्रकार सुनिश्चित करती है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) इनमें से कुछ वस्तुयें ये हैं—कृत्रिम अपमार्जक, जी०एल०एस० लैम्प, डाक्टरी थर्मामीटर, सर्जीकल इम्प्लांट्स, हाइड्रालिक ब्रेक फ्लूइड्स, बिजली के उपकरण, न्यूमैटिक टायर, शिशु

दुग्ध पाउडर आदि। सरकार का विचार इन वस्तुओं का एक क्रमबद्ध तरीके से और यथाशीघ्र इस योजना के तहत लाने का है।

(ग) गुणवत्ता की परिवीक्षा और उसे बनाये रखने का कार्य भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादों का पुनरीक्षण और निरीक्षण करना भी शामिल है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

957. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए किया गया वित्तीय आवंटन सरकार द्वारा पर्याप्त समझा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त मिलों के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि जुटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) योजना आयोग ने 7वीं योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के आधुनिकीकरण तथा श्रम नीतियों के वैज्ञानिक पुनर्गठन के लिए 117 करोड़ रु० का परिव्यय दर्शाया है।

(ख) और (ग) सीमित साधनों से सभी एन० टी० सी० मिलों का आधुनिकीकरण करना संभव नहीं है। संस्थागत स्रोतों से वित्त प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा आस्थगित भुगतान ऋणों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

केरल में माननथोड़ी में नये वन्य जीव अभ्यारण्यों का विकास

958. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नए वन्य जीव अभ्यारण्यों के विकास के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में एक वन्य जीव अभ्यारण्य बेगुर वन, माननथोड़ी में वन्य जीवों के बड़ी संख्या में प्रवास को ध्यान में रखते हुए उस स्थान का विकास करने का है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग का संबंध पर्यटकों को वन्य-जीव देखने के लिए आवास तथा परिवहन संबंधी आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने से है।

वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में की गई व्यवस्था के अधीन संबंधित राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश प्रशासन, जिन्हें ऐसा करने का अधिकार है, वन्य जीव विहार-स्थलों की स्थापना करते हैं।

(ग) वन और वन्य जीव विभाग ने सूचित किया है कि उन्हें केरल में बेगुर वन, मानन थोड़ी का वन्य जीव विहार-स्थल के रूप में विकास करने के प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

वनस्पति तेलों का निर्यात

960. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 11 फरवरी, 86 के "इकानामिक टाइम्स" नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार के अनुसार आयतित वनस्पति तेलों का उपयोग स्तर 40 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत रह गया है;

(ख) यह स्तर किस तारीख तक शून्य प्रतिशत तक पहुंच जायेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार हाइड्रोजनीकृत तेलों की बजाए, जो कि अधिक खर्चीले होते हैं और उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद भी नहीं हैं, मिश्रित अथवा शुद्ध वनस्पति तेलों को छोटे पोलीथीन पैकेटों में बेचने का प्रबंध करने का है; और

(घ) क्या संयुक्त राज्य अमरीका को वनस्पति तेल परियोजना के उच्च प्रौद्योगिकी मिशन के सहकारिता लीग के अन्तर्गत लाने से तिलहनों की उत्पादकता में अत्यधिक सुधार के कारण वनस्पति तेलों के आयात में काफी कमी होने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) इस समय वनस्पति उद्योग को, आयातित तेलों की इसकी आवश्यकता का 30 प्रतिशत भाग 11,500 रुपये प्रति मी० टन की दर से आवंटन किया जा रहा है । उन्हें मांग करने पर आयातित खाद्य तेलों की 10% और मात्रा 13000/- रुपये प्रति मी० टन की वाणिज्यिक दर पर उटाने की अनुमति दी गई है ।

(ख) वनस्पति घी तैयार करने में आयतित तेलों के उपयोग की प्रतिशतता शून्य तक लाने के लिए कोई निश्चित तारीख देना संभव नहीं है । सरकार की नीति वनस्पति घी तैयार करने में आयतित खाद्य तेलों की प्रतिशतता को उत्तरोत्तर कम करते जाने की है । तथापि, वनस्पति घी तैयार करने में आयातित खाद्य तेल का उपयोग, खाद्य तेलों के देशीय उत्पादन पर निर्भर करता है ।

(ग) इस समय मैसर्स हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन द्वारा आयतित तेलों की 6850 मी० टन मात्रा उपभोक्ता पैकों, टीनों और पॉलीपैक दोनों में पैक की जा रही है और इसे उचित दर की दुकानों तथा सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेचने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को आवंटित किया जा रहा है । इसके अलावा, कुछ निजी कम्पनियां पहले से ही देशीय तेलों का उपभोक्ता पैकों में विपणन कर रही हैं । मूंगफली और सोयाबीन के तेल के मिश्रण के लिए सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई है । इसे नागरिक पूर्ति विभाग के प्राधिकृत अभिकरणों और राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघों द्वारा सीलबंद पैकों में, जिनका भार 5 कि०ग्रा० से अधिक न हो, बेचा जाएगा ।

(घ) इस समय खाद्य तेलों का आयात कम मात्रा में किया जा रहा है । यह बात तिलहनों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय तिलहन विकास बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं और तिलहनों की फसल की बेहतर संभावनाओं के कारण हुई कही जा सकती है ।

इंजीनियरिंग निर्यात में वृद्धि

961. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में इंजीनियरिंग निर्यात में भारी वृद्धि होने की संभावना है जैसाकि 11 फरवरी, 1986 के इकनोमिक्स टाइम्स में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) क्या हाल ही में बिजली पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्यान्नों आदि के मूल्य में हुई भारी वृद्धि में इस निर्यात अभियान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले वर्षों में इंजीनियरी माल के निर्यात में तीव्र विकास होगा।

(ख) अन्तर्निविष्ट साधनों की लागत में वृद्धि से आमान्यत: घरेलू बाजार में विनिर्माण लागत ऊंची हो जाती है। तथापि, निर्यातों के लिए, सरकार की नीति का उद्देश्य गैर-प्रतियोगी अन्तर्निविष्ट मूल्यों से इंजीनियरिंग निर्यात क्षेत्र को पृथक करना होगा।

सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात

9 2. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात के लिए भारतीय सिले-सिलाए कपड़ों का मूल्य बढ़ने के कारण यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के लिए सिले सिलाए कपड़ों का वार्षिक कोटा समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधारात्मक/उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) क्या प्रतियोगी देश भारतीय कपड़ा सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं और भारत के सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात का मुकाबला कर रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) ई. ई. सी. में समग्र कोटा उपयोग जो 1983 में 54 प्रतिशत था बढ़कर 1985 में 69 प्रतिशत हो गया। कोटों का उपयोग मांग रूख, फैशनों में परिवर्तन, डिलीवरी समय, पैकेजिंग तथा कीमत निर्धारण जैसे अनेक तथ्यों पर निर्भर होता है।

(ख) सरकार ने मंद गति वाली मदों की व्याख्या में विस्तार करके ई. ई. सी. में मंदा गति वाली मदों के रूप में श्रेणियों की एक बड़ी संख्या घोषित की है। इससे वे अनेक रियायतें पाने के पात्र होंगे जिससे उनके निर्यातों में वृद्धि होगी। अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद मेलों—प्रदर्शनियों तथा क्रेता—विक्रेता बैठकों में भाग लेता है और यूरोपीय फैशन डिजाइनरों के दौरे भी प्रायोजित करता है।

(ग) वस्त्र को ओ जी एल में निर्यात करने की अनुमति होती है। अत: प्रतियोगी देश अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर भारतीय वस्त्रों की खरीद करने में सक्षम होंगे।

बैंकिंग कानूनों के बारे में राजामन्नेर समिति की सिफारिशें

963. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग कानूनों के बारे में डा० पी० वी० राजामन्नेर की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप नए दिशा-निर्देश, नियम और कानून बनाए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजामन्नेर समिति की सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का, इस समय शब्दशः और भावात्मक पालन और क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) राजामन्नेर समिति ने पांच रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। बदली हुई परिस्थितियों और अपेक्षाओं के संदर्भ में इन रिपोर्टों पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया गया था। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सिफारिशों पर और आगे कार्रवाई की जा रही है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश

964. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का सातवीं पंचवर्षीय आयोजना के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो जिन उद्योगों में पूंजी निवेश का विचार है उनका ब्यौरा क्या है और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी राशि का निवेश किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय आयोजना के दौरान, आवास, जल-पूर्ति, बिजली, परिवहन आदि सहित समाजोन्मुखी क्षेत्रों के आयोजना कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों के रूप में जीवन बीमा निगम द्वारा 2210 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में निवेश संबंधी निर्णय, योजना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1985-86 के दौरान, योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित आबंटन किए गए हैं :—

	(करोड़ रुपए)
1. जल-पूर्ति और मल-निकासी स्कीमों के लिए ऋण	79.44
2. राज्य सड़क परिवहन निगमों को ऋण	28.08
3. राज्य बिजली बोर्डों और उत्तर-पूर्वी बिजली निगम को ऋण	178.17
4. आवास (शहरी और ग्रामीण) के लिए राज्य सरकारों को ऋण	66.30
5. अनाबंटित	11.00
जोड़ :—	362.99

ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जीवन बीमा निगम का कारोबार

965. **श्री गुरुदास कामत** :

श्री मुरलीधर माने : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण क्षेत्र में कितनी राशि का कारोबार किया और यह उसके कुल कारोबार का कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण क्षेत्र में अपने कारोबार में संतोषजनक प्रगति की है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण कल्याण के लिए कितनी धनराशि का निवेश किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की गई प्रगति आम तौर पर संतोषजनक है। मांगी गई सूचना इस प्रकार हैं :—

व्यक्तिगत बीमा

वर्ष	बीमित रकम-करोड़ रुपए		ग्रामीण बीमा कुल बीमित रकम के प्रतिशत के तौर पर
	कुल	ग्रामीण	
(1)	(2)	(3)	(4)
1982-83	3974.39	1037.98	26.1
1983-84	4386.98	1260.24	28.7
1984-85	5375.93	1569.62	29.2

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण कल्याण में किए गए निवेश की रकम इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)		
	1982-83	1983-84	1984-85
1. ग्रामीण पाईप जल सप्लाई स्कीमों के लिए जिलों परिषदों को दिए गए ऋणों की रकम	10.25	15.62	14.88
2. ग्रामीण आवास स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को ऋण	8.52	9.90	10.05
3. औद्योगिक बस्तियों को ऋण	4.97	2.83	2.80
4. सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र	35.00	35.00	35.00
5. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बाण्ड	—	—	10.00

इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम राज्य बिजली बोर्डों को ऋण देता है जो इनका उपयोग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कृषि और उद्योग के लिए बिजली के उत्पादन और पारेषण के लिए करते हैं। पिछले तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को दिए गए कुल ऋणों की रकम इस प्रकार है : —

	(करोड़ रुपए)
1982-83	151.78
1983-84	130.09
1984-85	151.98

वस्त्रों के निर्यातकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

966. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र निर्यातकों और कार्याकारियों को वस्त्र निर्माण प्रौद्योगिकी फैशन डिजाइन और पैटर्न बनाने के बारे में प्रशिक्षण देने हेतु भारत में पर्याप्त सुविधाएं हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारतीय उम्मीदवारों को अग्रिम प्रशिक्षण देने के लिए अन्य देशों में भेजने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) इस समय भारत में परिधान तैयार करने वाली प्रौद्योगिकी, फैशन, डिजाइन तथा पैटर्न बनाने संबंधी उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। भारत सरकार ने देश में परिधान उद्योग की फैशन तथा प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फैशन प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने का विनिश्चय किया है।

इलायची की उत्पादन लागत

967. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहित इलायची उत्पादक देशों में इलायची की तुलनात्मक उत्पादन लागत क्या है;

(ख) क्या भारत में इलायची की उत्पादन लागत सर्वाधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्पादन लागत को कम करने और भारतीय इलायची को विश्व बाजार में अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) ग्वाटे माला तथा भारत विश्व में प्रमुख उत्पादन हैं, जिनका अंश विश्व उत्पादन में लगभग 90% हैं। ग्वाटे माला में उत्पादन लागत 75-100 रु० प्रति किग्रा० है। भारत में उत्पादन लागत क्षेत्र, मौसम की स्थिति तथा कृषि कार्य को देखते हुए काफी भिन्न है परन्तु 1985 में कर्नाटक में लगभग 90 रु० प्रति किग्रा० तथा केरल में लगभग 125 रु० प्रति किग्रा० औसत का अनुमान लगाया गया है। अन्य उत्पादक देशों में उत्पादन लागत की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) उत्पादकता बढ़ाने तथा लागत कम करने के लिए इलायची बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजना इलायची पुनर्रोपण योजना है।

निर्धन हथकरघा बुनकरों के लिए योजना बनाना

968. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निर्धन हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) इस समय कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1. प्राथमिक/शिर्ष हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियों के लिए शेयर पूंजी सहायता;

2. राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता;

3. करघा पूर्व तथा करघा पश्चात संसाधन सुविधाओं के लिए सृजन के लिए सहायता;

4. करघों के सुधार तथा आधुनिकीकरण के लिए सरकारी क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को ऋण तथा अनुदान सहायता;

5. हथकरघा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय उपदान देना ताकि वे अपने कार्यों का प्रबंध करने के लिए शिक्षित कर्मियों को लगा सकें;

6. हथकरघा बुनकरों को निरन्तर रोजगार देने तथा समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता कपड़ा देने के लिए हथकरघा जनता कपड़े की योजना;

7. हथकरघा कपड़े की बिक्री के संबंध में विशेष छूट देना;

8. वर्कशेड-सह-आवास योजना; तथा

9. कन्ट्रीब्यूटरी थ्रिफ्ट फंड स्कीम।

पालघाट में पर्यटक केन्द्र के विकास का प्रस्ताव

969. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट में एक पर्यटक केन्द्र का विकास करने के लिए कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने 10.28 लाख रु० का कुल लागत पर पालघाट में आवास सहित रेस्तरां परिसर का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया था और विभाग ने परियोजना को पहले ही मजूरी प्रदान कर दी है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 4.00 लाख रु० अग्रिम राशि के रूप में रिलीज कर दिए गए हैं।

वर्ष 986-87 के दौरान गेहूं और चावल का आयात

970. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में देश में कितनी मात्रा में गेहूं और चावल की खरीद की गई;

(ख) क्या खरीदे गए गेहूं और चावल की मात्रा देश की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1986-87 के दौरान गेहूं और चावल का आयात करने के बारे में सरकार की क्या योजना है;

(घ) 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं और चावल का आयात किया गया; और

(ङ) गेहूं और चावल के आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 1985-86 के रबी और खरीफ के विपणन मौसमों के दौरान देश में 24.2.1986 तक 103.45 लाख मीटरी टन गेहूं और 78.98 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली की गई है।

(ख) जी हां। सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध कुल स्टाक और साथ-साथ सम्भावित वसूली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान गेहूं और चावल का आयात करने की कोई योजना नहीं है।

(घ) 1984-85 और 1985-86 के वर्षों के दौरान गेहूं और चावल का आयात करने का कोई ठेका नहीं किया गया था।

(ङ) ऊपर (ग) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि पर आधारित प्रमुख वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक

72. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पर आधारित प्रमुख वस्तुओं का अद्यतन थोक मूल्य सूचकांक क्या है;

(ख) क्या इस मूल्य सूचकांक में मूंगफली, मछली, फलों और पशु-आहारों जैसी कुछ खाद्य वस्तुओं के जिनकी देश में कमी है, निर्यात किये जाने के कारण वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कृषि पर आधारित प्रमुख वस्तुओं के अद्यतन थोक मूल्य सूचकांक नीचे दिये गये हैं।

थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100)

	8.2.86	9.2.86	30.3.85	प्रतिशत वित्तीय वर्ष	घटबढ़
कृषि पर आधारित प्रमुख वस्तुएं	307.3	302.8	299.9	1.5	2.5

कुछ खाद्य वस्तुएं, जैसे पशुओं का चारा, थोक मूल्य सूचकांक के निर्माण में नहीं आता। घरेलू बाजार में खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता निश्चित होने के उपरान्त ही निर्यात की अनुमति दी जाती है। इन मदों के निर्यात के परिमाण की सीमा प्रतिबंधित होती है।

"सिंगल विन्डो" उपभोक्ता संरक्षण विभाग

973. **श्री मानिक रेड्डी** :

डा० टी० कल्पना देवी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम जनता को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार से "सिंगल विन्डो" उपभोक्ता संरक्षण विभाग बनाने की लगातार मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 20-21 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में हुए उपभोक्ता संरक्षण सेमिनार में सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (घ) कुछ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों ने, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी समस्याओं को केन्द्रक मंत्रालय/विभाग द्वारा हल किये जाने का सुझाव दिया है। हाल ही में हुए उपभोक्ता संरक्षण संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन में उपभोक्ता शिकायतों से निपटने के लिए ऐसे ही सुझावों पर पुनः बल दिया गया था। तथापि, किसी एक मंत्रालय/विभाग द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया था। उपभोक्ता संबंधी मामलों के लिए भारत सरकार में नागरिक पूर्ति विभाग केन्द्रिक विभाग है। यह विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों का समन्वय करता है। यह विभाग उपभोक्ता संरक्षण संबंधी उपायों के बारे में भी समन्वय का कार्य करता है। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे उपभोक्ता समस्याओं से निपटने के लिए इसी तरह के उपाय करें। दिल्ली प्रशासन ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के लिए एक निदेशालय की स्थापना की है, जो उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त करने और उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक केन्द्रक अभिकरण के रूप में कार्य करता है।

12.00 **मध्याह्न**

[अनुवाद]

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मुझे आपका पत्र मिल चुका है। प्रभारी मंत्री सोमवार को एक वक्तव्य देंगे। उन लोगों को जाकर इसे प्राप्त करना ही पड़ेगा। उन्हें जाकर तथ्यों का पता लगाना ही होगा तथा फिर आना होगा।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : 30 लोग मारे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को जानता हूं, इसलिए मैंने पहल की है।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह तेल्लिचेरी के निकट है। 30 लोग मारे गये हैं। **(व्यवधान)** यह एक मानवीय मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो मैं कह रहा हूं। मैंने भी समाचार के मिलते ही तुरन्त सम्पर्क किया, जैसे कि आपने भी सम्पर्क किया।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : मंत्री को कम से कम 4.30 बजे तो वक्तव्य दे ही देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस समय तो वह आपको किसी और से प्राप्त की गई सूचना ही दे सकते हैं। यहां देखिए। मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह पुरानी खबर नहीं है। आकाशवाणी से इसकी घोषणा हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी उतना ही दुःख हुआ है जितना कि किसी अन्य को। भगवान के लिए मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो आप इतने उत्तेजित क्यों हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उतना ही दुखी हूं जितना कि सदन में अन्य कोई। हमारे अपने लोगों की जान का नुकसान···यह हमारे लिए हमेशा ही बहुत परेशानी और निराशा की बात है। इसीलिए मैंने तुरन्त कार्यवाही की।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे बात की है।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : उन्हें चार बजे एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह तथ्यों पर आधारित नहीं होगा। वे तथ्यों को एकत्र करने गए हैं। हम कल को नहीं मिल रहे हैं।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : जो भी तथ्य उनके पास हैं, वे बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि एक अर्ध-सत्य वक्तव्य वक्तव्य दिया जा सकता है तो मैं उनसे कह सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया उनसे कहिए वक्तव्य दें।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : उन्हें आज वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बिना तथ्यों को जाने वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह स्वयं ही अंधेरे में हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कहूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह इस सदन की परम्परा रही है कि जब कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है अर्थात दस से अधिक लोग मरते हैं, तो जितनी जल्दी अवसर प्राप्त हो, उतनी जल्दी एक प्रारम्भिक वक्तव्य दिया जाता है। यदि वह कोई और कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वह बाद में ऐसा कर कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यही बात उन्होंने मुझे बताई।

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : वह ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने सदस्य (यातायात) को भेजा है। यह काफी नहीं है।

इस सदन को सूचना दी जानी होगी । (**व्यवधान**) उन्हें 4 बजे तक **एक वक्तव्य देना होगा** । वह जानकारी एकत्र कर सकते हैं और वक्तव्य दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह स्वयं ही उत्तेजित हैं, और उन्होंने स्वयं ही मामले को हाथ में लिया है । उन्होंने मुझे यही बताया "महोदय, में पूरे तथ्यों सहित वक्तव्य दूंगा ।" मैं उनसे कहूंगा ।

[**हिन्दी**]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें दो हरिजनों का मर्डर हो गया है··· (**व्यवधान**)···यह घटना उत्तर प्रदेश की है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है । वह स्टेट सब्जैक्ट है और उनके देखने की बात है । वहां से वे देखेंगे ।

श्री राम प्यारे पनिका : दो हरिजनों की हत्या कर दी गई है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए मेरी नजर से सब इन्सान बराबर हैं लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं तो वह कोई अच्छी बात नहीं लगती··· (**व्यवधान**)···

श्री राम प्यारे पनिका : अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है, मैं चाहता हूं···

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । राज्य विधान सभा समवेत हो रही है और उसे इसका ध्यान है । हम कुछ नहीं कर सकते ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पर एक विनिर्णय दे रहा हूं । मैं एक विनिर्णय दे रहा हूं । कृपया बैठ जाइए । कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे । यह कोई सही तरीका नहीं है । जब मैं कह रहा हूं तो आप इन सब बातों को क्यों बेकार में उठा रहे हैं ? जब सारी स्थिति को मैं समझ रहा हूं और मैं सारी बात आपके सामने ला रहा हूं तो आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं ?

12.04 **म० प०**

बजट-प्रस्तुतीकरण से एक सप्ताह पूर्व सोमा-शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी करके विलासिता की कतिपय वस्तुओं को सोमा-शुल्क से छूट देने की कथित घोषणा के कारण वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : 27 फरवरी, 1986 को प्रो० मधुदण्डवते ने वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत किये जाने से एक सप्ताह पूर्व सीमा शुल्क अधि-

नियम 1962 के अधीन कतिपय अधिसूचनाएं जारी करके कतिपय विलासिता की चीजों पर सीमा शुल्क की छूट की घोषणा की है।

प्रो० दण्डवते का कहना था कि "बजट प्रस्तुत किये जाने से केवल एक सप्ताह पूर्व सीमा शुल्क की इन छूटों की घोषणा करना बजट प्रक्रिया का मजाक है और सभा की अवमानना तथा सभा के विशेषाधिकार का भंग है।"

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति (विशाखापत्तनम) : मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का, जो कि उसी विषय पर था, क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : वह भी उसी विषय पर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी एक विनिर्णय दूंगा।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : मैंने उसी विषय पर एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय : वह कोई दूसरी बात थी। हमने आपको सूचना दी। मैंने आपको एक पत्र भेजा, मैंने इसे अस्वीकृत कर दिया है।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : उसी विषय पर, महोदय।

प्रो० के०के०तिवारी (बक्सर) : इस सदन में विशेषाधिकारों का निर्माण करने वाला एक उद्योग है, और वह है प्रो० मधु दण्डवते। **(व्यवधान)** मैंने भी एक दिया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने प्रत्येक चीज को ध्यान में रखा है। मैंने देख लिया है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आपने इसे अस्वीकृत क्यों किया ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : वह आपके आदेश पर आपत्ति कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे सही नहीं समझा।

"इन अधिसूचनाओं, जो कि 21 फरवरी, 1986 को सभा पटल पर रखी गईं, की जांच करने पर मुझे पता चला है कि अधिकांश अधिसूचनाएँ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई हैं जिसमें यह व्यवस्था है : यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करके सामान्यतः या पूर्णरूप में या ऐसी शर्तों के साथ (जिन्हें निकासी के पहले या बाद में पूरा करना होगा) जिन्हें कि अधिसूचना में स्पष्ट किया गया हो, किसी विशिष्ट प्रकार की वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से उस पर देय सीमाशुल्क से मुक्त कर सकती है।"

इस प्रकार केन्द्र सरकार को लोकहित में ऐसी सूचनाएँ जारी करने का अधिकार दिया गया है, और इस तरह इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

इसके अतिरिक्त प्रो० मधु दण्डवते द्वारा अपने नोटिस में जिन अधिसूचनाओं का उल्लेख किया गया है उनमें से 25 अधिसूचनाएं 19 दिसम्बर, 1985 से 30जनवरी 1986 के बीच अलग अलग तारीखों को और एक अधिसूचना 7 फरवरी, 1986 को अर्थात बजट अधिवेशन शुरू होने से बहुत पहले भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा

159 के अनुसरण में इन अधिसूचनाओं को पहले अवसर पर अर्थात् 21 फरवरी, 1986 को सभा पटल पर रखा गया ।

अत: यह कहना जैसा कि प्रो० मधु दण्डवते ने कहा ठीक नहीं है कि इन छूटों की घोषणा "बजट प्रस्तुत किये जाने से केवल एक सप्ताह पहले की गई ।"

अत: इस मामले में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता और मैं इस मामले को नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार के एक प्रश्न के रूप में सभा में उठाने की अनुमति नहीं देता ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : देश के सारे भागों में कानून और व्यवस्था स्थिति·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल आपको बता दिया था कि कार्यमंत्रणा समिति में हमने कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की थी और हमने तय किया था कि बाद में कभी इस विषय पर पूरी चर्चा आयोजित करेंगे ।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति (विशाखापत्तनम) : मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव भी उसी विषय पर था ।

अध्यक्ष महोदय : हमने आपको बता दिया है कि यह उसी विनिर्णय के अन्तर्गत है । आपका नाम इसमें जोड़ दिया जायेगा । यदि आप चाहें तो मैं इसे पढ़ कर सुना सकता हूं ।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : कृपया इसे पढ़िये ।

[हिन्दी]

श्री श्रीरामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सर, मेरे चुनाव क्षेत्र में मिर्जापुर जिले के घोसवाल में सोमवार को खास कर रविदास जयन्ती के दिन कुछ शरारती तत्वों ने समारोह पर अंधाधुंध गोलियां चलायीं पुलिस की उपस्थिति में, मान्यवर, वहां पर दो हरिजन मौके पर ही मारे गये और कई घायल हो गये ।·····(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक राज्य में सरकार है, मैं इसे हाथ में नहीं ले सकता । अनुमति नहीं दी जाती है ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता ।

[हिन्दी]

मैंने तिवारी जी को बोलने के लिए कहा है ।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : आपको कृपया स्मरण होगा कि आपने सदन को आश्वासन दिया था कि आप पंजाब में तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति तथा सीमा पार से आतंकवादियों के आगमन पर एक चर्चा की अनुमति देंगे·····

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्थिति के विषय में पहले ही मालूम है ।

प्रो० के० के० तिवारी : लोग रोज मारे जा रहे हैं । स्वर्ण मन्दिर उग्रवादियों और पृथकतावादियों का आश्रय बन गया है । ऐसी स्थिति में गृहमन्त्री को हालात के बारे में वक्तव्य देना चाहिए और जम्मू और काश्मीर की स्थिति के विषय में भी·····

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्थिति की पूरी जानकारी है। सदन में हर कोई उत्तेजित है क्योंकि वहां एक प्रकार का कसाईखाना सा बन गया है। मैं समझता हूं कि सरकार इससे निपटने के बारे में बड़ी आतुर है, और उचित समय में मैं आपके पास इस सम्बन्ध में फिर आऊंगा।

श्री पी० नामग्याल : यह केवल पंजाब के लिए ही चिन्ता का विषय नहीं है बल्कि जम्मू और काश्मीर सहित सारे देश के लिए चिन्ता का विषय है। जम्मू और काश्मीर में स्थिति अच्छी नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ और बात है और वह कुछ और बात है, इन दो विषयों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, ये परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने पहले ही आपको आश्वासन दे दिया है तो फिर आप क्यों बेकार में सदन का समय ले रहे हैं ?

12.10 **म० प०**

10 फरवरी, 1986 को एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय सरकार के संभावित आय और व्यय के अनुमान प्रेस को बता देने के आरोप के कारण वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० एम० भट्टम, प्रो० मधु दण्डवते, सर्वश्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव थम्पन थामस और एम० रघुमा रेड्डी ने वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध इस आधार पर अलग-अलग विशेषाधिकार की सूचनाएं दी हैं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 10 फरवरी, 1986 का केन्द्रीय सरकार के 1986-87 के संभावित राजस्व तथा व्यय के अनुमान प्रेस को बताये हैं। ऐसा उन्होंने उस समय किया जबकि वे एक प्रैस कान्फ्रेंस को सम्बोधित कर रहे थे।

सदस्यों ने अपने नोटिस में 11 फरवरी, 1986 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार का हवाला दिया है जो "86-87 राजस्व अनुमान जारी किए गए" शीर्षक के अन्तर्गत छपा है :

> "सारी परम्पराओं को तोड़ते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री वी० पी० सिंह ने आज केन्द्रीय सरकार के 1986-87 के संभावित राजस्व तथा व्यय के अनुमान बजट आने के पूर्व जारी कर दिये जो कि दीर्घकालीन वित्तीय नीति के अनुरूप था और जिसके अनुसार 19,845 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को पूरा करने के लिए सार्वजनिक उद्यमों से वर्तमान वर्ष के 6,753 करोड़ रुपयों की तुलना में 4,704 करोड़ रुपये अधिक जुटाये जाने हैं।
>
> श्री सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि आंकलित कीमतों में वृद्धि करना राजस्व जुटाने के कई साधनों में से एक है, जिससे शायद ही बचा जा सकता है।

दूसरा विकल्प यह था कि योजना का आकार ही कम कर दिया जाये। उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी अपनी इच्छा क्या होगी जिसके विषय में तभी पता चलेगा जब कि वह बजट प्रस्तुत करेंगे।

सदस्यों ने कहा है कि सभा में बजट प्रस्तुत करने के पूर्व ये आंकड़े प्रैस को देकर वित्त मंत्री ने समस्त सुस्थापित मानदण्डों तथा परिपाटियों का उल्लंघन किया है और इस प्रकार सभा की अवमानना की है।

सदस्यों की सूचनाओं को वित्त मंत्री को उन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भेजा गया था। वित्त मंत्री ने 10 फरवरी, 1986 के अपने उत्तर में इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने 1986-87 के बजट से संबंधित आंकड़े प्रैस को बताए हैं। अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है :—

यह सही नहीं है कि 1986-87 के राजस्व अनुमान प्रैस को दिए गए थे। प्रैस को जो आंकड़े दिए गए वे वास्तव में परामर्श दात्री समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत एक 'शेडो एक्सरसाइज' (काल्पनिक स्थिति) के आधार पर वे केन्द्रीय योजना परिव्यय के अनुसार 1986-87 के लिए 19845 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए थे जो 1984-85 की कीमतों के आधार पर 18000 करोड़ रु० बैठते हैं जैसाकि इस वर्ष के लिए दीर्घकालीन वित्तीय नीति के रूप में दिखाया गया है। ये आंकड़े सातवीं योजना पर आधारित हैं, जो जनता को पहले ही बताए जा चुके हैं। ऐसा करने का उद्देश्य विभिन्न संसाधनों और योजना तथा सातवीं योजना दस्तावेज में निर्दिष्ट गैर योजना व्यय से संबद्ध प्रतिमतों के आधार पर सरकारी उपक्रमों द्वारा अपेक्षित योगदान सहित प्राप्तियों और व्यय के विभिन्न अनुमान लगाना था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए धन की आवश्यकता को देखते हुए संसाधनों को जुटाने के उपायों, संसाधनों के आवंटन में प्राथमिकता और कार्यक्षमता का स्तर जिसे सरकारी उपक्रमों सहित सभी द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक है, के संबध में प्रैस में तथा जनता में व्यापक रूप से चर्चा होना लाभदायक ही हैं···इस तरह का वाद विवाद देश में लोकतंत्र को मजबूत करेगा।···1986-87 के बजट सम्बन्धी आंकड़े परामर्शदात्री समिति या प्रैस किसी को भी नहीं बताए गए हैं।"

वित्त मंत्री के इस स्पष्ट कथन को देखते हुए समाचार पत्रों में छपे समाचार का कोई आधार नहीं रह जाता और इस प्रकार 1986-87 के राजस्व अनुमान प्रैस को नहीं बताए गए।

दूसरा, मैं तथा भूतपूर्व अध्यक्ष कई बार यह निर्णय दे चुके हैं कि बजट प्रस्तावों का सुराग लग जाना विशेषाधिकार भंग का आधार नहीं बन सकता। जब तक सदन के सामने वित्तीय प्रस्तावों को नहीं रखा जाता तब तक वे सरकारी गुप्त दस्तावेज होते हैं।

इसलिए, मैं नियम 222 के अन्तर्गत इस विषय को एक विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में सभा में उठाने की अनुमति नहीं देता।

(व्यधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, प्रो० त्रिवेदी द्वारा दिए गए इस···के लिए मुझे खेद है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० शिव शंकर।

12.12 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

(क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, भाण्डागार निगम अधिनियम, धान-कुटाई उद्योग (विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नारियल जटा चटाई निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1985, जो 4 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या का० आ० 7 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) जूता तथा जूता संघटक निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1985, जो 4 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 8 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2059/86]

(2) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम (संशोधन) नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 9 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 19 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2060/86]

(3) धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) तथा अनुज्ञापन देना (दूसरा संशोधन) नियम, 1985, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 14 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1144 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2061/86]

(4) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बाट और माप (पैक की हुई वस्तुयें) संशोधन, नियम, 1986 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 17 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 32 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2062/86]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चीनी (वर्ष 1980-81 के उत्पादन के लिए मूल्य-निर्धारण) संशोधन आदेश, 1985, जो 20 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 924 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (वर्ष 1985-86 के उत्पादन के लिए मूल्य-निर्धारण) संशोधन, आदेश, 1986, जो 23 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 51 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2063/86]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम सीमित, गोहाटी के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम सीमित, गोहाटी का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2064/86]

(8) (एक) खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण में)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2065/86]

(10) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2066/86]

(12) (एक) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2067/86]

(14) काफी बोर्ड के वर्ष 1984-85 के लेखाओं (सामान्य निधि) संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2068/86]

(16) काफी बोर्ड के वर्ष 1983-84 के लेखाओं (पूल निधि) संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2069/86]

ऊन तथा ऊनी-वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन : वस्त्र समिति, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन : सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1984-85 आदि की वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) ऊन तथा ऊनी-वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन तथा ऊनी-वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2070/86]

(3) वस्त्र समिति, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2071/86]

(5) (एक) सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2072/86]

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय कपड़ा निगम समिति के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय कपड़ा निगम समिति का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 207 /86**]

सरकारी बचत पत्र अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें और भारतीय विनिधान केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 1986, जो 3 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 85 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) राष्ट्रीय बचत पत्र (छठा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1986, जो 12 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 195 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) राष्ट्रीय बचत पत्र (सातवां निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 12 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 196 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 2074/86**]

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) डाक-घर आवर्ती जमा (संशोधन)नियम, 1986, जो 7 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 95 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) डाक-घर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1986, जो 12 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 193 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) डाक-घर आवर्ती जमा (दूसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 12 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 194 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) डाक-घर संचयी सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1986, जो 14 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 202 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2075/86]

(3) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिभूति संविदा (कम्पनी विधि बोर्ड के प्रति निर्देश) नियम, 1986, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 17 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 33 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2076/86]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 96 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 7 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो निर्यात वस्तुओं के निर्माताओं द्वारा माल के वास्तविक वाणिज्यिक नमूनों तथा आदि प्ररूपों को, जब उनका भारत में डाक द्वारा अथवा किसी विमान में आयात किया जाए, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2077/86]

(5) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 310 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 20 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 42/86-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि मोटर यानों में मूल उपकरण के रूप में प्रयुक्त टायरों, ट्यूबों तथा फ्लैपों के लिए विद्यमान छूट को जारी रखी जा सके ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2078/86]

(6) (एक) भारतीय विनिधान केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय विनिधान केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2079/86]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं अधिसूचना संख्या का०आ० 65 (अ), (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 21 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत कतिपय उद्योगों के संबंध में

उक्त अधिनियम की धारा 2 और 22 को अपेक्षाओं से और छूट देने के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2084/86]

12.14 म०प०

1986-87 के सामान्य बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए सभा के स्थगन और पुनः समवेत होने के बारे में घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि जैसी कि परंपरा हैं, सभा आज 4.30 म०प० पर आधे घंटे के लिए स्थगित होगी और और सामान्य बजट के प्रस्तुतीकरण के के लिए 5 म०प० पर पुनः समवेत होगी।

तदनुसार, आज शुक्रवार होने के कारण, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 2 म०प० पर लिया जाएगा और 4.30 म०प० पर समाप्त होगा।

12.15 म०प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 3 मार्च, 1986 में आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) रेल बजट 1986-87 पर सामान्य चर्चा।

(2) आज की कार्य-सूची में से बचे हुए किसी सरकारी कार्य पर विचार

(3) सामान्य बजट—1986-87 पर सामान्य चर्चा

(4) नियम 193 के अन्तर्गत सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं अगले सप्ताह के सरकारी कार्य में निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के विषय को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव करता हूं :

यद्यपि सैद्धांतिक रूप से उड़ीसा राज्य में विद्यमान विद्युत उत्पादन क्षमता 574 मेगावाट है परन्तु आजकल जनवरी से जून, 1986 तक वास्तविक विद्युत उपलब्धता केवल 413 मेगावाट है जबकि उड़ीसा की आजकल औसतन मांग 800 मेगावट है। इसका कारण वर्षों से तालचेर तापीय विद्युत गृह का बिल्कुल भी संतोषजनक रूप से कार्य न करना है। अखिल भारत के लगभग 50 प्रतिशत औसत के विरुद्ध तालचेर का पी०एल०एफ० मात्र 32 से 34 प्रतिशत तक रहा है। तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। ताकि कम से कम मार्च के माह में तालचेर तापीय विद्युतगृह 300 मेगावाट विद्युत का

उत्पादन करे जबकि इसकी क्षमता 480 मेगावाट है। परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1985 से उड़ीसा में विद्युत संकट चल रहा है। इस संकट पर काबू पाने के लिए, जहां राज्य के विभिन्न भागों में लगातार बिजली की कटौती की जाती है, तुरन्त राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से उड़ीसा को पर्याप्त विद्युत की पूर्ति की जानी चाहिए।

इस विद्युत संकट को ध्यान में रखते हुए, सातवीं योजना के लिये योजना आयोग द्वारा विद्युत के बारे में स्थापित कार्यकारी दल में उड़ीसा ने इब तापीय बिजलीघर को राज्य क्षेत्र में तथा तालचेर सुपर तापीय बिजलीघर को केन्द्रीय क्षेत्र में 1985-86 से तुरन्त चालू करने की सिफारिश की थी। मैं उड़ीसा को इस अन्धेरे से मुक्त करने के लिये कार्यकारी दल की सिफारिश को तुरन्त लागू करने के लिये सरकार से आग्रह करता हूं।

12.17 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जब संसदीय कार्य मंत्री आज सभा में सोमवार, 3 मार्च, 1986 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे तो मैं निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह के कार्य में सम्मिलित किए जाने का सुझाव देता हूं :

काश्मीर की स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो गई है। साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाया गया है और वहां बड़े पैमाने पर हिंसा तथा अत्याचार हो रहा है। कानून और व्यवस्था तंत्र बिल्कुल असफल हो गया है।

मैं मांग करता हूं कि सरकार को इस विषय पर एक वक्तव्य देना चाहिए। 'सरकार को हटाने' का भी उल्लेख था। परंतु आपने उसे हटा दिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : अगले सप्ताह के कार्य में निम्नलिखित मामले को सम्मिलित किया जाए :

उत्तर बिहार में बार-बार बाढ़ आने का मूलभूत कारण यह है कि कुछ नदियां नेपाल से निकलती हैं और उस देश में उत्तर बिहार की तरफ बहने वाले जल के प्रवाह को रोकने के लिए कोई बांध या जलाशय नहीं है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को शुरुआत करनी चाहिए ताकि इन नदियों के निकलने के स्थान पर ही उन पर काबू पाने के लिए नेपाल सरकार के साथ समझौता किया जा सके।

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : अगले सप्ताह की सभा की कार्यसूची में मैं निम्नलिखित मामला सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव करता हूं :

गत 10 वर्षों के दौरान, भारत में, जहां तक संसद तथा विधान सभाओं के लिए चुनावों सम्बन्धी परिस्थितियों में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है।

निर्वाचन कानून में काफी संख्या में संशोधन करना अति आवश्यक हो गया है। सरकार ने पहले ही इस बारे में समिति नियुक्त कर दी हैं और निर्वाचन आयुक्त भी इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

वर्तमान निर्वाचन कानून में आवश्यक संशोधन' पर संसद में आम चर्चा कराने के लिए मैं मंत्री महोदय से इस विषय को अगले सप्ताह के कार्य में सम्मिलित करने का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में विचारार्थ रखने हेतु निवेदन करता हूं। एन०ई० रेलवे के दरौदा महराजगंज रेल लाइन का मान परिवर्तन हेतु चल रहे जन-आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाए। यह रेल लाइन सन् 1902 से चल रही थी, परन्तु मान परिवर्तन न करने के कारण रेल सेवा ठप्प है। इस योजना की स्वीकृति दी जा चुकी थी। पं० कमलापति त्रिपाठी जी से लेकर आज तक सभी रेल मंत्री आश्वासन देते आ रहे हैं। संसाधनों का अभाव कारण बताया जा रहा है। अतः हम आग्रह करते हैं कि इस विषय पर अगले सप्ताह चर्चा हेतु कार्यसूची में संलग्न किया जाए।"

श्री के०एन० प्रधान (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की सूची में सम्मिलित किया जाए :

विषय नं० 1. डाक सेवाओं में जब से रेलवे मेल सर्विस बन्द की गई है, निश्चित रूप से गिरावट आई है और देश के दूर दराज इलाकों में डाक पहुंचने में देरी होने लगी है, इसलिए वर्तमान व्यवस्था के बजाय पुनः रेलवे मेल सर्विस प्रारंभ करने पर विचार किया जाए।

विषय नं० 2. मध्य प्रदेश में मिट्टी के तेल की भारी कमी है। 25 हजार मैट्रिक टन का वर्तमान प्रतिमाह आवंटन हो रहा है जो प्रदेश की आवश्यकता से बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी की कमी हो जाने के कारण अब मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में भी उपयोग में लगाया जा रहा है जिससे समस्या और बढ़ गई है।

वर्तमान में राज्य को कम मात्रा में मिट्टी का तेल मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की जा सकी है जिस से लोगों में भारी असन्तोष है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माथुर कमीशन के सामने भी अपने प्रतिवेदन में अपनी आवश्यकता बताई थी, परन्तु राज्य को मिलने वाले कोटे में कोई वृद्धि नहीं की गई। आशा है कि केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश के वर्तमान 25 हजार मैट्रिक टन के कोटे को बढ़ा कर कम से कम 40 हजार मैट्रिक टन तत्काल कर देगी जिससे कि राज्य में न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो सके।

[अनुवाद]

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम) : अगले सप्ताह के लिए सभा की कार्य सूची सम्बन्धी संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में मैं निम्नलिखित बातें करना चाहता हूं :

(i) तेलगु लोगों के लिए उगाड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार देश के दूसरे नम्बर के सबसे बड़े भाषायी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कुछ वर्ष पहले इस त्यौहार के दिन छुट्टी घोषित की गई थी।

(ii) 1986 के गणतन्त्र दिवस परेड में आंध्र प्रदेश सरकार की सांस्कृतिक झांकी को शामिल करने पर केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति नहीं दी थी यद्यपि इसमें आंध्र प्रदेश के लोगों के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाया गया था। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सभी क्षेत्रों की भावनाओं पर पर्याप्त ध्यान दें तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से घटित न होने दें।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न दो विषयों का समावेश करवाना चाहता हूं।

1. देश के कई जनपद आर० ई० सी० द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत किये जा रहे विद्युतीकरण के राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है उन जनपदों में विद्युतीकरण कार्यक्रम के द्रुत क्रियान्वयन हेतु विशिष्ट योजना बनाये जाने पर चर्चा की जानी आवश्यक है।

2. संविधान की धारा 311(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी कर्मचारी को मात्र इन-सबार्डिनेशन की स्थिति में जनहित में बिना कारण बताये सेवा मुक्त किये जाने को उचित ठहराया है। इस नई परिस्थिति का फायदा सरकारी कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ट्रेड यूनियन गतिविधियों को समाप्त करने व कर्मचारियों को आतंकित किए जाने के लिए किया जा रहा है। सारे देश के कर्मचारी व मजदूर इस स्थिति से आन्दोलित हैं।

अत: संविधान की धारा 310 व 311(2)(बी) आदि को संविधान से निकालने या संशोधित करने की आवश्यकता पर सदन को चर्चा करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगले सप्ताह के लिए सभा की कार्य सूची में निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को सम्मिलित किया जाये :—

उड़ीसा में रेंगली बांध परियोजना एक बहुप्रयोजनीय घाटी परियोजना है जिसका निर्माण अब केन्द्रीय सरकार के खर्च पर हो रहा है। इसके दो चरण हैं। पहले चरण में बाढ़ पर काबू पने तथा विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत गृह निर्माण, जो पूरा होने ही वाला है, करने के प्रयोजन से ब्राह्मणी नदी पर बांध बनाना है। दूसरे चरण में राज्य के काफी बड़े क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने हेतु संबल के अनुप्रवाह पर बांध का निर्माण करने तथा नहर योजना का कार्य रखा गया है। बांध का निर्माण कार्य जो धीरे-धीरे प्रगति पर था अब बिल्कुल रुक गया है। एक यह समाचार है कि आवश्यक धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के परिणामस्वरूप बहुत संख्या में श्रमिकों की छंटनी हुई है जिसमें खासतौर पर श्रमिकों में तथा आम तौर पर जनता में असन्तोष और रोष उत्पन्न हो गया है। देश में कृषि उत्पादन तथा उड़ीसा के पिछड़े राज्य के सामान्य विकास के हित में इस परियोजना का अहम् महत्व है और इसलिए इस परियोजना का कार्य धन के कारण नहीं रुकना चाहिए।

अत: क्या मैं केन्द्रीय सरकार से इस परियोजना के लिए तुरन्त आवश्यक धन की व्यवस्था करने का निवेदन कर सकता हूं ताकि इस परियोजना पर तेजी से कार्य सुनिश्चित किया जा सके?

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैं आम उत्तर देने से पूर्व एक या दो मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि मैंने उठाये गये सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक नोट किया है और मैं निश्चित ही इसे कार्यमंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा। परन्तु मैं दो बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा अर्थात् उस पर जो प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है। परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अन्यों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते ने जो कुछ कहा है, वह जम्मू और कश्मीर में हिंसा की घटनाओं के बारे में था । सरकार जैसा कि अन्य स्थानों की हिंसात्मक घटनाओं से चिंतित है, वैसे ही वह जम्मू और काश्मीर की हिंसात्मक घटनाओं से बहुत चिंतित है और इस मामले पर कार्यमंत्रणा समिति में भी बातचीत की गयी थी ।

दूसरी बात यह है कि, एक माननीय सदस्य ने निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के बारे में कुछ बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि इस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए । राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि इससे सम्बन्धित सभी लोगों से बातचीत की जायेगी इत्यादि । अतः इस मामले का राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिक्र किया गया है । फिर भी उन सभी बातों को जो यहां कही गई हैं मैं कार्यमंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा ।

12.25 म० प०

दिल्ली अपार्टमेन्ट स्वामित्व विधेयक*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी बहुमंजिला भवन में एक अपार्टमेंट के स्वामित्व के लिए और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्र और सुविधाओं में अविभक्त हित के लिए और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दाययोग्य और अंतरणीय बनाने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुसंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी बहुमंजिला भवन में एक अपार्टमेंट के स्वामित्व के लिए और ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्र और सुविधाओं में अविभक्त हित के लिए और ऐसे अपार्टमेंट और हित को दाययोग्य और अंतरणीय बनाने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अब्दुल गफूर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

* दिनांक 28 फरवरी, 1986 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

12.27 म० प०

मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 1986 के बारे में सांविधिक संकल्प और मोटर यान (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अगली मद मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश संबंधी सांविधिक और मोटर यान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेगी ।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगारेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट मिनिस्टर्स और स्टेट कमेटी द्वारा जो इस बिल के संबंध में सिफारिशें की गई हैं, उसके माफिक यह बिल, मोटर ह्वीकिल्स एक्ट, लाया गया है । इस बिल में आब्जैक्ट एंड रीजन्स का स्टेटमेंट भी नहीं है ।

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : आपको गलत कापी मिल गई है ।

श्री सी० जंगारेड्डी : गलत कापी आपने दिलाया है ।

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : यह तो गलत पार्टी में भी है । ···(**व्यवधान**)···

श्री सी० जंगा रेड्डी : गलत मानते हैं, तो सही देने में आपको क्या आपत्ति है । सही है, तो सही बात बताइए । पहले राज्यों को जो नेशनल परमिट देने की लिमिट थी, उसको निकाल कर जितना चाहे स्टेट वाले परमिट दे सकते हैं या अन्य राज्यों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के लिए लाइसेंस दे सकते हैं, इस प्रकार का संशोधन इस बिल में लाया गया है । ट्रांसपोर्ट कमेटी के एक्सपर्टस ने 1980 में जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें कहा है—

[अनुवाद]

"पर्याप्त, कुशल, सुरक्षित और कम खर्चीले सड़क परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मोटर यान अधिनियम के स्थान पर एक व्यापक विधान लाया जाना है ।"

[हिन्दी]

इसके बारे में आपने क्या विचार किया है ? उन्होंने तो समग्र रूप से बिल लाने के लिए सिफारिश की है लेकिन राज्यों को जितने चाहे परमिट देने के अधिकार के बारे में विचार करना होगा । मैं आपको बताना चाहता हूं कि सालाना तीस हजार से ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट हो रहे हैं । कारण यह कि गाड़ियों में कहीं लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है । और कहीं रैड-लाईट की उचित व्यवस्था नहीं है । गाड़ियों द्वारा बगैर कोई इशारा दिए बाजू में रोक देते हैं । नेशनल हाई-वे पर यदि आप देखें, तो किसी-किसी जगह पर दो दो सौ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उनको चैक करने वाला कोई नहीं है, चाहे केन्द्र की तरफ चैकिंग हो या राज्यों की तरफ से मगर चैकिंग तो हो । चैकिंग की उचित व्यवस्था नहीं है । साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब व हरियाणा से जो गाड़ियां दक्षिण भारत की ओर आती हैं, वे सब ओवर-लोडेड होती हैं । दस टन माल यदि ले जाने की अनुमति होती है, तो बारह या तेरह टन माल वे लोग ट्रक पर ले जाते हैं । कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हाईट ऊंची हो जाने के कारण एक्सीडेंट हो जाते

हैं। एक्सीडेंट होने की वजह से इंशोरेंस कारपोरेशन वालों को पैसा देना होता है। दक्षिण-भारत से राजस्थान जाने वाली गाड़ियां रास्ते में ही अपनी गाड़ियों के नम्बर पलट लेते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के लिए जो ट्रकों में मिर्च भेजी गई थी, वारंगल से, उस ट्रक का नम्बर कानपुर या नागपुर में या मध्य प्रदेश में आकर बदल दिया जाता है और ट्रक का माल वहीं पर बेच दिया जाता है। इस प्रकार बाद में उस ट्रक का पता ही नहीं चलता है। दक्षिण से जो भी मिर्च ट्रकों में भेजी जाती है, वह चोरी हो जाती है। इस बारे में राजस्थान में या दिल्ली में कोई शिकायत की जाती है, तो उसको पकड़ने का कोई ढंग नहीं है। उन को पकड़ने की व्यवस्था कर सकते हैं मगर ऐसा पता चलता है कि पुलिस वालों की मिली भगत से ऐसा होता है। दो हजार किलोमीटर, तीन हजार किलोमीटर से ट्रक लाकर दूसरे के नाम पर मिर्च बेचते हैं, कपास लाकर बेचते हैं। यहां से लोग टेलीफोन करते हैं कि इतना माल भेज दो और उनका आर्डर लेकर कमीशन एजेन्ट माल भेजता है लेकिन ट्रक बीच में ही गायब हो जाता है। इसके कारण लोग बहुत परेशान हैं और इसके बारे में आपको सोचना होगा क्योंकि इसमें बड़ा गोलमाल चल रहा है। कोई 10 प्रतिशत से ज्यादा ट्रक ऐसे हैं, जो बिना नम्बर के चलते हैं और अनाज के साथ, मिर्च के साथ और कपास के साथ वे चलते हैं और माल बीच में बेच देते हैं। इस कारण से ट्रक की नहीं बल्कि अनाज की चोरी करते हैं। एक जगह ट्रक ले जाने की बजाए दूसरी जगह उसको ले जाते हैं और बीच बीच में नम्बर बदलते जाते हैं। इसके कारण बहुत गड़बड़ हो रही है। तो मेरा कहना यह है कि नेशनल परमिट की व्यवस्था करते समय, इसको देखना होगा और एक जगह से दूसरी जगह ट्रक जाते वक्त, एक राज्य से दूसरे राज्य में, ट्रक जाते वक्त ठीक तरह से उसकी चैकिंग करनी होगी। मेरा कहना यह है कि खाली नम्बर ही नहीं देखना चाहिए। बल्कि चैसिस नम्बर और इंजन का नम्बर भी देखना चाहिए। अगर नेशनल परमिट ज्यादा दिए जायेंगे, तो जो अनाज ट्रक में भरा जाएगा और वह सही लोगों को नहीं मिलेगा, तो एक लारी में 2 लाख और 3 लाख रुपये की चोरी ऐसे धोखेबाज लोगों के द्वारा होगी और इससे लोग परेशान होंगे चाहे वह व्यापारी हो या किसान हो। राजस्थान में एक कम्पनी है जो इस तरह का काम कर रही है और मिर्च के सीजन में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चैकपोस्ट होती हैं, वहां पर नेशनल परमिट का निरीक्षण करते समय और चैकिंग करते समय, केवल नम्बर ही नहीं देखना चाहिए बल्कि इंजन का नम्बर भी देखना चाहिए और चैसिस नम्बर भी देखना चाहिए और तब उनको छोड़ना चाहिए ताकि ऐसे धोखेबाजों से लोग बच सकें। परमिट देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है और मुझे इसमें आपत्ति नही है मगर धोखेबाजी होने के कारण जो परेशानी लोगों को होती है, उसको दूर करना चाहिए और चैकपोस्टो पर ठीक से निगरानी होनी चाहिए। केन्द्र की ओर से पुलिस का फलाइंग स्कुएड बना कर ऐसे लोगों की मरम्मत करनी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़कर सख्त सजा दिलाना अत्यन्त आवश्यक है।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि 1980 में कमेटी ने यह रिकमेंडेशन की है कि और अब हम लोग 1986 में हैं। 6 साल के बाद हम इस पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने 31 जनवरी को घोषणा की कि पार्लियामेंट का सैशन 20 तारीख को बुलायेंगे। तो दो दिन पहले 28 तारीख को यह आर्डीनेन्स लाने की क्या जरूरत थी। 6 साल से हम बैठे थे। हम इसको बिल के रूप में ला सकते थे। इस प्रकार से आर्डीनेन्स लाना राष्ट्रपति के अधिकारों का दुरुपयोग

करना होगा। आर्डीनेन्स लाने की कोई अमरजेन्सी नहीं थी और एक महीने के बाद हम पार्लियामेंट का सेशन बुला रहे थे। जब 6 साल से कोई जल्दबाजी नहीं थी, तो फिर एक महीने में क्या हो जाता, मुझे पता नहीं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। लोकसभा जो दो महीने बाद मिलती है, उस वक्त विधेयक के रूप में इसको ला सकते हैं। यह आर्डीनेन्स और अध्यादेश लाने की बात को आपको छोड़ना होगा। इसलिए मैंने डिस्एप्रूवल के लिए नोटिस दिया था।

इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो ड्राइविंग लर्निंग स्कूल हैं, वे केन्द्र की ओर से या राज्य की ओर से चलने चाहिए। शोलापुर और बम्बई में तो तीन महीने के अन्दर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है और आन्ध्र प्रदेश में दो साल के बाद भी लाइसेंस नहीं मिलता है। कोई बोलता है कि आइए हम आपको लाइसेंस दिला देंगे और दो महीने, तीन महीने के अन्दर लाइसेंस दे दिया जाता है। और फिर दो महीने के बाद पर्मानेन्ट लाइसेंस दे दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिए और मेरा केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध है कि वे ट्रेनिंग स्कूल बनवाने के लिए एक लेजिसलेशन लाएं और ट्रेनिंग के लिए मिनीमम क्वालीफिकेशन रखी जाए। उसके लिए मैट्रीकुलेशन अथवा निर्धारित सर्टिफिकेट जो दें, उनको ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहिए और सारा मिकेनिज्म एक साल तक सिखाना चाहिए ताकि ज्यादा एक्सीडेंट्स न कर सकें। दिन में चलाने वाले रात में गाड़ी चलाते हैं रात में गाड़ी चलाने के कारण उनको नींद आती है, इसलिए दो-तीन ड्राइवर एक गाड़ी पर होने चाहिए तभी उनको परमिट दिया जाना चाहिए। रात में चलते समय ट्रकों और गाड़ियों के बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, उनका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि तीन-चार बजे के आसपास उनको नींद आती है और उसी नींद में ड्राइविंग करते रहते हैं, स्टेयरिंग पर सो जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए 2-3 ड्राइवर होने पर ही परमिट दिया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप आर्डिनेंस पर बोल रहे हैं या बिल पर बोल रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सी० जंगारेड्डी : दोनों पर एक साथ बोल रहा हूं। राज्य सरकारों की ओर से ड्राइविंग स्कूल चलाने चाहिए। जो लोग शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं उनको चैकपोस्ट पर चैक किया जाना चाहिए और इसकी रोकथाम करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कारपोरेशन, आर०टी०सी० की जो बसेस होती हैं जैसे दिल्ली ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन है, ए०पी० कारपोरेशन है, इन बसों में ओवरलोडिंग होती है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां डी०टी०सी० की बात क्यों कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगारेड्डी : ओवरलोडिंग होती है, वह भी इसका कारण बनती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब हम लोग एक महीने में मिलने वाले थे तो आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी जो बिल पेश किया है तीन दिन पहले, जिस वक्त राष्ट्रपति जी···।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपका नुकसान क्या हुआ है आर्डिनेंस लाने से ?

श्री सी० जंगारेड्डी : नुकसान तो नहीं पर राष्ट्रपति जी का अननेसेसरी एन्वाल्वमेंट करना ठीक नहीं है ।

[अनुवाद]

इन शब्दों के साथ, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 फरवरी, 1986 को प्रख्यापित मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 1986 (अध्यादेश संख्या 4, 1986) का निरनुमोदन करती है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ।

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मोटर यान अधिनियम, 1939 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा ।

सार्वजनिक वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट की प्रथा मोटर यान अधिनियम, 1939 के संगत उपबंधों के अधीन 1975 में शुरू की गई थी । राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया था कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक ट्रक चालकों को राष्ट्रीय परमिट जारी कर सकती हैं । राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत अपना ट्रक चलाने वाले ट्रक आपरेटरों को बेरोकटोक कहीं आने जाने की सुविधा प्रदान की गई थी, यह सुविधा उन्हीं राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रों तक सीमित थी जिनके विषय में ट्रक आपरेटरों ने अपनी पसंद जाहिर की हो । इसके लिए यह जरूरी नहीं कि अन्य राज्य भी उस पर प्रतिहस्ताक्षर करें । उन्हें यह भी सुविधा दी गई थी कि वे एक ही स्थान पर कर जमा करा दें । महोदय, राष्ट्रीय परमिट प्रणाली का सबने स्वागत किया था । राष्ट्रीय परिमटों की संख्या बढ़ाने की लगातार मांग की जाती रही है । यद्यपि केन्द्र सरकार समय समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले आबंटन में कुछ वृद्धि करती रही है तथापि यह देखा गया कि परमिटों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने से आपरेटरों को बहुत कठिनाई हो रही है । इस प्रतिबंध से सड़क द्वारा माल यातायात के विकास में भी बाधा पड़ी है । राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि ऐसे वाहनों की संख्या पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए जिन्हें राष्ट्रीय परमिट जारी किया जाना है । परिवहन विकास परिषद ने भी जिसके सदस्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्री हैं, हाल ही में अक्तूबर, 1985 में हुई बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रीय परमिटों की संख्या पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए और उन्होंने सुझाव दिया कि मोटर यान अधिनियम, 1939 में उचित संशोधन करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाए ।

इन सभी बातों को देखते हुए तथा देश में माल परिवहन को बेरोकटोक आने जाने की सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय परमिट की अधिकतम सीमा के बारे में लगे प्रतिबंधों को तत्काल हटाया जाना अत्यावश्यक समझा गया ।

मोटर यान अधिनियम 1939 में आवश्यक संशोधन राष्ट्रपति द्वारा 28.1 86 को जारी किए गए अध्यादेश के द्वारा किए गए । वर्तमान विधेयक इस अध्यादेश का स्थान लेगा । मोटर यान अधिनियम (संशोधन) विधेयक परमिट पद्धति को उदार बनाने और माल के शीघ्र परिवहन की

आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि वह इसे स्वीकृति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 फरवरी, 1986 को प्रख्यापित मोटर यान संशोधन अध्यादेश, 1986 (अध्यादेश संख्या 4, 1986) का निरनुमोदन करती है।"

"कि मोटर यान अधिनियम 1939 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री जंगा रेड्डी ने कहा कि जब सभा का सत्र 20 फरवरी को शुरू होने वाला था, मंत्री महोदय के लिए जरूरी नहीं था कि वह अध्यादेश जारी करें और अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति जी के अधिकारों का दुरुपयोग करें। यह इतना तत्कालिक मामला नहीं था कि उन्हें अध्यादेश जारी करना पड़ा। मुझे केवल यही आपत्ति है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अब राज्यों को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर में यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार परमिट जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। रेल यातायात सुविधाएं इतनी विकसित नहीं हैं कि वे गांवों तक पहुंच सकें और यह सच है कि जहां परिवहन सुविधा है वहीं विकास है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद मंडी तक पहुंचाने पड़ते हैं और किसानों को अपने उत्पाद बेचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी स्थानीय मंडी में मूल्य कम होते हैं और इस कारण किसानों को अपने उत्पाद दूर दराज की अन्य मंडियों में ले जाना पड़ता है। वर्तमान विधान से किसानों और उद्योगपतियों दोनों को लाभ होगा।

इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्यों को कुछ मार्ग-निर्देश दिए जाने चाहिए क्योंकि उन्हें अब यह अधिकार दिए गए हैं कि वे अब अपनी आवश्यकता से भी अधिक कितने ही परमिट जारी कर सकते हैं। इससे आपरेटरों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि श्री जंगा रेड्डी ने भी कहा कि ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग स्कूल होने चाहिए। हम देखते हैं कि रोज कितनी ही दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें विशेषकर निजी आपरेटर और सार्वजनिक वाहन अंतर्ग्रस्त होते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाना होगा और राज्यों में यातायात नियमों को और भी कड़ा बनाया जाना चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों को सलाह दें कि वह अपने मोटर यान नियमों को कड़ा बनाएं ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को कम से कम किया जा सके ताकि ड्राइवरों द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने से निर्दोष लोगों की मृत्यु न हो तथा नियमों को इसलिए भी कड़ा बनाना चाहिए क्योंकि निरक्षरता के कारण उन्हें मोटर यान नियमों के बारे में कुछ पता नहीं होता। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य में ड्राइवरों के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल खोला जाना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि वह यह मार्गनिर्देश जारी करे कि केवल इन प्रशिक्षण स्कूलों से पास होकर निकलने वाले ड्राइवरों को ही राष्ट्रीय परमिट दिए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश में यह आम बात है कि जो भी व्यक्ति पूना जाता है वह दलाल के माध्यम से 2000-3000 रुपए खर्च करके परमिट प्राप्त कर लेता है और फिर वे राज्य सरकार से कहते

हैं उन्हें रोजगार दिया जाए। इससे बहुत हानि हो रही है। इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए। कुछ नियमों और मापदंडों का पालन करना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंसे देने के लिए एस. एस. एल. सी. की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी होनी चाहिए। अनेक पढ़े लिखे व्यक्ति चालक बनने के इच्छुक हैं। यदि उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का स्वागत करता हूं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में प्रस्तुत मोटर यान संशोधन विधेयक, 1986 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। नेशनल ट्रांसपोर्ट पौलिसी कमेटी और ट्रांसपोर्ट डैवलमैंट कौन्सिल की रिकमैन्डेशन्स के आधार पर ही सरकार इस बिल को यहां लाई है और अब पब्लिक एरियाज को और अधिक राष्ट्रीय परमिट्स मिल सकेंगे।

हमारे भारतवर्ष में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, वहीं हमारे यहां कुछ ऐसे इंटीरियर, दूर-दराज के क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, जहां आवागमन के सामान बहुत कम थे, अब नेशनल परमिट होने के कारण उन इलाकों से भी गुड्स का सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

कुछ समस्याएं इस प्रकार की होती है, जिनके बारे में अपोजीशन के मैम्बर्स ने भी कहा है कि हमारे बहुत से ड्राइवर्स सावधानीपूर्वक ड्राइविंग नहीं करते, वे ड्रंकन स्थिति में रहते हैं और शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाये जाने और ड्रंकन स्थिति में गाड़ी चलाए जाने पर रोक लगाने के लिए लॉ में प्रावधान होना आवश्यक है। आजकल शराब पी कर गाड़ियां चलाने के कारण अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और हमारा जनमें लॉस हो जाता है। परन्तु नियमों में ऐसा प्रावधान है कि यदि एक्सीडेंट की वजह से किसी की डैथ भी हो जाती है तो वह बेलेबल ओफैन्स होने के कारण, ड्राइवर के विरुद्ध सख्त कदम नहीं उठाये जा सकते और इससे उन्हें काफी रिलीफ मिल जाती है। जब तक यह काग्नीजेबल ओफैन्स नौन-बेलेबल ओफैंस की श्रेणी में नहीं आ जाता और ऐसे मामलों में पनिशमैंट का प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। तभी ड्राइवर्स ड्रंकन स्थिति में ड्राइव करने से डरेंगे। मैं चाहता हूं कि इस ओर हमें शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और मैंने पहले भी विशेष जोर देकर कहा है कि हमारे यहां कुछ बड़े अधिकारी-गण जैसे कलैक्टर, अपने ड्राइवर को पीछे बिठाकर गाड़ी को खुद ड्राइव करते हैं। चूंकि वे ड्राइविंग में इतने एक्सपर्ट नहीं होते, इस कारण अक्सर एक्सीडेंटस कर बैठते हैं और कोई दुर्घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी अपने ड्राइवर के ऊपर डाल देते हैं। इस प्रकार की एक घटना 23-11-1985 को गुजरात में प्रकाश में आई है जहां एक कलैक्टर गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे थे और एक्सीडेंट होने पर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी अपने ड्राइवर के ऊपर डाल दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई भी अधिकारी, ड्राइवर के होते हुए, खुद गाड़ी चलाता है, पहले तो उसे गाड़ी खुद ड्राइव न करके, ड्राइवर से ही चलवानी चाहिए, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कदम उठाने चाहिए। जब वह अपनी जिम्मेदारी, किसी

दुर्घटना हो जाने की स्थिति में, अपने ड्राइवर पर डाल देता है तो स्थिति भयानक रूप धारण कर लेती है। हमें ऐसी स्थिति को रोकने के लिए भी लॉ में व्यवस्था करनी होगी।

एक स्थिति जो विशेषकर परमिट-होल्डर्स के सामने अक्सर आती है वह है ओक्ट्राय या चुंगी की डिफीकल्टी और इसके सम्बन्ध में शायद निर्णय लिया जा चुका है कि चुंगी प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए परन्तु अभी तक कुछ स्टेट्स ही इसे समाप्त कर पाये हैं और कुछ राज्यों में यह प्रथा चल रही है। नेशनल कन्सैन्सस बनाकर, केन्द्रीय सरकार को, इसके बारे में कोई निर्णय शीघ्र लेना चाहिए क्योंकि इससे कई तरह की कठिनाइयां, समस्याएं पैदा होती हैं और समय बहुत लगता है। इससे करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है। इस दिशा में भी ठोस कदम उठाये जाने चाहिए और ओक्ट्राय को समाप्त करने के कारण, राज्यों को जो लॉस होता है, केन्द्रीय सरकार उस लॉस की किसी तरह से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी करे, राज्यों को कम्पैन्सेट करे।

एक चीज मैं यह देख रहा हूं कि हमारे यहां कई नेशनल हाईवे डिफैंस प्वाइन्ट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेन्ट हैं, जैसे नेशनल हाईवे नं० 15, बाड़मेर-जैसलमेर हाईवे, बाड़मेर-साचोर, जैसलमेर-पोखरन से बीकानेर और पठानकोट से लेकर काण्डला तक जो नेशनल हाईवे हैं, वे डिफैंस रोड्स की श्रेणी में आते हैं।

जो डिफैंसस रोड हैं, वे तो ड्योढ़ी और डबल हो रही हैं, लेकिन ये रोड जो 12 फीट चौड़ी रोड हैं, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। इन रोड्स को बढ़ाना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि वहां पर मिलिट्री की थल सेना के वाहन चल रहे हैं और वे बड़े-बड़े वाहन होते हैं जब वे रोड पर चल रहे होते हैं, तो पब्लिक ड्रावर्स जो जनता के वाहनों को चलाते हैं, उनको बहुत ज्यादा कोशिश अपने आपको बचाने की करनी पड़ती है, तभी वे बच सकते हैं अन्यथा एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत ज्यादा इन नेशनल हाईवेज पर बना रहता है। अब तो ट्रांसपोर्ट और रेल दोनों को मिलाकर एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, इसलिए यह कार्य दोनों विभागों को देखना चाहिए चूंकि वे रोड थल सेना के वाहनों को लाने और ले जाने के कार्य में आ रहे हैं इसलिए उनको चौड़ा किया जाए। अगर वे चौड़ी नहीं की जाती हैं, तो बड़ा भारी एक्सीडेंट का खतरा होता है। पब्लिक ड्राइवर्स मिलिट्री की वाहनों को देखते ही बहुत सतर्क हो जाते हैं और अपने आप स्वयं बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करते हैं और प्रीकॉशन लेते हैं, इसलिए उन रोड्स पर एक्सीडेंट कम होते हैं। वैसे तो उनकी जिन्दगी को हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन रोड्स को ब्रॉडन किया जाए और ब्रॉडन करने के लिए प्रायर्टी दी जानी चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स न हो सकें।

उपाध्यक्ष जी, लाइसेंस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जो ड्रावर्स कांपिटेंट हैं, उन्हीं को ड्राइविंग लाइसेंस देने चाहिए। ट्रेनिंग के बारे में चार धाराएं इसमें प्रस्तुत कर दी गई हैं। इस बारे में और भी माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं। एक्सीडेंट ज्यादातर जो होते हैं वे लेवल क्रॉसिंग पर होते हैं। कोई भी बस लेवल क्रॉसिंग से क्रॉस कर रही होती है, तो ट्रेन से टकरा जाती है और इस प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन रेलवे के लेवल क्रॉसिंग पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ये न हों, इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां पर भी इस प्रकार के लेवल क्रॉसिंग हैं, वहां पर यदि ओवर ब्रिज बनाए जा सकते हों, तो वे बनाए जाएं और जहां पर लेवल क्रॉसिंग मैंड किए जा सकते हैं, वहां पर ये लेवल क्रॉसिंग मैंड किए जाने चाहिएं, तभी इन एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि ट्रांसपोर्ट और रेलवे दोनों विभागों को इन लेवल क्रॉसिंग को सुरक्षित बनाने के लिए फण्ड्स का प्रावधान करना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट्स न हों।

इन्हीं शब्दों के साथ, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक)* : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 1986 का समर्थन करता हूं और इसका सामान्य रूप से समर्थन करते हुए, मैं इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। 28 जनवरी, 1986 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था और हम एक विधेयक के रूप में उसे अनुमोदित करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि ऐसी क्या गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई थी जिससे कि इस सत्र के आरम्भ होने से केवल 22 दिन पूर्व राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था। इसका कारण कहीं भी नहीं बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का यह पहला अवसर नहीं है, संसद की अपनी गतिविधियों को जारी रखने की उपेक्षा करते हुए छोटी-छोटी बातों पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कराते रहना उनकी आदत बन गई है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में यह स्पष्ट करेंगे कि इस अध्यादेश को जारी कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी।

महोदय, अंग्रेजों के शासन काल में, 1939 के दौरान जब मोटर वाहन अधिनियम मूल रूप में जारी किया गया था; तो उसके पीछे एक विशेष कारण था। उसका उद्देश्य सरकार द्वारा परिचालित रेल परिवहन को उस समय मौजूद गैर-सरकारी परिवहन व्यवस्था की तुलना में अधिक महत्व प्रदान करना था। 1975 में उस अधिनियम में एक संशोधन द्वारा इस बात पर ध्यान दिया गया था कि अधिकांश परिवहन व्यवस्था गैर सरकारी वाहकों के हाथ में रहे। वर्तमान विधेयक के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की अपेक्षा की गई है। सरकार की यह घोषित नीति रही है कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित रेल परिवहन का विकास किया जाये और देश के कोने-कोने में उसका जाल बिछाया जाये। किन्तु हाल ही में जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया है उससे लगता है कि सरकार रेल परिवहन का विकास करने की नीति से हट रही है तथा परिवहन व्यवस्था को अधिकाधिक गैर सरकारी वाहकों को सौंपने का प्रयत्न कर रही है। मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को गैर सरकारी हाथों में सुपुर्द करने की नीति अपना ली है और इस सम्बन्ध में जो उपाय किये गये हैं, उनमें यह भी एक उदाहरण है। इसके परिणामस्वरूप इस देश की परिवहन व्यवस्था धीरे-धीरे गैर सरकारी वाहकों के हाथ में आ जायेगी। परिवहन व्यवस्था जब एक बार गैर सरकारी वाहकों के हाथ में आ जायेगी तब उस पर उनका एकाधिपत्य हो जाएगा और जब ऐसा सम्भव हो जाएगा तब परिवहन मूल्य बढ़ जाएगा क्योंकि उनके पास मोल-भाव करने की

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बेहतर शक्ति है। इससे पूरे देश में सामान की परिवहन लागत निश्चित रूप से बढ़ जायेगी। परिवहन लागत बढ़ जाने पर सभी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ जाएगा। इससे देश में धीरे-धीरे अभाव बढ़ेगा।

महोदय, मैं एक बात और नहीं समझ पाया। हाल ही में पेट्रोल, डीजल आदि के मूल्य बढ़ाये गये हैं और माननीय वित्त मंत्री ने इस मूल्य वृद्धि को यह कहकर उचित ठहराया है कि हमारी ऋण राशि बढ़ गई है इसलिए पेट्रोल, डीजल आदि की खपत को कम करना आवश्यक समझा गया है। इसीलिये इन वस्तुओं की खपत तथा उनका आयात कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। किन्तु क्या वित्त मंत्री द्वारा घोषित नीति और इस विधेयक के मध्य एकरूपता है। वह दोनों बातें किस तरह पूरी कर सकेंगे ? निर्बाध रूप से लाइसेंस जारी करके गैर सरकारी वाहकों को देश की परिवहन व्यवस्था का विस्तार करने के लिए आमन्त्रित किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि इससे पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ेगी। इसलिए इन दो नीतियों में एक-रूपता कहां है ? कृपया यह बात स्पष्ट की जाए।

एक बात और है, महोदय, एक राज्य से दूसरे को परिवहन से ले जाने वाले सामान का सत्यापन करने की समुचित प्रणाली होनी चाहिए। ले जाने वाला सामान किस किस्म का है, उनका वजन कितना है, वाहक कौन हैं आदि के सत्यापन की प्रणाली जब तक विभिन्न चैक पोस्टों पर ढंग से लागू नहीं की जायेगी; तब तक तस्करी बढ़ती रहेगी, अधिक भार ढोने का क्रम जारी रहेगा तथा अन्य धांधलियां बढ़ती रहेंगी। इस पहलू पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.00 म०प०

महोदय, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अनेक सिफारिशें की थीं। बेहतर तो यह होता कि सभी सिफारिशों को शामिल करके एक व्यापक विधेयक लाया जाता। किन्तु ऐसा करने के स्थान पर सरकार ने उनकी एक ही सामान्य सिफारिश मानकर यह विधेयक रखा है कि परिवहन प्रणाली धीरे-धीरे गैर सरकारी परिवाहकों के सुपुर्द कर दी जाये और जनता के हित को तिलांजलि दे दी जाये। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते एक व्यापक विधेयक नहीं लाया जा रहा है। इस सन्दर्भ में एक और बात बताना चाहूंगा। गैर सरकारी मालिकों के अधीन परिवहन कम्पनियों में अनेक कर्मचारी नियुक्त हैं; यथा चालक, हैल्पर, क्लीनर आदि। उनके रोजगार की क्या गारंटी है ? नियुक्ति के समय उनकी न्यूनतम सेवा शर्तें नियत की जानी चाहिए। उन्हें नियुक्ति पत्र, सेवा की गारंटी, चिकित्सा सुविधा, उपदान, पेंशन तथा सेवा निवृति की अन्य सुविधाएं आदि दी जायें। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा गैर सरकारी कम्पनियों अथवा गैर सरकारी लोगों द्वारा चलाई जा रही परिवहन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ये न्यूनतम सेवा स्थिति नियमित या कार्यान्वित कराई जा सके। मेरा अनुरोध है कि गैर सरकारी सड़क परिवहन कम्पनियों में कार्यरत इन कर्मचारियों की सेवा नियमित करने के लिए एक विधेयक तत्काल लाया जाये। मैं इस विधेयक के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं सामान्य रूप से इसका समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न के भोजन के लिए स्थगित होती है तथा दो बजे म०प० पुनः समवेत होगी।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर छः मिनट पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे। मद संख्या—10

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 26 फरवरी, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 11 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा 26 फरवरी, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.07 म० प०

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प [—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री हरीश रावत द्वारा 2 अगस्त, 1985 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रखेगी :

इस सभा की यह राय है कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार उनके विकास का समूचा व्यय वहन करे और—

(क) संबंधित मंत्रालयों में पर्वतीय विकास कक्ष स्थापित करे;

(ख) केवल ऐसे ही क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक्स उद्योग स्थापित करे;

(ग) एक विशेष ऊंचाई से ऊपर के स्थानों में उद्योगों की स्थापना के लिये परिवहन तथा निवेश सहायता बढ़ाये; और

(घ) वन भूमि की खेती के लिए सहायतानुदान ऋण दे तथा विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से बागान, वानिकी, भू-संरक्षण, बाढ़-नियंत्रण, पशुपालन आदि योजनायें, आरम्भ करे।"

पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में श्री हरीश रावत द्वारा रखे गये संकल्पों पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संकल्प पर 6 घंटे और 40 मिनट तक पहले ही चर्चा हो चुकी है, इस प्रकार इसके लिए पर्याप्त समय आवंटित किया जा चुका है। पिछली बार योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ए० के० पंजा संकल्प पर हुई चर्चा पर बोल रहे थे। वह 28 मिनट बोल चुके हैं। मंत्री महोदय का भाषण समाप्त होने के बाद संकल्प रखने वाले को चर्चा का उत्तर देने का अधिकार है। इसलिए इस संकल्प पर चर्चा के लिए 30 मिनट और बढ़ा सकते हैं। मुझे आशा है कि सभा इस बात से सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मेरे विचार से इसे 30 मिनट में पूर्ण करना कठिन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे। श्री ए० के० पंजा अपना भाषण जारी रखेंगे।

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : पिछले अवसर पर जब मैं अपना भाषण समाप्त करने वाला था तब विपक्ष के एक सदस्य ने मुझ से यह आश्वासन चाहा था कि क्या जम्मू और काश्मीर में विद्युत उद्योग स्थापित किया जायेगा या नहीं। जब मेरे द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका तो प्रो० सैफुद्दीन ने गणपूर्ति के अभाव का एक मुद्दा उठाया और सदन को स्थगित करना पड़ा और वाद-विवाद समाप्त नहीं हो सका। आज वह स्वयं उपस्थित नहीं हैं। किसी भी मौके पर आदरणीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

पहली बात जहां तक श्री हरीश रावत का सम्बन्ध है, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में उन्होंने चार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है। जिनके लिए हमें सतत प्रयास करने की आवश्यकता है जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध है, मैंने मुद्दे—वार उनके भाषण को नोट किया है और उत्तर तैयार कर लिया है क्योंकि समय कम है, अतः मैं सीधा ही उत्तर दूंगा जिससे यह छोटा हो सके। जहां तक उनके द्वारा पहला मुद्दा उठाये जाने का प्रश्न है कि केन्द्र सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर आने वाला खर्चा वहन करना चाहिए। इसके लिए श्री मूलचन्द डागा द्वारा एक संशोधन लाया गया है जिसके अनुसार 100 प्रतिशत खर्चे में से 25 प्रतिशत राज्यों से और 75 प्रतिशत भारत सरकार को वहन करना चाहिए। उत्तर है : पहाड़ी क्षेत्र पहले से ही विशेष वर्ग में हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए केवल सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो विकास होगा उस दृष्टि से भी इन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों को सम्पूर्ण योजना में ही नहीं बल्कि विशेष उद्देश्य के साथ भी लिया गया है और इसलिए इसको एक विशेष वर्ग के रूप में लिया गया है। विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए केन्द्रशासित प्रदेशों, राज्य सरकारों और वहां के प्रशासन का ध्यान कुछ ऐसे कार्यों की ओर दिलाना है जिन्हें समयबद्ध ढंग से लिया जाना है जिससे कि पहाड़ी

क्षेत्रों में आशाजनक स्तर पर विकास करे। इसके लिए पांचवीं छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान निधि आबंटन को धीरे-2 बढ़ा दिया गया है। इनके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। बढ़े हुए आंकड़े पांचवीं योजना में 170 करोड़ रुपए थे छठी योजना में 560 करोड़ रुपए और सातवीं योजना में 870 करोड़ रुपए हो गये थे। इसलिए विशेष निधियां बनाने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका प्रभार संभालने की कोई जरूरत नहीं है। इसके दो कारण हैं प्रशासनिक ढांचा अब वहां शेष है, जहां पहाड़ी क्षेत्र राज्यों और केन्द्रशासित राज्यों के निकट स्थित है अब जब प्रशासनिक ढांचे को भी समाप्त कर दिया जाता है तब राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे उन उद्देश्यों और सह योजना के लिए और उप-योजना के लिए अपना हिस्सा स्वयं दे और उसका अनुमान पहले से ही लगा लिया गया और कारण यह है कि विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष अनुदान दिते जाते हैं लेकिन इसके अनुरूप अनुदान भी आना चाहिए और राज्यों का हिस्सा भी उनके बजट से आएगा और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए यही प्रणाली हमने अपनाई है जिसके अच्छे परिणाम निकले हैं।

निष्कर्ष रूप से अब योजना आयोग ने सिफारिश की है जैसा कि आप जानते हो—निर्णय लेने के मामले में विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। अगर आप दिल्ली में भी सभी चीजें और यहीं से आदेश दे तो शायद यह संभव न हो कि सभी सोचे गये विचार और धन जो उस विशेष पहाड़ी क्षेत्र के लिए व्यय किए जा रहे हैं वे उन पहाड़ी लोगों तक पहुंच पाएं जो अपनी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। अतः जो उन्हें अपने विकास के उद्देश्यों के लिए वास्तव में जो चाहिए उस सम्बन्ध में विकेन्द्रीकरण होना चाहिए।

इसलिए योजना आयोग ने भी सामान्य रूप से सभी राज्यों को निदेश दिया है कि योजना कार्य का जिला स्तर तक विकेन्द्रीकरण किया जाये।

अब विशेष राहत के अलावा वहां एक उत्तर पूर्व क्षेत्र है जहां बहुत से पहाड़ी क्षेत्र बसे हुए हैं। उसके लिए पूर्वोत्तर परिषद है जो 1974-75 से यह कार्य कर रही है और उसके लिए केन्द्र से विशेष निधि दी जाती है जिससे पूर्वोत्तर परिषद अपने क्षेत्रों में अच्छी तरह से कार्य कर सके और उन पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान कर सके।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या केन्द्र द्वारा उसकी निगरानी रखी जायेगी।

श्री ए० के० पंजा : जहां तक निगरानी का सम्बन्ध है, प्राथमिक रूप से यह कार्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों का है और हम उन से विभिन्न ब्यौरे और आंकड़े मांगते हैं। वे कैसे कार्य कर रहे हैं उनके लक्ष्य क्या हैं? क्या उनको अपने धन का मूल्य मिल गया है? और क्या उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है आदि। हम राज्यों से सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं यद्यपि आशानुसार यह प्राप्त नहीं होती है।

हमारे प्रधानमंत्री के दबाव देने से इस निगरानी प्रणाली में सुधार हुआ है और हमने राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों से पूछा है जब वे अपनी इकाइयों से निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त करें तो वे इन आंकड़ों को योजना आयोग और कार्यक्रम क्रियान्वित विभाग को भी अवश्य भेजें।

जहां तक पूर्वोत्तर परिषद का सम्बद्ध पांचवीं योजना में यह केवल 90 करोड़ रुपए थी और छठी योजना में 340 करोड़ रुपए था सातवीं योजना में इस सदन की और राज्य सभा की सहमति से इसे बढ़ा कर 675 करोड़ रुपए कर दिया है।

केन्द्र से विशेष सहायता मिल रही है फिर पूर्वोत्तर परिषद को भी विशेष सहायता मिल रही है जिनकी पहाड़ी क्षेत्रों को आवश्यकता है। प्राथमिकताओं को देखते हुए यह अपनी स्वयं की योजनाएं भी बना रही है। जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का सम्बन्ध है योजना में ही एक सह योजना है, जो विशेष क्षेत्र पर अधिक बल देने के उद्देश्य से बनाई गई थी इसके साथ साथ हमारे बहुत से आदिवासी हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए विशेष अनुदान है जो आदिवासी उपयोजना के लिए बनाया गया है इसलिए यदि समग्र रूप से विचार किया जाये तो श्री रावत निसंदेह संतुष्ट हो जायेंगे कि यदि सभी चीजों को केन्द्रीय निधि को बनाने का या केन्द्र से सारा धन देने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा करना लाभदायक नहीं होगा क्योंकि जो लोग इस कार्य को देख रहे हैं वे लोग अपने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा अभी तक किए जा रहे कार्यों के लिए अपना उत्तरदायित्व महसूस नहीं करते। इसलिए जब राज्य सरकारों के ऊपर सारा भार होगा इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि निगरानी हो रही है। यदि निधियों को आदिवासी उप योजना या पहाड़ी उप योजना के विशेष उद्देश्य के लिए निश्चित किया गया है तो हमने यह अनुदेश जारी किए हैं कि जब तक ऐसे कारणों को जो उनके नियन्त्रण में न हो; के बिना, निधियों का उपयोग किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं कर सके यदि वे ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें योजना आयोग को इस बारे में लिखना होगा और इसकी पूर्वानुमति लेनी होगी। इसके लिए उन्हें योजना आयोग को लिखना पड़ेगा और उनकी सहमति लेनी पड़ेगी।

जहां तक पहाड़ी क्षेत्र विकास कक्ष का सम्बन्ध है, मंत्रालय का सम्बन्ध है, यह आवश्यक नहीं है क्योंकि भिन्न-2 मंत्रालयों के अपने विशेष कार्य हैं। लेकिन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए अपना कर्तव्य करना निश्चित रूप से आवश्यक है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रमुखों को एक पत्र जारी किया है कि वनों पर अधिक बल दिया जाये तथा जहां तक वनों की भूमि का सम्बन्ध है उनको कुछ मापदण्डों को ध्यान में रखना है। वे अंधाधुंध वन नहीं काट सकते 13 राज्यों ने अभी तक उन विशेष अनुदेशों को अपनाया है। दूसरे राज्यों ने अभी नहीं अपनाया। हम उनको याद दिला रहे हैं कि यह उनको करना है और उन्हें मंजूरी भी लेनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कल भी कुछ सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था कि पहाड़ी क्षेत्र में किसी कार्यक्रम को लागू करने के लिए वन और पर्यावरण विभाग से आज्ञा लेने में काफी समय लगता है। यहां तक कि झाड़ियों को हटाने के लिए भी मंजूरी लेने में काफी समय लगता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बिजली की लाइन बिछानी है और इसके लिए पिछले दस वर्षों से पत्राचार चल रहा है। वहां कोई भी बड़ा जंगल नहीं है, केवल झाड़ियां हैं।

श्री ए० के० पंजा : हमने योजना आयोग में भी कुछ शिकायतें प्राप्त की हैं···।

श्री हरीश रावत : मैंने इस मामले को कम से कम दस बार इस सदन में उठाया है।

श्री ए०के० पंजा : माननीय सदस्यों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वनों का प्रतिशत अपेक्षित स्तर से बहुत कम है। यद्यपि हम लोगों के लिए बड़े-बड़े बांध बनवाते हैं और अगर पर्यावरण सन्तुलन बिगड़ जाता है तो खतरा पैदा हो जाएगा और जो भी बांध हम बनाते हे या धन व्यय करते हैं वह बेकार हो जाएगा। राजस्थान में मुश्किल से 5 प्रतिशत जंगल हैं

जबकि सारे भारत में 22 प्रतिशत । यह संख्या भी अपेक्षित स्तर से बहुत कम है । यह 33 प्रतिशत तक होनी चाहिए । जब आप राजस्थान की सीमा पार करते हैं और गुजरात में प्रवेश करते हैं जो सीमा से केवल एक किलोमीटर दूरी पर है तो आप पायेंगे कि गुजरात सरकार द्वारा जोर दिये जाने के कारण समूचा पर्यावरण संतुलन बदल गदल गया है । अगर आप सीमा पार करें तो एक किलोमीटर के अन्दर ही आप पायेंगे कि समूचा वातावरण जलवायु की समूची स्थिति, लोगों का स्तर बदल गया है । इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर विचार करेंगे कि इसको बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि बेढंग से बहुत सी चीजें की जा रही हैं । जैसा कि आप जानते हैं कि यह पिछले वर्ष से आरम्भ हुआ है लेकिन अगर हमारे पास विशेष रूप से कोई शिकायत आती है तो हम उसी समय सम्बन्धित विभाग को लिखते हैं । मैं स्वयं सम्बन्धित मंत्री श्री अन्सारी का ध्यान इस ओर दिला रहा हूं कि यहां वनों का एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, जो काटकर गिराया जाना है और कृपया उसे समाप्त करवायें । लेकिन सदस्य निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे कि जहां तक भारत का सम्बन्ध है यह एक खतरा है । हमारा देश मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है । हमारा सारा प्रयास सफल रहा है । हमारे किसानों के कठिन परिश्रम के कारण हमारी स्थिति बहुत मजबूत है । अगर आप पर्यावरण सन्तुलन को बिगाड़ देते हैं तो आप जो भी नहरें बनायें वे बड़ी नहरें हो सकती हैं लेकिन अपवाह क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी । हम चाहते हैं कि देश को खाद्यान्न सप्लाई कर सकें । इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए । निस्सन्देह जहां सदस्य ऐसा कुछ महसूस करते हैं कुछ किया जाना चाहिए जैसाकि श्रीमान जी आपने उल्लेख किया है कि यदि ऐसी बात हमारे ध्यान में लाई जाती है, तो हम निश्चित रूप से दो विभागों, वन विभाग और जल संसाधन विभाग से उनकी स्वीकृति पाने के लिए विशेष अनुरोध करते हैं । उनसे अनुमति मिलने के तुरन्त बाद योजना आयोग के पास एक भी परियोजना विचाराधीन नहीं रखी जाती । मैंने इसकी स्वयं जांच की है और उपाध्यक्ष को बताया है कि योजना आयोग के पास कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है । यदि उनके द्वारा इस पर विचार कर लिया जाता है और हमारे पास जल्दी भेज दिया जाता है तो इसको लागू कर दिया जाता है । इसलिए मैंने वनों पर अधिक बल दिया है ।

जहां तक वनों का सम्बन्ध है, हमने कुछ कदम उठाए हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य अवश्य जानना चाहेंगे । यह प्रश्न अभी ही उठाया गया है । जहां तक वनों का प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा दो के अन्तर्गत वन भूमि का गैर-वनों के प्रयोजन के लिए प्रयोग भारत सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है । पहले इस अधिनियम के विकास कार्य में बाधा डालने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रत्येक मामले में यह पाया गया है कि राज्य सरकारों ने पूर्ण प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करने की परवाह नहीं की है । राज्य सरकारों से प्राप्त सभी प्रस्तावों की शीघ्रता से जांच की जती है और उन्हें परामर्शदायी समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है । राज्य सरकारों को बार-बार सलाह दी गई है कि वे वन क्षेत्र का प्रयोग गैर वन प्रयोजन के लिए करने संबंधी सभी प्रस्तावों को योजना के स्तर पर ही प्रस्तुत करें जिससे परियोजनाओं को शुरू करने में देर न लगे ।

इसलिए इन पर ईमानदारी से विचार किया जाता है । जहां तक कुछ राज्यों का सम्बन्ध है, सदस्यों के माध्यम से राज्य सरकारों तथा उनके निर्वाचन क्षेत्रों से, वे चाहे जहां कहीं भी

स्थित हों, मेरी अपील है कि उन राज्यों को जिन्होंने पेड़ गिराने के लिए आवश्यक शर्तों का अभी तक अनुपालन नहीं किया है, उनको अनुपालन करना चाहिए। हमें वनों को अवश्य रखना चाहिए। हो सकता है कि कुछ स्थानों पर विकास कार्यों के लिए पेड़ गिराये जा रहे हों परन्तु कुछ स्थानों पर बिना कारण के पेड़ गिराये जा रहे हैं। श्री आनन्द पाठक ने एक प्रश्न उठाया है कि क्या कोई मार्गनिर्देश है ? हां उसके लिए मार्ग निर्देश हैं। यद्यपि पश्चिमी बंगाल 'बी' वर्ग में आया है 'ए' में नहीं लेकिन वहां बड़े-बड़े प्रदेश हैं। वर्ग 'ए' ने सभी मानदण्डों का अनुपालन कर लिया है और परिणाम बहुत उत्साहजनक हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल 'बी' वर्ग में आता है अर्थात् वहां एजेंसी प्रणाली है। पेड़ गिराने का कार्य एजेंटों को दिया जाता है। इसे रोकना पड़ेगा। पश्चिमी बंगाल ने आदेश दिए हैं लेकिन उनको लागू करना हमारा काम नहीं है। इसलिए श्रीमानजी, मैं आपके माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से उन मानदण्डों का अनुपालन करने के लिए अनुरोध करता हूं। अगर यह हो जाता है तो निश्चित रूप से विकास परियोजनाओं के लिए वनों के छोटे क्षेत्र की ओर शीघ्र ध्यान दिया जा सकता है और वनों के बड़े बड़े क्षेत्र को बचाया जा सकता है।

दूसरा मुद्दा मेरे मित्र जो अभी भी उपस्थित नही हैं, ने इलेक्ट्रोनिक के बारे में उठाया था : लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्री रावत ने भी इसको ठीक ही उठाया है। मैंने इसकी विशेष रूप से जांच की थी। और सभा की जानकारी के लिए मैं इसका ब्यौरा दे रहा हू। पहाड़ी जिलों में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास की विशेष सुविधा को देखते हुए सरकार इन क्षेत्रों में इसके विकास के लिए बल दे रही है। इलेक्ट्रानिकी विभाग के राज्य मंत्री ने 21 मार्च, 1985 को संसद में एक घोषणा की थी। श्रेणी 'ए' में सम्मिलित पर्वतीय जिलों, जिसका मतलब है उद्योग विहीन जिलों में इलेक्ट्रोनिकी उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय निवेश अर्थ सहायता की सीमा अचल पूंजी में 25 प्रतिशत निवेश की दर से 1-4-85 से 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। इसके अतिरिक्त हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक उद्योग में तीव्र विकास और फैलाव के लिए 109 इलेक्ट्रानिक उत्पादों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों ने इलेक्ट्रानिक उद्योग को स्थापित करने के लिए बहुत से अच्छे उपाय किए हैं। मेघालय में टेलेम कैपेसिटेटर के निर्माण के लिए एक परियोजना स्थापित की जा रही है। मणिपुर सरकार रंगीन टी०वी० बनाने की तकनीकी जानकारी 'केल्ट्रान' से ले रही है। आसाम ने एक राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम की स्थापना की है। अरुणाचल प्रदेश ने भी एक इलेक्ट्रानिकी प्रोद्योगिकी तथा व्यापार निगम की स्थापना की है। नागालैंड सरकार इलेक्ट्रानिक उत्पादों को बनाने के लिए एक परियोजना का निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी घड़ी निर्माण, टी०वी० निर्माण की कुछ इकाइयों की स्थापना की गई है। जम्मू और काश्मीर में इलेक्ट्रानिक विभाग एक इलेक्ट्रानिक डिजाइन टेक्नोलोजी का एक केन्द्र श्रीनगर में स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एच०एम०टी० ने घड़ियों का एक कारखाना और भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड ने टेलिफोन उपकरण निर्माण की एक इकाई स्थापित की है।

मैं श्री रावत को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रश्न उठाया है जिसमें सरकार का ध्यान कुछ परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के ओर आकर्षित किया गया है। जैसा कि मैंने कहा है कि इलेक्ट्रानिक उद्योग के फैलाव के लिए 109 इलेक्ट्रानिक परियोजनाओं का पहले ही विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है।

जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है श्री रावत ने अपने संकल्प के पैरा I(C) में एक प्रश्न उठाया है। भारत सरकार ने जुलाई 1983 में राज सहायता को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का निर्णय किया था। 75 प्रतिशत की इस वृद्धि पर विचार किया जा रहा है। हम इस बढ़ोतरी के प्रभाव पर बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और यह भी अध्ययन कर रहे हैं कि क्या और बढ़ोतरी की आवश्यकता है और क्या कोई संशोधन आवश्यक है या नहीं। इन सब पर विचार तब होगा जब हमें पता चले कि इस बढ़ोतरी ने उन लोगों को किस तरह से लाभ पहुंचाया है इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों को 27 अप्रैल, 1983 को और इसी तिथि से केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के अधीन तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

श्री रावत का चौथा मुद्दा सहायता अनुदान के बारे में है। मैं सदन को बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, स्विटजरलैंड सरकार से श्री रावत द्वारा बताये गये कार्यक्रमों के लिए सहायता प्राप्त की है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने दक्षिणी भागीरथी परियोजना को, जिसमें 190 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र शामिल है, पांच वर्षों की अवधि के लिए 4.90 करोड़ रुपए की सहायता दी है नायर-पानर जल विभाजक परियोजना को विश्व बैंक से 4.62 करोड़ डालर की वित्तीय सहायता के साथ मंजूरी दी गई है। इस पूरी परियोजना में 3,120 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 83 छोटी जल विभाजक परियोजनायें हैं—74 गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र में तथा 9 कुमाऊं पहाड़ी क्षेत्र में। इसके अलावा, अगलर नदी परियोजना को सहायता देने के लिए स्विटजरलैंड सरकार विचार कर रही है तथा बनालगद परियोजना जर्मनी द्वारा सहायता दिये जाने के लिए विचाराधीन है। महत्वपूर्ण लघु जल विभाजक में प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा मृदा एवं जल के संरक्षण के लिए ये विभाजक प्रबंध परियोजनाएं हैं ताकि वातावरण तथा पर्यावरण असंतुलन को रोका जा सके।

अतः हम अपने इंजीनियरों और विशेषज्ञों समेत उन देशों से तकनीकी जानकारी ले रहे हैं जो इस क्षेत्र में आगे हैं। हम तकनीकी जानकारी ले करके ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। अतः इन मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा है।

वन संरक्षण अधिनियम के बारे में मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। अतः सभी चार मुद्दों अर्थात् (क), (ख), (ग) तथा (घ) सरकार के विचाराधीन हैं तथा हमें उन पर विचार करना है। मुख्य मुद्दा हमारे सामने अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए एजेंसियां बनाने का है, अर्थात राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र तथा हम उन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहकर सचेत कर रहे हैं।

इन परिस्थितियों में मैं श्री मूल चन्द डागा से अपील करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले ले और श्री हरीश रावत से अपील करता हूं कि वह अपना संकल्प वापस ले ले क्योंकि इन सब पहलुओं पर पूरी तरह से ध्यान दिया गया है जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सहित सभी 32 सदस्यों को जिन्होंने इस संकल्प पर बहस में भाग लिया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने इस संकल्प के मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए उसके

विभिन्न पहलुओं और उनके प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण किया है और और उन पर अपना समर्थन व राय जाहिर की है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ों की तारीफ करना, उसके सौंदर्य की तारीफ करना बड़ी सरल बात है, लेकिन वहां के विकास के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसको समझना और उसको समझकर उसके पहलुओं को विश्लेषित करना बहुत मुश्किल है, यह मुझको माननीय योजना मंत्री जी के उत्तर से बिलकुल स्पष्ट हो गया है। माननीय योजना मंत्री जी ने जहां अपने विस्तृत उत्तर में कई पहलुओं का जिक्र किया है वहां मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गम्भीरता के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए किस प्रकार से रणनीति बनाने की आवश्यकता है ताकि वहां के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके, उसके विषय में न तो अपने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है और न ही मैंने जो बातें यहां कहीं और हमारे माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, उनमें छिपी हुई भावनाओं को समझने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैंने निवेदन किया था कि राज्यों के पास संसाधनों की कमी है इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को केन्द्रीय सरकार अपने ऊपर ले ले और माननीय मंत्री जी ने उसको केवल यह कह कर टालने की कोशिश की है कि उसके लिए पहले से ही एक प्रशासकीय इकाई बनी हुई है और प्रशासकीय इकाई को मदद देकर पर्वतीय क्षेत्रों को और सहायता दी जाएगी।

मान्यवर, अगर पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की अपेक्षाएं पूरी हो गई होतीं, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के रहन-सहन के स्तर में कोई सुधार प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक आ गया होता, या कोई परिवर्तन हो गया होता, तो मैं समझता हूं कि उत्तर पूर्वी अंचल में इतना बड़ा व्यापक असंतोष पैदा न होता। हमारे असम मे, मेघालय में और दूसरे इलाके में इतना जबर्दस्त असंतोष पैदा होने का कारण यही था कि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक नहीं की, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के विषय में कोई निश्चित रूपरेखा नहीं बनाई गई है और जो अवस्था आज उत्तर पूर्वी अंचल की है, वही उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की भी है।

मैं, माननीय योजना मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे राज्यों को पैसा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है किन्तु उपाध्यक्ष जी, कोई भी कार्य करने के लिए मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में उसी कार्य को करने के लिए दोगुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना और कभी-कभी दस गुना तक पैसा खर्च होता है। राज्यों के पास सीमित साधन हैं और मदद देने का आपका दायरा भी सीमित है, जो मदद आप देते हैं, उससे उस आवश्यकता को पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पहलू पर पुनः विचार किया जाए और राज्यों से पूछा जाना चाहिए कि उनके पर्वतीय क्षेत्रों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं।

उपाध्यक्ष जी, आज तो स्थिति यह है कि जो कार्य उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हमने चौथी योजना के शुरू में प्रारम्भ किए थे, वे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं। मान लीजिए कि किसी डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग चौथी योजना में बननी आरम्भ हुई थी, तो उसकी फील्ड आज तक नहीं बन पाई है, उसमें छात्रों के रहने के लिए हॉस्टेल आज तक नहीं बन पाया है क्यों कि राज्यों के पास पैसे की कमी है। इसलिए वह कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन

करूंगा कि राज्य सरकारों से इस बात का आकलन मंगवा लें कि उनके पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की मौलिक आवश्यकताएं, मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत चलने वाली योजनाएं जो हैं, उनके लिए कितने धन की आवश्यकता है और उस कार्य के लिए पूरा उत्तरदायित्व आप वहन करें, उस के लिए पूरा पैसा आप दें। जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार पूरा धन आप उन क्षेत्रों के विकास के लिए दें। यह मेरा पहला बिन्दु है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा बिन्दु जिसके बारे में मैंने माननीय योजना मंत्री जी से निवेदन किया था वह यह है कि हर मंत्रालय में माउंटेनिंग डिवेलपमेंट के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उसके लिए जरूरी यह है कि हर डिपार्टमेंट में एक सैल बने और वह सैल पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो काम करते हैं उसके लिए एक स्पेशल एलोकेशन अपने वहां रखें।

आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लीजिये। यदि मैं उनसे कहूं कि हमारे यहां टेली-विजन टावर लगाइये, तो वह मुझ से कहेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हमने दो टेलीविजन टावर स्वीकृत कर दिये हैं। लेकिन दो टी वी टावर्स से तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 20 प्रतिशत जनता को भी लाभ नहीं मिल सकता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको 5 टी० वी० टावर्स लगाने पड़ेंगे तो वह कहेंगे कि आपको तो दो दे दिए, हर जगह तो हम एक-एक ही लगा रहे हैं। आपको वहां की भौगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा।

इसी प्रकार की स्थिति कम्युनिकेशन्ज के क्षेत्र में है। एस. टी. डी. से यदि कोई व्यक्ति बात करना चाहे तो हम से कह दिया जायेगा कि आपको अमुक-अमुक स्टेशन तक जोड़ दिया जायेगा लेकिन उस जोड़ने में दो-दो पंचवर्षीय योजनाएं बीती जा रही हैं। अभी भी एक शहर से दूसरे शहर तक लिंक नहीं जुड़ा है। आज भी वहां टेली-कम्युनिकेशन्ज की सुविधा नितान्त चिन्ता-जनक है, जिसको हम कह सकते हैं कि वह प्राथमिक अवस्था में है।

बैंकिंग डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ब्रांच खोलने की नई लाइसेंसिंग नीति बनाई है। उसके अन्तर्गत उन्होंने जनसंख्या पर जोर दिया है, रिटर्न पर जोर दिया है। उन्होंने भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा ही नहीं है। इसका परिणाम यह रहेगा कि हिमाचल, जम्मू-काश्मीर, उत्तर-पूर्वी भारत में एक भी बैंक की शाखा नहीं खुल पायेगी। यदि खुल भी गई तो बैंक के अधिकारी इस तरह का आंकलन बनाकर देंगे कि उस पालिसी के अन्तर्गत एक भी शाखा नहीं खुल पायेगी।

कृषि के क्षेत्र में, अभी भी वहां की प्रायर्टी नम्बर 1 मैं कह सकता हूं, लेकिन किस प्रकार की कृषि वहां हो, उसके लिये किस प्रकार के निर्धारण की जरूरत है, उसके लिए कभी नहीं सोचने की जरूरत समझी गई।

टूरिज्म को बढ़ाने की बात बहुधा कही जाती है। जितना भी टूरिज्म पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ा है वह वहां के प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से बढ़ा है। उसमें हमारा, राज्य सरकार का या केन्द्रीय सरकार का कितना योगदान है? यदि इसके विवेचन में आप जायेंगे तो आप पायेंगे कि आपने सारे टूरिज्म को बड़े-बड़े शहरों तक या कुछ तीर्थ-स्थानों तक सीमित करके रखा है। आपने वहां की प्राकृतिक छटा को देखने के लिए, दूसरों को इन्वाइट करने के लिये, सुख-सुविधाएं देने के लिए वहां पर कोई पैसा ही खर्च नहीं किया।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : अल्मोड़ा बहुत अच्छी जगह है ।

श्री हरीश रावत : इसमें कोई संदेह नहीं है ।

[हिन्दी]

मैंने पहले ही कह दिया ।

[अनुवाद]

पहाड़ों के सौंदर्य की सराहना करना तो बहुत आसान है परन्तु वहां रहने वाले व्यक्तियों की समस्याओं को समझना अत्यन्त कठिन है ।

[हिन्दी]

अल्मोड़ा के अन्दर इतने सुन्दर स्थान हैं ।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : अगर पहला आधार पूरा है तो दूसरा ठीक है ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उद्योग के विषय में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए अलग अलग जगह हैं । कई जगह कार्पोरेशन्ज गठित हुए हैं, कई मंत्रालय गठित होने जा रहे हैं और कुछ लाइसेन्सेज दिए हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्टडी करवा लीजिए । मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ मिनी प्लान्टस के लिए हिन्दुस्तान लीवर लि० को दो लाइसेंस दिलवाये, जिसके अन्तर्गत उनको डिटर्जेंट पाउडर बनाने की यूनिट लगानी थी । पर्यावरण विभाग ने कह दिया कि यह यूनिट यहां नहीं लग सकते क्योंकि इनसे वहां का वातावरण दूषित हो जाएगा । हमने इसे मान लिया । हमने सोचा कि यदि वातावरण को दूषित करने वाली इंडस्ट्री वहां नहीं लगेगी तो इसका मतलब है कि वहां पर इलैक्ट्रानिक इंडस्ट्री लग जाये ।

आपने पालिसी में कुछ छूट भी दी है, सब्सीडी की राशि भी बढ़ा दी है, उसके बावजूद भी आप पूरा देख लीजिए कि इलैक्ट्रानिक्स डिपार्टमैंट ने जो हजारों लाइसेंस दिए होंगे, उनमें से कितने लाइसेंस हिमाचल, जम्मू-काश्मीर, मेघालय, अरुणाचल और यू०पी० हिल्स में दिए हैं ? आप देखेंगे तो पायेंगे कि एक परसेंट भी आपने इलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज के लाइसेंसेज हिल्स के लिए नहीं दिए हैं । अब आप पर्यावरण को दूषित करने वाली इण्डस्ट्री वहां नहीं लगाना चाहते तो इलैक्ट्रॉनिक्स तो पर्यावरण के साथ चल सकती है, उसको भी वहां नहीं लायेंगे तो मैं निश्चित तौर पर आपसे कह सकता हूं कि फिर किस से इसको फायदा होगा । इसको कब सोचने की चेष्टा आप करेंगे ?

आप योजना मंत्री हैं, योजना मंत्री पर सारे भारत वर्ष के आर्थिक विकास का दायित्व होता है । उसी नाते आप कर दें । आप हमारी भावना को इलैक्ट्रानिक विभाग तक पहुंचा दें और उनके लिये कुछ मार्क कर दें तो ठीक होगा । यदि आप कह दें, उद्योग मंत्रालय कह दे कि इलैक्ट्रानिक इण्डस्ट्रीज केवल पर्वतीय क्षेत्रों में लगेंगी तो हमको संतोष होता । आज तो नहीं, कल लगेंगे । मगर आप ने सारी पालिसी ही लिबरलाइज करने के बाद जितने लाइसेंसेज दिये हैं उन सब का लाभ बड़े-बड़े शहरों को मिल रहा है । लखनऊ में लग रहे हैं, कानपुर में लग रहे हैं, गाजियाबाद में लग रहे हैं, दिल्ली में लग रहे हैं, बम्बई में लगे रहे हैं, पूना में लग रहे हैं, लेकिन

हिल्स में जाने को कोई तैयार नहीं है। और तो छोड़िये, जो असेम्बली यूनिट्स हैं जिनके लिए वहां पर स्कोप है, घड़ी के पुर्जे हैं, टेलीफोन है, टेलीप्रिंटर्स हैं, इनको भी इस क्षेत्र में ले जाने के लिये कोई इण्डस्ट्रीअलिस्ट तैयार नहीं है। आखिर यह किसकी कमी है, इस पर योजना मंत्रालय को विचार करना चाहिए।

इसी प्रकार से आप ने वनों की बात कही, ठीक है वन नहीं कटने चाहिएं और वनों को और बढ़ाया भी जाना चाहिए। जब पर्वतीय क्षेत्र में वन नहीं कटेंगे, वन बढ़ेंगे तो उससे सारे देश के वातावरण पर असर पड़ेगा। हम जंगलों को बचाना भी चाहेंगे और आप से या किसी भी और व्यक्ति से पहाड़ में रहने वाला जो साधारण व्यक्ति है, जंगल के प्रति उसको ज्यादा प्रेम है। मगर जगल का प्रेम जो हमारे मन में है यदि आप उसके लिये हमसे कहेंगे कि विकास के तौर पर विकास की एवज में उसकी कीमत अदा करो तो मैं समझता हूं पहाड़ का व्यक्ति कभी उसको सहन नहीं कर पायेगा। कोई भी उसको सहन नहीं कर पायेगा। इस समय हालत यह हो रही है कि यदि एक प्राइमरी स्कूल की इमारत बनानी है और यदि वहां पर एक झाड़ी भी है तो उस झाड़ी को काटने के लिये भी कागज राज्य सरकार तक जायेगा, राज्य सरकार से केन्द्र सरकार के पास जायेगा। तब उस का अनुमोदन मिलेगा। मैं ऐसी एक नहीं दसियों सड़कों के नाम गिना सकता हूं जिनमें निर्माण का कार्य 1978-79 और 1980 में प्रारम्भ हुआ था और आज तक भी आधी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। उनके निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। लोग उसको नमूने के तौर पर बताते हैं। क्या आप इस तरह से पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं? राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के निर्देश पर ऐसे आदेश दे दिये हैं कि खेत की मेड़ पर यदि किसी का पेड़ है तो वह उस पेड़ को नहीं काट सकता। मैं एक किसान हूं और मुझे यह मालूम हो जायेगा कि जो पेड़ मेरे खेत की मेड़ पर है उसको मैं काट नहीं सकता हूं, उसको काटने के लिये मुझे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा? जिस समय वह पौधा उग रहा होगा उसी समय मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तो उसका लाभ किसको मिलेगा? यदि वहां के रहने वाले व्यक्ति के मन में यह भावना आ जाएगी तो उस से किसको लाभ मिलेगा? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर भी विचार करें।

साथ ही साथ यदि वास्तव में वनों को बचाने में भारत सरकार दिलचस्पी रखती है तो हमें वनों के बचाव के पहले वनों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको खत्म करने के लिये कुछ काम करना चाहिये और हमारी निर्भरता को दूसरी तरफ डाइवरसिफाई करने के लिये कुछ काम करना चाहिये। हम उद्योग के लिये उस पर निर्भर हो सकते हैं रोजी रोटी के लिये, उस के लिये हमें रोजगार दीजिये। हमारे यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विकसित करने में मदद दीजिये। आप हमें सघन हथकरघा यूनिट्स दे दीजिये। उसमें हमारे यहां के लोग लग जायेंगे। हमारे यहां के जो दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको विकसित करने में हमारी मदद कीजिये। हम जंगल से ऊर्जा के लिए पेड़ काट कर लाते हैं, लकड़ी लाते हैं। उसके लिये हमें मदद दीजिये। आप हमें सस्ती बिजली दे दीजिये, सस्ती दर पर कुकिंग गैस दे दीजिये, आप हमें सस्ता कोयला दे दीजिए। लेकिन न आप सस्ता कोयला देंगे, न कुकिंग गैस देंगे और आप हमसे कहेंगे कि आप जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते तो इसको कौन सहन करेगा? कोई सहन नहीं कर सकता। आखिर इस

विषय में कौन विचार करेगा ? मैं माननीय योजना मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय में आद्योपांत सोचने की जरूरत है और आप इस विषय में नहीं सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा ।

इस समय विद्युतीकरण का काम चल रहा है । आप कहीं भी पर्वतीय क्षेत्र में जाकर देख लीजिये, जो राष्ट्रीय औसत है ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत, मिनिमम नीड्स के अन्तर्गत कहीं भी ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि जहां 50 प्रतिशत भी उस के अन्दर काम हुआ हो । जब ग्रामीण विद्युतीकरण का काम ही नहीं हो सका है तो लोग उसका उपयोग कैसे करेंगे ? जब उस का उपयोग नहीं करेंगे तो खाना कैसे पकायेंगे और निश्चित तौर से वे जंगल से लकड़ी काटने के लिये जायेंगे । उस व्यक्ति को या उस औरत को आप कहेंगे कि जंगल से लकड़ी काट कर मत लाओ तो कैसे काम चलेगा ? तो जब आप उपदेश दे रहे थे तो आपकी बात मेरे दिल में जम रही थी लेकिन हकीकत के साथ तुलना कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि आप का उद्देश्य जो है और जो सारा यह पर्यावरण शास्त्र है यह सारा व्हाइट कालर लोगों, बाबूशाही के लोगों, गोष्ठियों और विद्वानों तक ही सीमित होकर रह गया है । धरती पर कहीं पर्यावरण की रक्षा का नाम तक नहीं रह जाएगा यदि इस में नीचे से चिन्तन नहीं करेंगे । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसके लिये नीचे से चिन्तन कीजिये और इसके लिये आप चाहे सूचना मंत्रालय हो, बैंकिंग हो, टूरिज्म हो, ऊर्जा हो, उद्योग हो, या इलक्ट्रानिक्स हों, वैकल्पिक ऊर्जा हो, कोई भी विभाग हो उसके अन्दर जो केन्द्र सरकार के मंत्रालय हैं उनमें जब तक आप इसके लिए अलग विभाग या सैल गठित नहीं करेंगे और एलोकेशन नहीं करेंगे, तब तक हिल्स की समस्याओं को वहां की आवश्यकता के अनुरूप देखने की वह कोशिश नहीं करेंगे । इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर आप फिर से विचार कीजिए । इसको आप सतही तौर पर मत लीजिये कि जो स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, वर्षों से बना हुआ है वही अच्छा है—यह कहकर आप टालिये मत । एक से अधिक बार यहां पर कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यक्रम तो चल रहे हैं लेकिन उनमें समन्वय की बड़ी कमी है । आपका जो पर्यावरण विभाग है या वन विभाग है वह वनों को बचाना चाहता है लेकिन दूसरी तरफ वहां के लोगों की परम्परागत रूप से वनों पर जो निर्भरता है उसके लिये कोई विकल्प या सुझाव दूसरे विभाग खोलने के लिये तैयार नहीं हैं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकारें या केन्द्र के विभिन्न मन्त्रालय जो इस कार्य में संलग्न हैं, उनसे कहकर आप एक लांग-टर्म इन्टिग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान बनायें । जब तक आप इस तरह का प्लान नहीं बनायेंगे, काम नहीं चलेगा । ठीक है, आप राज्यों की एजेंसीज को ही दायित्व सौंपिये लेकिन इसको करना आवश्यक है । आप उनको पैसा कितना ही दीजिये लेकिन इच्छा शक्ति भी उनमें पैदा कीजिये । इस समय जो हालत है, चाहे हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो··· (व्यवधान)

अभी मुझे और समय चाहिए । मन्त्री जी ने जो बहुत सुन्दर बातें कही हैं उनका उत्तर देना भी मेरे लिये बहुत जरूरी है । मैं अपनी बातें जरूर रिकार्ड कराना चाहता हूं । इस समय उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में क्या स्थिति है वह मैं बताना चाहता हूं । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही कम से कम सात हाई स्कूल इंटरमीडियेट स्कूल ऐसे बता सकता हूं जहां पर कोई अध्यापक नहीं है । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक जगह गया, मैंने लोगों से कहा कि मैंने यहां पर हास्पिटल

खुलवा दिया है लेकिन जब मैं वहां से चलने लगा तो लोगों ने मेरी कार पर एक स्टूल रख दिया और कहा कि यही आपका हास्पिटल है, इसको लेते जाइये, इसके लिये हमने आपके माला डाली थी। वहां पर कोई डाक्टर ही नहीं था।

[अनुवाद]

श्री ए०के० पंजा : इसे करना राज्य सरकार का काम है।

श्री हरीश रावत : कृपया आप उन्हें कुछ करने के लिये कहिये। आप उन्हें सलाह दे सकते हैं। सभी सरकारों को पश्चिम बंगाल सरकार को मिलाकर।

श्री ए०के० पंजा : कुछ सरकारें ऐसी हैं जो हमारी बात सुनती हैं। कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जो हमारी बात नहीं सुनतीं।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आपका क्या अनुभव है? स्पष्ट ही है कि वह हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत, कृपया समाप्त करिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले कहा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये कोई दीर्घकालीन योजना बनाई जानी चाहिये और वह दीर्घकालीन योजना ऐसी होनी चाहिये जिसका संबंध सीधे वहां की आवश्यकताओं से हो, जिसका सम्बन्ध वहां के लोगों का जीवन-स्तर सुधारने से हो, उनकी पर-कैपिटा इनकम बढ़ाने से हो। आपका अधिक जोर पर्वतीय क्षेत्रों में सामाजिक सुविधाओं का प्रसार करने पर होना चाहिये। इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है कि वहां के लोगों की पर-कैपिटा इनकम को कैसे बढ़ाया जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ योजनाएं हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में चल रही हैं लेकिन उनकी फिजिकल मानिटरिंग करना भी जरूरी है। जब तक आप फिजिकल मानिटरिंग नहीं करेंगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपका उत्तर आता है कि योजना आयोग मानिटरिंग करता है लेकिन वह करता कहां है? आप तो राज्य सरकार के स्तर पर भी मानिटरिंग करने के स्थिति में नहीं हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि फिजिकल मानिटरिंग होनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि जो पैसा आप दे रहे हैं उसका क्या उपयोग हो रहा है और क्या असर पड़ रहा है। यदि उसके असर का मूल्यांकन करने के लिये हर जगह आप मारिटरिंग नहीं कर सकते हैं तो राज्य सरकार उसको करे। उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये अधिक पैसा नहीं दिया जा रहा है। यद्यपि सातवीं योजना में 1057 करोड़ खर्च करने की व्यवस्था की गई है परंतु लोकल लेविल पर प्लानिंग बोर्ड नहीं हैं, राज्य के प्लानिंग बोर्ड के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों को भी तोड़ दिया गया है जबकि वहां के लिए अलग से प्लानिंग सैल होना चाहिये। जैसे कि वेस्ट बंगाल है वहां भी पर्वतीय क्षेत्र के लिये अलग से प्लानिंग सैल बनाना चाहिये। इसी प्रकार से आंध्र है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट का क्षेत्र है या कर्नाटक के जो ऐसे क्षेत्र हैं जो राज्य के बोर्डों के साथ जुड़े हुये हैं वहां भी अलग से प्लानिंग सैल बनाये जाने चाहिएं ताकि केन्द्र से जो पैसा दिया जा रहा है, स्पेशल असिस्टेंट के रूप में आप जो पैसा दे रहे हैं उसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए मानिटरिंग करके आप देख सकें कि ठीक प्रकार से खर्चा हो रहा है या नहीं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह समाप्त हो गया है।

श्री हरीश रावत : खत्म नहीं हुआ है, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प पर हम पहले ही सात घंटे चर्चा कर चुके हैं। और भी कई संकल्प हैं जो चर्चा के लिए आ रहे हैं। कृपया समाप्त करने की कोशिश करिये।

श्री हरीश रावत : मैं पांच या छह मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सम्बोधित करिये। तभी आप समाप्त कर सकते हैं।

श्री हरीश रावत : मैं माननीय मंत्री जी को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे संतुष्ट करिए।

श्री हीरश रावत : महोदय, आपके माध्यम से मैं उन्हें संतुष्ट करने में दिक्कत महसूस कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आपको उनके कमरे में जाकर चर्चा करनी होगी।

श्री हरीश रावत : मैं पांच या छह मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी ने ठीक कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सायल इरोजन की समस्या है और उसके लिए कैचमेंट एरिया प्रोग्राम बने हुए हैं, लेकिन उन कैचमैंट एरिया प्रोग्राम को पर्वतीय क्षेत्रों के बजट के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसको राष्ट्रीय आवश्यकता समझ कर किया जाना चाहिए। यदि पहाड़ों में जंगल लगने हैं, तो उसको राष्ट्रीय आवश्यकता समझ कर किया जाना चाहिए। यदि हिमाचल प्रदेश की सरकार को वनीकरण के लिए पैसा दिया गया है और उसने वन संवर्धन के लिए काम किया है, तो वह काम सिर्फ हिमाचल के लिए ही नहीं किया है, बल्कि सारे देश के लिए किया है। भूमि कटाव को रोकने की समस्या है, यदि पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि कटाव को नहीं रोकते हैं, तो बाढ़ जैसी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रीय समस्या मानकर राज्य को पैसा देना चाहिए। एक बात यह भी है, यदि हिमाचल में सिलटेशन की वजह से पंजाब में बाढ़ आती है, तो पजाब की सरकार को भी इस समस्या को दूर करने के लिए शेयर करना चाहिए। उसी प्रकार बिहार उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बाढ़ का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन राज्यों को भी शेयर करना चाहिए। यह ठीक है कि इस काम को करने के लिए प्लानिंग कमीशन में आपने एक सैल बना दिया है, लेकिन सैल बना देने से काम चलने वाला नहीं है। इसमें एक मैम्बर होना चाहिए, जो केवल माउन्टेन डवेलपमेंट के काम को देखे। जिनकी जिम्मेदारी माउन्टेन डवेलपमैंट की हो और वह सैल को गाइड करे। पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति के बारे में राज्य सरकारों को भी गाइड करे।

आपने यहां पर ट्राइबल सब-प्लान और दूसरे तीसरे विषयों के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई हैं, लेकिन इस ट्राइबल सब-प्लान और दूसरे प्लान्स के लिए पैसा कौन मुहैया करेगा। आपके द्वारा जितना पैसा दिया जा रहा है, वह इतना कम है कि उस फण्ड के रहते समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मेरे अपने ही क्षेत्र उत्तर प्रदेश में घाटीना और मुंशीयारी के लिए ट्राइबल सब प्लान योजना के तहत जितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूं कि उससे उस खण्ड का विकास नहीं हो सकता है। यदि उस क्षेत्र का आपको कल्याण करना है, तो आपको

वहां की आवश्यकताओं को लेकर चलना पड़ेगा। वहां की सारी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए योजना बनानी पड़ेगी।

ट्राइबल सब-प्लान में व्यक्ति के दैनिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही गई है। लेकिन जीवन स्तर तभी ऊपर उठ सकता है, जब उनको काम करने के लिए रोजगार दिया जाए। केवल सड़क बना देने से जीवन स्तर नहीं ऊंचा उठेगा। ट्राइबल सब-प्लान में उनको कच्चा माल देने की व्यवस्था करनी चाहिये, जैसे ऊन, रुई इत्यादि। लेकिन इन चीजों के बारे में ट्राइबल सब-प्लान शान्त है। उनके फिनिश्ड-गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए शान्त है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ट्राइबल सब-प्लान में इस गैप को भरने की जरूरत है।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन है चूंकि कृषि पर हमारे देश की अर्थ व्यवस्था निर्भर करती है, इसलिए कृषि के क्षेत्र में व्यावहारिक अध्ययन करने के लिए टीम बनाकर आप पर्वतीय क्षेत्रों में भेजिये। हालत यह है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी पर्वतीय क्षेत्रों में न इम्पलीमेंट्स बदले हैं, न खेती का पैट्रन बदला है और न आउट पुट बदला है और जमीन की चकबन्दी भी नहीं हुई है। 1947 के बाद जब हालत वहीं की वहीं है तो विकास कैसे हो सकता है। लोगों का ध्यान हम कृषि के क्षेत्र में बांट नहीं पाए हैं। मेरे पिताजी खेती करते थे, मेरे दादा खेती करते थे और आज भी वहीं खेती चली आ रही है। मेरे परिवार की निर्भरता उसी पर बनी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि इस विषय में जो कुछ हमने किया है, उसका बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर दूंगा कि पवतीय क्षेत्रों के लिए जो योजना बने, वह पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बननी चाहिए और हमको पर्वतीय क्षेत्रों को स्पेशल केयर एरिया मानकर चलना चाहिए।

मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि कुछ पालिसी डिसीजन्स इस दौरान किये गये हैं। हो सकता है कि वे दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों पर लागू न होते हों लेकिन हमारे यहां के पर्वतीय क्षेत्रों पर वे लागू होते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट सब्सीडी का जिक्र किया है, जिसमें मैं ट्रांसपोर्ट सब्सीडी भी जोड़ता हूं। ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी के लिए आपने यू०पी० हिल्स के आठ जिलों को लिया लेकिन उसका लाभ केवल कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स को मिल रहा है जो रेल हैड्स के नजदीक हैं। सारे इन्डस्ट्रियलिस्ट वहीं पर अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और ऊपर हिल्स पर नहीं जाना चाहते हैं। हिमाचल में वह स्थिति है, नीचे पोटा साहब या परमानु में उद्योग लगाना चाहते हैं लेकिन अगर किसी से यह कहिए कि तुम मंडी में या ऊपर की एरिया में जाकर इन्डस्ट्री लगाओ, तो कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट तैयार नहीं होगा क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सब्सीडी और इनवैस्टमेंट सब्सीडी की आपकी पालिसी है, उसका लाभ केवल रेल हैड्स के नजदीक के लोगों को मिलता है। अगर रेल-हैड्स के ऊपर के लोगों को भी लाभ देना है, तो इसके लिए आपको पालिसी में तरमीम करनी पड़ेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ट्रान्सपोर्ट पालिसी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है, उसको देश के अनुसार बनाने की जरूरत नहीं है, उसको आपको पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा। अभी आप यू० पी० हिल्स में रेल लिंक्स नहीं दे पाए और न आप पर्वतीय क्षेत्रों में जो ऊपर के स्थान हैं उनमें एयर लिंक्स दे पाए हैं और रोड ट्रांसपोर्ट के लिए आप जितना पैसा देते हैं तो वही किराये की दर है बल्कि उससे भी ज्यादा है, जो मैदानी क्षेत्रों के लिए है और उसका असर वहां के आल-राउन्ड डेवलपमेंट पर पड़ रहा है। मैं आपसे

आग्रह करना चाहूंगा कि जब तक आप वहां पर रेल लिंक और एयर लिंक नहीं दे पाते, तब तक वहां पर सब्सीडाइज्ड रेट्स पर, घटी दर पर किराया देना चाहिए।

एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हिल एलाउन्स उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को आपके द्वारा ही दिया जाता है, आपके द्वारा दिए गए पैसे के अन्तर्गत ही वह दिया जाता है और उसमें नैनीताल का तराई का इलाका भी शामिल है और देहरादून का तराई का इलाका भी शामिल है। इसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी ऊपर हिली एरिया में काम करने को तैयार नहीं होता है और हर कोई व्यक्ति नीचे तराई के एरिया में काम करने को तैयार होता है क्योंकि वहां भी वही सुविधाएं मिल रही हैं जो ऊपर पर्वतीय क्षेत्रों में मिल रही हैं। इस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

अन्त में एक बात फिर से दोहराना चाहता हूं। आपने उत्तर अपनी तरफ से देने की कोशिश की है लेकिन उससे पूरी सोच स्पष्ट नहीं होती है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भारत सरकार के विकास की सोच क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। प्रधान मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत चिन्तित हैं और श्रीमती इन्दिरा गांधी और नेहरू जी ने भी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास पर बहुत जोर दिया था और इन्दिरा जी के समय एक सैल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बना था और योजना का अलग निर्धारण होने लगा था और काफी पैसा दिया जाने लगा लेकिन इस सब के बावजूद आज भी हम वहीं पर हैं जहां सन् 1960 में, 1965 में और 1970 में खड़े थे। कुछ सामाजिक सुविधाओं का प्रसार जरूर हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में अशान्ति न हो, अगर आप चाहते हैं कि हम भी राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जिस तरीके से आज जुड़े हैं उसी तरह से जुड़े रहें, तो उनकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। आज चाहे हिमाचल प्रदेश का, या जम्मू व कश्मीर का या कहीं का भी पर्वतीय व्यक्ति हो, वह यह कहता है कि जब सेना में जरूरत पड़ती है, तो हमारा सैनिक आगे लड़ने के लिए जाता है लेकिन अब जो पढ़े-लिखे नौजवान आ रहे हैं, उनमें असंतोष पनप रहा है, उनमें एक प्रकार की घुटन पैदा हो रही है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में नौकरी की तलाश में आते हैं, तो यहां पर नौकरी नहीं मिलती है और वहां पर आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति वहीं पर है, जहां पहले थी। पहाड़ों के विकास के बारे में बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े भाषण वे सुनते हैं लेकिन उनका असर अपनी धरती पर न देख कर उनमें असंतोष पैदा होता है। यदि आपने उनके असंतोष को चेनेलाइज नहीं किया, एक अच्छी दिशा देने की कोशिश नहीं की और उनके लिए कुछ सुविधाओं का विस्तार नहीं किया, तो यकीन रखिये, जिस तरह की स्थिति पहले आसाम की तरफ थी, मेघालय की तरफ पैदा हुई थी, उसी प्रकार की स्थिति, मैं कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं, वहां के पर्वतीय क्षेत्रों में भी, अब समय अधिक दूर नहीं, पैदा हो रही है। वहां ऐसे तत्व, ऐसे एलीमेंट्स पैदा हो गए हैं और जो यह बात उठाने लग गये हैं और कहते हैं कि यदि हमारे यहां अमुक विकास नहीं कर सकते, तो हमको नेपाल में क्यों नहीं मिला देते, हमको चीन में क्यों नहीं सिला देते, हमारे विकास का दायित्व किसका है, हमको नौकरी देने का दायित्व किसका है और हमारी दिशा-निर्देशन का दायित्व किसका है। जहां तक हमारा सवाल है, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं।

3.00 म०प०

उनके असंतोष को हम कम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें तर्क देने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे तर्क और कोशिशें कहां तक सफल हो पायेंगी जब तक कि भारत सरकार और योजना आयोग पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष नीति नहीं अपनायेगा जिससे कि उन क्षेत्रों का विकास हो सके ।

इतना कहते हुए मैं माननीय मंत्री जी को, दिल से तो धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन औपचारिकता का निर्वाह करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे संकल्प का उत्तर दिया । [अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा क्या आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत, क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री हरीश रावत : जी हां, महोदय । मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य को सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।-

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

चुनाव सुधारों के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि चुनाव सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि लोक जीवन को परिमार्जित किया जा सके तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किये जा सकें, जो इस समय शक्ति, धन, जाति, धर्म तथा अन्य प्रकार की भ्रष्ट प्रथाओं के भ्रष्ट तथा अस्वस्थ प्रभाव से दूषित हो गये हैं और सरकार से सिफारिश करती है कि वह सभी राजनैतिक दलों के साथ व्यापक रूप से विचार विमर्श आरम्भ करे, ताकि चुनाव सुधारों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए मतैक्य हो सके और जनता की सामान्य भावना सच्चे लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिबिम्बित हो सके ।"

इस संकल्प पर बोलने से पहले महोदय, मैं आपके माध्यम से चुनाव में हुए कदाचारों के बारे में सदन को बताऊंगा । महोदय, मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों ने जो गलत

तरीके अपनाये हैं। मैं उनका शिकार हुआ हूं। दूसरे दल के एक उम्मीदवार ने मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के उद्देश्य से 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए और वह भी रायल सीमा जिले में जो कि एक पिछड़ा इलाका है। अतः आप अच्छी तरह यह कल्पना कर सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने इस तरह के गलत तरीके अपनाकर कितना रुपया खर्च किया होगा। इतना ही नहीं बल्कि बम फेंकना, अग्नेयास्त्र, आदि इस्तेमाल करना जैसे कार्य चुनाव के दौरान चलते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पैसा बाहुबल एवं मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना, आदि चुनाव के अंग बन गये हैं और ये सब कार्य विपक्ष के उम्मीदवार द्वारा कराये जाते हैं।

अतः महोदय, चूंकि इन धांधलियों का मैं शिकार बन चुका हूं अतः मैंने उचित समझा कि ऐसी धांधलियों को रोकने के लिए इस सदन के सामने एक प्रस्ताव लाया जाये। मुझे यकीन है कि जिस प्रकार मैं इन धांधलियों का शिकार बन गया था उसी प्रकार कई और उम्मीदवार भी यहां पर हैं जो शायद अपने चुनाव क्षेत्रों में चुनावों के दौरान इन धांधलियों का शिकार बने हों। इसलिए, मैंने उचित समझा कि चुनाव सुधारों के बारे में एक प्रस्ताव जितना शीघ्र लाया जा सकता है, लाया जाये। महोदय, कोई एक सप्ताह पूर्व माननीय विधि मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने इस सदन को बताया कि कई लोगों से सम्मति प्राप्त करनी पड़ेगी। रोज-रोज सरकार से हम ऐसा ही उत्तर सुन रहे हैं। यही कारण है कि मैं इस प्रस्ताव को सदन में लाया हूं।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी देश में चल रहे प्रजातंत्र के मूल आधार हैं। इस सदन के अन्दर और बाहर कई बार बहस हुई है। प्रत्येक पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए जनता में प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा चुनाव आयोग ने समय-समय पर सुझाव दिए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि प्रत्येक नये चुनाव के साथ गम्भीर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं—कुछ का पता चल जाता है, कुछ का नहीं—और मैं चाहूंगा कि सरकार जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र चुनाव सुधार करवाये। हमारे देश के कर्णधारों जैसे स्वर्गीय श्री राजगोपालाचारी और श्री जयप्रकाश नारायण ने "प्रजातंत्र को धनशक्ति से बचाने" की जरूरत के लिए चेतावनी दी थी। बहुत पहले ही उन्होंने पूरे देश को ये चेतावनी दे दी थी। सरकार चुनाव सुधार लागू करने में बहुत सुस्त रही है। सिवाय दल-बदल विरोधी कानून के पिछले वर्ष पास किया गया सरकार ने बार-बार इस सदन में आश्वासन दिए हैं कि सरकार सुझाए गए सुधारों के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की यद्यपि संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति जी के दिए गए अभिभाषण में उल्लेख था कि शीघ्र ही व्यापक चुनाव सुधार लागू किए जायेंगे।

हमें आशा थी कि राष्ट्रपति जो के अभिभाषण के तुरन्त बाद सरकार कार्यवाही करेगी लेकिन कुछ भी नहीं किया गया।

मैं प्रारम्भ में ही कह दूं कि आप चाहे कितने ही कानून बना दें, उनसे चुनावों का पूरी तरह निष्पक्ष होना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। चुनाव सुधार केवल एक आंशिक उपचार हैं, यह केवल आसानी से पकड़ में आने वाली बुराइयों, जैसे धन की शक्ति, शारीरिक बल का प्रयोग तथा मतदान केन्द्र पर कब्जा करने आदि—को कम कर सकता है।

चुनावों में भारी व्यय किया जाता है। सरकार व्यय करती है। चुनाव करवाने में तथा विभिन्न दल और उम्मीदवार चुनाव लड़ने में राशि व्यय करते हैं। कुछ बहुत धनी लोगों को छोड़कर या कुछ पहले स्तर के सिनेमा के कलाकारों को छोड़कर कोई भी अपने संसाधनों से चुनाव का व्यय नहीं जुटा सकता। इसलिए, राजनीतिक दल अधिकाधिक रूप से व्यापारिक स्रोतों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो कि बिना हिसाब-किताब के पैसे द्वारा काम चलाते हैं। दूसरा स्रोत है अनामाजिक तत्वों के गिरोह, तस्कर, डकैत और औद्योगिक माफिया समूह, एक और तीसरा स्रोत है, कमीशन जो सत्तारूढ़ दल द्वारा बड़े ठेके, लायसेंस, परमिट आदि देने के बदले प्राप्त किया जाता है, इसलिए चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार को एक ऐसा चुनाव कोष तैयार करना चाहिए जिससे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को पैसा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार हो, यह सब किस तरह संचालित किया जाना है, यह तो उचित विचार-विमर्श का प्रश्न है, लेकिन जो भी हो यह बहुत महत्व का है। इस सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि चुनावों में व्यय इस सीमा तक पहुंच गया है कि यह अब केवल धनी आदमी के बस की बात ही रह गयी है तथा बहुत से योग्य व्यक्ति तथा जनप्रतिभाएँ चुनाव के मैदानों से बाहर कर दी जायेंगी तथा लोगों के मन में चुनावों की विश्वसनीयता नहीं रह जायेगी।

उम्मीदवारों के चुनाव व्यय की तथा दलों के हिसाब किताब की जाँच करने के लिए चुनाव कमीशन द्वारा एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए; और जो पैसा वे प्राप्त करते हैं उसके लिये उन्हें उत्तरदायी बना दिया जाना चाहिए लेकिन एक संभावना यह भी है कि विभिन्न दल अपने संरक्षकों हितैषियों के नामों को शायद न बतायें जिससे उनको परेशान न किया जा सके।

धन की शक्ति से भी बडी जो चीज है जिससे चुनावों में भ्रष्टाचार होता है वह है उम्मीदवारों की सहायतार्थ किराये के व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शारीरिक बल। जातीय और साम्प्रदायिक संघर्षों में और भी तेजी आने, सार्वजनिक जीवन में आदर्शवाद तथा विचारधाराओं में ह्रास होने, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने तथा चुनावों में गड़बड़ी फैलाने जैसी बुराइयों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को मजाक बना दिया है। जो बुराई एक राज्य में प्रारम्भ हुई—मुझे उस राज्य का नाम लेने की जरूरत नहीं, मुझे आशा है कि हर कोई इसे जानता है—वह सभी राज्यों में फैल गई है। और दरअसल कुछ उम्मीदवार बिल्कुल हीं प्रचार-अभियान नहीं करते और वे पैसे के बल पर तथा किराए के व्यक्तियों के शारीरिक बल के सहारे जीत जाते हैं। यह वही कारक है अर्थात पैसे और किराये के व्यक्तियों के शारीरिक बल का यह गठबन्धन इस देश के लिये एक खतरा बनता जा रहा है, जिससे चुनाव लगभग निजी उद्यम ही बन गये हैं जिनमें बहुत अधिक पूंजी का निवेश है और नैतिकताहीन राजनैतिक नेतृत्व तथा संगठित अपराध के बीच घनिष्ठ गठजोड़ हो गया है।

चुनाव आयोग द्वारा तथा सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित लोगों द्वारा कई बार उपचार सुझाये गये हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया जा सकता है।

पहली बात यह है कि विधान सभा तथा संसद के लिए चुनाव साथ-साथ कराये जाने चाहिए। अलग-अलग चुनाव कराने का कोई भी कारण नहीं है राकनैतिक सुविधा के सिवाये

उनका कोई भी औचित्य नहीं है, विधान सभा तथा संसद के लिए पृथक चुनाव कराने की रीति को समाप्त कर देना चाहिए।

विधानसभा तथा संसद के लिए क्यों हम अलग-अलग चुनाव करायें ? मैं नहीं समझता कि हमारे जैसा गरीब देश केवल एक-दो साल के अन्दर ही दो-दो चुनावों का भारी खर्च वहन कर सकता है। दरअसल, हमारे राज्य में; एक वर्ष में दो या तीन चुनाव हुए। हमारे लिए इस प्रथा को जारी रखना बड़ा कठिन है और इस समस्या पर तुरन्त ही ध्यान देना चाहिये क्योंकि चुनावों को एक साथ कराना सरकार के अपने बस में है। अनुभव ने हमें दिखा दिया है कि चुनावों से कोई छः महीने पहले से ही शासन ठप्प हो जाता है और फिर चुनावों के बाद सुचारु रूप से चलने में उन्हें 2 या 3 महीने लग जाते हैं। इस प्रकार न केवल हम गरीब आदमी के पैसे को बहुत बड़ी मात्रा में बर्बाद कर रहे हैं बल्कि चुनावों के प्रबन्ध करने में भी बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार इससे कई अर्थों में देश को नुकसान पहुंचता है। जो पहले के वर्षों में अर्थात् स्वतन्त्रता के बाद के प्रारम्भिक चुनावों में ठीक था वह अब खराब नहीं हो सकता और इस प्रथा को अब तुरन्त ही समाप्त किया जाना चाहिए। मैं केवल संक्षेप में कुछ मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं जिनसे हमें चुनाव सुधार लागू करने में मदद मिलेगी।

दलों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा चुनावों की वित्त व्यवस्था सम्बन्धी नियंत्रण करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिये। चुनाव आयोग को धन प्रदान करने वाली एक विशेष एजेन्सी को कोष का संचालन करना चाहिए, बिना हिसाब-किताब वाले काले धन को आने से रोका जाना चाहिए।

चुनाव आयोग को और शक्तियां दी जानी चाहिये। चुनावों के संचालन का निरीक्षण करने के लिए उन्हें स्वयं अपने पर्यवेक्षक नियुक्त करने चाहिए। उनको स्वतन्त्र शक्तियां दी जानी चाहिए तथा वे केवल चुनाव आयोग के प्रति ही उत्तरदायी होने चाहिए।

कई चुनाव अपराध जो अदण्डनीय हैं, दण्डनीय बना दिये जाने चाहिए।

चुनावों की घोषणा के दिन से ही सरकार को अनिवार्यतः कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें कोई नई नीतियों की घोषणा नहीं करनी चाहिए और नई परियोजनाएं शुरू नहीं करनी चाहिए, या कोई 'बैंक मेला' आयोजित नहीं करवाये जाने चाहिए। जैसा कि सत्तारूढ़ दल द्वारा पिछले चुनावों से पूर्व किया गया था, इस दौरान कोई सरकारी समारोह भी नहीं होने चाहिए।

यदि मतकेन्द्र पर कब्जे के किसी मामले की पुष्टि हो जाती है तो पूरे विधान सभा खण्ड में चुनावों को अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए और चुनाव आयोग को पूरे विधान सभा खण्ड में पुनः चुनाव कराने के आदेश देने का अधिकार होना चाहिए।

कमजोर वर्गों के लिये चल मतदान केन्द्र प्रारम्भ किये जाने चाहिए। ऐसे कई मामले हैं जब कमजोर वर्गों को मतदान नहीं करने दिया गया। हमारे देश के कई भागों में कुछ कमजोर वर्गों ने अपने जीवन में एक बार भी मतदान नहीं किया है। चल मतदान केन्द्रों को उचित सुरक्षा प्रदान करना भी अत्यन्त आवश्यक है।

जमानत की राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इस समय निर्धारित राशि बहुत कम है, इससे बहुत से छोटे-मोटे या नगण्य उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका जा सकेगा।

उदाहरणार्थ मेरे चुनाव क्षेत्र में पूरे 18 उम्मीदवार थे । इतने अधिक उम्मीदवारों के कारण मत-पत्र बहुत लम्बा हो जाता है और लोगों को उस विशेष चिह्न को, जिसे वे मत देना चाहते हैं, ढूंढ़ने में बड़ा समय लगता है।

प्रत्येक मतदाता के पास फोटो वाला पहचान-पत्र होना चाहिए । मैं समझता हूं कि कई राज्यों में इसकी घोषणा की गई है । प्रत्येक मतदाता को ये पहचान-पत्र जारी करने चाहिए, ताकि कदाचारों को रोका जा सके ।

इसके अलावा सभी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को प्रसारण के समान अवसर दिये जाने चाहिए । हमारा यह दुःखद अनुभव है कि सत्तारूढ़ दल को प्रसारण के लिए अधिक समय दिया जाता है, जबकि अन्य राजनैतिक दलों को उनका उचित समय भी नहीं दिया जाता । चुनाव आयोग से सलाह की जानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दलों के साथ समान व्यवहार किया जाए, हम इसके लिए भी फरियाद करते रहे हैं । सार्वजनिक प्रसारण व्यवस्था स्वतन्त्र होनी चाहिए ताकि सभी दलों के साथ समान व्यवहार किया जाए । मैं सरकार से पुनः जोर देकर कहता हूं कि इस मामले में और देरी न की जाए । चुनाव आयोग ने स्वयं कहा है कि प्रत्येक चुनाव के बाद अनियमितताओं और कदाचारों की संख्या में वृद्धि हो रही है । अतः चुनाव सुधारों को लागू करने के लिए तत्काल उपाय किये जाने चाहिए । जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी पैसा खर्च किया गया । लेकिन यह पता लगाने की कोशिश नहीं की गई कि यह पैसा कहां से आया । इसी प्रकार से, करीब सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनावों में करोड़ों रुपये खर्च करते हैं । लेकिन सरकार या आयकर अधिकारी उनसे कभी नहीं पूछते कि उनके पास यह पैसा कहां से आया । इसी प्रकार से मतदान केन्द्रों पर कब्जे की वारदातें इतनी अधिक हो रही हैं···

(व्यवधान)

3.17 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए ।]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप जानते हैं कि एक सीगा है···

(व्यवधान)

श्री डी० एन० रेड्डी : आप पहली दफा यहां नहीं आये हैं । आपने भी काफी पैसा खर्च किया होगा ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह पूछ रहे हैं कि आपने कितना धन खर्च किया है ?

श्री डी० एन० रेड्डी : आप जाकर चुनाव-खाता देख सकते हैं ।

सभापति महोदय : कृपया ऐसे प्रश्न मत पूछिये और आप भी इनका उत्तर मत दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री डी० एन० रेड्डी : मैं इस विषय पर उनसे बहस करने को तैयार हूं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहें ।

श्री डी० एन० रेड्डी : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग द्वारा एक स्वतन्त्र एजेंसी नियुक्त करके इसकी लेखा परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जोकि केवल इसके लिए उत्तरदायी हो। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर ही चुनाव पर राशि खर्च की गई है। दुर्भाग्यवश, संसदीय चुनाव के लिए यह सीमा 1.5 लाख ही है। यह खेद का विषय है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। गलत खाते भरने की बजाय उन्हें, इस राशि सीमा में वृद्धि करनी चाहिए। जाली आवेदनपत्र और ऐसे उम्मीदवार जिन्हें 25 प्रतिशत से कम वोट मिलते हैं, को चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए जमानत की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए। जमानत राशि को जब्त कर लिया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों की अनावश्यक संख्या को कम करने के लिए यह आवश्यक है। मतदाता के लिए भी उनका चुनाव-चिह्न ढूंढ़ पाना बहुत मुश्किल है। उन्हें चुनाव को मजाक में नहीं लेना चाहिए। चुनाव आयोग को एक स्वतन्त्र निकाय बनाया जाना चाहिए और उसे सभी शक्तियां मिलनी चाहिए और सरकार का नहीं उनका निर्णय अन्तिम होना चाहिए। कई मामलों में राज्यों में चुनाव प्रेक्षक भेजे जाते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ मामलों में ये प्रेक्षक जिसके पास उनके प्रभाव के अधीन कोई शक्ति नहीं होती। अत: चुनाव आयोग अपने प्रेक्षक नियुक्त कर सकता है। ये उसी राज्य से, या केन्द्र से या अन्य स्थानों से नियुक्त किये जा सकते हैं। वे चुनाव आयोग को जवाबदेह होंगे और वे तत्काल कार्यवाही भी कर सकते हैं। न्यायालयों में जाने में होने वाली देरी और परेशानी से भी बचा जा सकता है। कई दफा तो ऐसे मामले सुलझाने में एक-दो वर्ष या इससे भी अधिक समय लग जाता है। चुनाव सम्बन्धी अपराधों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए जिससे कि अन्य दलों के आगामी चुनावों में यह निवारक सिद्ध हो। अब जो चुनाव अपराध संज्ञेय नहीं है उन्हें भी संज्ञेय बनाया जाना चाहिए। अत: मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसको बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और जैसा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया था, जल्दी से जल्दी चुनाव सुधारों को लागू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब श्री शान्ताराम नायक द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे। क्या वह उपस्थित हैं ? वह उपस्थित नहीं हैं। श्री मूलचन्द डागा। क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि संकल्प में,—

"धर्म" **के पश्चात्** "चरित्रहनन" **अन्त:स्थापित किया जाए।** (2)

कि संकल्प में,—

"ताकि" **के पश्चात्** "उनकी सहमति से एक आचार-संहिता बनाई जा सके और" **अन्त:स्थापित किया जाए।** (3)

कि संकल्प में,—

"चुनाव सुधारों" के तत्काल कार्यान्वयन **के स्थान पर**

"चुनाव सुधारों के इसी वर्ष कार्यान्वयन" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (4)

कि संकल्प में,—

"आरम्भ करे ताकि" **के पश्चात्**

"जहां कहीं आवश्यक हो, सभा में इसी वर्ष विद्यमान कानूनों में संशोधन करके तथा नया विधान पेश करके" **अन्तःस्थापित किया जाए** । (5)

सभापति महोदय : श्री धर्म पाल सिंह मलिक ।

[**हिन्दी**]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय सभापति जी, आनरेबल मैम्बर श्री वी०एन० रेड्डी जी ने जो प्रस्ताव यहां पेश किया है, उस विषय में मैं बोलना चाहता हूं । वैसे जो प्रस्ताव पेश किया गया है उस पर बोलते हुए माननीय सदस्य ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं जैसे कोई पक्ष का सदस्य विचार व्यक्त करता है । मैं समझता हूं कि कुछ चीजें इस प्रकार की हैं जो ठीक नहीं हैं और जिन कमियों और त्रुटियों को कानून बनाकर दूर करने की भी आवश्यकता है । लेकिन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जिन बुराइयों को राजनीतिक दल रोक सकते हैं ।

जब भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है और वोटर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू होती है और इस स्टेज से लेकर वोटों की गिनती होने तक, इस प्रोसीजर में बहुत सारी खामियां हैं जिनको हमें कोई नया विधेयक लाकर दूर करना चाहिए । वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सत्र में ये कोशिश की है कि इलैक्टोरल रिफार्म किए जाएं और चुनाव कानूनों में सुधार किया जाए, इसके लिए उन्होंने एण्टीडिफेक्शन बिल लाकर एक बहुत पुरानी बीमारी को, आया राम और गया राम के जो स्लोगन चल रहे थे, उसको समाप्त किया है । हम देखते हैं कि वोटरों की रजिस्ट्रेशन जब शुरू हो जाती है तो वहीं से गड़बड़ी भी शुरू हो जाती है । बहुत सारे माइनर्स को जो 21 साल के भी नहीं होते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और इसमें गांव के पटवारी और अन्य लोग शामिल होकर इस प्रकार की गड़बड़ी करते हैं और इस तरह से वहां पर बोगस पोलिंग कराई जाती है जिसमें बहुत सारे एबसेंटी या डैड वोटर्स की पोलिंग भी चलती रहती है । उससे चुनाव पर प्रभाव पड़ता है और इस तरीके से जो हमारा डेमोक्रेटिक सैट-अप है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है ।

सभापति जी, इसके साथ-साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि चुनाव प्रक्रिया को ठीक रखने के लिए और चुनाव कानूनों में सुधार लाने के लिए तीन-चार चीजों का होना बहुत जरूरी है । नंबर एक तो मैं यह समझता हूं कि जिस इलाके में जिस दल के लोगों की संख्या ज्यादा होती है या जो दल ज्यादा पापुलिरिटी ले लेता है, वह बूथ कैपचरिंग और बूथ रैगिंग करता है और कमजोर आदमियों को उनकी वोट का ठीक ढंग से भुगतान नहीं करने देता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस समय पोलिंग हो उस समय फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, जिससे सही माने में प्रजातंत्र के ढांचे में लोगों की आस्था बनी रहे, इस प्रकार के दलों द्वारा जो बूथ कैपचरिंग होती है, उसे रोका जाना चाहिए ।

सभापति जी, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हरिजनों के लिए हरिजन बूथ का कानून में प्राविजन है कि ये हर जगह अलग होंगे । इसमें एक कमी है, हरिजन बूथ तो अलग बन जाते हैं, लेकिन उस पर जो पोलिंग एजेंट होता है वह कोई भी बन सकता है, जिसके अनुसार ऐसे दल

के लोग पोलिंग एजेंट उसी बिरादरी का या आमतौर से ऐसा आदमी बैठा देते हैं, जो फ्री एण्ड फेयर पोलिंग नहीं होने देता है। जो हरिजन लोग इस बथ में वोट डालने आते हैं, वे उससे डरते हैं। इसलिए मैं इस बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि रूल्स के अन्दर और एक्ट के अन्दर यह तरमीम की जाए किहरिजन बूथ पर हरिजन पोलिंग एजेंट ही पोलिंग एजेंट के रूप में मुकर्रर हो और वह पोलिंग एजेंट भी उसी गांव या उसी इलाके का होना चाहिए ताकि लोगों को यह पता लगे कि पोलिंग एजेंट के तौर पर जो आदमी बैठा हुआ है वह उनका अपना ही है और उस पोलिंग एजेंट को भी यह मालूम हो सके कि जो पोलिंग करने आ रहे हैं, वे उसी गांव के हैं तथा सही पोलिंग हो रही है, कोई गलत पोलिंग नहीं हो रही है। आमतौर से बाहर के लोगों को और गुण्डों को हायर कर लिया जाता है और हरिजन बूथों पर पोलिंग एजेंट के बतौर उनको बैठा दिया जाता है जिसके कारण उस क्षेत्र के हरिजन अपने वोट को फ्री एण्ड फेयर पोल नहीं कर पाते हैं।

सभापति जी, इसके साथ मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं जिसकी प्रस्ताव पेश करते हुए रेड्डी जी ने भी चर्चा की है कि आइडेंटीफिकेशन कार्ड होना चाहिए। इस आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पहले भी चर्चा हुई है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए कार्ड होने चाहिएं और जब तक ये कार्ड नहीं होंगे तब तक बूथ कैपचरिंग या बोगस पोलिंग का कोई इलाज नजर नहीं आएगा।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रीजाइडिंग आफिसर्स ऐसे होते हैं जो किसी उम्मीदवार से या पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं, वह भी चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं और वह खुद भी बोगस पोलिंग को सहारा देते हैं, उसका साथ देते हैं और बहुत बार तो बूथ कैपचरिंग प्रीजाइडिंग आफिसर की सलाह से होता है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही किसी प्रकार की नहीं की जाती है। मेरी गुजारिश है कि चाहे आफिसर हो, चाहे वोटर हो, चाहे कैंडीडेट हो या एजेंट हो, जो भी जुर्म करे उनके खिलाफ काग्नीजेबल औफेन्स होना चाहिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा का प्रावधान किया जाए।

हमारे वर्तमान कानून के मुताबिक कोई भी आदमी 500 रुपये दाखिल करके कैंडीडेट बन सकता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कोई असर ऐसा हो सकता है, कोई पार्टी ऐसी हो सकती है जो कि डेमाक्रेसी के सिस्टम को समाप्त करना चाहते हों तो इस तरह कर सकते हैं। बहुत कुछ लोग पैसे वाले साहूकार से मिलकर इतने कैंडीडेट खड़े कर सकते हैं। हर जगह से कि सिस्टम खराब हो सकता है। बिलफर्ज हिन्दुस्तान में 544 सीटों पर हर जगह 100-100 आदमी तैयार हो जाएं, उनके नामांकन फाइल करा दिए जाएं और कोई पैसे वाला साहूकार आदमी उनको फीड करे तो मेरे ख्याल में इस वर्तमान कानून के मुताबिक तमाम डेमोक्रेटिक ढांचा समाप्त हो सकता है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो कैंडीडेट्स बढ़ते जा रहे हैं, उनकी इन्क्रीज पर रोक लगानी चाहिए। कानून में कोई न कोई इस प्रकार का प्रावधान हो जिससे गलत असर, जिनकी मंशा चुनाव जीतने की नहीं होती है, जो कि पालिसी बेसिस पर नहीं आते, बल्कि डायरेक्टली या इन डायरेक्टली किसी कैंडीडेट को हराने के लिए आते हैं वह रुक सकें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काउंटिंग के समय भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। बहुत सारे बंडल्स में दूसरी पार्टी के कैंडीडेट के निशान लगा दिये जाते हैं और बहुत से ऐसे तेज आदमी होते हैं जो हर तरह से हेराफेरी कर सकते हैं। इसलिए यह सारा सिस्टम इस तरह से

फूल प्रूफ हो जिससे जो लोगों की इच्छा है, वही व्यक्त हो और जिसको चुनकर वह भेजना चाहते हैं, वही उसमे कामयाब हो ।

इसके अलावा मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि हम जितने लोग पार्लियामेंट में चनकर आते हैं, वह सभी अपने रिटर्न भरते हैं । मेरा ख्याल यह है कि जो रिटर्न भरे जाते हैं वह सबको ज्ञान है कि किस ढंग से भरे जाते हैं । जब हम सबको पता है, हम सचाई का नाम लेकर राजनीति में आते हैं, सचाई की कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं और पहली झूठ वहीं से शुरू हो जाती है जहां से रिटर्न फाइल करते हैं । इस पर हमें ध्यान देना चाहिए । हम एक फामेलेटी आबजर्व करने के लिए कि कानून में यह लिखा है, उसी ढंग से उसको देखते हैं । अगर हम एक लाख रुपया खर्च करते हैं तो 60 हजार का रिटर्न भर देते हैं अगर 2 लाख का प्रावधान कर दिया जाए तो रिटर्न डेढ़ लाख का भर देंगे । जब हम खुद कानून बनाने वाले हैं, क्या हम अपने लिए भी इस तरह का कानून नहीं बना सकते जिससे हमको कम से कम झूठ की कतई जरूरत न हो जो कि हमें बोलना पड़ता है ।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि वोटिंग की रजिस्ट्रेशन जो लोग करते हैं, उन पर बाकायदा चैक होना चाहिए । जैसा मैंने शुरू में कहा था, वहीं से गलत वोटिंग पड़नी शुरू हो जाती है । जो आदमी वहां नहीं होता है, बहुत सारे एबसेंटीज जो कहीं पर भी नहीं हैं, फिक्टीशियस नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और उनका भुगतान कर दिया जाता है । इस तरह का रजिस्ट्रेशन वहां होता है जहां कैंडीडेट का बहुत कुछ अपना प्रभाव होता है और बाहर से लोगों को लाकर वोट डलवा दिये जाते हैं । तो मैं इस लिहाज से यह कहना चाहूंगा कि बोगस या एबसेन्टीज या डैड वोटर्स के रजिस्ट्रेशन को चैक किया जाये । उस पर पूरा ध्यान दिया जाये और जो आफिसर ऐसे होते हैं जिनकी वोट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ड्यूटी होती है उनकी बाकायदा चैकिंग हो । गलत रजिस्ट्रेशन कराने वाले के खिलाफ बाकायदा सख्त कार्यवाही हो । यह मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे पन्द्रह साल, सोलह साल के लड़के लड़कियों के वोट बनवा दिए जाते हैं और वह वोट डाल जाते हैं । बहुत से वोटर्स, ज्यादा नहीं तो 15-20 प्रतिशत वोटर्स हिन्दुस्तान के ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन दो तीन या चार जगह बने हुए होते हैं और वह कई बार हर जगह अपना वोट इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे सही माने में जो लोगों की विल है या जनता की विल है वह बिलकुल फस्ट्रेट हो जाती है और जो तेज तरार लोग हैं वह चुनाव के अन्दर नाजायज तरीके इस्तेमाल करके कामयाब हो जाते हैं । मेरी यह गुजारिश है कि इसके लिए कैंडीडेट्स के लिए कुछ शर्तें जरूर रखी जानी चाहिए, कोई इसके लिए क्वालीफिकेशन रखी जानी चाहिए क्योंकि यदि इस किस्म की चीजें हम नहीं रखते तो उससे हमें नुकसान हो सकता है ।

पंजाब के अन्दर जो चुनाव हुए उसमें हमारी सरकार ने आर्डीनेंस जारी करके एक अच्छी चीज यह की थी कि यदि किसी इंडिपेंडेंट कैंडीडेट की मृत्यु हो जाए चुनाव के पहले तो उससे चुनाव स्थगित नहीं होगा । वरना जो गलत लोग हैं वे इस का नाजायज फायदा उठाकर इस किस्म के कैंडीडेट्स के नामिनेशन फाइल करवा सकते हैं जिनकी बाइचांस नेचुरल कोर्स में डेथ हो जाए चुनाव के पहले या उसको लिक्विडेट भी किया जा सकता है । कुछ लोग इस किस्म की प्लानिंग करके इस चुनाव की प्रक्रिया को खत्म कर सकते हैं । तो इस प्रकार से मैं सुझाव देगा चाहता था कि इस प्रस्ताव के तहत आज ऐसा समय है कि हमें चुनाव प्रणाली के अन्दर सुधार करने की

सख्त जरूरत है ताकि फ्री और फेयर एलेक्शन हों जिससे लोगों का विश्वास आज के डेमोक्रेटिक सेट अप में बना रहे। वरना, होता क्या है कि लोग कुछ चाहते हैं और नतीजा कुछ निकल जाता है। इससे लोगों का इस प्रणाली में अविश्वास बढ़ेगा और उनका विश्वास खत्म हो जाएगा जिससे तमाम ढांचे को नुकसान होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, एलेक्टोरल रिफार्म्स के बारे में हमारे रेड्डी साहब ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि अभी जो बोल रहे हैं इन्हीं की पार्टी सब से ज्यादा गड़बड़ करती है वेस्ट बंगाल में। इसलिये खासतौर से इसकी जरूरत है कि एलेक्टोरल रिफार्म्स किये जायें। बंगाल में जितने चुनाव होते हैं, वह जैसे कि एक बात कही गई है कि मसिल्स के जोर से यानी डंडे के जोर से चुनाव में वोट लिये जाते हैं, यह स्थिति अगर कहीं देखनी हो तो वेस्ट बंगाल में चले जाइये, वहां देखने को मिल जाएगा। इसलिये यह बहुत ही आवश्यक चीज है कि इस प्रकार की स्थिति को रोका जाना चाहिये। एक बात तो यह है कि लाठी के जोर से जगह-जगह बूथ कैपचरिंग भी कर लिया जाता है और वोट भी सब डलवाए जाते हैं। इसके साथ-साथ जातिवाद के नाम पर···

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : तब आप पैसा खर्च करें और वोट मत लीजिए।

व्यवधान]

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदय, यह बिल्कुल सत्य कहा है मैंने जो कुछ भी कहा है, माननीय लॉ मंत्री जी इस बात को बताएंगे कि आपके यहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। यह मैंने बिल्कुल सत्य कहा है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : क्या इनको कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है? पश्चिम बंगाल में मतदान-केन्द्रों पर कब्जे हुए इसका क्या प्रमाण है? क्या वह चुनाव आयोग की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहे हैं? उन्हें ऐसा कहने दें। बिहार में मतदान-केन्द्रों पर कब्जा किये जाने का कांग्रेस पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। समाचार-पत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं। **(व्यवधान)** समाचार पत्रों में ऐसा लिखा हुआ है और स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार में मतदान केन्द्रों पर कब्जे हुए हैं।

(व्यवधान)

आप ऐसी बातों की अनुमति कैसे दे सकते हैं। या तो आप इन सबको कार्यवाही-वृत्तांत से निकालें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : पंचायत के चुनाव में वेस्ट बंगाल के अन्दर यही प्रक्रिया अपनाई गई है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल में पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव तो अलग रहे, पंचायतों के चुनाव में भी इन्होंने यही प्रक्रिया अपनायी है। हमारे कैंडीडेट्स

को जगह-जगह इन्होंने बन्द कर दिया और इस तरह से आपने सब जगह वहां पर कब्जा कर लिया। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह सुझाव बिल्कुल उपयुक्त है।

[अनुवाद]

उनका वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं है। उनके पास क्या प्रमाण है? उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। उन्हें चुनाव आयोग के दस्तावेजों से कोई प्रमाण देना चाहिए। वह जो भी मन में आता है बोले जा रहे हैं।

सभापति महोदय : किसी राजनैतिक दल पर आरोप लगाने की बजाए, आप विषय पर बोलें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं सच कह रहा हूं।

विधि और न्याय मंत्री श्री ए०के० सेन : माननीय सदस्य इतने भावुक क्यों हो रहे हैं?

श्री अमल दत्त : मैं बिल्कुल भी भावुक नहीं हूं। मुझे इसी समय अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिये, अन्यथा दो सप्ताह बाद, इस विषय पर पुन. चर्चा होगी और इसी बीच वह पुनः इन्हीं बातों को दोहरायेंगे। श्री सेन, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में मतदान केन्द्र पर कब्जे का कोई आरोप नहीं है।

[हिन्दी]

गिरधारी लाल व्यास : वेस्ट बंगाल में पंचायतों के चुनावों में भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई गई है। असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं लेकिन पंचायतों के चुनावों में भी आपने यही प्रक्रिया अपनाई। इसी तरीके से आपने वहां पर जबर्दस्ती कब्जा किया।

इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनका सुझाव जो है वह बिल्कुल उपयुक्त है और इस बात को माना जाना चाहिए। जहां कहीं भी इस प्रकार से लाठी डंडे के जोर से कोई वोट लेने की बात करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए तथा ऐसे सारे एलेक्शन को निरस्त कर देना चाहिये। सबसे पहली बात तो मुझे यह कहनी थी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि ऐसी पोलिटिकल पार्टीज जो जातिवाद के आधार पर वोट लेना चाहती हैं, जाति आधार पर अपने कैंडीडेट्स खड़े करती हैं और उस जाति विशेष के लोगों को गुमराह करना चाहती हैं··· (**व्यवधान**) मैंने किसी पार्टी के लिये नहीं कहा है, मैंने तो यह कहा है कि वेस्ट बंगाल में इस प्रकार से चुनाव हुये हैं। पता नहीं वेस्ट बंगाल का नाम लेने से ही आपको क्यों पसीना आ जाता है? (**व्यवधान**) मेरा निवेदन यह है कि किसी को भी जातिवाद के आधार पर चुनावों में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। आज कुछ लोग देश में जगह-जगह पर जातिवाद के आधार पर वोट प्राप्त करके लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं जबकि न तो उनके पास न कोई पालिसी है और न कोई प्रोग्राम ही है। वास्तव में पालिसी और प्रोग्राम के आधार पर ही वोट प्राप्त किये जाने चाहिये। पार्टी की नीतियों के आधार पर वोट प्राप्त किये जाने चाहिये। (**व्यवधान**) मैं यह कह रहा था कि बाज जगहों पर ऐसा होता है कि जाट जाट के नाम पर वोट लेता है, गूजर गूजर के नाम पर वोट लेता है, ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर वोट लेता है और राजपूत राजपूत के नाम पर वोट लेता है।

इस प्रकार से बहुत गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है। इसलिए इस बात को भी एलेक्शंस में ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिस कांस्टीटुएंसी में किसी विशेष कम्युनिटी के लोग हों वहां उस कम्युनिटी को गुमराह करके जातिवाद के आधार पर वोट प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हो उनको निश्चित तरीके से रोका जाना चाहिए क्योंकि जातिवाद जहां भी आएगा वहां पर कम्युनल भावनाएं फैलेंगी और यह बात हमारे देश के लिए बहुत ही घातक होगी। ये भावनाएं हमारे देश को तोड़ने वाली हैं इसलिये इस आधार पर किसी को भी वोट नहीं मिलने चाहिए और इस तरह की बातों को निश्चित तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।

तीसरी बात मुझे पैसे के बल पर वोट प्राप्त करने वालों के सम्बन्ध में कहनी है। देश में इस तरह के पूंजीपति लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं जिनका जनता से कोई सम्पर्क ही नहीं होता है और न ही जनता से कुछ लेना-देना रहता है परन्तु इन्डेपेन्डेन्ट कैंडीडेट के रूप में वे लोग खड़े हो जाते हैं और अपने चुनाव में अनाप-शन प पैसा खर्च करते हैं। मैं तो ला मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि इस देश में इंडेपेन्डेन्ट कैंडीडेट्स की व्यवस्था को ही समाप्त कर देना चाहिए। इंडेपेन्डेन्ट कैंडीडेट के रूप में किसी को खड़े होने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए बल्कि पार्टी के आधार पर ही चुनाव होने चाहिए और उसी आधार पर वोट प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य इंडेपेन्डेन्ट कैंडीडेट्स की प्रथा को ही सपाप्त करने देने की बात कह रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा सुझाव बहुत उपयुक्त है। जैसाकि मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने भी कहा है कि बहुत सी कांस्टीटुएन्सीज में पैसे वाले लोग खड़े हो जाते हैं और पांच-पांच सौ रुपया देकर और भी चालीस आदमियों को खड़ा करा देते हैं। जाति के आधार पर 200-200 वोट प्राप्त कर लिए, तो कई हजार वोट खराब हो जाते हैं। थोड़े से डिफरेंस से जीतने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान होता है। कई बार ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जाता है जो बिल्कुल मरने वाली स्थिति में होता है। आदमी मर जाए तो सारा चुनाव समाप्त हो जाए। कानून बना दिया है कि यदि ऐसे कैंडीडेट मर जायें तो चुनाव समाप्त नहीं होगा। मगर इंडिपेंडेंट कैंडीडेट की व्यवस्था निश्चित तरीके से समाप्त की जानी चाहिए। यह किसी के हक में नहीं है, न देश के हित में है और न ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हक में है। इसलिए इंडिपेंडेंट की व्यवस्था निश्चित तरीके से समाप्त की जानी चाहिए।

श्री रेड्डी जी ने ठीक कहा है कि चुनाव में काफी पैसा खर्च किया जाता है और हमारे जैसे गरीबों के पास पैसा नहीं है। हमारी पार्टी जो पैसा देती है, उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ कर आते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास स्वयं का बहुत सारा पैसा है, बड़े-बड़े जमींदार हैं, जिनके पास ब्लैक मनी पड़ी हुई है, जिस पार्टी से वे खड़े होते हैं, वह पार्टी जो पैसा देती है, उसके अलावा वे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते है। ऐसी स्थिति में चुनाव अनफेयर हो जाते

हैं। इसलिए मेरे विचार से सरकार की तरफ से पैसे की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि चुनाव में सही कैंडीडेट आ सकें और इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बना सकें।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जिस प्रकार प्रचार व प्रसार होता है, लड़ाई-झगड़े होते हैं, बम फेंके जाते हैं, यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। जैसे इंग्लैण्ड या दूसरे देशों में होता है, एक पार्टी अपना चुनाव मैनिफैस्टो निकालती है और रेडियो के जरिए से कैंडिडेट ने अपना भाषण दिया, उसके आधार पर जो लोग उसकी बात को पसन्द करते हों, वे उस पक्ष में वोट दें और जो पसन्द नहीं करते हैं, वे उसके पक्ष में वोट नहीं दें। इस आधार पर जब चुनाव में लोग जीतकर आयेंगे, तो जो लड़ाई-झगड़े होते हैं, जो लाखों रुपया खर्च होता है, ये सब समाप्त हो जायेंगे और सुचारु व्यवस्था से काम होगा। इसलिए इस बात को निश्चित तरीके से करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो हमारा प्रजातंत्र मजबूत होगा। आज जिस तरह से फण्ड इकट्ठा किया जाता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो भी चुनाव लड़ेगी, वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों से पैसा लिए बगैर चुनाव नहीं लड़ सकती है। चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे सोशियलिस्ट पार्टी हो कोई भी पार्टी बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ सकती है। चुनाव में पैसा तो पैसे वालों से ही आएगा, जब पैसा उनसे लिया जाता है, तो वे हजारों का काम हमसे कराने की कोशिश करते हैं। कभी नाजायज काम भी उनके करने पड़ते हैं। सरकार को मजबूर होकर करने पड़ते हैं। जो लोग पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी इनकी पैरवी करनी पड़ती है, चाहे उनका आदर्श कुछ भी हो, लेकिन जिन लोगों से पैसा लिया गया है, उस पैसे का लाभ निश्चित तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से रोका जाना चाहिए। आपने प्रावधान किया है पोलिटिकल पार्टीज को चन्दा लेने का अधिकार रहेगा, पहले इस अधिकार को रोका गया था, लेकिन फिर अब इसे शुरू कर दिया गया है। वापिस शुरू करने में जो पार्टी स्वयं गवर्नमेंट में बैठी है या जो पार्टीज पोलिटिकल इन्फ्लूयेंस कर सकती है, जिन पार्टीज के हाथ में मजदूर लोग हैं, जो उनकी इन्डस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं या झगड़ा करा सकते हैं, उन पार्टीज को निश्चित तरीके से दबकर वैसे पूंजीपति लोग या वैसे बीजनैसमैन पैसा देंगे। इसलिए निश्चित तरीके से उन लोगों का काम आपको करना पड़ेगा। इसलिए आज इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

एक सुझाव यह भी है कि राजनीतिक पार्टियों को अपना फण्ड जनता के बीच में जाकर इक्ट्ठा करना चाहिए। बड़े-बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर चुनाव लड़े जाने को ठीक नहीं समझा जाना चाहिए और उसमें निश्चित तरीके से गड़बड़ी होती है और निश्चित तरीके से पोलिटिकल पार्टीज को उनका काम कराना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के फंड कोई भी पोलिटीकल पार्टी न ले। इस व्यवस्था को रोकने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इसी तरीके से मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर पार्टी के पास पैसा आता है और आज बहुत सारी तो ऐसी पार्टियां हैं, जो देश में ही चन्दा इकट्ठा नहीं करती हैं मगर विदेशों से भी बहुत सारी पोलिटीकल पार्टियों को पैसा आता है और इसको देखने की आवश्यकता है। हमारी सरकार को इसको देखना चाहिए कि कौन सी पालिटीकल पार्टीज हैं, जिनके पास विदेशों

से पैसा आता है। हमारी डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए और यहां पर अन्य प्रकार की व्यवस्था कायम करने के लिए निश्चित तरीके से इस पैसे का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि सन् 1977 में जब चुनाव हुए, तब क्या हुआ। 1977 से पहले जिनको कन्सट्रक्टिव एसोसिएशन कहते हैं, जिनको कन्सट्रक्टिव प्रोग्राम करने वाली संस्था कहते हैं, उनके जरिये करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान के अन्दर आया और उन करोड़ों रुपयों का उपयोग पालिटीकल पार्टीज के लिए हुआ और इस देश का वातावरण खराब किया गया। उन्होंने इस देश के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था करने की कोशिश की, जिससे यहां की डेमोक्रेसी समाप्त हो जाए और ऐसी व्यवस्था में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। इसलिए इस व्यवस्था को भी चैक करने की आवश्यकता है। विदेशी शक्तियां जो हमारे देश की राजनीति में उथल पुथल करना चाहती हैं और अपने प्रकार की सरकार यहां पर लाना चाहती हैं, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, जिनको कंस्ट्रक्टिव संस्था कहते हैं और जिनके पास पैसा है, उन पर हमको निगरानी रखनी चाहिए। चाहे सी० आई० ए० हो या अन्य संस्था हो, इस प्रकार की संस्था यहां पर अपना पैसा भेज कर हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को निश्चित तरीके से नाकाम करने की कोशिश में बराबर लगी हुई हैं। इसलिए मैं आप के जरिये से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के पैसे को यहां आने से निश्चित तरीके से रोका जाना चाहिए वरना 1977 का हाल आपने देख ही लिया। जब भी इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर आएगी, तो देश का वातावरण बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह की शक्तियां यहां पर पालिटीकल पार्टीज को अपने ग्रिप में लेकर अपने पैसे के जरिए देश में उथल-पुथल करने की कोशिश करती हैं। आज आप देख रहे हैं कि देश का माहौल किस तरह का बन रहा है जगह-जगह कम्युनल झगड़े, जंग फसाद कराए जा रहे हैं और राजनीतिक वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस व्यवस्था को ध्यान में रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह सारी अव्यवस्था फैलाने का काम कौन लोग कर रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ है और कौन सी शक्तियां देश का वातावरण बिगाड़ने का काम कर रही हैं, यह देखना होगा। इस चीज को रोका जाना चाहिए और जब चुनाव नजदीक हों तो उस समय तो इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि गड़बड़ न हो पाए और हमारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं। अभी जैसा कहा गया कि पालिटीकल पार्टीज को सरकार की तरफ से पैसा मिले और उस पैसे के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। इसी तरीके से रेडियो और टेलीविजन पर हर राजनीतिक पार्टी को समय उसके मेम्बरों की संख्या के आधार पर निश्चित होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस स्टेट में रेडियो स्टेशन हैं या टेलीविजन सेन्टर्स हैं, वहां पर जितने कैंडीडेट्स हों, चाहे एसेम्बली के लिए हों या पार्लियामेंट के लिए हों, उनको अपने क्षेत्र के लोगों को अपनी पार्टी के प्रोग्राम और पालिसीज बताने के लिए समय मिलना चाहिए। अपने क्षेत्र में वे क्या काम करना चाहते हैं, यह बात उनके कांस्टीट्यूयेंस को बराबर पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हर आदमी को इसकी जानकारी हो जाए। इसके लिए समय मिलेगा, तो यह बहुत उपयोगी होगा। आपस में लड़ाई झगड़ा हो, तलवार चले और बम चले और इससे काफी नुकसान हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे इन चीजों को रोका जा सके।

इस तरीके से बोगस वोटिंग भी काफी बड़े पैमाने पर होता है। इस बोगस वोटिंग को रोकने के लिए आइडेन्टिटी कार्ड जारी किये जाने चाहिएं। बहुत-सी जगहों पर महिलाओं के बारे

में तो पता ही नहीं चलता कि किस परिवार कि कोई महिला है और महिलाएं आ कर के वोट डाल जाती हैं। इससे जीतने वाले केण्डीडेट का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उस केण्डीडेट को बहुत नुकसान होता है जो कि उस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। इस फ्रेडुलेन्ट प्रेक्टिश को रोका जाना चाहिए। इसको रोकने के लिए आइडेन्टिटी कार्ड इशू करना बहुत जरूरी है। मैं यह मानता हूं कि ये आइडेन्टिटी कार्ड इशू करने की एक बहुत बड़ी समस्या है, यह कोई मामूली काम नहीं है। हमारे देश में 35-40 करोड़ वोटर्स हैं। उन सबको आइडेन्टिटी कार्ड इशू करना निश्चित तौर पर एक समस्या है। इस समस्या को अगर सरकार हल कर सकती है तो निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और बोगस वोटिंग जो होता है उसको रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

इसी प्रकार से पोलिंग बूथ्स पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया जाता है। नाजायज तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता है। इस को भी सख्ती से रोका जाना चाहिए। तभी हमारी चुनाव प्रक्रिया ठीक प्रकार से चल पायेगी।

हरिजनों के पोलिंग बूथों के सम्बन्ध में भी मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस स्थान पर एक जाति का साम्राज्य होता है वहां पर हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया जाता। वहां पर हरिजनों से कह दिया जाता है कि आप घर पर ही रहो, हम मान लेंगे कि आपके वोट पड़ गये। जिस जगह भी एक मेजर कम्युनिटी रहती है, वह कम्युनिटी हरिजनों को वोट नहीं डालने देती। वह कम्युनिटी अपने केण्डीडेट को लाभ पहुंचाने के लिए हरिजनों को उनको घरों पर ही बंद रखती है। उस कम्युनिटी के डर के मारे हरिजन बिचारे कुछ बोल नहीं पाते और वोट डालने नहीं जाते। इसको भी रोकना नितान्त आवश्यक है और सरकार इसके लिए सख्त कदम उठाये। जो लोग हरिजनों को डरा धमका कर वोट डालने नहीं देते वे इस चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और इसको रोका जाना चाहिए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो इलेक्शन खर्च की सीमा कायम कर रखी है इस सीमा के अन्दर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिए इस खर्च की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी खर्च सीमा रखी जानी चाहिए जिसमें कि उम्मीदवार पार्लियामेंट का या असेम्बली का चुनाव लड़ सके। जब चुनाव खर्च की सही सीमा रखी जायेगी तभी उम्मीदवार अपने खर्च के सही रिटर्न दाखिल करेंगे, नहीं तो वे सही रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे। इस व्यवस्था को भी निश्चित तरीके से करना चाहिए और चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाना चाहिए।

हमारे यहां, राजस्थान में खास तौर पर, पहले राजा-महाराजाओं और सामन्तों का राज था। आज भी उनका असर लोगों पर चला आ रहा है। यह असर इसलिए नहीं है कि वे लोगों की कोई सेवा करते हैं बल्कि इस वास्ते है कि उनकी तलवार का असर है, उनके धन का असर है, उनके राजसी ठाठ का असर है, उनकी बन्दूक का असर है। आज भी वे भोले-भाले लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं। आज भी वे अपने व्यक्तियों को चुनावों में खड़ा करते हैं और अपनी ताकत और अपने असर के जोर पर लोगों का वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आपने आफिस आफ प्राफिट का कानून बना रखा है। यह कानून इन लोगों पर भी लागू होना चाहिए। क्योंकि पहले तो इन लोगों को आप प्रिवी पर्स देते थे और अन्य प्रकार के खर्च देते थे। आज भी इन राजाओं-महाराजाओं, सामन्तों के पास महल हैं, जागीरें हैं, जायदाद है। ये महल,

जागीर और सम्पत्ति इन लोगों ने जनता का शोषण करके प्राप्त की थी। यह सारी सम्पत्ति या जागीर उन्हें रियासत से मिली थी। इस जागीर या सम्पत्ति को जो कि उन्हें रियासत से प्राप्त हुई थी, निश्चित तरीके से आफिस आफ प्राफिट के कानून के अन्तर्गत माना जाना चाहिए और जिस प्रकार से आफिस आफ प्राफिट का लाभ उठाने वाले अन्य व्यक्तियों पर यह कानून लागू होता है, उसी प्रकार से इन पर भी लागू होना चाहिए। इन राजा-महाराजाओं ने भी करोड़ों की सम्पत्ति गरीबों का शोषण करके अर्जित की है और उस सम्पत्ति से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी वे फायदा उठा कर अपने को प्रतिनिधि बनाते हैं। इसको रोका जाना चाहिए। उसको रोका जाना चाहिए, इस प्रकार कानून निश्चित तरीके से बने, ताकि सही लोग इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकें। ये व्यवस्थाएं निश्चित तरीके से आज करने की आवश्यकता है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कई जगह पर ताकत के इस्तेमाल की शिकायतें आती हैं, वहां पर हर कोने में 1-2 सिपाही रहते हैं, वे किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वे कंट्रोल नहीं कर सकते। जहां पर ऐसी हुकूमते बैठी हैं, जिनके आदमियों ने पुलिस में प्रवेश कर लिया है, पोलीटिकल पार्टीज ने पुलिस में अपने लोगों को नियुक्त करा दिया है, इन पोलीटिकल पार्टीज ने अपने आदमियों को पुलिस में लाने के लिए हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल किए होते हैं, ये लोग जब ताकत का इस्तेमाल करते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको रोकने की पुलिस की मजाल नहीं हो सकती, वे उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते। पुलिस की इंडिपेंडेंट ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे चुनाव के समय कोई भी कहीं पर गड़बड़ी न कर सके और कोई पोलीटिकल पार्टी जाति के आधार पर, झंडे के आधार पर वोट प्राप्त न कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित तरीके से की जानी चाहिए, तभी काम ठीक प्रकार से हो सकता है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां पर जाति वाद के नाम पर कैंडीडेट चुनाव लड़ते हैं, वहां पर उसी जाति के प्रिसाईडिंग आफिसर्स को नहीं भेजना चाहिए, अन्यथा ये लोग जातिवाद को पनपाने की कोशिश करते हैं और गलत वोट दिलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसका खासतौर से ख्याल रखने की आवश्यकता है कि किसी जाति की कहीं पर ज्यादा तादाद हो और वहां पर उसी जाति का कैंडीडेट खड़ा हो तो वहां पर उसी जाति का प्रिसाईडिंग आफिसर न भेजा जाए, इससे निश्चित तरीके से गलत पोलिंग की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इस व्यवस्था को ठीक करने की निश्चित तरीके से आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। सभापति महोदय, मेरे ये चन्द सुझाव थे जो मैंने आपके सामने रखे।

इन शब्दों के साथ इलेक्टोरल रिफार्म्स के बारे में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे निश्चित तरीके से ऐसे रिफार्म्स करें, चुनाव में रिफार्म्स करें, जिससे हम अपने देश में सही मायने में चुनाव कर सकें और सही प्रतिनिधि यहां पर ला सकें और इस देश को मजबूत कर सकें। यही मेरा निवेदन था।

तेल्लिचेरी और माही स्टेशनों के बीच हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : मैं बड़े दुख के साथ सदन को दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल के कण्णनोर-शीरुवण्णूर बड़े आमान के इकहरी लाइन खंड पर तेल्लिचेरी और माही स्टेशनों के बीच 28.2.86 को सुबह 5.35 बजे हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी दे रहा हूं। जब 310 कण्णनोर-एर्णकुलम एक्सप्रेस तेल्लिचेरी और माही स्टेशनों के बीच चल रही थी जब एक बहुत बड़ी भीड़, जो जगन्नाथ मंदिर के वार्षिक उत्सव में भाग लेने आई थी, अचानक रेलपथ की ओर दौड़ पड़ी। मालूम हुआ है कि उत्सव में एक बहुत बड़ी आतिशबाजी का आयोजन किया गया था और कुछ पटाखे भीड़ पर आ गिरे जिससे भीड़ में भगदड़ मच गई और वह घबराहट में तेजी से रेल पथ की ओर भागी। परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति गाड़ी के नीचे आ गए जिनमें से 26 की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और नौ को चोटें आयीं। सभी घायलों को तेल्लिचेरी और कालीकट के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है।

मेरे सहयोगी श्री माधवराव सिंधिया तथा सदस्य यातायात दुर्घटना स्थल को रवाना हो गये हैं जो अस्पतालों में घायलों को देखेंगे। दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी दुर्घटना स्थल को रवाना हो गए है। पालघाट के मंडल प्रबंधक और अन्य अधिकारी भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं।

इस दुर्घटना की रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जाँच की जाएगी।

4.00 म०प०

चुनाव सुधारों के बारे में संकल्प–(जारी)

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली): सभापति जी, चुनाव के बारे में अभी कुछ बातें की गईं। अभी यहां पर संकल्प रखा गया। 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुये हैं, 8 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, मैं समझता हूं कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुए हैं। हमने हर वक्त यह माना है कि भारत में जो चुनाव हुए हैं वे निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में हुए हैं, वो 1952 से लेकर आज तक जितने चुनाव हुए हैं वे निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण में हुए हैं।

4.01 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

प्रतिदिन इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं जो पार्टी पावर में आ जाती है, उसके खिलाफ, कि उन्होंने मीडिया को काम में लिया या उन्होंने यह कर दिया या कुछ और कर दिया। जो हार जाता है, वह इस तरह की बात करता है। जिन माननीय सदस्य ने यह संकल्प मूव किया, उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। रेड्डी साहब बड़े बहादुर

हैं जो कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जीत गए। भारत की जनता ने उसी आदमी को पसंद किया, उसकी बुद्धि और उसकी जागरूकता में विश्वास किया है। सन् 1 77 में भारत की जनता ने कांग्रेस को सिंहासन पर नहीं आने दिया तो हमने उसको मंजूर किया। सन् 52 से लेकर आज तक चुनाव प्रणाली काम कर रही है और चुनाव में जो जीत जाते हैं, वे कहते हैं कि विपक्ष चुनाव हुए और जो हार जाते हैं, वे कहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, गड़बड़ी की गई है। इस गड़बड़ी के लिये हमने कोर्टस खोल दिए हैं। इलेक्शन पैटीशन आज भी करते हैं, लेकिन कहने का स्वभाव है। कर्नाटक में बैंगलोर में चुनाव हुए तो वहां पर तीन सौ उम्मीदवार थे। भगवान ही जानता है कि वह कितना बड़ा बैलट पेपर होगा। यह कानून बदलना चाहिए क्योंकि पता नहीं किस प्रकार इतने लोग खड़े हो जाते हैं। इतने उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो वोट देने वाला कहां निशान लगायेगा और कितना बड़ा कागज होगा तथा कितना खर्चा होगा। चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की बात बड़े जोर-शोर से की जाती है। जब यह पूछा जाता है कि चुनाव आयुक्त श्री त्रिवेदी जी या शकधर साहब ने जो सुझाव दिए थे, वे कहां हैं, तो पता चलता है कि मंत्रिमंडल की उप-समिति में विचाराधीन हैं। हमारे विधि राज्य मंत्री जी बड़े सरल ढंग से जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी हमारी मंत्रिमंडल की उप-समिति में विचाराधीन हैं। अशोन सेन साहब यह उत्तर नहीं देंगे कि वे विचाराधीन हैं। ऐसा लगता है, लॉ डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी है क्योंकि पता नहीं ये सुझाव कहां चले जाते हैं। इस तरह के सुझाव जब भी आते हैं तो कहा जाता है कि हमारी उप-समिति में विचारधीन हैं। सन् 82 से लेकर 86 तक कई सुझाव चुनाव आयुक्त ने भेजे हैं और नए चुनाव आयुक्त श्री पेरी शास्त्री ने भी सुझाव दिए हैं। पेरी शास्त्री जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। श्रीमन्, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीछे जय प्रकाश बाबू के समय में एक कमेटी बनी थी और उसे भी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने को कहा गया था। शायद उसके कर्ताधर्ता तारकुण्डे साहब थे, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है और उन्होंने भी कुछ सुझाव दिये थे। एक सुझाव उनका यह था कि वोट देने के लिये मतदाताओं की आयु 18 वर्ष कर दी जाए। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, उनको कम से कम 21 वर्ष का तो होने दीजिये, कुछ मैच्योरिटी तो आने दीजिए, लेकिन पता नहीं किस आधार पर उन्होंने 18 वर्ष की आयु से मत देने का अधिकार दिए जाने की सिफारिश की और कहा कि मतदाता सूचियों को तदनुसार बदल दिया जाए। हमने तो उनसे चुनाव-प्रणाली में सुधार लाने के लिये सुझाव देने को कहा था और उन्होंने एक नए ढंग का सुझाव दे दिया। मैं चाहता हूं कि सरकार एक बात अवश्य करे और वोटर के लिए यह कम्पलसरी कर दिया जाए कि उसे हर स्थिति में अपने मताधिकार का उपयोग करना है। विशेष कारणों या परिस्थितियों में उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन जब यह मैन्डेटरी होगा तो वह चुनाव के दिन, वोट देने जरूर जाएगा। उससे सारे झगड़े मिट जाएंगे और फिर हमारे अपोजीशन वाले भी नहीं कह सकेंगे कि वोट लेने के लिए गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की बातें करके वे क्या कहना चाहते हैं। यदि कहीं गाड़ियां चलती हैं तो उसमें मतदाता के चलने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है लेकिन जहां गाड़ियां नहीं चलतीं, जैसे हमारे राजस्थान में, वहां तो लोग पैदल ही वोट डालने के लिए जाते हैं। इसलिए श्रीमन्, आप चुनाव प्रणाली में यह सुधार कीजिए और हर मतदाता को वोट डालना अनिवार्य कर दीजिए क्योंकि भारत की जनता

की समझ और उसकी सूझबूझ पर हमें विश्वास है, हम देख चुके हैं कि वह समझ की धनी है, समझदार है और समय की पुकार को पहचानती है, हर उम्मीदवार को पहचानती है और निष्पक्ष निर्णय देती है। कांग्रेस को क्यों ज्यादा मत मिलते हैं, उसको सब जानते हैं। इसलिए यहां पर जितने एलीगेशन्स लगाए गए, वे ठीक नहीं हैं।

यहां पर एक सुझाव यह आया कि हमें चुनावों में इलैक्ट्रोनिक्स मशीन को काम में लाना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि बहुत आधुनिक और सही तरीका है और उससे सब को लाभ है। लेकिन उसके साथ साथ सभी पार्टियों ने मिलकर पीछे एक आचार-संहिता भी बनाई थी और सभी पार्टियों ने उसे अपना कोड-आफ-कण्डक्ट माना था। मैं चाहता हूं कि यदि कोई उसे नहीं मानता तो उसे अपराधी घोषित किया जाना चाहिए। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह आचार-संहिता मात्र कागजों पर ही नहीं रहनी चाहिए और आप यह कहें कि इसका जो उल्लंघन करेगा, वह आगे चुनाव नहीं लड़ पायेगा। जो लोग नैतिक अपराध करते हैं, वे जनता की नजरों में गिर जाते हैं, उनका चारित्रिक पतन हो जाता है। नैतिक अपराध करने वालों को हमारे देश में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनाईये ताकि हर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का चरित्र साफ हो, वह काम करने वाला हो। सारी चीजों को आप देखें। यदि कोई गंगा के किनारे रहने वाले पण्डित, पुजारी या मौलवी जैसे लोग आ जाएं तो उनके सम्बन्ध में आपको देखने की जरूरत है।

जहां तक चुनावों में खर्च का सम्बन्ध है, पहले ऐसा कानून था कि कोई आदमी एक सीमा से ज्यादा चुनाव में खर्च नहीं कर सकता था। उसके बाद कुछ जजमेंट ऐसे आ गए कि अगर उसका मित्र या उसकी पार्टी जो खर्चा करेगी, वह खर्चा चुनाव के खर्चे में शामिल नहीं माना जाएगा। यह बहुत अच्छा कानून है।

मैं खर्च नहीं करता हूं या मैं अपनी लिमिट में खर्च करता हूं, लेकिन अगर मेरा मित्र खर्च करता है या मेरी पार्टी खर्च करती है, वह चुनाव में नहीं गिना जाएगा, यह तर्क सही नहीं है। इसलिए एक तरीका यह होना चाहिए कि चुनाव के लिए खर्च सरकार दे। आज भी संसार में कई ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव के लिए सरकार खर्च बर्दाश्त करती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमें कुछ ऐसा अनुदान दे, उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कुछ खर्च ऐसा मिलना चाहिए जिससे वे अपना चुनाव लड़ सकें। ··· **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : पैसा कहां से आयेगा।

श्री मूलचन्द डागा : पैसा हमारा देश देगा, हमारी जनता देगी।

··· **(व्यवधान)**

श्री हरीश रावत : पैसा तो पाली डिस्ट्रिक्ट से आ सकता है।

··· **(व्यवधान)**

श्री मूलचन्द डागा : हां, आ सकता है। अगर हमारे महाजन के सामने कोई हाथ फैलाएगा, तो वह खाली नहीं जाएगा, जरूर पैसा मिलेगा। अगर आपने हाथ फैला दिया, तो आपको जरूर पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको लेने से इंकार कर दें, तो फिर हमें दोष न देना। बिजनैस कम्युनिटी तो देना ही जानती है।

सभापति जी, मैं जो बात कहना चाहता था, ये लोग मुझे कहने नहीं देते हैं और बार-बार मुझे इधर से उधर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी पटरी पर हूं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव का खर्च पेश करने का तरीका है और जो अफेडेविट हम देते हैं, तो उसके जरिए भी कुछ न कुछ देखे जाने चाहिएं कि आज इतने भाव बढ़ गए हैं और चुनाव के साधन मेंहगे हो गए हैं, उसके अनुसार हमारे चुनाव खर्च में वृद्धि होनी चाहिए।

सभापति जी, इसके साथ-साथ चुनाव क्षेत्र के क्षेत्रफल और जनसंख्या के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र की 15 लाख पापुलेशन है, जिसमें से लगभग 8-9 लाख वोटर्स हैं और लगभग दो हजार गांव हैं, तो इतने गांवों में वोट लेने के लिए जाने और इतने लोगों से वोट के लिए अपील करने जाने में बहुत समय लगता है क्योंकि एक-दूसरे गांव के बीच में बहुत फासला होता है। इसमें ज्यादा खर्च होता है और जो अपका खर्च देने का तरीका है, उसमें कोई भी आदमी अपना एकाउंट कभी भी दे नहीं पाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए एक तरीका होना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डीलिमिटेशन होनी चाहिए। कहीं कम मतदाता हैं, कहीं बहुत ज्यादा मतदाता हैं, कहीं कम क्षेत्रफल है और कहीं बहुत लंबा-चौड़ा क्षेत्रफल है। इसलिए जो तरीका अभी है, इसमें तुरन्त परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके बिना हम लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है अगर डीलिमिटेशन होगी, तो हमको लाभ मिल सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान डीलिमिटेशन की तरफ भी जाना चाहिए।

चुनाव के अन्दर हर आदमी एक पार्टी बना लेता है। एक एक में 5, 5 पार्टियां जुड़ जाती हैं जिनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता है। मेरा कहना है कि उस पार्टी की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान की जनसंख्या का इतना परसेन्टेज उस पार्टी में फालोअर्स का होना चाहिए। होता यह है कि कोई भी बैठा है वह पार्टी बना लेता है चुनाव के समय बनाता है जैसे बरसात में मेंढक पैदा हुआ और बरसात में ही नष्ट हो गया। बरसात में मेंढक पैदा होकर टर्र-टर्र करते हैं। आपको उनको रिकग्नीशन नहीं देना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए इजाजत नहीं देनी चाहिए।

इतनी पार्टियां हैं कि उनसे लोकतंत्र नहीं बन पाता है। लोकतंत्र में हम विपक्ष चाहते हैं हमारा विपक्ष मजबूत हो तो उससे शासन भी मजबूत होता है, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है टूटा हुआ है इसलिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

हम चाहते हैं कि अगर शासन को मजबूत करना है तो एक बनिये न कि छोटी-छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हों। क्षेत्रीय पार्टियों को लोक-सभा में नहीं आना चाहिये। लोकतंत्र और समाजवाद को खतरा है तो इन्हीं क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक पार्टियों से है और दक्षिण पन्थी, प्रतिक्रिया वादी और उग्रपन्थी वामपन्थियों से है। इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्र में ही रहनी चाहियें। वह अपने प्रांत में ही रहें। आल इंडिया लैवल पर नहीं, जैसे देशम है, भारत देशम है।

[अनुवाद]

श्री एच०ए० डोरा (श्री काकुलम) : हमारा दल एक क्षेत्रीय दल है। इसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। जबकि कांग्रेस दल एक राष्ट्रीय दल है लेकिन उसका दृष्टिकोण क्षेत्रीय है।

सभापति महोदय : कृपया बातचीत न करें। अगर उन्होंने कहा है तो आप कुछ कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : होना यह चाहिए था कि इस तरह की पार्टियों को चुनाव न लड़ने दिया जाये।

मैंने जो सुझाव दिये हैं, मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे और वह चुनाव प्रक्रिया में, रद्दो-बदल करने में कानून में संशोधन करने में तत्परता से ध्यान देंगे।

कई दूसरे काम किये, दल-बदल विरोधी कानून बनाया, कंपनियों को देने के लिये कानून बना दिया, इसलिए इस पर भी जल्दी से कदम उठायें और देश को आगे बढ़ाने के लिये चुनाव प्रक्रिया में सुधार किये जायें, यही मेरे सुझाव हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिये जो बहस चल रही है, इस पर मैं बोलना चाहता हूं।

जिस प्रकार का चुनाव हमारे देश में, खास तौर से बिहार में होता है उससे आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। चुनाव आयुक्त ने इस बात की रिपोर्ट की थी कि जो चुनाव बिहार विधान सभा का हुआ है वह फाल्स चुनाव हुआ है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चुनाव में जो गलत तरीके अपनाये जा रहे हैं, अगर उन गलत कामों को रोका नहीं जायेगा तो हम समझते हैं कि लोकतंत्र पर इससे खतरा है। लोग चुनाव से हटते जा रहे हैं। लोगों का दिमाग उग्रवादियों की ओर जा रहा है, चुनाव में गलतियां की जा रही हैं।

यह एकदम सही है कि चुनाव में बूथ पर कब्जा किया जाता है। जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वह इस तरह का रुख अख्त्यार किए हैं जिससे मतदाता को केन्द्र पर जाने की जरूरत नहीं होती है। मतदाता की बूथ पर जाने की परम्परा मिट रही है।

इसलिए कि एक दो आदमी पूरे चुनाव का फायदा उठा लेते हैं। इस वजह से यह एक खतरा आ गया है कि जिस को मत देना है वह घर रह जाता है और एक दो व्यक्ति अपने पक्ष में सारा मत डलवा देते हैं। चुनाव आयुक्त ने एक सर्कुलर निकाला था कि जिस मतदान केन्द्र पर 90 प्रतिशत एक पक्ष में वोट जाते हैं तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन जो जिला चुनाव पदाधिकारी कहे जाते हैं वह जहां जहां विरोधी पक्ष के थे वहां इसका इस्तेमाल किए हैं लेकिन सत्ता पक्ष के साथ ऐसी 90 प्रतिशत वाली बात इस्तेमाल नहीं की गई। इस तरह की जो प्रक्रिया है इससे भी लोगों में असन्तोष हो रहा है और जनतंत्र खतरे में पड़ गया है।

साथ साथ जो पूर्व वक्ताओं ने सुझाव दिया है पहचान पत्र के बारे में वह पहचान पत्र होना जरूरी है। लेकिन पहचान पत्र 41-52 करोड़ लोगों के लिए जारी करने में वैसा ज्यादा खर्च होगा, यह आप कह सकते हैं। मगर यदि आप जनतंत्र को कायम रखना चाहते हैं और जनतंत्र के द्वारा सही प्रतिनिधि लाना चाहते हैं तो आपको जरूर चाहिए कि पहचान पत्र मतदाता को दें। यह बहुत ही जरूरी है।

साथ ही साथ जो इस तरह से चुनाव में जाति पांति के आधार पर फायदा उठाते हैं और जाति पांति का फायदा उठा कर जीत कर आ जाते हैं तो वह अपने गांव या क्षेत्र का विकास जातीय आधार पर करते हैं। इस तरह से जो विकास होता है किसी गांव या क्षेत्र का उससे

असन्तुलन पैदा होता है। उस असन्तुलन के कारण ही आपकी बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां का जन्म हो रहा है। आज जो क्षेत्रीय पार्टियां बन रही हैं जिसके बारे में लोगों ने निन्दा भी की, उन क्षेत्रीय पार्टियों का किसी भी देश में होना देश के विघटन का स्वरूप होता है क्योंकि वह क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र को ही समझती है कि यही हमारा देश है, पूरे भारतवर्ष को अपना देश नहीं समझती हैं। आप देखते होंगे कि जब क्षेत्रीय पार्टियों की बात सदन में उठती है तो सदन में क्या होता है ? भारत वर्ष एक देश है जिस में बहुत से राज्य हैं। यह जो क्षेत्रीय पार्टियां बन रही हैं इनके बनने का कारण यह है कि आप जो यह गड़बड़ियां करते हैं अपने फायदे के लिए, यह बहुत बड़ी गलती करते हैं और यह देश के लिए बहुत बड़ा घातक हो रहा है। आज देश बहुत विघटन की ओर जा रहा है। शायद आप जब तक इस पर हुकूमत करें, कर लें लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रक्रिया को यदि नहीं बदलते हैं तो यह खतरा बढ़ता जायगा।

अभी हाल ही में एक नयी घटना घटी है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि जनतंत्र में एक बार एक आदमी को प्रमाण-पत्र मिल जाता है कि आप एलेक्ट हो गए लेकिन तीन दिन बाद यह प्रमाण-पत्र दूसरे को मिल जाता है। क्या यह जनतंत्र का मखौल नहीं है ? इस तरह से चुनाव पर कैसे लोग विश्वास करेंगे और यह विश्वास के लायक भी नहीं रह गया है। बिहार के अन्दर ऐसी घटना घटी है। बिहार ही तो सब चीजों में मशहूर है। जाति पांति में भी मशहूर हैं। मैं केवल बिहार के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं भारतवर्ष के एक नागरिक के रूप में बोल रहा हूं। बिहार में या कहीं भी यह गड़बड़ी हो रही है तो उस गड़बड़ी के सम्बन्ध में मैं आप से कहना चाहता हूं कि कानून मंत्री जो हमारे हैं वह बहत बड़े विद्वान हैं, यहां पर भी उनको अपनी विद्वता का कुछ स्वरूप दिखाना चाहिए जिससे हमारा जनतंत्र बिलकुल सही तरीके से चले और जनतंत्र की मर्यादा कायम रहे।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैं तो समझता था कि मेरी बारी आएगी ही नहीं। अभी बिहार की बात चल रही थी, सारी गलत फलत बात वह कर रहे थे। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं। बिहार में एक मुहाविया कैंडीडेट खड़ा था चुनाव में। मैं इंडिपेंडेंट कैंडीडेट के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। वह मुहाविया हाजीपुर के पास का था। वह इंडिपेंडेंट कैंडीडेट था। वह 100 हाथी, 100 ऊंट और 100 जीपें लेकर चलता था। उस पर सारे लोग बन्दूक, तलवार और रिवाल्वर से लैस रहते थे। इस साल उसकी डेथ हो गई। वह मुहाविया कहता था कि प्यारे भाइयो, जो मेरे समर्थक हैं उनसे यही निवेदन है कि वह घर में बैठे रहें। और जो मेरे विरोधी हैं वे वोट देने न जायें, वे पोलिंग बूथ तक जाने का कष्ट न करें क्योंकि यदि उन्होंने जाने का कष्ट किया तो उनकी लाश गिर जायेगी। यह बात सच है, रिकार्ड की बात है कि लोग आतंकित हैं और डर से कोई पोलिंग बूथ नहीं जाता और महोविया हजारों लाखों वोटों से जीत भी जाता था। यह केवल एक महोविया की बात ही नहीं है।

मैं इन्टरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून देख रहा था। मार्कोस के एलेक्शन के बारे में भी कहा कि मार्कोस का एलेक्शन भी उसी तरह से हुआ जिस तरह से वेस्ट बंगाल और बिहार की कुछ जगहों में एलेक्शन हुआ करते हैं। वेस्ट बंगाल का नाम लेने पर आप चौंके नहीं, वह एक उदाहरण था। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रथा है एलेक्शन की उसमें मेरे जैसे नान पोलिटिकल

आदमी के लिए चुनाव के फील्ड में आना और चुनाव का जीतना एक प्रकार से असम्भव ही है। आज जो रवैया है उसमें लाठी, पैसा, पिस्तौल और बन्दूक मुख्य हैं जबकि एक नान पोलिटिकल आदमी न तो पैसा ला सकता है, न लाठी ला सकता है और न बन्दूक और तलवार ला सकता है और न ही बम ला सकता है। (**व्यवधान**) यह बात भी ठीक ही है कि ऐसे व्यक्ति को पोलिटिकल फील्ड में आना ही नहीं चाहिए।

मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने पार्टियों को क्लीन करने का एक सपना देखा है और उस सिलसिले में वे प्रयास भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ऐंटी-डेफेक्शन बिल भी पास किया गया। मैं कहता हूं यदि समय पर ऐंटी-डेफेक्शन बिल पास न किया गया होता तो पता नहीं कि साल में कितनी गवर्नमेन्ट्स इधर से उधर चली जाती और कितनी बार स्टेट्स में एलेक्शन कराए जाते। एलेक्शन कराने का सारा खर्चा जनता पर पड़ता और उससे महंगाई बढ़ती।

उन्होंने दूसरा काम यह किया कि पोलिटिकल पार्टीज के डोनेशन को रेग्युलराईज करा दिया। इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है ? यदि चेक के द्वारा सही तरीके से पोलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दिया जाता है और आप भी एकाउन्ट को सही सही दिखायें हम भी सही सही दिखायें और आडिट भी करा लें तो उसमें छिपाने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसमें उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी जिनके लिए विदेशों से पैसा आता है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इस देश में बहुत सी ऐसी पोलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास बहुत अधिक पैसा विदेशों से आता है। मैं समझता हूं अब समय आ गया है जब विदेशों से आने वाले पैसे पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और उसको कन्ट्रोल करना चाहिए। यदि उसको कन्ट्रोल नहीं किया गया तो ऐसा जमाना आयेगा जब ये पोलीटिकल पार्टीज विदेशों के इशारे पर नाचेंगी। मैं इस सिलसिले में एक ही बात कहना चाहता हूं कि विदेशों में कई जगह पोलिटिकल पार्टीज को स्टेट की तरफ से फंडिंग होती है। जो वहां की रेकग्नाइज्ड पोलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको एक सटेन एमाउन्ट-50 परसेन्ट, 75 परसेन्ट स्टेट देती है। कई कन्ट्रीज में ऐसा होता है। इसलिए इस बात की भी अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए क्या अपने देश में इस तरह की फंडिंग हो सकती है या नहीं। अन्यथा यहां पर जो आदमी पढ़ा-लिखा है, क्लीन इमेज का है परन्तु पूंजीपति नहीं है वह एलेक्शन लड़ ही नहीं सकेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा० राजहंस आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

जैसा कि पहले घोषणा की गई थी सभा 5.00 म० प० पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

4-30 म० प०

लोक सभा 5.00 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई

———

लोक सभा 5.00 म० प० पर पुनः समवेत हुई

सामान्य बजट 1986-87

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि सभा भरी हुई है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : मैं राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को एक शेर पढ़कर सुनाता हूं—

यह हक है आपका कि आप चाहें जो करें
पर कत्ल भी करें तो जरा प्यार से करें॥

अध्यक्ष महोदय : अभी अभी हम और बैरागी जी एक मुशायरे से आ रहे हैं। आप उनकी बात का ध्यान रखें। आप जो कुछ भी डोज दें, वह शूगरकोटेड होनी चाहिए। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं अब वर्ष 1986-87 का बजट पेश करूंगा।

2. बजट आयोजना में निर्धारित हमारे सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक सशक्त साधन है। हमारे प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने कुछ दिनों पहले ही हमें याद दिलाया था कि :

> "विकास का कार्य समता और सामाजिक न्याय के साथ और उन सामाजिक रुकावटों को दूर करके किया जाना चाहिए, जिनसे कमजोर वर्गों का उत्पीड़न होता है। समाजवाद की हमारी धारणा का सार यही है।"

इस बजट को तैयार करते समय हमने इन लक्ष्यों को ध्यान में रखा है।

3. इस वर्ष की आर्थिक घटनाओं के बारे में आर्थिक समीक्षा में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जा चुका है, जिसे इस सप्ताह के प्रारम्भ में सदन के पटल पर रखा गया था। इसलिए मैं अपनी टिप्पणियां हमारे आर्थिक कार्य निष्पादन की कुछ महत्वपूर्ण बातों तक ही सीमित रखूंगा।

4. वर्ष 1985-86 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 4.5 और 5 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने की सम्भावना है, जो सातवीं पंचवर्षीय आयोजना में निर्धारित लक्ष्य के लगभग करीब ही है। यह 1984-85 के लिए प्रत्याशित 3.5 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले स्पष्टतः एक सुधार है। यह 1984-85 में निराशाजनक कृषि कार्य निष्पादन की तुलना में, जबकि निवल उत्पादन में लगभग एक प्रतिशत कमी होने का अनुमान है, इस वर्ष लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि होने की प्रत्याशा है। वर्ष 1984-85 में खाद्यान्न का उत्पादन, 1460 लाख मीट्रिक टन रह गया था। देश के अनेक भागों में सूखे के बावजूद हमें उम्मीद है कि चालू वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 1500 लाख मीट्रिक टन होगा।

5. प्रारम्भ में धीमी गति के बाद, औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई है और अक्तूबर तथा नवम्बर 1985 में वृद्धि की दर 8 प्रतिशत से अधिक हो गई है। उम्मीद है कि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वृद्धि की दर 7 प्रतिशत के आसपास रहेगी। औद्योगिक उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र में अधिक उत्पादन के फलस्वरूप आई है, जिसमें पिछले तीन वर्षों के

दौरान कम दर से बढ़ोतरी हुई थी। यह संतोष की बात है कि औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों का उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

6 सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के कार्यचालन में सुधार करना है। मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी है कि पहले दस महीनों में तापीय बिजली के उत्पादन में 1984 की इसी अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्तमान वित्त वर्ष के प्रथम आठ महीनों में रेल के सामान भाड़े से आमदनी में भी 9 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि रिकार्ड की गई। यह छठी आयोजना के दौरान हुई वार्षिक औसत वृद्धि दर के मुकाबले दुगनी है। पहले आठ महीनों में कोयले के प्रेषणों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई

7. वर्तमान वर्ष में 8 फरवरी 1986 तक थोक कीमत सूचक अंक में वृद्धि की दर 3.4 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष यह दर 5.4 प्रतिशत थी। उपभोक्ताओं की विशिष्ट रुचि वाली मदों में थोक कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि गेहूं, दालों, फलों व सब्जियों, अण्डों, मछली, मांस, चीनी व गुड़ में हुई है। दूसरी ओर, चावल, मसाले और गर्म मसाले, चाय, काफी और खाद्य तेलों की कीमतें स्थिर रही हैं अथवा वस्तुत: उनमें गिरावट आई है।

8. सदन को शायद याद होगा कि पिछले बजट में हमारी प्रत्यक्ष कर प्रणाली में महत्व-पूर्ण सुधार किए गए थे। उस समय बहुत से निराशावादी लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि राजस्व में कमी हो जाएगी और कर प्रणाली की बढ़ोतरी, जो भी कुछ है और भी कम हो जायेगी। परन्तु इसके ठीक विपरीत हुआ। प्रमुख करों से होने वाले संग्रहों में पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो किसी एक दशक में हुई सर्वाधिक वृद्धि है। संग्रहीत राशि बजट अनु-मानों की तुलना में भी काफी अधिक है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्तिगत आय करों में (बजट अनुमानों की तुलना में) 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान वर्ष में हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में प्रत्यक्ष करों के अनुपात में घटती हुई प्रवृत्ति को उलटने में सफल रहे हैं।

9. यह उपयुक्त दरों, सरल प्रणाली तथा कर कानूनों को सख्ती से लागू करने की मिली जुली प्रक्रिया के जरिए राजस्व उपार्जन में वृद्धि करने की हमारी नीति के सही होने का एक प्रमाण है। आय-कर के जरिए हमने धनवानों से अधिक धन उगाहा है, कम नहीं। राजकोषीय नीति मात्र सिद्धांत की बात ही नहीं है, बल्कि उसके सही होने का प्रमाण यह है कि उससे कितना राजस्व प्राप्त होता है।

10. सरकार ने तस्करों, काला बाजारियों तथा कर अपवंचकों के खिलाफ एक तेज अभियान शुरू किया है। इस विषय में न तो कोई समझौता हो सकता है और न ही किया जाएगा। जो लोग राष्ट्र के साथ विश्वासघात करते हैं उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और कानून को पूरी तरह से अमल में लाया जाना चाहिये। काले धन में बढ़ोतरी को रोकने में काफी सफलता मिली है और सरकार इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

11. तथापि, मेरा, देश के आर्थिक कार्य-निष्पादन की केवल अच्छी बातों का ही उल्लेख करने का प्रस्ताव नहीं है। मैं इस अवसर पर कुछ नीति विषयक मामलों का जिक्र करना चाहूंगा और उनका समाधान करने के लिए मैं इस सम्मान्य सदन का परामर्श और समर्थन प्राप्त करना

चाहूंगा। इसलिए मैं कुछेक प्रमुख समस्या वाले क्षेत्रों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जिनपर हमें, सरकार एवं संसद दोनों को इस बजट के माध्यम से तथा अन्य उपायों के जरिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

12. बजट पर, मुख्यतः ब्याज की अदायगी, रक्षा, आर्थिक सहायता (सब्सिडी) और राज्यों की सहायता के लिए आयोजना-भिन्न व्यय की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने का भारी दबाव पड़ रहा है। हमारे सामने एक महत्वपूर्ण समस्या सरकारी क्षेत्र की आयोजना के लिए वित्त की व्यवस्था करने की है। यह कोई दलगत मामला अथवा शासन में किसी सरकार विशेष की समस्या नहीं है और मेरा विश्वास है कि हमारे राष्ट्र के दीर्घावधिक आर्थिक स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि इस पर खुले रूप में वाद-विवाद किया जाए। संक्षेप में, समस्या का मूल निचोड़ यह है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में उस सीमा तक आंतरिक साधनों की उत्पत्ति नहीं हो रही है जो हमारे विकास के लिए आवश्यक आकार की आयोजना के खर्च की व्यवस्था करने के अनुरूप हो।

13. समस्या की गम्भीरता को वर्तमान वर्ष के अनुभव द्वारा समझाया जा सकता है। सातवीं आयोजना में यह परिकल्पना की गई है कि केंद्रीय आयोजना के 53 प्रतिशत भाग की वित्त-व्यवस्था सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साधनों से और 47 प्रतिशत भाग की वित्त व्यवस्था बजट के माध्यम से की जाएगी। आयोजना के पहले वर्ष में, सरकारी उपक्रमों के आंतरिक साधनों की तंगी के कारण बजट के माध्यम से केन्द्रीय आयोजना के 47 प्रतिशत के स्थान पर 66 प्रतिशत भाग की वित्त-व्यवस्था करनी पड़ी। हम, कर राजस्वों में तेजी से वृद्धि करने में सफल रहे हैं और यह आयोजना के लक्ष्यों से भी अधिक है। परन्तु, अधिक राजस्व का प्रभाव, खाद्यान्नों और उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता तथा राज्यों को सहायता में वृद्धि के कारण समाप्त हो गया है। इसलिए आयोजना के लिए, अधिक बजटीय समर्थन की व्यवस्था अतिरिक्त घरेलू उधारों और ऊंचे स्तर पर घाटे की अर्थव्यवस्था के जिरए करनी पड़ी।

14. सामूहिक रूप से हम सभी को मुद्रास्फीति को बढ़ाए बगैर आयोजना के लिए साधन जुटाने की बुनियादी समस्या पर विचार करना चाहिए, आयोजना कोई सूक्ष्म वस्तु नहीं है। इसका अर्थ है और अधिक स्कूल, और अधिक सड़कें, और अधिक सिंचाई-व्यवस्था, और अधिक रोजगार के अवसर, कहने का तात्पर्य है कि और अधिक विकास। इसमें एक बेहतर भविष्य के लिए हमारे देश के लोगों की आशाएं और आकांक्षायें समाविष्ट हैं। हम इसे पूरी तरह से कार्यान्वित करने के अपने प्रयासों में ढील नहीं दे सकते।

15. हमारे आर्थिक ढांचे में बदलाव लाने में सरकारी क्षेत्र की एक प्रमुख भूमिका है। इसे मजबूत बनाने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए। हमारे देश के सरकारी क्षेत्र के बहुत से यूनिट बड़ी कुशलता के साथ काम कर रहे हैं और पुनर्निवेश के लिए अधिशेषों की उत्पत्ति कर रहे हैं। ये यूनिट इस बात का अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि यदि सही हालात रहें तो सरकारी क्षेत्र अच्छा से अच्छा कार्य निष्पादन कर सकता है। दुर्भाग्यवश, कुछेक ऐसे सरकारी उद्यम भी हैं जिनका घाटा हमारे राष्ट्र के साधनों पर बोझ बन गया है। अन्यथा साधनों का आम लोगों के और अधिक लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता था।

16. सरकार, अपनी ओर से, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कामकाज की हालत में सुधार करने तथा उनकी लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाएगी। परंतु इसके अलावा हमें सरकारी क्षेत्र को सक्रिय बनाने के काम में श्रमिकों और प्रबंधकों को शामिल करना चाहिए। यही इस समय की पुकार है।

17. हमें, आयोजना-भिन्न व्यय को कम करने के लिए भी उपाय खोजने होंगे, चाहे यह कितना ही कष्टकर क्यों न हो। सब्सिडी का एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रयोजन है और यह समाज के साधनों पर एक वैध प्रभार है। तथापि, हमें अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए कि हमारे भविष्य में निवेश के लिए साधनों में कमी किए बगैर सब्सिडी की राशि को कितनी तेजी से और किस हद तक बढ़ने दिया जाए। खाद्य और उर्वरक पर सब्सिडी की राशि बढ़कर अब 3,700 करोड़ रुपए हो गई है और पिछले तीन वर्षों में यह 40 प्रतिशत प्रति वर्ष से भी अधिक दर से बढ़ी है। कर राजस्वों में वृद्धि होते हुए भी सब्सिडी में यह वृद्धि आसानी से बर्दाश्त योग्य नहीं है। वृद्धि की वर्तमान दरों के अनुसार सातवीं आयोजना के अन्त तक इसकी रकम 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। इस दर से कुल सब्सिडी की राशि आयोजना अवधि के दौरान 41,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जायेगी। यह, प्रथम दो वर्षों के लिए पूरी केन्द्रीय आयोजना के बराबर है। इसे एक अन्य प्रकार से कहा जाए तो यह राशि देश के प्रत्येक गांव में एक गहरा ट्यूबवेल और एक प्राथमिक स्कूल का निर्माण करने के लिए पर्याप्त होगी। प्रश्न यह है कि किस प्रकार का संतुलन स्थापित किया जाए।

18. सरकार अपनी व्यय नीतियों और प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच करने का काम शुरू कर रही है। हमें व्यर्थ खर्च होने वाले प्रत्येक रुपए की बचत करनी है, अनिवार्य रूप से खर्च होने वाले प्रत्येक रुपए का पूरा लाभ उठाना है और सभी दिशाओं में कार्यकुशलता में सुधार करना है। खर्च को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, इस बारे में पूर्ण रूप से वाद-विवाद करना आवश्यक है और मैं इन प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्यों के सुझाव आमंत्रित करना चाहूंगा।

19. मुद्रास्फीतिकारी स्थिति पर प्रशासित कीमतों के प्रभाव के संबंध में देश में बड़ा स्वस्थ वाद-विवाद हुआ है। जब सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो रहे हों तो प्रशासित कीमतों में भी कुछ परिवर्तन करना जरूरी और अपरिहार्य है। परन्तु सरकार इस विचार से सहमत है कि महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को जहां तक संभव हो सके, स्थिर रखने की आवश्यकता है। इसमें निहित मुद्दों को स्पष्ट करने तथा उपयुक्त दृष्टिकोण के बारे में एक खुली बहस की शुरुआत करने के उद्देश्य से सरकार प्रशासित कीमतों के बारे में संसद में एक नीति-पत्र प्रस्तुत करेगी।

20. भुगतान संतुलन एक और चिन्ता का विषय है। जैसाकि मैंने गत वर्ष अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था, कुछ बातें जो छठी आयोजना में हमारे पक्ष में थीं वे सातवीं आयोजना में हमारे उतने अनुकूल नहीं रहेंगी। जैसी कि प्रत्याशा थी, तेल के उत्पादन में वृद्धि धीमी हो गई है जबकि छठी आयोजना में इसके उत्पादन में 1.8 करोड़ मीट्रिक टन की वृद्धि हुई थी। व्यापार और रियायती सहायता संबंधी विश्वव्यापी वातावरण बराबर प्रतिकूल बना हुआ है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, दुर्लभ विदेशी मुद्रा को बचाने के

उपायों को और सुदृढ़ करना जरूरी है। विशेष रूप से ऊर्जा संरक्षण और उर्जा के स्वदेशी स्रोतों का विकास करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। अकेले मौजूदा वर्ष में हमें तेल आयातों के संबंध में लगभग 1,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की अदायगी करनी पड़ेगी। इसके फलस्वरूप निवल विदेशी मुद्रा परिव्यय पिछले वर्ष के लगभग 3,500 करोड़ रुपए के मुकाबले 4,600 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। क्या हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं ?

21. घरेलू कमी को पूरा करने के उद्देश्य से हमें बड़ी मात्रा में चीनी और खाद्य तेलों का भी आयात करना पड़ा। चीनी और खाद्य तेलों के अधिक घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति विषयक शुरुआत की जा चुकी है। इनके परिणाम नजर आने लगे हैं। तेलहनों, विशेष रूप से गौण तेलहनों का उत्पादन और बढ़ाने की गुंजाइश है।

अपने भाषण में बाद में, मेरा प्रस्ताव कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा करने का है, जिनसे तेलहनों के स्वदेशी उत्पादकों को समर्थन मिलेगा। उपज बढ़ाने और नई प्रौद्योगिकी को ग्रहण करने के प्रति हमारे किसानों की प्रतिक्रिया शानदार रही है। उनके प्रयासों का ही परिणाम है कि अब हम खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हैं। जैसा कि इन्दिरा जी ने ठीक ही कहा था :

"ऐसे देश में जहां राष्ट्रीय आय का आधा भाग कृषि से प्राप्त होता हो, वहां कृषि के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता ही सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का आधार है।"

22. कर्ज के जाल में फंसे बगैर अपने महत्वपूर्ण आयातों की अदायगी करने के वास्ते निर्यात में वृद्धि आवश्यक है। तथापि, संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के और तेज होने तथा विश्व अर्थ-व्यवस्था के विकास की दर कम होने के कारण, हमारे निर्यातों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण अब भी प्रतिकूल बना हुआ है। इस वजह से यह और भी जरूरी है कि जिन उद्योगों ने हमारे निर्यात प्रयास में महत्वपूर्ण योग दिया है उन्हें ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। निर्यात संवर्धन के लिए पिछले बजट में अनेक कदम उठाए गए थे। में इस प्रक्रिया को वर्तमान वर्ष के बजट में और आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय रिजर्व बैंक निर्यातों के संबंध में लदान के पूर्व दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को और उदार बनाने के लिए अलग से घोषणा कर रहा है।

23. सरकार विदेशों से उधार लेने के स्तर को ऋण-अदायगी की अपनी क्षमता के अनुरूप विवेकपूर्ण स्तर तक रखेगी। इस संबंध में हमारा रिकार्ड सराहनीय रहा है और हमारा इरादा इसे जारी रखने का है।

24. पिछले वर्ष के दौरान सरकार ने अर्थ-व्यवस्था को आधुनिक बनाने, औद्योगिक विकास को तेज करने, उत्पादन के और अधिक आर्थिक स्तरों को प्रोत्साहित करने, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने तथा अस्थाई कठिनाइयों का सामना करने वाले उद्यमों के पुनर्गठन को बढ़ावा देने के लिये अनेक प्रकार के कदम उठाये हैं। यद्यपि हाल ही में उठाए गये इन कदमों का पूरा असर कुछ समय के बाद ही नजर आयेगा, परंतु जैसा कि मैंने पहले कहा है, इनका विनिर्माण उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि समग्र औद्योगिक विकास अब भी हमारी पूर्ण क्षमता से कम है। औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए और कदम उठाने के अलावा हमें स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग पर विशेष ध्यान देना होगा। इस उद्योग का दशकों के अथक प्रयासों के बाद निर्माण हुआ है और इसका हमारी आत्मनिर्भरता के

क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इसे हमारा पूरा सहयोग प्राप्त होना चाहिए। पूंजीगत वस्तु उद्योग के विकास को और अधिक बढ़ावा देने के वास्ते मैं कुछ प्रस्ताव पेश करूंगा।

25. लघु उद्योग ने हमारे निर्यातों को बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को कम करने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक ही कहा गया है कि "लघु उद्योग बड़े उद्योगों के मेरुदण्ड हैं।" शीर्षस्थ स्तर पर इस क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का समन्वय करने के लिए एक केन्द्रीय संस्था की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से संबद्ध लघु उद्योग विकास निधि के नाम से एक अलग विशेष निधि की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस निधि पर लघु उद्योगों का विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण करने के संबंध में पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने की भी जिम्मेदारी होगी। मैं लघु उद्योग के लिए उत्पादन शुल्क में छूट देने की एक नई स्कीम की घोषणा का प्रस्ताव करता हूं जिससे उनके विकास में काफी सहायता मिलेगी।

26. कृषि हमारी विकास नीति का केन्द्र बिन्दु है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के बोझ को कम करने में कृषि संबंधी कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता ही एक मात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। अपने अथक और लम्बे अर्से के प्रयासों के बाद हम गेहूं के एक अधिशेष उत्पादक बन गए हैं। परन्तु जैसा कि हमारे चीनी और खाद्य तेलों के भारी आयात से स्पष्ट है, कुछ महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन अब भी अपर्याप्त है।

27. फसल पद्धति में इस असंतुलन को सही करने से हमारे भुगतान संतुलन पर दबाव में कमी आएगी और हम अपने कृषि साधनों का बेहतर ढंग से उपयोग कर सकेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी नीति तदर्थ न हो, हमें एक ऐसी दीर्घावधिक नीति तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए जिसके अंतर्गत विभिन्न फसलों की उपज में क्षेत्रीय भिन्नताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए। विशेष रूप से कृषि मूल्यों में अनिश्चितता और अस्थिरता में कमी आने से हमारे किसानों की आय सुनिश्चित हो सकेगी और इस प्रकार वांछित दिशाओं में उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषकों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष एक व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इस वर्ष एक ऐसी ही स्कीम फल उपजाने के लिए भी शुरू की जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने के एक अन्य उपाय के रूप में मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे सहयोगी, माननीय कृषि मंत्री जी ने कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के परामर्श से महत्वपूर्ण फसलों के संबंध में एक दीर्घावधिक मूल्य नीति तैयार करने का कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया है।

28. व्यापक आधार वाले कृषि विकास से हमारी गरीबी की प्रमुख समस्या का समाधान करने का एक कारगर उपाय उपलब्ध होता है। परन्तु हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि विकास का लाभ सदा ही हमारे समाज के निर्धनतम वर्गों को, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों के लोगों को प्राप्त नहीं होता जहां कृषि विकास पिछड़ा हुआ है। इनके लिए अधिक आमदनी और बेहतर रहन-सहन की स्थितियों का सर्वोत्तम उपाय, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे प्रमुख गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों में निहित है। ये कार्यक्रम, गरीबी पर प्रहार करने के हमारे प्रमुख साधन हैं और लाखों लोगों के लिए अभावग्रस्तता की निराशा और लाभप्रद रोजगार की आशा के बीच एक उम्मीद

की किरण हैं। इस वर्ष के बजट में इन कार्यक्रमों के लिए आवंटन में मैं लगभग 65 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव करूंगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास कार्यक्रम को भी, जिसकी घोषणा मैंने पिछले वर्ष की थी, मजबूत किया जा रहा है।

29. गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण संबंधी अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरम्भ की गई नई आवास योजना का नाम "इन्दिरा आवास योजना" रखना उनकी याद में एक सही श्रद्धांजलि होगी।

30. यह उचित ही है कि बैंक जो लोगों की बचत को धरोहर के रूप में रखते हैं, इन बचतों का उपयोग हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों, विशेष रूप से गरीबी दूर करने और ग्रामीण विकास के हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए करें। मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी है कि 1985 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की राशि 43.4 प्रतिशत तक पहुंच गई जबकि लक्ष्य 40 प्रतिशत का था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 165 लाख लोगों को छठी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान 3,100 करोड़ रुपए के कर्ज दिए। सातवीं आयोजना के दौरान ऐसे 200 लाख लाभभोगियों का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 60 लाख लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित होंगे।

31. हमारे सामाजिक बैंकों और बीमा संबंधी आधारभूत-ढांचे का शहरी गरीबी के निराकरण के लिए भी इस्तेमाल होना जरूरी है। रिक्शाचालक, मोची, धोबी, कुली, नाई, फेरीवाले, सफाई कर्मचारी और गाड़ीवान उन लोगों में से हैं जो विशेष रूप से असुविधाजनक स्थिति में हैं।

सरकार इन लोगों के लिए एक नई स्कीम आरम्भ करने का प्रस्ताव करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता के अंश सहित बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण देने की व्यवस्था होगी ताकि लाभभोगियों पर ऋण वापसी का भार कारगर ढंग से कम हो जाए। इस स्कीम के अंतर्गत रिक्शचालकों, मोचियों, धोबियों, नाइयों, फेरीवालों तथा गाड़ीवालों जैसे आत्म नियोजित लोगों के लिए उपस्करों की खरीद करने, कार्यचालन पूंजी के वास्ते ऋण देने की व्यवस्था होगी। रिजर्व बैंक के परामर्श से इस स्कीम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और उनकी अलग से घोषणा की जाएगी।

32. मेरा प्रस्ताव नगर पालिका स्वीपरों और रेलवे पोर्टरों के लाभ के लिए दुर्घटना बीमा की एक नई योजना प्रारंभ करने का भी है। इस योजना के अन्तर्गत, जिसके ब्यौरे जीवन बीमा निगम द्वारा अलग से घोषित किए जाएंगे, श्रमिक यूनियनों के माध्यम से सामूहिक बीमे की व्यवस्था होगी। योजना के अन्तर्गत 5,000 रुपये के जीवन बीमा कवच की व्यवस्था होगी और यूनियन के सदस्यों को दोहरा दुर्घटना लाभ प्राप्त होगा बशर्ते कि यूनियन के 75 प्रतिशत सदस्य योजना में शामिल होने के लिए राजी हो जाएं।

33. पिछले बजट में मैंने देश के 100 जिलों में गरीब परिवारों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना पेश की थी। इस योजना का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। इसलिए मेरा प्रस्ताव अब इसे 200 जिलों तक बढ़ाने का है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों के भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमान्तिक किसानों, पारम्परिक दस्त-

कारों, छोटे व्यापारियों तथा अन्य लोगों के गरीब परिवारों के कमाने वाले सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु का जोखिम शामिल होगा। इस योजना की पूरी लागत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

34. श्रमिक हमारे देश की सच्ची सम्पत्ति है। इस बात को स्वीकार करते हुए पिछले वर्ष, मैंने औद्योगिक तथा अन्य कामगारों के लाभ के लिए बहुत से उपायों की घोषणा की थी। इनमें कंपनियों के बन्द होने की स्थिति में प्रत्याभूत ऋणदाताओं की भांति कामगारों को देय राशियों को प्राथमिकता देने, कर्मचारियों को देय बोनस के संबंध में वेतन की सीमा 750 रुपए से बढ़ा कर 1600 रुपए करने, शेयर स्टाक विकल्प की योजना शुरू करने और छटनी के लिए हर्जाने की छूट की मौद्रिक सीमा 20,000 रुपए से बढ़ा कर 50,000 रुपए करने के उपाय शामिल हैं। इन प्रस्तावों को वर्ष के दौरान कार्यान्वित कर दिया गया था। इसके अलावा बोनस अदायगी की पात्रता की सीमा को 1,600 रुपए से बढ़ा कर 2,500 रुपए कर दिया गया। हमने औद्योगिक कामगारों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते में भी वृद्धि कर दी है और इसे उपभोक्ता सूचकांक में प्रति बिन्दु की बढ़ोतरी होने पर पहले के 1.30 रुपए से बढ़ा कर 1.65 रुपए कर दिया गया है।

35. कामगारों और कर्मचारियों द्वारा काफी कठिनाई के बावजूद की गई बचतों से प्राप्त होने वाले प्रतिफल में सुधार करना आवश्यक है। अतः भविष्य निधि में किए जाने वाले अंशदानों पर ब्याज की दर बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि पर मिलने वाले ब्याज की दर को 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि, कोयला खान, भविष्य निधि तथा ऐसी ही अन्य निधियों के तहत आने वाले अन्य श्रमिकों के लाभ के लिए, सरकार के पास विशेष निक्षेपों में निवेशित भविष्य निधि रकमों पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत की जा रही है। निवेश का ढांचा भी बदला जा रहा है जिससे कि निधियों को सरकार के पास विशेष निक्षेपों में कुल रकमों के 85 प्रतिशत तक के निवेश की अनुमति होगी जबकि इस समय 30 प्रतिशत तक की सीमा है। लोक भविष्य निधि के ब्याज की दर को भी 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत करने का मेरा प्रस्ताव है, यह निधि स्वनियोजित व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों के लिए है, जो अन्य भविष्य निधि योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते।

36. अपने भाषण में, बाद में, मैं श्रमिकों के आवास के लिए उदार मूल्यह्रास व्यवस्थाओं की भी घोषणा करूंगा। श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऐसी आवास व्यवस्था का विस्तार करना जरूरी है। सरकार, सभी छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों को इस विषय में विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आवास और शहरी विकास निगम, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और कम ब्याज पर आवास ऋणों की व्यवस्था कर रहा है। सरकार आवास के लिए कमजोर वर्गों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करेगी।

37. रोजगार के अवसर पैदा करने में निर्माण संबंधी गतिविधि की भूमिका को ध्यान में रख कर, और साथ ही एक महत्वपूर्ण और सर्वव्यापक सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सरकार इस गतिविधि को बढ़ावा देने संबंधी सुझावों पर विचार करेगी। हमें आवासों की सप्लाई

और उनकी उपलब्धता को बढ़ा कर मकानों के अभाव को कम करना है। ऐसी कर रियायतें जिनसे मकानों की पूर्ति बढ़े बगैर मकानों की मांग में वृद्धि होती है शायद उपयोगी नहीं होगी। निर्माण गतिविधियों में अवरोध पैदा करने वाले अनेक वित्तीय और गैर वित्तीय तत्व हैं और यह आवश्यक है कि इनके बारे में खुल कर विचार-विमर्श किया जाए। सरकार इस विषय पर माननीय सदस्यों और जनता के सुझावों का स्वागत करेगी।

38. विकासशील देशों में, भारत को सबसे ऊंची बचत दर हासिल करने का श्रेय प्राप्त है। यह, हमारे लोगों की मितव्ययता और कड़ा परिश्रम करने की आदतों का ही परिणाम है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, इस बचत को, उत्पादक साधनों में, विशेष रूप से वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश करने के लिए अवसर प्रदान करना रहा है। ये नीतियां उल्लेखनीय रूप से सफल रहीं हैं और आजकल लगभग 65 प्रतिशत घरेलू बचतों को वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेशित किया जा रहा है जबकि 1979-80 में यह प्रतिशत केवल 46 था। हमारी राष्ट्रीय बचत में घरेलू बचत का अंश 80 प्रतिशत है, और वित्तीय परिसम्पत्तियों के धारण में यह विपुल वृद्धि हमारे वित्तीय और पूंजी बाजारों के भावी विकास की एक स्वस्थ परिचायक है।

39. पूंजी वृद्धि का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से शेयर बाजारों में बिकने वाले (कोट किए जाने वाले) शेयरों में धन निवेश करने में छोटे निवेशकर्ता पर्याप्त रुचि ले रहे हैं। परन्तु उनमें से अधिकांश को आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है और कुछ अवांछनीय तत्व उनका शोषण भी करते हैं। ऐसे निवेशकर्ताओं को एक मार्ग प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकारी क्षेत्र में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की सहायक इकाई के रूप में एक नई सांझी (म्युटुयल) निधि कायम करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित सांझी निधि की यूनिटों में निवेश करने से, आयकर अधिनियम की धारा 54-ड. के तहत पूंजी लाभ से छूट मिल सकेगी, जो कुछ शर्तों के अधीन होगी। यह सुविधा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में निवेश के लिए पहले से ही विद्यमान सुविधा के अलावा होगी।

40. मैंने पिछले वर्ष, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए लोगों की बचत, विशेष रूप से ग्रामीण बचत को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय की घोषणा की थी। दूर संचार तथा विद्युत के क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को बांडों की एक नई श्रृंखला के जरिए जनता से निधियां जुटाने की अनुमति दी गई है। इन बांडों पर ब्याज की दर बहुत आकर्षक है और इन्हें शेयर बाजार में कोट किया जाता है। एक और उपाय के रूप में, अगले वर्ष सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों की एक और श्रृंखला प्रारंभ करेगी, जिस पर कर-मुक्त ब्याज मिलेगा। इसके अतिरिक्त, धन कर से छूट जैसे अन्य लाभ भी मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि लोग देश के विकास में योगदान करने के लिए इस अवसर का उत्साहजनक रूप से स्वागत करेंगे।

41. अब मैं एक तकनीकी किस्म के मामले का उल्लेख करना चाहूंगा जिसका शेष अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय प्रबंध के प्रभाव से एक महत्वपूर्ण संबंध है। यह बजटीय घाटे के माप से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति ने जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक प्रणाली के कार्यचालन की समीक्षा करने के उद्देश्य से की थी, टिप्पणी की है कि बजट प्रलेखों में पारम्परिक रूप से परिभाषित बजटीय घाटे से सरकार के वित्तीय परिचालनों के मौद्रिक प्रभाव के सही-सही माप का पता नहीं चलता।

इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि बजटीय घाटे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिए जाने वाले समस्त उधार में होने वाले परिवर्तन भी शामिल होने चाहिएं, जिनमें लम्बी अवधि की प्रतिभूतियों में भारतीय रिजर्व बैंक के धारणों में होने वाले परिवर्तन भी शामिल हैं। सरकार का समिति की इस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव है। बजटीय घाटे की परिभाषा में परिवर्तन की प्रक्रिया रिजर्व बैंक के परामर्श से तय की जाएगी।

42. सरकार का प्रस्ताव, समग्र मौद्रिक लक्ष्य निर्धारित करने से संबंधित समिति की सिफारिश स्वीकार करने का भी है, जिसकी मानीटरिंग की जा सकती है और जिससे वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियों के बीच बेहतर समन्वय कायम करने में मदद मिलेगी तथा उनका समग्र प्रबंध और अधिक वैज्ञानिका रूप से हो सकेगा। मुद्रा संबंधी परिवर्तनशील तत्वों में होने वाली अल्पावधिक घटबढ़ के कारण प्रचालन संबंधी नियम तैयार करने में कुछ तकनीकी कठिनाईयां हैं। अगले वर्ष सरकार द्वारा परिचालनात्मक सार्थक लक्ष्य विकसित करने के वास्ते प्रयोगात्मक आधार पर शुरुआत की जाएगी।

43. अब मैं 1985-86 के संशोधित अनुमानों और 1986-87 के बजट अनुमानों के बारे में बात करूंगा।

1985-86 के संशोधित अनुमान

44. मेरे द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राजस्व और व्यय के बजट अनुमानों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, कर-राजस्व बड़ी मात्रा में बजट अनुमानों को पार कर गए हैं। संशोधित अनुमानों में वर्ष 1985-86 के बजट अनुमानों की तुलना में 2476 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष की कर प्राप्तियों से 21 प्रतिशत अधिक और 1985-86 के बजट अनुमानों से 10 प्रतिशत अधिक है।

कर की राशि बजट अनुमानों से 15 प्रतिशत अधिक होगी और आयकर से 36 प्रतिशत अधिक संग्रह होने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष करों के संग्रह में ऐसी वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। 1984-85 की तुलना में करों के केंद्रीय अंश में 19 प्रतिशत की और राज्यों के अंश में 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। राजकोषीय घट्टनाचक्र की एक अन्य उत्साहवर्धक बात अल्प बचत के संग्रह में तेजी से वृद्धि होना है। इनकी राशि, बजट अनुमानों की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक होगी। और पिछले वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक होगी।

45. जहां तक अन्य प्राप्तियों का संबंध है कर-भिन्न राजस्व 2 प्रतिशत अधिक होगा और पूंजीगत प्राप्तियों में जिनमें बाजार उधार, विदेशी सहायता तथा अल्प बचत शामिल हैं, कुल मिलाकर 8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

46. कर-राजस्व में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति तथा अन्य आर्थिक निर्देशकों की संतोषजनक स्थिति का लाभ उठाते हुए, जिसमें खाद्यान्नों के भण्डार का उच्च स्तर भी शामिल है, सरकार ने केन्द्रीय आयोजना में 1594 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का निर्णय किया। केन्द्रीय आयोजना के लिए संशोधित अनुमान 20094 करोड़ रुपये के हैं जबकि बजट अनुमानों की राशि 18500 करोड़ रुपए थी। केंद्रीय आयोजना के लिए बजटीय समर्थन में 1448 करोड़ रुपये अथवा 13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अतिरिक्त आवंटनों में, एक ओर रेलवे, इस्पात और एल्यूमीनियम

जैसे आधारभूत क्षेत्रों के लिए और दूसरी ओर गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने का ध्यान रखा गया।

47. वर्तमान वर्ष की पहली छमाई में अनेक राज्यों के सामने साधनों की समस्या बनी रही। इन समस्याओं पर काबू पाने में उनकी मदद करने के वास्ते अनेक कदम उठाए गए। मैं उनके बारे में कुछ देर में बताऊंगा।

48. जहां तक आयोजना-भिन्न खर्च की बात है, वर्तमान वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को मंजूर की गई अंतरिम राहत, उदार तदर्थ बोनस, पेंशन लाभों और अतिरिक्त महंगाई भत्ते के लिए 440 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई।

49. रक्षा, व्यय, 7686 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के मुकाबले 7862 करोड़ रुपये होगा। ब्याज की अदायगी का अनुमान 7400 करोड़ रुपये है जो 7075 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से लगभग 5 प्रतिशत अधिक है।

50. वर्ष के दौरान खाद्य और उर्वरक के लिए आर्थिक सहायता (सब्सिडी) में पर्याप्त वृद्धि हुई। इन सहायताओं के संशोधित अनुमान 1650 करोड़ रुपये और 2050 करोड़ रुपये के हैं जो बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 50 प्रतिशत और 14 प्रतिशत अधिक हैं। कुल मिलाकर आर्थिक सहायता, बजट अनुमानों के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक होगी।

51. कुल प्राप्तियों के संशोधित अनुमान 46017 करोड़ रु० के हैं जबकि खर्च के संशोधित अनुमान 50507 करोड़ रुपये के हैं, और घाटा 4490 करोड़ रुपये का रहेगा। इस प्रकार बजट घाटा बजट अनुमानों की तुलना में अधिक होने की संभावना है। लेकिन इसके बावजूद अर्थ व्यवस्था में मुद्रा के विस्तार की दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है। अर्थव्यवस्था ने समग्र नकदी की स्थिति को अनावश्यक रूप से बिगाड़े बगैर घाटे को बर्दाश्त कर लिया है।

1986-87 के बजट अनुमान

52. अगले वर्ष के बजट अनुमान तैयार करते समय मेरी सबसे पहली प्राथमिकता आयोजना के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की रही है। जैसा कि सदन को जानकारी है, सातवीं आयोजना में सरकारी क्षेत्र के लिए कुल 1,80,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है जिसमें से 95,534 करोड़ रुपये 1984-85 की कीमतों के आधार पर केंद्रीय आयोजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। इतनी बड़ी आयोजना की वित्त व्यवस्था करने के लिए, जैसाकि दीर्घावधिक राजकोषीय नीति संबंधी प्रलेख में बताया गया था, वर्ष 1986-87 के लिए 1984-85 की कीमतों के अनुसार लगभग 18,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी। वर्तमान कीमतों के अनुसार यह लगभग 20,000 करोड़ रुपए बैठता है।

53. तथापि, मंत्रालयों के साथ योजना आयोग द्वारा किए गए वार्षिक आयोजना संबंधी विचार विमर्श से पता चला कि 1986-87 के लिए कहीं अधिक मात्रा में आयोजना परिव्यय की आवश्यकता होगी जिससे कि महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र में निवेश की गति को बनाए रखा जा सके और गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। इसलिए अगले वर्ष की आयोजना के लिए 22,300 करोड़ रुपये का आवंटन करने का निश्चय किया गया है। यह 1985-86 के बजट अनुमानों में 3800 करोड़ रुपये अथवा 20.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि है। यद्यपि हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है,

तथापि मुझे यकीन है कि इतनी वृद्धि से हमारी तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। पहले दो वर्षों को मिलाकर हम 1984-85 के मूल्यों के स्तर पर वास्तविक रूप से सातवीं आयोजना के परिव्यय के 40 प्रतिशत से अधिक की व्यवस्था कर चुके होंगे। यह छठी योजना के पहले दो वर्षों की स्थिति से काफी बेहतर है।

54. मुझे सदन को यह सूचित करते हुए भी खुशी है कि राज्यों का कुल आयोजना परिव्यय, 15,880 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 872 करोड़ रुपये का आयोजनागत परिव्यय निर्धारित किया गया है जबकि वर्तमान वर्ष में यह 640 करोड़ रुपये के स्तर का है। मेरे लिए यह भी संतोष की बात है कि केन्द्र ने वर्तमान वर्ष में राज्यों को पर्याप्त अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराए जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है।

55. वर्ष 1984-85 की तुलना में, जैसा कि मैंने पहले कहा था केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 30 प्रतिशत तक बढ़ गया है। यह राजस्व संग्रहों में तेजी से हुई वृद्धि तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्यों के हिस्से में वृद्धि के कारण हुआ है। मुझे खुशी है कि कर संग्रह में सुधार के लिए केन्द्र के प्रयासों से राज्यों को भी पर्याप्त लाभ हुआ है। राज्यों को अन्य प्रकार के साधनों के अंतरणों में तेजी से वृद्धि हुई है। छोटी बचतों में राज्यों के हिस्से में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और राज्यों को केन्द्र की आयोजना सहायता में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने सूखे और बाढ़ राहत के लिए राज्यों को 722 करोड़ रुपये सहायता के रूप में उपलब्ध किए हैं। राज्यों को 1628 करोड़ रुपए का एक मध्यावधिक ऋण भी दिया गया ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अपने ओवरड्राफ्टों को समाप्त कर सकें। मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि ओवर ड्राफ्ट विनियमन योजना का हर हालत में सख्ती से पालन करना होगा और मुझे खुशी है कि राज्यों ने इसके अनुरूप काम किया है। इस प्रकार एक ऐसी समस्या का समाधान हो गया है जिसने एक दशक से अधिक समय तक राजकोषीय स्थिति को बिगाड़ रखा था। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस समस्या को फिर से नहीं उठने दिया जाएगा।

56. कुल मिलाकर, केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए दी गई सहायता को मिलाकर 1984-85 की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र के अंतरणों में 7542 करोड़ रुपए अथवा 51 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 1986-87 में विभिन्न मदों के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरणों के लिए 20,708 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है जो 1985-86 के बजट अनुमानों की तुलना में 15.4 प्रतिशत अधिक है।

57. अब मैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बात करूंगा, जिनके संबंध में वर्ष 1986-87 की वार्षिक आयोजना में प्रमुख रूप से बल दिया जाएगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा प्रस्ताव निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए आवंटनों में पर्याप्त वृद्धि करने का है।

वर्ष 1986-87 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1851 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 1985-86 के लिए अनुमोदित परिव्यय 1239 करोड़ रुपए का था, अर्थात् 50 प्रतिशत की वृद्धि।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और बंधुआ मजदूरों के लिए कम लागत पर ग्रामीण घरों के निर्माण, एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत लोगों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्नों के वितरण, युवा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक संख्या में व्यक्तियों को शामिल करने तथा अतिरिक्त खाद्यान्नों के आवंटन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विस्तार करने की योजनाओं की घोषणा की थी। अगले वर्ष भी इन कार्यक्रमों को जारी रखने का प्रस्ताव है। वर्ष 1986-87 में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किए जाने की संभावना है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा दिए गए वचन को पूरा करना है।

58. ग्रामीण गरीबी को दूर करने की सरकार की वचनबद्धता के अनुरूप ऐसे कार्यक्रमों पर अधिक जोर दिया गया है जिनसे समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को सीधे ही लाभ मिलता हो। कुछ गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के 1986-87 के लक्ष्य और उनके लिए आवंटित राशि इस प्रकार है :

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 में 30 करोड़ से अधिक कार्य दिवसों का रोजगार पैदा होगा जबकि वर्तमान वर्ष में 25.3 करोड़ कार्य दिवसों का रोजगार पैदा हुआ। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र का परिव्यय बढ़कर अगले वर्ष 443 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि 1985-86 में यह 230 करोड़ रुपये था अर्थात् 93 प्रतिशत की वृद्धि।

(2) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत अगले वर्ष 26.4 करोड़ कार्य दिवसों का रोजगार पैदा होता जबकि वर्तमान वर्ष में 20.9 करोड़ कार्यदिवसों का रोजगार पैदा हुआ। वर्ष 1986-87 के लिए इस कार्यक्रम के वास्ते 633 करोड़ रुपए का केन्द्रीय परिव्यय रखा गया है जो वर्तमान वर्ष के 400 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 58 प्रतिशत अधिक है।

(3) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और उससे संबंधित लाभभोगी-प्रधान कार्यक्रमों के लिए केन्द्र का आवंटन वर्ष 1986-87 में 428 करोड़ रुपए का है जबकि वर्तमान वर्ष के बजट अनुमानों में यह राशि 283 करोड़ रुपए है, अर्थात इसमें 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान वर्ष के पहले नौ महीनों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 15.3 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई जिनमें से 6.3 लाख परिवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों से संबंधित थे। सातवीं आयोजना में आशा है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लगभग 2 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।

(4) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और बंधुआ मजदूरों के लिए आवास योजनाओं के वास्ते परिव्यय को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये किया जा रहा है। वर्ष 1985-86 में 1.5 लाख मकानों के निर्माण के लिए 146 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अनुमोदित की गईं। इससे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को और बढ़ावा मिलेगा।

59. ग्रामीण जल-पूर्ति अब भी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम का एक अंग बना हुआ है। छठी आयोजना के आरम्भ में 2.31 लाख गांवों में पानी की समस्या थी जिनमें से 1.92 लाख गांवों में छठी आयोजना अवधि के दौरान पेय जल के कम

से कम एक सुरक्षित स्रोत की व्यवस्था की गई। सातवीं आयोजना में शेष 39,000 समस्या वाले गांवों के लिए पेय जल की व्यवस्था करने को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीद है कि 1987-88 तक इन गांवों में पेय जल की व्यवस्था हो जाएगी। वर्ष 1986-87 में इस प्रयोजन के लिए 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

60. हमारे सभी विकास प्रयासों में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को स्वभावतः प्राथमिकता दी गई है। संबंधित विभागों के लिए कुल केंद्रीय परिव्यय को वर्तमान वर्ष के 2207 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 1986-87 में 2838 करोड़ रुपए कर दिया गया है, अर्थात 29 प्रतिशत की वृद्धि। इसमें ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का परिव्यय भी शामिल है, जिसके ब्यौरों का मैंने अभी जिक्र किया था। जैसा कि सम्माननीय सदस्य जानते हैं, 2838 करोड़ रुपए का यह केंद्रीय परिव्यय इन कार्यक्रमों के लिए राज्यों द्वारा अपनी आयोजनाओं में किए गए आवंटनों के अलावा होगा।

61. हजीरा और थाल वैशेत उर्वरक संयंत्रों ने वर्तमान वर्ष में उत्पादन शुरू कर दिया जिससे नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में काफी वृद्धि हो जाएगी। 1986-87 के दौरान उर्वरकों का उत्पादन बढ़ कर 69 लाख मीट्रिक टन हो जाने की आशा है जो वर्तमान वर्ष के उत्पादन की तुलना में 21 प्रतिशत वृद्धि है। इफको की आंवला परियोजना और नेशनल फर्टीलाईजर्स लिमिटेड की विजयपुर की परियोजना जो दो अन्य प्रमुख गैस-आधारित उर्वरक परियोजनाएं हैं, के लिए अगले वर्ष का प्रावधान क्रमशः 205 करोड़ रुपए और 180 करोड़ रुपए है।

62. सातवीं आयोजना में मानव संसाधनों के विकास पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है। इसमें शिक्षा, खेलकूद, युवा कार्यकलाप, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पर्यावरण, महिला कल्याण, कला, संस्कृति और प्रसारण शामिल है। मेरा प्रस्ताव इस क्षेत्र के कार्यक्रमों के परिव्यय को 236 करोड़ रु० के वर्तमान वर्ष के स्तर से बढ़ाकर 1986-87 में 1733 करोड़ रुपए करने का है, अर्थात् लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि।

63. माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। तदनुसार, मैं शिक्षा के लिए वर्तमान वर्ष के 221 करोड़ रुपए के परिव्यय को बढ़ाकर 1986-87 में 352 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। इसका अर्थ 59 प्रतिशत की वृद्धि होगा।

64. शिक्षा के क्षेत्र में दो योजनाएं उल्लेनीय हैं। उच्च कोटि की तथा उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में माडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय किया गया है। मेरा इस योजना के लिए 1986-87 में 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। दूरवर्ती तथा पिछड़े इलाकों के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है जिसके लिये मैंने वर्ष 1980-81 के लिये 7.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।

65. आकाशवाणी और दूरदर्शन, सूचना और शिक्षा के प्रसार के सशक्त माध्यम हैं। खुले विश्वविद्यालय के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में ज्ञान का विस्तार जैसी विशेष स्कीमो और नई धारणाओं का सफल क्रियान्वयन भी प्रसारण के विस्तार पर निर्भर करता है। प्रसारण के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने के उद्देश्य से, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परिव्यय को चालू

वर्ष के 110 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 242 करोड़ रुपए करने अर्थात उसमें 120 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं।

66. मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नई शिक्षा नीति संसद के इस अधिवेशन में पेश की जाएगी। मुझे विश्वास है कि नीति के अन्तर्गत यथासंभव थोड़े समय में प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और 15—35 आयु-वर्ग के बीच प्रौढ़ साक्षरता का प्रसार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण संबंधी नई नीति और रोजगार प्रधान व्यावसायिक शिक्षा का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तकनीकी जनशक्ति के प्रशिक्षण को भी उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार, संसद द्वारा अनुमोदित 'नीति' को कार्यान्वित करने के लिये वचनबद्ध है।

67. हम 2000 ई० तक 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसे मुख्यत: प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रमों का विस्तार करके पूरा किया जाएगा, जो, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, राज्य आयोजनाओं का भाग है। मेरा प्रस्ताव, अगले वर्ष स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का है, जिसमें से 123 करोड़ रुपए की राशि संचारी रोगों के नियंत्रण के कार्यक्रम के वास्ते होगी। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए मेरा प्रस्ताव 1986-87 के लिए 530 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का है।

68. कला के विभिन्न स्वरूप और सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ाते हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव कला और संस्कृति विभाग के इस वर्ष के 19 करोड़ रुपए के परिव्यय को बढ़ाकर 1986-87 में 59 करोड़ रुपए करने का है, यह 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। एक मिली-जुली भारतीय संस्कृति के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों और उनके लोगों के बीच जो रिश्ता है उसे दर्शाने के लिए आंचलिक (जोनल) सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के वास्ते एक नई योजना शुरू की जा रही है।

69. सरकार को प्रदूषण की समस्या के बारे में गहरी चिन्ता है। गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान एक प्रमुख योजना गंगा कार्रवाई योजना शुरू की गई। यह एक बहु-विषयक कार्यक्रम है जिससे केंद्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस योजना के लिए वर्ष 1986-87 का प्रस्तावित परिव्यय 52 करोड़ रुपए है जबकि वर्तमान वर्ष में यह 10 करोड़ रुपए के स्तर का है। अधिक प्रावधान के तहत 1986-87 में कार्यान्वयन के लिए मल निकासी समेत बड़ी संख्या में कार्रवाई योजनाएं शुरू की जाएंगी।

70. सरकार ने राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की है जिसका उद्देश्य परती भूमि में ईंधन की लकड़ी उगाना और चारे की खेती करना है। मैं 1986-87 के लिए इस कार्यक्रम के वास्ते 15 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। यह, ग्रामीण ईंधन लकड़ी उगाने सहित सामाजिक वानिकी के लिए किए गए 20 करोड़ रुपए के प्रावधान के अतिरिक्त होगा।

71. विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग कोयला, विद्युत, रेलवे, पेट्रोलियम तथा जल-भूतल यातायात जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना है, जो सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। सातवीं आयोजना में 95,534 करोड़ रुपए के केंद्रीय क्षेत्र

के कुल परिव्यय में से आधारभूत ढांचे के लिए 45,649 करोड़ रुपए का परिव्यय, अर्थात लगभग 48 प्रतिशत, निर्धारित किया गया है। मैं, वर्तमान वर्ष के 8751 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 1986-87 के लिये 10,805 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव कर रहा हूं, अर्थात् कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रेलवे और जल भूतल परिवहन विभागों को मिलाकर, 23 प्रतिशत वृद्धि। यह, वर्ष 1986-87 के लिये केंद्रीय क्षेत्र के कुल आयोजना परिव्यय का 48 प्रतिशत है।

72. विद्युत विभाग के परिव्यय को वर्तमान वर्ष के 2090 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1986-87 में 2575 करोड़ रुपए किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान उम्मीद है कि देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता में ,000 मेगावाट से भी अधिक की वृद्धि हो जाएगी जबकि सातवीं आयोजना का लक्ष्य 22,245 मेगावाट है। वर्तमान वर्ष में सृजित की जाने वाली सम्भावित अतिरिक्त क्षमता में से 865 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से होगी। वर्ष 1986-87 में स्थापित क्षमता में लगभग 4,000 मेगावाट की और वृद्धि होने की सम्भावना है। इस प्रकार पहले दो वर्षों में आयोजना लक्ष्यों का 36 प्रतिशत अंश पूरा हो जाएगा।

73. राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम, जो केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है, के स्वामित्व वाले बिजली घरों का कार्य-निष्पादन एक संतोष का विषय है। वर्तमान वर्ष के पहले दस महीनों में इन बिजली घरों ने 67.9 प्रतिशत का संयंत्र भार अनुपात प्राप्त किया जबकि राष्ट्रीय औसत 51.3 प्रतिशत है।

74. वर्तमान वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 12 अगस्त, 1985 को 235 मेगावाट के कल्पक्कम परमाणु बिजली घर के चरण II का क्रांन्तिक अवस्था में पहुंचना है। इस संयंत्र के चालू हो जाने से प्राकृतिक यूरेनियम भारी जल रिएक्टर के लिए प्रौद्योगिकी का पूर्ण रूप से स्वदेशीकरण हो गया है। इस वर्ष भाभा परमाणु अनुसंसान केंद्र में 100 मेगावाट का ध्रुव भी चालू हो गया जो विश्व के सबसे बड़े अनुसंधान रिएक्टरों में से एक है। हमारे लिए यह भी एक गर्व की बात है कि कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के चालू हो जाने से हम उन कुछ चुने हुए देशों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

75. विद्युत के क्षेत्र में वर्ष के दौरान अनुमोदित एक महत्वपूर्ण परियोजना डी.वी.सी. का मेजिआ तापीय विद्युत केन्द्र है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में स्थित इस परियोजना के अन्तर्गत 566 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 630 मेगावाट की क्षमता का निर्माण होने की परिकल्पना की गई है। कवास (गुजरात), अन्ता (राजस्थान) और औरैया (उत्तर प्रदेश) में एक-एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो प्राकृतिक गैस पर आधारित होंगे, और ये मिलकर 1500 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करेंगे। वर्ष 1986-87 के दौरान इन तीनों परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

76. सरकार ने एक विद्युत वित्त निगम स्थापित करने का निर्णय किया है। यह निगम, विद्युत परियोजनाओं, जिनमें उनके पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण की योजनाएं भी शामिल हैं, की वित्त व्यवस्था के लिए साधनों में वृद्धि करेगा। वर्ष 1986-87 की वार्षिक आयोजना में पुनरुद्धार

और आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 70 करोड़ रुपए प्रस्तावित निगम के लिए होंगे ।

77. वर्ष 1986-87 के लिए पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वास्ते 3,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । अगले वर्ष क्रूड तेल के उत्पादन का लक्ष्य 3.021 करोड़ मीट्रिक टन रखा गया है । प्राकृतिक गैस के प्रेषणों में भी काफी वृद्धि होने की प्रत्याशा है । वर्ष 1986-87 में 467.7 करोड़ क्यूबिक मीटर प्रेषणों की प्रत्याशा है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक होंगे ।

78. भारतीय संदर्भ में, कोयला अब भी ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख स्रोत है। कोयले की बढ़ती हुई मांग और कोयले की खानों के विकास से सम्बद्ध लम्बे लीड समय को ध्यान में रखते हुए मैं कोयला विभाग के लिए वर्तमान वर्ष के 1102 करोड़ रुपए के परिव्यय को बढ़ाकर 1986-87 में 1350 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो लगभग 22.5 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 1986-87 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 16.68 करोड़ मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है जो वर्तमान वर्ष के प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में निर्धारितवर्ष के प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में 1.23 करोड़ मीट्रिक टन अधिक है ।

79. परिवहन के क्षेत्र में प्रभावशाली बढ़ोतरी के बावजूद समस्त परिवहन प्रणाली की क्षमता अब भी मांग से कम है । पुरानी तथा अप्रयुक्त परिसम्पत्तियों को भी तुरन्त बदलने की आवश्यकता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1986-87 के लिए परिवहन मंत्रालय के वास्ते कुल 3,875 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें रेलवे के लिए 2650 करोड़ की राशि भी शामिल है जिसकी अलग से रेलवे बजट में व्यवस्था की गई है । अगले वर्ष के लिए रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले माल का लक्ष्य 29.4 करोड़ मीट्रिक टन रखा गया है जो वर्तमान वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 1.7 करोड़ मीट्रिक टन अधिक है । इस वर्ष रेलवे द्वारा परिसम्पत्तियों के उपयोग और वित्तीय कार्य-निष्पादन में काफी सुधार हुआ ।

80. वर्ष 1986-87 के लिए इस्पात विभाग के वास्ते मैं 1320 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव कर रहा हूं, जिसमें विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए 700 करोड़ की राशि भी शामिल है । माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि "सेल" जिसने 1983-84 में 214.61 करोड़ रुपए का घाटा उठाया था, अब लाभ कमाने लगा है । 1984-85 में कम्पनी ने 4.24 करोड़ रुपए का सांकेतिक लाभ अर्जित किया । वर्तमान वर्ष में 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का लाभ होने की उम्मीद है ।

81. परमाणु ऊर्जा विभाग के परिव्यय को 495 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 550 करोड़ रुपए और अन्तरिक्ष विभाग के परिव्यय को 165 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 217 करोड़ रुपए कर दिया गया है ।

82. वर्ष 1986-87 के लिए दूर-संचार विभाग के लिए प्रस्तावित परिव्यय 915 करोड़ रुपए है । दूर-संचार प्रणाली की परिचालन कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बम्बई और दिल्ली के महानगरों की टेलीफोन सेवाओं के प्रबंध और संचालन के लिए सरकारी क्षेत्र का एक निगम स्थापित करने का निश्चय किया है । यह निगम बांड जारी करके धन भी जुटाएगा ।

83. स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शिक्षित बेरोजगारों को स्वःरोजगार प्रदान करने के लिए 15 अगस्त, 1983 को एक योजना की घोषणा की थी। इस योजना के वास्ते वर्ष 1986-87 में 103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जबकि वर्तमान वर्ष में 65 करोड़ रुपए का प्रावधान है, अर्थात 58 प्रतिशत की वृद्धि। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए मैं वर्ष 1986-87 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा हूं।

सातवीं आयोजना में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 37 लाख से बढ़कर 50 लाख हो जाने की उम्मीद है।

84. पर्यटन से सद्भावना और राष्ट्रीय एकता का विकास होता है पर्यटन देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। सातवीं आयोजना में पर्यटन के लिए 139 करोड़ रुपये का जो परिव्यय निर्धारित किया गया है वह छठी आयोजना के परिव्यय से 93 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1986-87 के लिए 26 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचे में सुधार करने के लिए और कदम उठाए जा रहे हैं।

85. माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि 1986-87 की वार्षिक आयोजना में जो प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं उनसे 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और गति मिलेगी। इस कार्यक्रम के लिए वर्तमान वर्ष के 4,900 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय आयोजना में 5998 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा, अर्थात एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि।

86. आयोजना-भिन्न खर्च के मामले में मैंने रक्षा के लिए वर्तमान वर्ष में 7862 करोड़ रु० की राशि की तुलना में 8728 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि हमारी सीमाओं पर दबाव को देखते हुए हम सुरक्षा के मामले में कोई जोखिम नहीं उठा सकते।

87. विकास के लिए छोटी बचतों तथा बाजार-उधारों द्वारा साधन जुटाने में हुई वृद्धि के फलस्वरूप ब्याज की अदायगियां भी 8,750 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएंगी, जबकि वर्तमान वर्ष में यह राशि 7,400 करोड़ रुपए थी। मैं खाद्य सब्सिडी के लिए 1,750 करोड रुपए और उर्वरक सब्सिडी के लिए 1,950 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर रहा हूं और इन दोनों का योग वही है जो वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों में है। अन्य आयोजना-भिन्न खर्च को न्यूनतम रखा गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के वास्ते 300 करोड़ रुपए का एकमुश्त प्रावधान शामिल है।

88. प्राप्तियों के सम्बन्ध में, इस वर्ष के बजट अनुमानों में मैंने वर्तमान वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में कर-राजस्व में 17 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। कर-भिन्न प्राप्तियों के अनुमानों में मैंने वर्तमान वर्ष के दौरान आस्थगित तथा अगले वर्ष देय होने वाली अनिवार्य जमाराशि की किस्तों की अगले वर्ष की जाने वाले वापसी को ध्यान में रखा है।

89. पूंजी प्राप्तियों के अन्तर्गत, वर्तमान वर्ष की तुलना में बाजार उधारों के अन्तर्गत केवल 4 प्रतिशत की साधारण वृद्धि की प्रत्याशा की गई है। तथापि, छोटी बचतों के संग्रह में

वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक तथा बजट अनुमान की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है ।

90. अगले वर्ष कुल 48,767 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का और 52,862 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है, जिससे कराधान के विद्यमान स्तरों पर 4,095 करोड़ रुपए का अन्तर रह जाएगा ।

91. अब मैं अपने कराधान प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा ।

92. पिछले वर्ष के बजट में मैंने आयोजना के साथ-साथ समाप्त होने वाली एक दीर्घावधि राजकोषीय नीति तैयार करने के सरकार के इरादे की घोषणा की थी । मुझे खुशी है कि सरकार ने अपना वायदा पूरा कर दिया है । मेरी जानकारी के अनुसार सरकार के दीर्घावधिक राजकोषीय इरादों के वक्तव्य से अटकलों और नाटकीयता में काफी कमी आई है जो बजट के साथ आमतौर पर जुड़ी होती थी । मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इससे सरकार की राजकोषीय नीतियों के ढांचे को स्थिरता उपलब्ध होने से जो लाभ मिला है और इससे सरकार की इन नीतियों के संबंध में खुले रूप में वाद-विवाद करने का जो अधिक अवसर प्राप्त हुआ है, वह नाटकीय अंश में हुई इस कमी से कहीं अधिक है ।

93. इस बजट में प्रमुख रूप से दीर्घावधिक राजकोषीय नीति के विभिन्न मूलतत्वों को कार्यान्वित करने पर बल दिया गया है । विशेष रूप से, मैं उत्पाद-शुल्कों की हमारी प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने का प्रस्ताव करूंगा, जिससे बहुस्थलीय उत्पाद शुल्कों का प्रपाती प्रभाव कम होगा और उपभोक्ताओं के लिए लागतों और कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी । इस बजट से हथकरघों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, सस्ते कपड़े की पूर्ति में वृद्धि होगी, और औषधियों व दवाइयों तथा उपभोक्ताओं की रुचि की कुछ अन्य वस्तुओं पर शुल्कों में कमी होगी ।

94. मेरा प्रस्ताव छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्कों में छूट की योजना को उदार बनाने का भी है, जिससे इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा व रोजगार के और अवसर पैदा होंगे । आत्म-निर्भरता को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन और स्वदेशी पूंजीगत वस्तु उद्योग को काफी मदद देने का है । निस्सन्देह रूप से मैं राजस्व जुटाने के लिए भी कुछ प्रस्ताव करूंगा, जिसका बोझ समाज के सम्पन्न वर्गों पर पड़ेगा ।

95. प्रत्यक्ष करों के संबध में अपने प्रस्तावों का मैं यहां संक्षेप में ही उल्लेख करूंगा, क्योंकि इनके बारे में दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में चर्चा की जा चुकी है । हम निम्नलिखित प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं :—

(1) एक निधिकरण योजना प्रारंभ की जा रही है जो निवेश छूट की योजना का स्थान लेगी । निर्धारितियों को लाभों 20 प्रतिशत तक की कटौती की छूट होगी, यदि उन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में जमा करा दिया जाएगा अथवा उनका उपयोग संयंत्र और मशीन खरीदने के लिए किया जाएगा । नई 'निधिकरण योजना' को लागू करने के साथ-साथ 1987-88 के कर निर्धारण वर्ष से कम्पनियों पर लागू अधिभार को, जो मुख्य रूप से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा किया जाता था, समाप्त किया जा रहा है ।

(2) 31 मार्च, 1987 के बाद स्थापित किए जाने वाले संयंत्र और मशीनों के संबंध में निवेश छूट उपलब्ध नहीं होगी। एक ही कर निर्धारण वर्ष में निवेश छूट और निधिकरण योजना दोनों का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(3) मैंने दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में पहले प्रस्ताव किया था कि सुधारों के पैकेज के एक भाग के रूप में कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से निगम आय पर अधिकर नहीं लिया जाएगा। राजस्व जुटाने की दृष्टि से, मैं इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन को और वर्ष के लिए स्थगित कर रहा हूं।

(4) पूंजी अभिलाभ कर के संबंध में, परिसम्पत्तियों की लागत निर्धारित करने की तारीख को 1-1-1964 से बढ़ाकर 1-4-1974 किया जा रहा है और इमारतों तथा भूमियों से होने वाले दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों के लिए 50 प्रतिशत की दर से और अन्य परिसम्पत्तियों के मामले में 60 प्रतिशत की दर से कटौती की एकसमान दर निर्धारित की जा रही है। पूंजी अभिलाभ से छूट के लिए पात्र निवेशों की सूची में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य अधिसूचित अभिकरणों द्वारा जारी किए जाने वाले बांडों को भी शामिल किया जा रहा है। प्रारंभिक कटौती की सीमा को 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जा रहा है। किसी एक पुराने मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले पूंजी अभिलाभों के मामले में, आवासीय मकान खरीदने के लिए एक वर्ष की वर्तमान अवधि को बढ़ाकर दो वर्ष किया जा रहा है।

96. दीर्घावधिक राजकोषीय नीति संबंधी वक्तव्य में दिए गए आश्वासन के अनुसार मैं, अलग-अलग परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की वर्तमान प्रणाली की बजाए परिसम्पत्तियों के खण्डों (ब्लाक्स) पर मूल्यह्रास की प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। इसके साथ ही, मेरा प्रस्ताव दरों की संख्या को कम करके तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयंत्र और मशीनरी की 80 प्रतिशत से अधिक लागत 4 वर्ष या उससे कम अवधि में अपलिखित हो जाए, ऊंची दरों पर मूल्यह्रास की भी व्यवस्था करके कर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने का है। इससे प्रतिस्थापन का काम सरल हो जाएगा और आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। उन मदों के अलावा, जो प्रारंभिक वर्ष में ही 100 प्रतिशत मूल्यह्रास की पात्र हैं, इस संयंत्र और मशीनरी के लिए भिन्न-भिन्न दरें हैं। मेरा प्रस्ताव मूल्यह्रास की केवल दो दरें, अर्थात 33-1/3 प्रतिशत और 50 प्रतिशत रखने का है। प्रदूषण निवारक यंत्रों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले संयंत्रों और मशीनों को 50 प्रतिशत की ऊंची मूल्यह्रास की दर वाले खण्ड में रखा जाएगा। औद्योगिक उपक्रमों के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वास्ते निर्मित इमारतें 20 प्रतिशत मूल्यह्रास की पात्र होंगी, जबकि रिहायशी इमारतों के लिए यह सामान्य दर 5 प्रतिशत और गैर-रिहायशी इमारतों के लिए 10 प्रतिशत है।

97. मुझे यह बताया गया है कि पिछले कुछ समय से मैं गृहिणियों में अधिक लोकप्रिय नहीं हूं। मैं उनका समर्थन और सहानुभूति खो नहीं सकता। इसलिए मैं वेतन-आय के सम्बन्ध में मानक कटौती को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसकी उच्चतम सीमा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी जाएगी। इस उपाय से स्थिर

आमदनियों वाले वर्ग के 3.5 लाख करदाताओं को लाभ होगा। मैं यह लाभ इस शर्त पर दे रहा हूं कि यह लाभ गृहिणियों तक पहुंचाया जाएगा।

[**प्रो० मधु दण्डवते** : पत्नी समेत गृह-स्वामिनियां !]

98. यद्यपि, कुछ वेतनभोगी वर्गों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं का उनके नियोक्ताओं द्वारा ध्यान रखा जाता है, अन्य वेतनभोगियों व स्वत:नियोजित व्यक्तियों के मामले में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले चिकित्सा-खर्च के संबंध में कुछ राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, मेरा प्रस्ताव ऐसे व्यक्तियों की कुल आय में से कटौती की अनुमति देने का है, जो उनके द्वारा चिकित्सा उपचार पर खर्च की गई राशि अथवा उनके द्वारा भारतीय साधारण बीमा निगम से ली गई चिकित्सा बीमा पालिसियों पर दिए गए प्रीमियम की राशि तक सीमित होगी।

99. दीर्घावधिक राजकोषीय नीति के अनुरूप एक अन्य महत्वपूर्ण कदम यह उठाया जा रहा है कि सरकार को ऐसी किसी भी सम्पत्ति को खरीदने का पूर्वक्रयाधिकार दिया जा रहा है, जो हस्तान्तरणकर्ता द्वारा सहमत मूल्य पर बाजार में बिक्री के लिए पेश की जाती है। प्रारंभ में, यह उपबंध, महानगरों में स्थित दस लाख रुपए से अधिक मूल्य वाली सम्पत्तियों पर लागू होगा। किसी भी जगह के ईमानदार विक्रेता को इस उपाय से नुकसान नहीं होगा। जहां तक बाकी लोगों का सम्बन्ध है, यह उनके और आयकर विभाग तथा भगवान के बीच का मामला है।

[**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : अगर हो तो !]

100. धन-कर के क्षेत्र में एक दुरूह समस्या है, परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण करना। इससे कभी न समाप्त होने वाले जो विवाद और मुकदमेबाजी पैदा होती है उसे दूर करने के लिए हमने शेयरों, रिहायशी सम्पत्तियों, वाणिज्यिक सम्पत्तियों, आभूषणों आदि जैसी परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के नियमों को सरल बनाने का निश्चय किया है और ये नियम मार्च, 1986 के अंत तक अधिसूचित कर दिए जाएंगे।

101. दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में मैंने दान-कर को बनाए रखने तथा उसे युक्ति-संगत बनाने के लिए इसके उपबन्धों की समीक्षा करने के सरकार के इरादे की घोषणा की थी। दान-कर अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए जा रहे हैं :

(क) छूट की बुनियादी सीमा को 5000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया जाएगा।

(ख) दान-कर, कर-योग्य दान के मूल्य के 30 प्रतिशत की एकसमान दर से लगेगा।

(ग) दानों के समूहन से संबंधित प्रावधान को हटाया जाएगा।

(घ) कुछ छूटों, जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड, 1980, पति-पत्नी को दान, बीमा पालिसियों के दान, कारोबार के दौरान दान आदि तथा किसी व्यक्ति को अधिकतम 500 रुपए तक के दान से संबंधित छूटों को वापस लिया जा रहा है।

102. घुड़दौड़ों (रेस) और लाटरियों से प्राप्त जीत की राशि पर इस समय स्रोत पर कर कटौती की व्यवस्था है। मेरा प्रस्ताव इन अप्रत्याशित लाभों पर, कुल प्राप्तियों के 40 प्रतिशत की एकसमान दर से कर लगाने का है। इसके साथ ही, आकस्मिक और अनावर्ती किस्म की आय की छूट की सीमा को 1000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जा रहा है। वर्ग पहेलियों,

ताश के खेलों, किसी भी प्रकार के अन्य खेलों अथवा जुए अथवा किसी भी प्रकार अथवा किसी भी किस्म की बाजी, दौड़ों जिनमें घुड़दौड़ भी शामिल है (स्टेक-धन के रूप में दौड़ के घोड़ों के मालिकों द्वारा अर्जित आय को छोड़ कर), तथा लाटरियों की जीत से अर्जित आय का अन्य आमदनी के साथ समूहन नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी अन्य कारोबार से होने वाले नुकसानों को घुड़दौड़ों अथवा लाटरियों की जीत की राशि में से घटाने नहीं दिया जाएगा।

यह कहा जाता है कि "जो कोई भी भारी दांव लगाएगा, वह अनिवार्य रूप से अपना धन गंवाएगा या अपना चरित्र।" मुझे आशा है कि किसी भाग्यशाली विजेता को उसके धन से वंचित करके मैंने उसके चरित्र के निर्माण में योगदान किया है।

103. उक्त उपाय से, तथा अन्तर-निगम लाभांशों के संबंध में कुछ अन्य कर-रियायतों को वापस लेने से 54 करोड़ रुपये का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

104. यह प्रस्ताव है कि निर्यात लाभों पर कर की कटौती के लाभ के एक भाग को समर्थनकारी विनिर्माताओं को अन्तरित करने की अनुमति दे दी जाए। इससे हमारे निर्यात में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।

105. दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में कर आधार को व्यापक बनाने तथा उन सभी व्यक्तियों को कराधान के तहत लाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है जिनकी आय कर योग्य सीमा से अधिक है। इस प्रयोजन से सर्वेक्षण करना जरूरी है। आय-कर प्राधिकारियों को कुछ सूचना एकत्र करने का प्राधिकार देने के लिए संशोधन किया जा रहा है। हम आय कर विभाग के सर्वेक्षण, जांच-पड़ताल और अभियोजन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी अलग से कदम उठा रहे हैं।

106. दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में मैंने सार्वजनिक रूप से चर्चा के लिए एक राष्ट्रीय जमा योजना (नई शृंखला) की रूपरेखा दी थी। मैं सामान्य जनता, विशेषज्ञों तथा साथ ही अनेक माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों के लिए उनका आभारी हूं। इसकी व्यवस्थाओं को उदार बनाने तथा साथ ही उन्हें और अधिक प्रतिबन्धात्मक बनाने के बारे में भी सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस उपाय के महत्व को देखते हुए, मैं इस प्रस्ताव की और गहराई से जांच करने के लिए इसे व्यय कर संबंधी समिति को भेजने का निश्चय किया है। मैं समिति से अपनी रिपोर्ट मई 1986 तक देने का अनुरोध कर रहा हूं।

107. दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए एक उद्यम निधि के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसका प्रशासन भा० औ० वि० बैंक द्वारा किया जाएगा। यह प्रस्ताव किया गया था कि इस योजना की वित्त व्यवस्था के एक स्रोत के रूप में, विदेशों से प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए की गई सभी अदायगियों पर, जिनमें रायल्टी की अदायगी, एकमुश्त अदायगियां तथा डिजायनों व ड्राइंगों के लिए की गई अदायगियां भी शामिल हैं, 5 प्रतिशत का एक मामूली सा अनुसंधान और विकास शुल्क (अगर एण्ड डी लैवी) लगाई जाएगी। इस लैवी को प्रभावी बनाने के लिए संसद में अलग से एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

108. हमारा निम्नलिखित संशोधन करने का भी प्रस्ताव है :

(क) निवेश छूट और मूल्यह्रास का दावा वास्तविक लागत के आधार पर किया जाए। पिछले कुछ वर्षों में अनेक कम्पनियां, संयंत्र और मशीनों की खरीद के लिए उधार ली गई धनराशि पर ब्याज की पूरी राशि को पूंजीकृत करने की लेखा पद्धति को अपना रही हैं। इससे परिसम्पत्तियों की लागत और कम्पनी का निवल मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है। हम स्पष्ट कर रहे हैं कि अदा किए गए अथवा देय ब्याज को परिसम्पत्ति का पहले उपयोग करने के बाद, पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए संयंत्र और मशीनों में निवेश की उच्चतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये किया जा रहा है जैसा कि पिछले वर्ष उल्लेख किया गया था, और यह सीमा उन सभी मामालों में लागू होगी जहां पूर्ववर्ती वर्ष 17 मार्च 1985 के पश्चात् समाप्त होता है। यह वृद्धि, निवेश छूट प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित नए लघु औद्योगिक उपक्रमों के लाभों और अभिलाभों में कटौती के लिए भी लागू होगी :

(ग) इस समय मकान किराया भत्ता पाने वाले व्यक्तियों के बीच बहुत असमानता है। करों की अदायगी के मामले में मकान किराया भत्ता पाने वाले व्यक्तियों को ज्यादा कठिनाई है। इस भेद भाव को समाप्त करने के लिए संशोधन किए जा रहे हैं।

(घ) इस समय उस मकान की, जिसमें उसका मालिक स्वयं रहता हो, काल्पनिक आमदनी को करों के प्रयोजन से हिसाब में लिया जाता है। ऐसी काल्पनिक आय को छूट देने का प्रस्ताव है।

(ङ) मेरा प्रस्ताव, विदेशी सहयोगकर्ताओं द्वारा दी गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों और रायल्टी के रूप में आय की सकल राशि से कटौती योग्य कर को 30 प्रतिशत की एकसमान दर से युक्तिसंगत बनाने का है।

109. हमने बजट में सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे इस वर्ष जारी रखा गया है। जून, 1986 तक एक विस्तृत नई प्रत्यक्ष कर संहिता तैयार करने का प्रस्ताव है।

110. इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप राजस्व में कुल मिलाकर 33 करोड़ रुपये की हानि और 54 करोड़ रुपये का लाभ होगा। इस प्रकार राजस्व में 21 करोड़ रुपये की निवल वृद्धि होगी।

111. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों की ओर आता हूं।

112. वर्ष 1986-87 के लिए हमारी कार्यसूची की एक महत्वपूर्ण मद है, अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली में सुधार की शुरूआत करना। इस दिशा में पहला कदम संसद के शीतकालीन अधिवेशन में उठाया गया था, जब वर्गीकरण की सामंजस्य पूर्ण प्रणाली के आधार पर सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों के बारे में नए शुल्क-दर विधेयक प्रस्तुत किए गए। नया ढांचा वैज्ञानिक और अन्तर्राष्ट्रीय है। दूसरे चरण में, पुराने तदर्थ ढांचे के स्थान पर नया शुल्क-दर ढांचा लागू किया जाएगा, जिसमें शुल्कों में किए गए वे संशोधन शामिल होंगे, जो इस बजट द्वारा किए जाएंगे।

113. उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी कराधान में आमतौर पर जिस जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है, वह है निविष्टियों (इनपुट) पर कराधान और अन्तिम उत्पाद के मूल्य पर पड़ने

वाला उसका प्रपाती प्रभाव। दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में यह कहा गया था कि इसका सर्वोत्तम हल यह होगा कि पेट्रोलियम, तम्बाकू और कपड़े जैसे कुछ विशेष समस्याओं वाले क्षेत्रों को छोड़कर, प्रोफार्मा क्रेडिट की मौजूदा प्रणाली को उत्पादशुल्क योग्य सभी वस्तुओं पर लागू कर दिया जाए। इस योजना के अन्तर्गत, जिसे संशोधित मूल्य वर्धित कर (मोडवाट) योजना कहा गया है—मैं कहना चाहूंगा कि यह मोडवाट है, मैडवाट नहीं—विनिर्माता संघटकों और कच्चे माल पर अदा किए गए उत्पाद-शुल्क की तत्काल और पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।

114. संशोधित मूल्य वर्धित कर योजना से ऐसी पारदर्शिता उपलब्ध होती है, जिससे किसी उत्पाद पर लगे पूरे कराधान की जानकारी मिलती है और इस योजना को लागू करना लागत में कमी करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। उत्पाद शुल्क की अदा की जाने वाली राशि अन्तिम उत्पाद के मूल्य और शुल्क की दर पर निर्भर होती है। मोडवाट के लागू होने से, निविष्टियों पर दिए गए उत्पाद शुल्कों पर तत्काल क्रेडिट उपलब्ध होने और इसके परिणामस्वरूप ब्याज सम्बन्धी लागत में कमी होने से अन्तिम उत्पाद की लागत काफी घट जायेगी।

115. यह देखा जा सकता है कि मोडवाट योजना से, पहले अदा किये जा चुके शुल्कों पर फिर शुल्क अदा करने से छूट प्राप्त होगी। शुल्क-वापिसी की राशि की अदायगी अधिक शीघ्रता से होगी, क्योंकि उत्पाद-शुल्क का अंश बिल्कुल स्पष्ट होगा। इसलिए इससे उपभोक्ताओं और निर्यातकों दोनों को लाभ होगा।

116. लेकिन इस बात को देखते हुए कि यह योजना बिल्कुल नई है, हमें इस दिशा में धीमी गति से आगे बढ़ना है और मोडवाट योजना का क्रियान्वयन चरणों में किया जाना है। पहले कदम के रूप में, मेरा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1985 के 37 विनिर्दिष्ट अध्यायों में शामिल सभी वस्तुओं पर मोडवाट योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इसके परिणाम-स्वरूप यह योजना रासायनिक और सम्बद्ध उद्योगों के उत्पादों, रोगनों और पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक, कांच और कांच की बनी वस्तुओं, रबड़ उत्पादों, आधारभूत धातुओं और इनसे निर्मित वस्तुओं, मशीनों और विद्युत उपस्करों सहित मशीनी उपकरणों, मोटर गाड़ियों और कतिपय विविध विनिर्मित उत्पादों पर लागू हो जाएगी। इसका अर्थ यह होगा कि जब तक ये निविष्टियां और अन्तिम उत्पाद 37 विनिर्दिष्ट अध्यायों में शामिल रहेंगे और अन्तिम उत्पाद पर कुछ उत्पाद शुल्क लगता होगा, तब तक इन अध्यायों में शामिल निविष्टियों पर लगने वाले शुल्क के बारे में क्रेडिट उपलब्ध होता रहेगा।

117. दिए गए प्रोफार्मा क्रेडिट में उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त सीमा-शुल्क, जिसे प्रति सन्तुलनकारी शुल्क भी कहा जाता है, दोनों ही शामिल होंगे। पैकेजिंग सामग्री, खपने वाली वस्तुओं, रोगनों के बारे में भी मुजरा मिलेगा, यद्यपि ये वस्तुएं सही अर्थों में कच्ची सामग्री नहीं हैं। इन अध्यायों में शामिल न की गई जिन वस्तुओं को किन्हीं भूतपूर्व योजनाओं के अन्तर्गत प्रोफार्मा क्रेडिट अथवा मुजरे के लाभ उपलब्ध हैं, उन्हें उस सीमा तक राहत मिलती रहेगी, जहां तक संशोधित टेरिफ शीर्षक के अन्तर्गत अनुमति दी गई है। लेकिन मोडवाट योजना और भूत-पूर्व योजनाएं, जहां तक वे लागू हैं, परस्पर सम्बन्धित नहीं होंगी।

118. मोडवाट योजना पहली मार्च, 1986 से लागू होगी। अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले विनिर्माता उन अनुज्ञेय वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रोफार्मा क्रेडिट प्राप्त कर सकेंगे, जिन पर

पहली फरवरी, 1986 से उत्पाद-शुल्क लग रहा हो और जो या तो स्टाक में हों अथवा विनिर्माता को पहली मार्च, 1986 को या उसके बाद प्राप्त हों।

119. जैसा कि पहले बताया गया है, मोडवाट योजना के लागू होने से अन्तिम उत्पाद की लागत में काफी कमी आएगी और इसलिए उत्पाद शुल्कों के संग्रह को पहले के स्तर पर बनाए रखने के लिए अन्तिम उत्पाद पर लगने वाले उत्पाद शुल्कों की दरों में उपयुक्त फेरबदल किए गए हैं। मुजरे की मात्रा को हिसाब में लेने के बाद, शुल्क-दरों को नए शुल्क ढ़ांचे के निकटतम सोपान पर पूर्णांकित कर दिया गया है। हालांकि मुजरे से सम्बन्धित लाभ की मात्रा का हिसाब लगाने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी चूंकि यह एक नई स्कीम है इसलिए जहां कहीं असंगतियां दिखाई देंगी, वहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाएगा।

120. जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, सुधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रियायतों की योजना सीढ़ी का काम दे, बाधा न बने। तात्पर्य यह है कि इन रियायतों से छोटे पैमाने के उद्योगों के स्वस्थ विकास में सहायता और प्रोत्साहन मिले और इन एककों का अनावश्यक विखंडन और विभाजन रुके। इस उद्देश्य से, मेरा छोटे पैमाने के एककों के लिए उत्पाद-शुल्कों में रियायतों की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना से, लघु औद्योगिक क्षेत्र को उपलब्ध रियायतों के दायरे का काफी विस्तार हो जाएगा। नई योजना के अन्तर्गत किसी एक वर्ष में 7.5 लाख रुपये तक की निकासियों पर पूर्ण छूट उपलब्ध होती रहेगी, जिसके अन्तर्गत देश के लगभग 85 प्रतिशत लघु औद्योगिक एकक आते हैं।

121. मुख्य मौजूदा योजना के अन्तर्गत, कुल कारोबार की 40 लाख रुपए तक की सीमा तक, शुल्क-दर 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत के खंडों में उत्पाद-शुल्क लगता है। इसके बाद, 75 लाख रुपए तक के कुल कारोबार तक पूरा शुल्क लागू होता है। यदि किसी एकक का कारोबार इस स्तर को पार कर जाता है, तो वह पूर्ण छूट खो बैठता है। यह देखने में आया है कि मौजूदा खंड दर प्रणाली से लघु औद्योगिक एककों को अपने उत्पादन को एक विशेष सीमा से नीचे बनाए रखने और अपने उत्पादन को वास्तविकता से कम बताने की प्रबल प्रेरणा मिलती है। नई योजना के अन्तर्गत, 7.5 लाख रुपए से अधिक की निकासियों पर उत्पाद-शुल्क संबंधी रियायत सामान्य शुल्क से 10 प्रतिशत कम की एक समान दर पर उपलब्ध होगी, लेकिन उत्पाद-शुल्क की न्यूनतम दर 5 प्रतिशत होगी। यह रियायत कारोबार की 75 लाख रुपए तक की सीमा तक उपलब्ध होगी। उसके बाद एकक सामान्य शुल्क अदा करेंगे, लेकिन पहले 75 लाख रुपए तक के कारोबार पर उन्हें रियायती दर का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन जब किसी एकक का कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा, तो यह रियायत नहीं मिलेगी।

122. संक्रमणकालीन उपाय के रूप में, और कतिपय सीमान्तिक मामलों के सम्बन्ध में आने वाली सम्भावित कठिनाइयों को दूर करने लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक के कारोबार वाले एककों को उत्पाद-शुल्क की दर से 10 प्रतिशतांक नीचे की दर से अथवा उत्पाद-शुल्क का 25 प्रतिशत की दर से रियायती उत्पाद-शुल्क अदा करने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन यह दर 2.5 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इस व्यापारावर्त की उक्त सीमा की तत्समान राहत एक वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए, अधिक कारोबार करने वाले एककों को उपलब्ध होती रहेगी।

123. इस नई योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रसाधन-सामग्री, टेलीविजन सेटों, वातानुकूलन और प्रशीतन उपकरणों, आदि जैसे कुछ अपवादों के साथ उत्पाद-शुल्क योग्य सभी प्रकार की वस्तुओं पर समान रूप से लागू होगा।

124. छोटे पैमाने के क्षेत्र को जो एक नई और मुख्य रियायत दी जा रही है, उसका सम्बन्ध मोडवाट योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले प्रोफार्मा क्रेडिट से है। हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि यदि लघु औद्योगिक एकक ने केवल रियायती शुल्क अदा किया होगा, तो भी प्रोफार्मा क्रेडिट काल्पनिक सामान्य शुल्क के बराबर होगा।

125. पहली मार्च, 1986 से इस नई लघु उद्योग योजना के लागू होने से राजस्व में 75 करोड़ रुपए की कमी होगी।

126. पिछले वर्ष के बजट में उत्पाद-शुल्क दर-सूची में शामिल लगभग 100 वस्तुओं पर विशेष उत्पाद-शुल्क समाप्त कर दिया गया था। अब मेरा पुरानी दर-सूची (टेरिफ) की शेष 32 मदों पर से विशेष उत्पाद-शुल्क हटाने का प्रस्ताव है।

127. मेरे अगले प्रस्ताव खाद्य तेलों के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के बारे में हैं। यह एक सुविदित तथ्य है कि चावल की भूसी, तेल की खली, बिनौलों, वृक्षजन्य तेलहनों से तेल का उत्पादन करने की क्षमता का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। इन स्रोतों से तेलों विशेष रूप से खाद्य तेलों का अधिकतम उत्पादन करने को, निम्नलिखित उपायों से भारी बढ़ावा देने का प्रस्ताव है :—

(1) यदि बनास्पती एककों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुल तेल मिश्रण में चावल की भूसी के तेल, महुवा तेल, तरबूज के बीजों क तेल, साल के बीजों के तेल और आम की गुठली के तेल जैसे गौण (माइनर) तेलों का भाग 3 प्रतिशत से अधिक होगा, तो ऐसे गौण तेलों के इस्तेमाल के प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिशतांश के सम्बन्ध में प्रति मीट्रिक टन बनास्पति पर 100 रुपए की दर से उत्पाद-शुल्क में राहत प्रदान की जाएगी।

(2) यदि बनास्पती के उत्पादन के लिए कुल तेल मिश्रण में 15 प्रतिशत से अधिक बिनौले के तेल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिशतांश के सम्बन्ध में 30 रुपए प्रति मीट्रिक टन बनास्पती की दर से उत्पाद-शुल्क में राहत दी जाएगी।

गौण तेलों और बिनौले के तेल के कुल मिलाकर इस्तेमाल के बारे में अधिकतम राहत 1000 रुपए प्रति मीट्रिक टन से अधिक नहीं होगी।

(3) साबुन के उत्पादन के लिए कुल तेल मिश्रण में इन तेलों के 3 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल के प्रत्येक अतिरिक्त प्रतिशतांश पर मिलने वाली राहत को बढ़ा कर 25 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया जा रहा है। यह राहत उन 4 गौण तेलों के अलावा जिन्हें आजकल कम दर पर रियायत दी जाती है, अब 10 अतिरिक्त गौण तेलों के सम्बन्ध में भी उपलब्ध होगी।

(4) विलायकों (सल्वेंट) पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 1050 रुपए प्रति किलो लिटर की मौजूदा दर से घटा कर "शून्य" किया जा रहा है।

(5) कठोरीकृत अखाद्य तकनीकी तेलों (हार्डिन्ड इनएडीबल टेक्निकल आयल), वसीय अम्लों, सोप स्टाक और अम्लीय तेलों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त किया जा रहा है। इस उपाय से गौण तकनीकी तेलों के आयात में कमी होने और इनके अधिक उपयोग को प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है।

(6) विलायकों की सहायता से निकाले गए तेलों अथवा खली (आयल मील्ज) की किस्म में सुधार करने और उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित संयंत्र और मशीनों को, यथास्थिति, सीमा-शुल्क अथवा उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी।

(7) आयल मील के निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर नकद प्रतिपूरक समर्थन (कैश कम्पेन्सेटरी सपोर्ट) प्रदान करने का प्रस्ताव है।

128. हमारे समाज के निर्धन वर्गों के लोग देशी तेलहनों को पेर कर निकाले गए अपरिष्कृत वनस्पति तेलों का इस्तेमाल करते हैं। हम बनास्पतो के उत्पादन में पेर कर निकाले गए मूंगफली के तेल अथवा सरसों के तेल को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते, ताकि ये तेल कजोर वर्गों के उपभोक्ताओं के सीधे उपभोग के लिए उपलब्ध रहें। लेकिन उत्पादन 5 लाख टन से कम होता है। सामान्यतः इन परिष्कृत तेलों के दाम बनास्पती के दामों से भी अधिक होने हैं और इनमें वाणिज्यिक मुनाफे का मार्जिन भी काफी अधिक होता है। मैं बानस्पती पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क के अनुरूप, इन महंगे परिष्कृत खाद्य तेलों पर 1,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। लेकिन नए परिष्कृत गौण तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सोयाबीन, चावल की भूसी, बिनौले और सूरजमुखी से निकाले जाने वाले परिष्कृत तेलों पर यह शुल्क नहीं लगेगा।

129. कुछ परिष्कृत वनस्पति तेलों पर उत्पाद-शुल्क लगाने से एक वर्ष में कुल 80 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा, जबकि ऊपर उल्लिखित उपायों से राजस्व में कुल 82.20 करोड़ रुपए की हानि होगी। इस प्रकार, इन प्रस्तावों से कुल मिला कर राजस्व में 2.2 करोड़ रुपए तक की कमी होगी।

130. मुझे निम्नलिखित उपायों की घोषणा करनी है जिनसे निर्यात में तथा निर्यात-उत्पादन में सहायता मिलेगी :—

(1) अनिर्मित तम्बाकू पर निर्यात शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिर्मित तम्बाकू को और अधिक प्रतियोगी बनाने के विचार से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को उचित दाम मिलें, मैं इस मद को निर्यात-शुल्क से पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

(2) वस्त्र उद्योग तेजी से विकास होने की स्थिति में पहुंच गया है। तथा इसके निर्यात में वृद्धि की सम्भावना है और हमने हाल में इस उद्योग को 7.5 प्रतिशत की दर से शुल्क-वापसी की रियायत दी है। निर्यात और रोजगार के मामले में इस उद्योग की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सामान्य शुल्क-वापसी की दर में और अधिक वृद्धि करके इसे 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

(3) जूता उद्योग लम्बे अर्से से मांग करता रहा है कि जूता निर्माण के छोटे पैमाने के एककों को उत्पाद-शुल्क में रियायत की स्कीम पर फिर से विचार किया जाना चाहिए जो अभी तक केवल 2 अश्व शक्ति तथा 49 श्रमिकों वाले एककों पर ही लागू है। जूता उद्योग के मामले में ये छोटे पैमाने के यूनिट उत्पादन ढांचे की रीढ़ हैं। लघ उद्योगों को दी जाने वाली सामान्य छूट की स्कीम को अब जूता उद्योग क्षेत्र में भी लागू करने का प्रस्ताव है।

हमारे उद्योगों को गलचर्म (वाटल) छाल की उपलब्धता में कमी को देखते हुए, आयात-शुल्क को 70 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया है।

चर्म-शेविंग ब्लेडों पर से आयात शुल्क को 72.5 प्रतिशत की औसत दर से घटा कर 40 प्रतिशत किया जा रहा है।

(4) समुद्री उत्पादों की कोटि में सुधार करने के लिए संयंत्रों का आधुनिकीकरण करके तथा साथ ही मूल्यवर्धित वस्तुओं का उत्पादन करने से समुद्री उत्पादों की निर्यात आय में वृद्धि होगी। इसलिए समुद्री उत्पादों को संसाधित करने और उन्हें पैक करने में प्रयुक्त होने वाली विनिर्दिष्ट मशीनों पर आयात शुल्क की मौजूदा दर को 100 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत (आधार भूत और सहायक) करने का प्रस्ताव है।

(5) हमारे पास सिगारों, चुरुटों और सिगारिलों के निर्यात में वृद्धि करने की क्षमता है। इसके लिए ब्रांड वाली ऐसी वस्तुओ के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता होगी जिन्हें स्वदेशी बाजार तथा निर्यात बाजार दोनों में बेचा जा सके। ब्रांड नाम वाले सिगारों एवं चुरुटों और सिगारिलों पर इस समय जो उत्पाद शुल्क लगता है उसे समाप्त करने का प्रस्ताव है। ब्रांड वाले हुक्के के तम्बाकू पर भी उत्पाद-शुल्क समाप्त किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इन मदों के उत्पाद-शुल्क से संग्रह होने वाली राशि बहुत कम थी। जो लोग सिगरेटों का खर्च नहीं उठा सकते, वे अब सिगार और चुरुट पी सकते हैं।

(6) रत्न और आभूषण—मशीनों, उपस्करों और औजारों की 74 मदों के सम्बन्ध में आयात-शुल्क को कम करके उसे 40 प्रतिशत से 228 प्रतिशत तक के मौजूदा स्तर से घटा कर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। बम्बई और जयपुर से हवाई डाक और डाक पार्सलों के जरिये रत्नों और आभूषणों के निर्यात की अनुमति देने की व्यवस्था भी की जा रही है।

131. निर्यात के हित में दी गई रियायतों से राजकोष को सीमाशुल्क के संबंध में 12.94 करोड़ रुपए की और उत्पाद-शुल्क के संबंध में 9 लाख रुपए की हानि होगी।

132. वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, वस्त्र नीति के प्रथम चरण के क्रियान्वयन के अंग के रूप में अगस्त, 1985 में पहले ही काफी राहत दी जा चुकी है। वस्त्र उद्योग विभाग द्वारा की गई एक समीक्षा से रेशों, ब्लेंडिड सूती धागे और कपड़े के बाजार-मूल्यों में नवम्बर 1985 तक गिरावट की प्रवृत्ति आने का पता चलता है हालांकि दिसंबर, 1985 और जनवरी, 1986 में

कुछ वृद्धि दिखाई दी थी। उत्पादन के संबंध में ब्लेंडिड सूती धागे के उत्पादन में वृद्धि हुई है और इसका उत्पादन जो जुलाई—दिसम्बर 1984 में 12.972 करोड़ कि० ग्राम हुआ था, बढ़ कर जुलाई—दिसम्बर 1985 में 14.672 करोड़ कि०ग्राम तक पहुंच गया। फिर भी, शुल्कों में दी गई राहतों का पूरा लाभ प्राप्त होने में कुछ समय लग सकता है। 'सुलभ' वस्त्र स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन०टी०सी०) के लिये शुल्क-मुक्त पालिएस्टर रेशों की व्यवस्था की गई है और इस प्रकार के सस्ते ब्लेंडिड कपड़े का उत्पाद 1986-87 में बढ़कर 5 करोड़ मीटर तक पहुंच जाएगा।

133. वस्त्र नीति का उद्देश्य हथकरघों द्वारा ब्लेंडिड कपड़े के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देना है। सरकार एक ऐसी स्कीम पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हथकरघा संगठनों को शुल्क-मुक्त पालिएस्टर रेशे से निर्मित ब्लेंडिड धागे सुलभ कराये जा सकते हैं। फिलहाल, मैं विनिर्दिष्ट हथकरघा संगठनों को सप्लाई किए गए पालिएस्टर के कतिपय अंश वाले ब्लेंडिड पालिएस्टर सूती धागे और पालिएस्टर विस्कोस धागे को पूर्ण रूप से शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। विनिर्दिष्ट हथकरघा विकास संगठनों द्वारा विनिर्दिष्ट ब्लेंडिड कपड़ों के प्रोसेसिंग पर भी शुल्क पूर्ण रूप से समाप्त किया जा रहा है।

134. हथकरघा उपकर (सेस) की राशि, जिसे अब 1.9 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लिया जा रहा है, हथकरघों के विकास के लिये इस्तेमाल की जाती है। मैं इस उपकर को बढ़ाकर 2.5 पैसे प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले 3.23 करोड़ रुपये के राजस्व का उपयोग एक प्रवर्त्तन तंत्र की स्थापना करने के लिए किया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि जो मदें हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं उनका उत्पादन वस्त्र उद्योग के अन्य क्षेत्रों द्वारा न किया जाये।

135. मैं सभी प्रकार के शाडी ऊनी उत्पादों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त रखने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें कम्बल, चटाई का कपड़ा, शाडी की शालें और अन्य कपड़े शामिल हैं।

136. ऊनी वस्त्र उद्योग को राहत देने के एक उपाय के रूप में, मैं कच्ची ऊन पर आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। इस हानि को पूरा करने और साथ ही कर-निर्धारण सम्बन्धी विवादों से बचने के लिये मैं अपशिष्ट ऊन तथा फटे पुराने ऊनी वस्त्रों पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

137. जैसाकि कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि वर्ष 1983 में वस्त्रोद्योग की कुछेक आधुनिक मशीनों के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क की 25 प्रतिशत मूल्यानुसार की घटी हुई दर की व्यवस्था की गई थी। मैं इस राहत को एक और वर्ष के लिये जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं इसके अलावा, वस्त्रोद्योग की कुछेक अत्याधुनिक मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के विचार से, मैं ऐसी मशीनों के संघटकों के संबंध में सीमा-शुल्क की 25 प्रतिशत की मूल्यानुसार घटी हुई दर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे एक वर्ष में 2.74 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

138. जूट बोरी उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मैं सिंथैटिक फीतों पर, जहां निर्दिष्ट शुल्क लगा हो, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और अन्य फीतों पर 4 रुपए प्रति

किलोग्राम की दर से उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इससे पूरे वर्ष में 15 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

139. वर्ष 1985 के दौरान दी गई पूर्ववर्ती राहतों के संबंध में हमने जो समीक्षा की है उससे पता चलता है कि फाइबर विनिर्माताओं ने इन राहतों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया था, लेकिन ब्लेंडिड धागे के उत्पादकों ने, कीमतों में कमी की प्रारम्भिक अवधि के बाद ऐसा नहीं किया। बहुत सी महत्वपूर्ण कम्पनियों द्वारा उत्पादित ब्लेंडिड सूती धागे के मूल्य उत्पाद शुल्क में राहत देने से पहले के स्तर तक अथवा उसके करीब पहुंच गये हैं। मैं समझता हूं कि इस सिद्धांत को स्थापित करना आवश्यक है कि यदि उपभोक्ताओं के हित में दी गई राहतों में निहित भावना का सम्मान नहीं किया जायेगा, तो सरकार दी गई राहतों को वापस ले लेगी। मैं धागे के विनिर्माताओं को दी गई राहतों में मोटे तौर पर लगभग 50 प्रतिशत की कमी कर रहा हूं। हमारी ओर प्रतिक्रिया उनके भावी आचरण पर निर्भर करेगी।

140. सरकार अतिरिक्त शुल्क (बिक्री कर के बदले) का हिस्सा बढ़ाने के लिए भी वचनबद्ध है। मैं 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक मूल्य वाले सूती तथा मानव-निर्मित कपड़ों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क में 2.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे राज्यों को 18 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी।

141. उपर्युक्त प्रस्तावों से उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 55.83 करोड़ रुपये की प्राप्ति और सीमा शुल्कों के अन्तर्गत 2.74 करोड़ रुपये की हानि होगी।

142. उद्योग संघों और संबंधित मंत्रालयों से हमें बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कुछेक प्रकार के युक्तिकरणों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है जो राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन जिनसे उद्योगों की कठिनाइयां दूर होंगी अथवा राजस्व की चोरी में कमी होगी।

143. कागज उद्योग यह शिकायत करता रहा है कि कागज उद्योग के जो यूनिट कम से कम, 50 प्रतिशत गैर परम्परागत कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए दी जाने वाली राहत की स्कीम से कारखानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। अब मैं जिस नई स्कीम का प्रस्ताव कर रहा हूं, उसके अनुसार, वे सभी कागज मिलें जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष के दौरान 24,000 मीट्रिक टन से अधिक की निकासियां नहीं कीं और जिनके पास बांस अथवा लकड़ी की लुगदी के संयंत्र नहीं हैं, वे अनुक्रमिक खण्डों के संबंध में क्रमशः 300 रुपए, 650 रुपए, 1200 रुपये तथा 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से उत्पाद शुल्क अदा करेंगी। 24,000 मीट्रिक टन से अधिक की निकासी करने वाली कागज मिलें अथवा बांस अथवा लकड़ी की लुगदी के संयंत्रों वाली बड़ी मिलों के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क की दर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार जमा 850 रुपए प्रति मीट्रिक टन होगी। बढ़िया किस्मों के कागज पर ये घटी दरें लागू नहीं होंगी। ये स्कीमें पहली अप्रैल, 1986 से लागू होंगी और इनसे राजकोष को एक वर्ष में 6 करोड़ रुपये की हानि होगी।

144. 3 प्रमुख थर्मो प्लास्टिकों, अर्थात लो डेन्सिटी पाली-एथीलीन, हाई डेन्सिटी वाली एथीलीन तथा पोली प्रोपीलीन के सम्बन्ध में 30 प्रतिशत मूल्यानुसार की एक समान दर निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इससे उत्पाद-शुल्क में 7.24 करोड़ रुपये की हानि होगी, किन्तु हम

सीमा शुल्क में उपयुक्त संशोधन कर रहे हैं जिससे कि राजस्व में होने वाली हानि प्रतिसंतुलित हो जाएगी। सीमा शुल्कों में 7.52 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा। इंजीनियरी प्लास्टिक ऐसी कच्ची सामग्रियां हैं जिनका भारत में उत्तरोत्तर अधिक उपयोग होगा। इस प्रकार के चार विनिर्दिष्ट इंजीनियरी प्लास्टिकों के सम्बन्ध में सीमा-शुल्क की 60 प्रतिशत मूल्यानुसार (बुनियादी जमा सहायक) की रियायती दर निर्धारित करने का प्रस्ताव है, किन्तु उन पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क की उचित दर लागू रहेगी। प्लेटों, चादरों, फिल्मों और प्लास्टिक सामग्रियों की पर्णिकाओं के सम्बन्ध में 35 प्रतिशत मूल्यानुसार की समान दर से उत्पाद-शुल्क लागू करने का भी प्रस्ताव है और इन मदों को छोटे पैमानों की छूटों की सामान्य स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है।

145. औषधि नीति के अनुसरण में मैं 23 विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती औषधों के अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं और इस प्रकार इन औषधियों पर लगने वाला कुल सीमा-शुल्क घट कर 110 प्रतिशत मूल्यानुसार रह जाएगा। इससे 1 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

146. मैं जीवन रक्षक 41 अतिरिक्त औषधियों को भी उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे राजकोष को 15 करोड़ रुपये की हानि होगी।

147. खपने वाली किस्म के पांच अतिरिक्त चिकित्सा उपस्करों पर लगने वाला कुल सीमा-शुल्क समाप्त किया जा रहा है। पिछले बजट में अत्याधुनिक चिकित्सा उपस्करों की 10 विनिर्दिष्ट मदों के सम्बन्ध में 45 प्रतिशत से ऊंची दर से लगने वाले सीमा-शुल्क से छूट दी गई थी। मैं चिकित्सा उपस्करों की इस सूची में काफी वृद्धि करके इसके अन्तर्गत 101 मदों को और जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं और उन्हें 40 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक की दर से लगने वाली सीमा-शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

148. देश में चिकित्सा उपस्करों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं 15 निर्धारित चिकित्सा उपस्करों के संघटकों के मामले में सीमा शुल्क की 40 प्रतिशत मूल्यानुसार की रियायती दर की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

149. 1985 के बजट में हमने सार्वजनिक धनराशियों से वित्तपोषित अनुसंधान संस्थाओं द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 50,000 रुपए तक के मूल्य की आयात की गई उपभोग्य वस्तुओं के संबंध में सीमा-शुल्क में पूरी छूट दी थी। देश में अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के एक उपाय के रूप में, मैं इस सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 5 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी।

150. इन उपायों से उत्पादन शुल्कों में 28.24 करोड़ रुपए और सीमा शुल्कों में 0.48 करोड़ रुपए की हानि होगी।

151. अन्य युक्तिकरण संबंधी कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं—

(क) मैं आम आदमी के दिन-प्रतिदिन के इस्तेमाल वाली कुछ वस्तुओं के बारे में राहत देना चाहता हूं। हम सभी प्रकार के मिट्टी के तेल और लकड़ी से जलने वाले स्टोवों पर से उत्पाद शुल्क समाप्त कर रहे हैं। जूतों के मामले में उत्पाद शुल्क

में दी जाने वाली पूरी छूट की सीमा राशि को 30 रुपए प्रति जोड़े से बढ़ा कर 45 रुपये प्रति जोड़ा किया जा रहा है। ब्रुशों, कंघियों, छतरियों, चाकों और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं पर से भी उत्पाद शुल्क समाप्त किया जा रहा है।

(ख) दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उत्पाद शुल्कों के रूप में लगाये जाने वाले उपकरों से करों के बाहुल्य में वृद्धि होती है। इन उपकरों की संख्या कम करने के एक प्रयास के रूप में, कपास, खोपड़ा, और वनस्पति तेलों पर उपकर को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। कृषि मंत्रालय इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करेगा। इसके फलस्वरूप राजकोष को 5.90 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी।

(ग) हमारे इस्पात उद्योग के लिए जहाज तोड़ने का उद्योग स्क्रेप का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तोड़ने के लिए आयात किए गए जहाजों पर सीमा-शुल्क की प्रभावी दर 1400 रुपये प्रति एल० डी०टी० निर्धारित करने और उन्हें सहायक तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव है। जहाज तोड़ करके प्राप्त सामग्रियों के सम्बन्ध में उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दर 365 रुपये प्रति मीट्रिक टन होगी जिनको 1400 रुपये प्रति एल० डी० टी० के हिसाब से पहले ही सीमा-शुल्क अदा करना पड़ रहा है।

(घ) समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, मैं छपाई-उपस्करों की 4 मदों पर सीमा-शुल्क में कमी कर रहा हूं। मुझे आशा है कि वे मुझ पर समाचार पत्रों को प्रभावित करने का आरोप नहीं लगायेंगे।

152. जो अन्य संशोधन किए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं—

(i) कास्टिक सोडे पर बुनियादी सीमा शुल्क की प्रभावी दर 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की जा रही है, और हम इसे सहायक तथा अतिरिक्त सीमा शुल्कों से मुक्त कर रहे हैं।

(ii) संरक्षण देने के उपाय के रूप में सिंथेटिक आर्गेनिक रंगाई सामग्रियों तथा कतिपय अन्य रंगों पर आयात शुल्क को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है।

(iii) पी०वी०सी० रेसिन पर बुनियादी सीमा-शुल्क की प्रभावी दर 10,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की जा रही है।

(iv) हम राष्ट्रीय गलगंड रोग नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आयोडीनयुक्त लवण के उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और इसलिए आयोडीनयुक्त लवण का उत्पादन करने के लिए आयात किए गए आयोडीन पर रियायती दर से मूल्यानुसार 25 प्रतिशत आयात शुल्क लिया जाएगा।

(v) हाथ से चलाये जाने वाले टाइपराइटरों और चमड़े के कपड़े पर उत्पाद शुल्क की मात्रानुसार दरें लागू की जा रही हैं।

(vi) समुद्री प्लाईवुड और वायुयान प्लाईवुड पर बचाव-निरोधी उपाय के रूप में मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है।

माचिस की डिब्बियों पर जिनमें 300 से अधिक तीलियां होती हैं, उत्पाद शुल्क की प्रभावी दरें निर्धारित करने की व्यवस्था की जा रही है ।

(vii) कच्ची धातु (ore), स्लैग (slag) तथा राख, लकड़ी की लुगदी अकार्बनिक रसायन जो उर्वरकों के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं, तथा सीमेंट बनाने में प्रयुक्त होने वाले खंगर (clinkers) के संबंध में उत्पाद-शुल्क में छूट दी जा रही है ।

153. इन उपायों से सीमा-शुल्कों के संबंध में 26.97 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ और उत्पाद-शुल्कों के संबंध में 3.44 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी ।

154. अब मैं साधन जुटाने के महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख करूंगा । मेरा पहला प्रस्ताव सीमा-शुल्क के सहायक शुल्कों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित है । इस समय सहायक सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत 11 खण्ड हैं । यद्यपि क्रूड पेट्रोलियम पर सीमा-शुल्क की मात्रानुसार दर वही रहेगी जो आजकल है, तथापि मौजूदा 11 खण्डों को कम करके उसे तीन खण्डों अर्थात शून्य, 25 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के खण्ड के अन्तर्गत रखने का प्रस्ताव है । इससे हमें 190 करोड़ रुपए की राजस्व आय प्राप्त होगी । लेकिन जी.ए.टी.टी. की कुछ मदों पर से सहायक शुल्क समाप्त कर दिए जाने से 9 करोड़ रुपए की हानि होगी ।

155. इससे पहले अपने भाषण में मैंने अपने पूंजीगत वस्तु उद्योग को, जो स्वावलम्बन का मूलाधार है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के महत्व का उल्लेख किया था । इस उद्देश्य से, सामान्य मशीनरी पर लगने वाले सीमा-शुल्क की दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है । सामान्य परियोजना दर को भी 45 प्रतिशत से बढ़ा कर 55 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है ।

156. इसके पूरक के रूप में, पूंजीगत वस्तुओं के संघटकों पर आयात शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव है । इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि संघटकों पर लगने वाला आयात-शुल्क अब सम्पूर्ण मशीनों के आयात-शुल्क से 15 प्रतिशत कम होगा । इस अन्तर से, जैसी कि दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में सिफारिश की गई है, पूंजीगत मशीनों के सम्पूर्ण आयात के स्थान पर भारत में इन मशीनों के, जिनमें संगणकीकृत संख्यात्मक रूप से नियंत्रित मशीनी औजार भी शामिल हैं, अधिक उत्पादन में सहायता मिलेगी । हालांकि संघटकों पर लगने वाले शुल्क की दर में कमी होने से राजस्व में 50 करोड़ रुपए की हानि होगी, लेकिन मशीनों की दर में वृद्धि से 124 करोड़ रुपए की और सामान्य परियोजना दर में परिवर्तन से 120 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति होगी ।

157. उन 32 मशीनी औजारों के मामले में, जिनके स्वदेशी उत्पादन की व्यवस्था हो गई है, सीमा-शुल्क को बढ़ाकर 110 प्रतिशत किया जा रहा है । इसके अलावा, 91 ऐसे मशीनी औजार और उपकरण निर्धारित किए गए हैं जिनका देश के अन्दर बिल्कुल नगण्य उत्पादन होता है, इन मशीनों के आयात-शुल्क को घटा कर 35 प्रतिशत मूल्यानुसार (बुनियादी+सहायक शुल्क) किया जा रहा है । सीमा शुल्कों के अन्तर्गत राजस्व में 9 करोड़ रुपए की हानि होगी ।

158. इस समय ईंधन की कम खपत करने वाली कारों पर रियायती दर से शुल्क लगता है, जो 15 प्रतिशत मूल्यानुसार अथवा उससे कम बैठता है । जैसाकि मैंने पहले कहा है, पूर्ण

मोडवाट योजना मोटर गाड़ी उद्योग पर लागू की जाएगी और ईंधन की कम खपत वाली कारों के लिए मोडवाट की नई दरें 20 प्रतिशत मूल्यानुसार होंगी। मेरा विचार है कि ऐसी कारें और उनके खरीदार शुल्क की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि सहन कर सकते हैं।

159, ईंधन की अधिक खपत वाली कारों के लिए शुल्क की मौजूदा दर लगभग 25 प्रतिशत है। इन कारों की मोडवाट दर 30 प्रतिशत होगी। अधिक ईंधन की खपत वाली गाड़ियों के उत्पाद-शुल्क में भी 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, इससे अन्तिम शुल्क 35 प्रतिशत हो जाएगा। ईंधन की अधिक खपत वाली कारों के लिए, जिनका इस्तेमाल टेक्सियों के रूप में किया जाता है, उत्पाद-शुल्क में रियायत दी जाती थी। यह दर 30 प्रतिशत निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

160. नई उत्पाद-शुल्क दर सूची के अन्तर्गत, गाड़ियों की चेसिसों और मोटर गाड़ियों की बाडी दोनों पर उत्पाद शुल्क प्रभार्य है। पूर्ण (फाइनल) गाड़ी के मामले में बाडी बनाने वालों को चैसिसों के लिए पूर्ण मोडवाट उपलब्ध है। बाडी निर्माण से चैसिसों का मूल्य वर्धित होता है और पूर्ण गाड़ियों पर भी 20 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

161. उपर्युक्त प्रस्तावों से राजस्व को 40 करोड़ रुपए का निवल लाभ होगा।

162. टेलीविजन सेटों पर शुल्क का भार कुछ कम हो है। इससे पहले इलेक्ट्रानिकी उद्योग को सामान्य रूप से कच्ची सामग्री और संघटकों के सम्बन्ध में काफी रियायतें दी गई हैं। 36 सेंटीमीटर के स्क्रीन-आकार से बड़े आकार वाले रंगीन टी.वी. सेटों के मामले में उत्पाद-शुल्क को 900 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति सेट करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से एक वर्ष में 48 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा।

[**प्रो० मधु दण्डवते** : छवि बनाने में रुकावट आ सकती है।]

163. मेरा असबाब के रूप में आयातित टी.वी. सेटों, पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव है। इस वृद्धि से असबाब के रूप में टी.वी. सेटों के आयात में कुछ हद तक रोक लगेगी। सीमा-शुल्कों से राजस्व में एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

164. मैं वातानुकूलकों (एयर कंडीशनर) पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि करने, और कर-अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से मौजूदा शुल्क के स्थान पर मात्रानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। 1.5 टन क्षमता वाले एयर-कंडीशनरों पर 8000 रुपए प्रति एयर-कंडीशनर की दर से मात्रानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। 1.5 टन से अधिक और 3 टन की क्षमता तक के एयर-कंडीशनरों के लिए यह दर 10,000 रुपए प्रति एयर कंडीशनर और उसके बाद 7.5 टन की क्षमता तक 15,000 रुपए प्रति एयर-कंडीशनर होगी। प्रशीतन और वातानुकूलन मशीनरी के सभी हिस्सों और सहायक उपकरणों पर अब 60 प्रतिशत मूल्यानुसार की एक समान दर लागू होगी। एयर-कंडीशनरों के कम्प्रेसरों पर 4000 रुपए प्रति कम्प्रेसर की मात्रानुसार दर से शुल्क लगेगा। चूंकि अब हम उद्योग को मोडवाट की सम्पूर्ण राहत प्रदान कर रहे हैं, इसलिए मेरा सरकारी अस्पतालों को छोड़ कर, अन्तिम उपयोग सम्बन्धी सभी छूटों को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में छोटे पैमाने के एककों को राहत देने की विशेष योजना जारी रहेगी। इस उपाय से 25 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

165. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों में पहली मार्च, 1986 से प्रभावी होने वाले परिवर्तनों को अमली रूप देने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन के पटल पर यथा समय रख दी जाएंगी।

166. उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा, मैंने वित्त विधेयक में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है, जिनका उद्देश्य नई सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क दर सूचियों में कुछ परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन उस जानकारी पर आधारित हैं, जो हमें व्यापार और उद्योग के क्षेत्रों और फील्ड संगठनों से इन दोनों दर-सूचियों के लाग् होने के समय से प्राप्त हुई हैं और इन परिवर्तनों का उद्देश्य सामान्यत: उस स्थिति को बनाए रखना है, जो पुरानी दर-सूचियों के अन्तर्गत मौजूद थी।

167. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों से, जिनकी रूपरेखा ऊपर दी गई है, सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत 499.92 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों से 253.78 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है। सीमाशुल्कों के अन्तर्गत 93.11 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 193.37 करोड़ रुपए की रियायतें और राहतें प्रदान की गई हैं। इस प्रकार, सीमा शुल्कों से 406.81 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों से 60.41 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उत्पाद-शुल्कों में केन्द्र का हिस्सा 24.19 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 36.22 करोड़ रुपए होगा। 467.22 करोड़ रुपए की कुल निवल अतिरिक्त प्राप्ति में केन्द्र का हिस्सा 431.00 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 36.22 करोड़ रुपए होगा।

168. इससे पहले मैंने उल्लेख किया था कि करों की मौजूदा दरों पर बजट का घाटा 4095 करोड़ रुपए का होगा। राहतों के साथ, प्रस्तावित कर उपायों से केन्द्र को 445 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवल राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार, 3650 करोड़ रुपए घाटा बच जाएगा, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारी अर्थव्यवस्था के आकार और मुद्रा भंडार को देखते हुए, यह घाटा विवेक-सम्मत और गैर मुद्रास्फीतिकारी है। यह गत वर्ष के घाटे से भी काफी कम है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या भाषण की कोई सीमा नहीं है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कितने पृष्ठ बाकी हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अगर आप सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो, मैं यहीं पर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : काफी थकान होने के कारण, सदस्यगण शायद आपके प्रस्ताव स्वीकार कर लें !

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : निश्चय ही हम जो राहत दे रहे हैं उससे विपक्ष के सदस्यगण थकान महसूस कर रहे हैं !

169. अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने कार्य की समाप्ति के निकट पहुंच रहा हूं। इस बजट में मेरी मुख्य प्राथमिकताएं ये थीं : सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना, गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों को और गति प्रदान करना, आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देना और जन साधारण को राहत प्रदान करना। मैंने साधनों की तंगी के बावजूद आयोजना परिव्यय में 20.5 प्रतिशत वृद्धि की व्यवस्था की है। हम सातवीं आयोजना के 40 प्रतिशत भाग का वास्तविक अर्थों में वित्तपोषण आयोजना

के पहले दो वर्षों में कर सकेंगे, जो अपने आपमें एक उपलब्धि है। मैंने अपने समाजवादी लक्ष्यों के अनुरूप, प्रमुख गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के परिव्यय में लगभग 65 प्रतिशत वृद्धि की है। रिक्शा चालकों, चर्मकारों, सफाई कर्मचारियों, पोर्टरों और शहरी श्रमजीवी वर्ग के अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नई योजनाए शुरू की हैं। कामगारों और स्वतः नियोजित व्यक्तियों के लाभ के लिए भविष्य निधि अंशदानों के ब्याज की दरों में वृद्धि की जा रही है। मैंने स्थिर आमदनी वाले समूहों को कर में राहत प्रदान की है। और मैंने युक्तीकरण के अन्य उपाय करने के अलावा, आयात-प्रतिस्थापन तथा निर्यात-संवर्धन को अनेक प्रोत्साहन प्रदान किए हैं।

170. यह बजट आगे ले जाने वाला केवल एक कदम है। अन्त में, महात्मा गांधी के अमर शब्दों में :

> "आने वाले समय में, लोग हमारे बारे में अपनी राय इस आधार पर कायम नहीं करेंगे कि हम किस मत के अनुयायी हैं, या हमने कौन सा लेबल लगा रखा है या हम क्या नारा लगा रहे हैं, बल्कि वे अपना मत हमारे कार्यों, अध्यवसाय, त्याग से निर्धारित करेंगे..."

मैं यह बजट सदन को प्रस्तुत करता हूं।

7.08 म० प०

वित्त विधेयक, 1986*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित**करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 1986 पुरःस्थापित किया गया।

7.09 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 मार्च, 1986/12 फाल्गुन, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

---

*दिनांक 28-2-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

मुद्रक : ए. जे. प्रिंटर्स, 5, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002